लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
4th
LOK SABHA DEBATES

चौथा सत्र
Fourth Session

Preservation Date 17-7-...
Fumigated On 16.1.84
Parliament Library

सत्यमेव जयते

खंड 17 में अंक 51 से 61 तक हैं
Vol. XVII contains Nos. 51 to 61

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य: एक रुपया

Price : One Rupee

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 53— 30 अप्रैल, 1968/10 वैशाख, 1890 (शक)

No. 53—April 30, 1968/Vaisakha 10, 1890 (Saka)

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS		
ता. प्र. सं. S. Q. Nos.		
1531. रायसीना पब्लिकेशंज लिमिटेड और यूनाइटेड पब्लिकेशंज लिमिटेड	Raisina Publications Ltd. and United Publications Ltd.	285—94
1533. कोचीन-शोरानूर सैक्शन में माल-गाड़ी की दुर्घटना	Accident to goods train on Cochin-Shoranur section	294—95
1535. हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची	H.E.C., Ranchi.	295
1547. हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची	H.E.C., Ranchi	295—300
प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS.		
ता. प्र. सं. S. Q. Nos.		
1527. दिल्ली में कपड़ा मिलों में अनियमिततायें	Irregularities by Cloth Mills in Delhi	301
1528. फ्लोटिंग पम्पिंग सैट	Floating Pumping Sets	301
1529. कच्चे पटसन के लिए समर्थन-मूल्य	Price Support in Raw Jute	301—02
1530. तालचेर उद्योग समूह	Talcher Industrial Complex	302
1532. केन्द्रीय वक्फ परिषद	Central Wakf Council	302—03
1534. राज्य व्यापार निगम के विदेशों में स्थित कार्यालयों पर खर्च	Expenditure on Offices of S.T.C. in Foreign Countries	303

* किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by him.

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
ता. प्र. संख्या S. Q. Nos.		
1536. एलेम्बिक कैमिकल वर्क्स कम्पनी लिमिटेड	Alembic Chemical Works Co. Ltd.	303—04
1537. मैसर्स अतुल-प्रॉडक्ट्स लिमिटेड	M/s. Atul Products Ltd.	304
1538. रूस को केलों का निर्यात	Export of Bananas to U.S.S.R.	304
1539. राज्य व्यापार निगम संबंधी समिति	Committee on State Trading Corporation	304
1540. लाइसेंस नीति जांच समिति	Licensing Policy Enquiry Committee	305
1541. दुर्गापुर में इंसुलेटर संयंत्र	Insulator Plant at Durgapur	305
1542. स्टेन्डर्ड ड्रम बैरल मैनुफैक्चरिंग कम्पनी	Standard Drum and Barrel Mfg. Co.	305—06
1543. भारत में पब्लिक लिमिटेड तथा प्राइवेट लिमिटेड कम्पनियां	Public Limited and Private Limited Companies in India.	306
1544. कोटकपुरा स्टेशन पर माल बेचने का ठेका	Vending Contract at Kotkapura Station	306—07
1546. रेलवे लाइनें बिछाना	Laying of Railway Lines.	307
1548. पश्चिम बंगाल में हड़तालें तथा तालाबन्दियां	Strikes and Lock-Outs in West Bengal	307
1549. छोटे पैमाने के कारखानों द्वारा नाइलोन के धागे का उत्पादन	Production of Nylon Yarn by Small Scale Units.	307—08
1550. हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड	Hindustan Machine Tools Ltd.	308
1551. अलौह धातुओं का आयात	Import of non-Ferrous Metals	308—09
1552. रेलवे दुर्घटना रोकने के के लिए स्वचालित उपकरण	Automatic Devices for Preventing Railway Accidents	309
1553. रेलवे के पहाड़-यात्रा रियायती टिकट	Railway Hill Concession Tickets	309—10
1554. प्रादेशिक नारियल जटा अनुसन्धान केन्द्र उलुबेरिया	Regional Coir Research Station, Uluberia	310—11
1555. काजू का आयात	Import of Cashewnuts	311
1556. लाइसेंस जारी करना	Issue of Licences	
अ. ता. प्र. संख्या U.S. Q. Nos.		
8911. नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के रेलवे कर्मचारियों द्वारा हड़ताल	Strike by Railway Staff at New Delhi Rly. Station	311—12
8912. दक्षिण रेलवे में टेलीप्रिंटर आपरेटर	Teleprinter Operators on Southern Railway	312
8913. दक्षिण रेलवे में तार चपरासी	Telegraph Peons on Southern Railway	312—13

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
अ. ता. प्र. संख्या U. S. Q. Nos.		
8914. नमक लाने ले जाने की क्षेत्रीय पद्धति की समाप्ति	Abolition of Zonal System of Salt Movement	313
8915. कारों का निर्माण	Manufacture of Cars	313—14
8916. अमरीका डनबार बूट कम्पनी के मस्कट ब्रदर्स	Muskat Brothers of Dunbar Boot Company of U.S.A.	314—15
8917. राज्य व्यापार निगम के विदेश में कार्यालय	Offices of S.T.C. in Foreign Countries.	315
8918. दुर्गापुर इस्पात कारखाना	Durgapur Steel Plant	315—16
8919. वैक्यूम थरमोस बोतलों के निर्माता	Manufactures of Vacuum and Thermos Flasks	316—17
8920. पारदर्शी कैल्साइट के निक्षेप	Reserves of Transparent Calcite	317
8921. ज्वालामुखी की राख के निक्षेप	Volcanic Ash Deposits	317—18
8922. कोयले का मूल्य	Price of Coal	318
8923. इंडियन ट्यूब्स कम्पनी, कलकत्ता	Indian Tubes Company, Calcutta	318—19
8924. रेलवे सम्पत्ति की चोरी	Theft of Railway property	319
8925. बोकारो इस्पात कारखाना	Bokaro Steel Plant	319
8926. एर्णाकुलम और त्रिवेन्द्रम के बीच चलने वाली रेल गाड़ियां	Running of Trains Between Ernakulam and Trivandrum	319—20
8927. शौरानूर और नीलाम्बूर के बीच रेल-गाड़ी	Train Between Shoranur and Nilambur.	320
8928. दुर्घटनाओं के कारण रेलवे कर्मचारियों को नौकरी से निकाला जाना	Removal of Railway Employees from Serivce Due to Accidents	320
8929. पश्चिम रेलवे के स्टेशनों पर भार तोलने की मशीनें	Weighing Machines at Stations on Western Railway.	320
8930. खनिज उद्योगों का विकास	Development of Mineral Industries.	321
8931. मध्य प्रदेश में खानों तथा धातुओं का सर्वेक्षण	Survey of Mines and Metals in M.P.	321—22
8932. उत्तर-प्रदेश बिहार क्षेत्र में अखबारी कागज का कारखाना	Newsprint project in U.P.—Bihar Area	322

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
अ. ता. प्र. संख्या		
U. S. Q. Nos.		

8933.	कोयले का मूल्य	Price of Coal	322—23
8934.	गोंद का निर्यात	Export of Gums.	323
8935.	विशाखापतनम से बेला डीला तक रेलवे लाइन का दोहरा किया जाना	Doubling of Rly. Line from Visakhapatnam to Bailadilla	323—24
8936.	पटसन का मूल्य	Price of Jute	324
8937.	रूरकेला इस्पात कारखाना	Rourkela Steel Plant	324
8938.	भारत में बरमों (रिगों) की कमी	Shortage of Rigs in India	325
8939.	भारतीय रेलवे इंजीनियर सेवा के परिवीक्षाधीन इंजीनियर	Probationers of Indian Railway Service of Engineers	325
8940.	संयुक्त अरब गणराज्य को टायरों का निर्यात	Export of Tyres to U.A.R.	325—26
8941.	निर्यात के लिए नकद सहायता	Cash Assistance for Exports	326
8942.	कोटा जंक्शन पर पुलिया	Culvert at Kota Junction	326
8943.	जूतों के निर्यात के लिए क्रयादेश	Orders for Export of Shoes.	326
8944.	पटसन का रक्षित भंडार	Buffer Stock of Jute.	326—27
8945.	रेलवे प्रशासन और रेलवे सुरक्षा दल के विरुद्ध आरोप	Charges against Railway Administsation and R.P.F.	327
8946.	कोटा में वैस्पा स्कूटर की लाटरी	Vespa Scooter Lottery at Kota.	327—28
8947.	कोटा डिवीजन में रेलवे अस्पताल	Railway Hospital in Kota Division	328
8948.	जापान को लौह अयस्क का निर्यात	Export of Iron Ore to Japan.	328—29
8949.	टायरों का निर्यात	Export of Tyres.	329
8950.	राज्य व्यापार निगम के अध्यक्ष के विरुद्ध जांच	Enquiries against Chairman of S.T.C.	329
8951.	दक्षिण वियतनाम को रेल की पटरियों का निर्यात	Export of Rails to South Vietnam	329—30
8952.	केन्द्रीय वक्फ परिषद	Central Wakf Council.	330

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE

अ. ता. प्र. संख्या

U. S. Q. Nos.

8953.	वरिष्ठ वेतन-मान वाले अधिकारियों से सम्बद्ध आशुलिपिक	Stenographers Attached to Senior Scale Officers	330—31
8954.	30 मार्च, 196को कोटा-बीना रेलगाड़ी में तीसरे दर्जे के डिब्बे में आग लगने की घटना	Burning of Third Class Compartment of Kota-Bina Train on 30.3.68	331
8955.	सवाई माधोपुर स्टेशन पर वैगन तोलने की मशीन	Wagon Weighing Machines at Sawai Madhopur-	331
8956.	आयात नीति	Import Policy	331
8957.	केन्द्रीय रेलवे कर्मचारी संघ की ओर से ज्ञापन	Memorandum from Central Railway Employees Union.	332
8958.	पटसन के लिए भांडागार	Warehouse for Jute.	332
8961.	नेपाल को कोयले का निर्यात	Export of Coal to Nepal.	332
8962.	कच्छ में गांधी धाम-कांडला और लखपत को मिलाने वाली रेलवे लाइन	Railway Line Connecting Gandhi-dham-Kandla and Lakhpat in Kutch	332—33
8963.	सुरेन्द्रनगर-बाढ़वान रेलवे लाइन	Surendranagar-Vadhawan Railway Line	333—34
8964.	आयात तथा निर्यात नीति सम्बन्धी रामास्वामी मुदालियार समिति	Ramaswamy Mudaliar Committee on Import and Export Policy	334
8965.	रूस को रेल के माल डिब्बों का निर्यात	Export of Wagons to U.S.S.R.	334
8966.	मैसर्स अतुल प्रोडक्ट्स	M/s. Atul Products.	335
8967.	रांची स्थित फाउण्डरी फोर्जिंग प्लांट	Foundry Forging Plant at Ranchi.	335
8968.	फ्रांसीसी राष्ट्रजनों द्वारा बिना टिकट यात्रा	Travelling Without Tickets by French Nationals	335
8969.	केरल में उद्योग	Industries in Kerala.	335—36
8970.	पाकिस्तान के साथ व्यापार	Trade with Pakistan.	336
8971.	केला तथा फल विकास निगम	Banana and Fruit Development Corporation	336
8972.	श्री लंका के साथ व्यापार	Trade with Ceylon	336—37
8973.	रूस तथा यूरोपीय देशों को किये जाने वाले निर्यात में कमी	Fall in Exports to U.S.S.R. and European countries	337

	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
अ. ता. प्र. संख्या U. S. Q. Nos.			
8974.	दिल्ली को सप्लाई किये जाने वाले सोफ्ट कोक के वैगन	Wagons of Soft Coke Supplied to Delhi.	337
8975.	रेलवे लाइनों का सर्वेक्षण	Survey of Railway Lines	337—38
8976.	रेलवे दुर्घटनायें	Railways Accidents.	338
8977.	सरकारी उपक्रमों के अध्यक्ष	Chairmen of Government Undertakings.	338
8978.	राज्य व्यापार निगम के अधिकारियों के लिए निवास तथा भोजन की व्यवस्था	Boarding and Lodging Arrangements for S.T.C. Officers.	339
8979.	रूई का निर्यात	Export of Cotton.	339
8980.	खासी जैंतियां पहाड़ियों में तांबा पाया जाना	Discovery of Copper in Khasi-Jaintia Hills	340
8981.	हाथियों का निर्यात	Exports of Elephants.	340
8982.	उत्तर बिहार में भारी उद्योग	Heavy Industries in North Bihar	340
8983.	हिन्द गाल्वेनाइजिंग कम्पनी	Hind Galvanising Co.	340—41
8984.	प्योंटा साहिब-जगाधरी रेलवे लाइन	Paonta Saheb-Jagadhri Rail Line	341—42
8985.	रस्सों का आयात	Import of Ropes.	342
8986.	संगचल कर्मचारियों को मील-भत्ता	Mileage Allowance to Running Staff	342
8987.	आगरा छावनी से मथुरा तक मीटर गाज लाइन	Metre-gauge Line from Agra Cantonment to Mathura	343
8988.	औद्योगिक उपक्रमों का पाकिस्तान में निवास	Proprietors of Industrial Undertakings living in Pakistan	343
8989.	रेलवे दुर्घटनाए	Railway Accidents	343
8990.	कानपुर में सूती कपड़ा मिलों को सरकार द्वारा अपने अधिकार में लिया जाना	Taking over of Textile Mills in Kanpur	344
8991.	ढले लोहे के स्लीपरों के स्थान पर कंक्रीट के स्लीपरों का लगाना	Replacing of Cast Iron Sleepers by Concrete Sleepers.	344
8992.	नेशनल इन्स्ट्रूमेंन्ट्स लिमिटेड कलकत्ता	National Instruments Ltd., Calcutta	344
8993.	चाय पर निर्यात शुल्क	Export Duty on Tea.	344—45

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE

अ. ता. प्र. संख्या U. S. Q. Nos.			
8994.	राजस्थान में रॉक फास्फेट के निक्षेप	Deposits of Rock Phosphate in Rajasthan	345
8995.	नई आयात नीति में विषमतायें	Anomalies in New Import Policy.	345
8996.	इस्पात और कोयले का उत्पादन	Production of Steel and Coal.	345—46
8997.	संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन	UNCTAD	347
8998.	हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट, रांची	Heavy Machine Building Plant, Ranchi	347
8999.	बांका उप-मण्डल में तांबे के निक्षेप	Deposits of Copper in Banka Sub-Division	347
9000.	शाखा-लाइनें बन्द करना	Closing of Branch Lines	348
9001.	पश्चिम बंगाल में कारखानों का बन्द किया जाना	Closure of Factories in West Bengal.	349
9002.	स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग कम्पनी	Structural Engineering Company	349
9003.	खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा लौह-अयस्क तथा मैंगनीज अयस्क का निर्यात	Export of Iron and Maganese Ores by M.M.T.C.	349—50
9004.	लौह तथा मैंगनीज अयस्कों की उत्पादन लागत	Cost of Production of Iron and Maganese Ores	350
9005.	धातु तथा खनिज व्यापार निगम द्वारा तांबे का आयात	Import of Copper by M.M.T.C.	350—51
9006.	खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा दिये गये खनिजों के मूल्य	Prices of Minerals supplied by M.M.T.C.	351
9007.	लोहा तथा इस्पात की मांग	Demand for Iron and Steel	351—52
9008.	देवड़ी में जिंक स्मेलटर	Zinc Smelter at Debari	352—53
9009.	मैसर्स प्रैस्टोलाइट आफ इंडिया लिमिटेड	M/s. Prestolite of India Ltd.	353
9010.	मैसर्स प्रैस्टोलाइट आफ इंडिया लिमिटेड	M/s Prestolite of India Ltd.	353—55
9011.	रेल के माल डिब्बों और उपकरणों का निर्यात	Export of Railway Wagons and Equipment	355
9012.	हैदराबाद में बैटरी के सैलों का निर्माण	Manufacture of Battery Cells in Hyderabad	355—56

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
अ. ता. प्र. संख्या U. S. Q. Nos.		
9013. बुरहानपुर रेलवे स्टेशन	Burhanpur Railway Station	356
9014. बुरहानपुर ताप्ती मिल्स लिमिटेड को सहायता	Assistance to Burhanpur Tapti Mills	356
9015. लुधियाना रेलवे स्टेशन	Ludhiana Railway Station	357
9016. मध्य प्रदेश में सरकारी क्षेत्र के उपक्रम	Public Sector Undertakings in M.P.	357
9017. दिल्ली के निकट पुराने रेल के डिब्बों को जंग लगना	Rusting of Old Railway Wagons near Delhi	357
9018. दिल्ली और बम्बई के बीच मेल, एक्सप्रैस गाड़ियां	Mail/Express trains between Delhi and Bombay.	358
9019. रेलवे सम्पत्ति की चोरी	Thefts of Railway property.	358
9020. विभागीय रैस्टोरेंटों तथा डाइनिंग कारों के संचालन में घाटा	Loss an Running of Departmental Restaurants and Dining Cars.	358
9021. दिल्ली में रेलवे कर्मचारियों द्वारा प्रदर्शन	Demonstration by Railway employees in Delhi.	358—59
9022. मछलियों का निर्यात	Export of Fish	359
9023. कोटा-बीना रेलगाड़ी के डिब्बे में आग लगना	Fire in Compartment of Kotah-Bina Train	359—60
9024. हीरों का आयात	Import of Diamonds	360
9025. नये औद्योगिक एककों को लाइसेंस देना	Licensing of New Industrial Units.	360—61
9026. बिना टिकट यात्रा	Ticketless Travel.	361—62
9027. दीवा-दहानू रेलवे लाइन	Diva-Dahanu Link Railway	362
9028 कल्याण रेलवे स्टेशन	Kalyan Railway Station	362—63
9029. बिड़ला उद्योग समूह को लाइसेंस जारी किया जाना	Issue of Licences to Birla Group of Industries	363
9030. मैसूर में खनिजों का निक्षेप	Deposits of Minerals in Mysore.	363—64
9031. हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड	Hindustan Machine Tools Ltd.,	364
9032. राष्ट्रीय सहकार समिति	National Committee for Cooperation	364
9033. खनिज निक्षेपों का वायु-चुम्बकीय सर्वेक्षण	Aero-Magnetic Surveys of Mineral Deposits	364—65
9034. औद्योगिक बस्तियों के विकास के लिए राज्यों को ऋण	Loans to States for Development of Industrial Estates.	365

अ.ता. प्र. संख्या
U. S. Q. Nos.

9035.	हावड़ा-दिल्ली डीलक्स गाड़ी	Howrah—Delhi Deluxe Train	366
9036.	खनिज पदार्थों के नये स्रोतों की खोज	Discovery of new Sources of Minerals.	366—67
9039.	झाझा (पूर्व रेलवे) के रेलवे संगचल कर्मचारियों का ज्ञापन	Memorandum from Running Staff of Jhajha (E. Rly.)	367
9040.	पटना-गया सैक्शन पर रेलगाड़ियों में प्रकाश का प्रबन्ध	Lighting Arrangement in Trains on Patna Gaya Section.	367
9041.	यालिविगी रेलवे दुर्घटना	Yalivigi Railway Accident	367
9042.	भारत के पूर्वी क्षेत्र में नमक की बिक्री	Sale of Salt in Eastern Region of India	367—68
9043.	नेशनल इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड, कलकत्ता	National Instruments Ltd., Calcutta	368
9044.	नेशनल इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड, कलकत्ता	National Instruments Ltd., Calcutta	368—69
9045.	चमड़े और चमड़े के सामान का निर्यात	Export of Leather and Leather Goods.	369
9046.	हीरा मिल कम्पनी (पब्लिक) लिमिटेड उज्जैन	Hira Mill Company (Public) Ltd., Ujjain	369
9047.	संयुक्त राष्ट्र संघ का औद्योगिक विकास संगठन	United Nations Industrial Development Organisation	369—70
9048.	प्रोटोटाइप उत्पादन तथा प्रशिक्षण केन्द्र, ओखला	Prototype Production and Training Centre, Okhla	370
9049.	भुतत्वेत्ताओं में बेरोजगारी	Unemployment among Geologists	370—71
9050.	भारत-अफगान व्यापार का संतुलित किया जाना	Balancing of Indo-Afghan Trade	371
9051.	भारत और अफगानिस्तान के बीच व्यापार	Indo-Afghan Trade.	371—72
9052.	भारत-अफगान व्यापार	Indo-Afghan Trade.	372
9053.	पूर्वोत्तर रेलवे पर मजूरी भुगतान अधिनियम के अन्तर्गत दायर किये गये मुकदमें	Suits filed under payment of Wages Act on N.E. Railway	372
9054.	भिलाई इस्पात कारखाने से सामान की चोरी	Theft of Stores from Bhilai Steel Plant	372—73
9055.	नमक बनाने वाले कारखाने	Salt Producing Factories.	373

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
अ. ता. प्र. सं.		
U. S. Q. Nos.		

9056.	विदेशों में भेजे गये शिष्ट-मण्डल	Delegations sent abroad.	373
9057.	रतन स्टील लिमिटेड, लोहटा, वाराणसी से चोरी हुए रेलवे स्लीपरों की बरामदी	Recovery of Stolen Railway Sleepers from Rattan Steel Ltd., Lohta (Varanasi)	373—74
9058.	कानपुर-टूण्डला सैक्शन का विद्युतीकरण	Electrification of Kanpur-Tundla Section	374
9059.	ट्रैक्टरों का मूल्य	Price of Tractors	375
9060.	नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन	Neyveli Lignite Corporation	375—76
9062.	बीकानेर नगर के निकट रेलवे क्रासिंग पर उपरि पुल	Overbridges on Railway Crossings near Bikaner City.	376
9063.	पूर्वोत्तर रेलवे का डिवीजनल सिस्टम	Divisional system on North East Railway	376—77
9064.	नये उद्योगों का मूल्य तथा लागत ढांचा	Price and Cost Structure of New Industries	377
9065.	कलकत्ता के इर्द-गिर्द रेलवे की भूमि पर अनधिकृत कब्जा	Unauthorised Occupation of Railway land Around Calcutta	377
9066.	टिकट परीक्षकों (टीटियों) की भर्ती	Recruitment of Ticket Examiners	377
9067.	प्रशिक्षणार्थी सहायक स्टेशन मास्टरों तथा स्थायी स्टेशन मास्टरों के वेतन मान	Scales of Pay of Trainee Assistant Station Masters and Permanent Station Masters	378
9068.	रेलगाड़ियों में टिकट निरीक्षकों का चलना	Manning of Trains by Travelling Ticket Examiners.	378—79
9069.	रेलवे विद्युतीकरण योजना के इंजीनियर	Railway Engineers of Railway Electrification Scheme	379
9070.	सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा कोयले की खरीद	Purchase of Coal by Public Sector Undertakings.	379
9071.	कचरा में नया रेलवे स्टेशन	New Railway Station at Kachra	379—80
9072.	राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की खानें	N.C.D.C. Mines.	380
9073.	कोयला उद्योग	Coal Industry.	380
9074.	रेलों के विकास के लिए ईराक को सहायता	Assistance to Iraq for Development of Railways	380—81

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
अ. ता. प्र. सं. U. S. Q. Nos.		
9075. पटसन का रक्षित भंडार	Buffer Stock of Jute	381
9076. कम्पनी सेक्रेटरीशिप	Company Secretaryship	381—82
9077. भिलाई इस्पात कारखाना	Bhilai Steel Plant	382
9078. हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची	H.E.C., Ranchi	382—83
9079. बरवाडीह सरनाडीह रेलवे लाइन	Barawadih-Sarnrdih Railway Line	383
9080. मशीनरी साज-सामान का उत्पादन	Production of Machinery Equipment	383—84
9081. पूर्वी रेलवे में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारियों के लिए आरक्षित पद	Quotas Reserved for Scheduled Castes and Scheduled Tribes Railway Employees on Eastern Railway	384
9082. आप्टिकल औजारों का निर्माण	Production of Optical Instruments	384—85
9083. औद्योगिक बस्तियां	Industrial Estates	385
9084. सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखाने	Public Sector Steel Plants.	385—86
9085. फिरोजपुर डिवीजन में आर० पी० एफ० के नायकों के पदों के लिए परीक्षा	Examination for Posts of Naiks in R.P.F. in Ferozepur Division	386
9086. पठानकोट स्टेशन पर क्लोक रूम और पार्सल क्लर्क	Cloak Room and Parcel Clerks at Pathankot Station.	386
9088. राज्य व्यापार निगम तथा खनिज धातु व्यापार तथा निगम द्वारा द्वारा नियुक्त एजेंटों द्वारा माल की बिक्री	Sale of goods by agents appointed by S.T.C. and M.M.T.C.	386—87
9089. जूतों का निर्माण	Production of Footwear.	387
9090. दिल्ली में औद्योगिक बोर्ड	Industrial Board in Delhi.	387
9091. किरीबुरू खानें	Kiriburu Mines.	388
9092. मैसर्स हिन्दुस्तान एल्युमिनियम कारपोरेशन	M/s. Hindustan Aluminium Corporation	388—89
9093. कानपुर में बच्चों की रेलगाड़ी	Children's Train at Kanpur	389
9094. कानपुर में मरी रेलवे फाटक पर गाड़ियों का रोका जाना	Detention of Trains at Murray crossing in Kanpur	389—90
9095. रूरा में 12 डाउन 11 अप एक्सप्रैस गाड़ियों का रोका जाना	Halting of 12 Down and 11up Express Trains at Rura	390
9096. फीरोजपुर डिवीजन में रेलवे अभिकरण	Railway Agencies in Ferozepur Division	390

अ. ता. प्र. संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
9097.	सियालदाह पठानकोट एक्सप्रैस गाड़ी के डिब्बे में आग	Fire in Compartment of Sealdah-Pathankot Express	390—91
9098.	रेलवे विद्युतीकरण परियोजना	Railway Electrification Project	391
9099,	भारतीय भूतत्वीय सर्वेक्षण	Geological Survey of India	392
9100.	पूर्वोत्तर रेलवे में कर्मचारियों की मुअत्तिली	Suspension of Railway Employees on N.E. Railway	392—93
9101.	पूर्वोत्तर रेलवे मजदूर संघ की ओर से ज्ञापन	Memorandum from N.E. Railway Labour Union	393
9102.	पूर्वोत्तर रेलवे में वाणिज्यिक क्लर्क	Commercial Clerks of N.E. Railway	393
9103	पूर्वोत्तर रेलवे में सहायक स्थायी मार्ग—निरीक्षक	Assistant Permanent Way Inspectors on N.E. Railway	393—94
9104.	भुसावल-इटारसी रेल गाड़ी को भोपाल तक बढ़ाना	Extension of Bhusawal-Itarsi Passenger Train upto Bhopal.	394
9105.	फोटो तैयार करने वाले उपकरणों का आयात	Import of Photo Processing Equipment	394
9106.	रद्दी अभ्रक का निर्यात	Export of Mica Waste.	394—95
9107.	बैंक आफ इंडिया के निदेशक मंडल द्वारा दान	Donations by Bank of India Board of Directors.	395
9108.	इंडियन इंस्टिट्यूट आफ फौरेन ट्रेड	Indian Institute of Foreign Trade	395—96
9109.	ऊनी हौजरी माल का निर्यात	Woolen Hosiery Exports	396
9110.	रुस को लोहे और इस्पात का निर्यात	Export of Iron and Steel to U.S.S.R.	396—97
9111.	रुस से निकिल की खरीद	Purchase of Nickel from U.S.S.R.	397—98
9112.	उच्च शक्ति प्राप्त कपड़ा विकास बोर्ड	High Power Textile Development Board.	398
9113.	कठरा, गीडी तथा सावाँग में कोयला साफ करने के कारखाने	Coal Washeries in Kathra, Geedi and Sawang	398
9114.	सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा राष्ट्रीय कोयला विकास निगम से कोयला खरीदना	Purchase of Coal from N.C.D.C. by Public Sector Undertakings.	398—99
9115.	नौनेरा स्टेशन के निकट दुर्घटना के कारण रेलवे सम्पत्ति को हानि	Loss of Railway Property due to Accident near Nonera Station	399—400
9116.	खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा अपने कलकत्ता कार्यालयों के लिए दिया गया किराया	Rent paid by M.M.T.C. for its Calcutta Offices.	400

अ. ता. प्र. सं. U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
9117.	उड़ीसा में मैंगनीज अयस्क का निर्यात	Export of Maganese Ore from Orissa.	400—01
9118	रूरकेला इस्पात कारखाने द्वारा रद्दी लोहे की बिक्री	Sale of Scrap Iron by Rourkela Steel Plant	401
9119.	वैशों लेस एण्ड कम्पनी लि. कलकत्ता	Shaw Wallace and Co. Ltd., Calcutta	402
9120.	काली सूची में रखे गये आयातक/व्यापारी	Black Listed Importers/Traders	402
9121.	ग्वालियर-भिन्ड भाग की छोटी लाइन पर मिश्रित रेल गाड़ियों का चलना	Running of mixed trains on N.G. line of Gwalior-Bhind Section	402
9122.	कैलारस और बमोड़ गांव स्टेशनों के बीच पत्थरों के परिवहन के लिए माल डिब्बे	Wagons for transport of stones between Kailaras and Bamourgaon Station	402—03
9123.	मध्य रेलवे की छोटी लाइनों पर सवारी डिब्बे तथा माल डिब्बे	Coaches and Wagons on N.G. Lines of Central Railway	403
9124.	मफतलाल उद्योग समूह	Mafatlal Group of Industries.	403
9125.	लाइसेंसों का जारी किया जाना	Issue of Licences.	403
9126.	पन्ना हीरा क्षेत्र	Panna Diamond Belt.	404
9127.	समवाय विधि बोर्ड सेवा	Company Law Board Service	404—05
9128.	वातानुकूलित डिब्बों के प्रभारक तथा अटेंन्डेंटों के वेतन तथा भत्ते	Salary and allowances of A.C.C. incharge and A.C.C. Attendants	405
9129.	बाहीरगाची पर हाल्ट स्टेशन	Halt Station at Bahirgachi	405—06
9130.	लाइसेंस जारी करना	Issue of Licences.	406
9131.	लाइसेंसों का जारी करना	Issue of Licences.	406
9132.	लाइसेंसों का जारी करना	Issue of Licences.	407
9133.	जनरल इलैक्ट्रिक कं० आफ इंडिया लिमिटेड	General Electric Co. of India Ltd.	407
9134.	लाइसेंसों का जारी किया जाना	Issue of Licences.	408
9135.	मफतलाल उद्योग समूह को लाइसेंसों का जारी किया जाना	Issue of Licences to Mafatlal Group of Industries	408
9136.	मैसर्स बर्ड एण्ड कम्पनी, शो वैलेस एण्ड कम्पनी तथा किल्बरन एण्ड कम्पनी, कलकत्ता	M/s. Bird and Co., Shaw Wallace & Co. and Kilburn & Co., Calcutta	408—09
9137.	लाइसेंस जारी करना	Issue of Licences.	409
9128.	टायरों का चोर बाजार में बेचा जाना	Sale of Tyres in Black Market	409—10

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
प्र. ता.प्र. सं.		
U. S. Q. Nos.		
9139. रबड़ उत्पन्न करने वाले देशों का सम्मेलन	Conference of Rubber producing Countries	410
9140. पालघाट में सूक्ष्म संयंत्र परियोजना	Precision instruments project at Palghat	411
9141. रेलवे दुर्घटनाएं, चोरियां तथा बिना टिकट यात्रा	Accidents, Theft and Ticketless travel on Railways	411—12
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	**Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance**	
राष्ट्रीय पुरस्कारों का दुरुपयोग	Misuse of national awards	412—14
श्री गिरिराज शरण सिंह	Shri Girraj Saren Singh	412—13
श्री यशवन्तराव चव्हाण	Shri Y. B. Chavan	413
सदस्यों को रोकने, हटाने, गिरफ्तारी तथा उनकी दोष सिद्धि तथा रिहाई के बारे में	**Re. Restraint, Removal, Conviction and Release of Members**	414—15
सभा पटल पर रखे गये पत्र	**Papers laid on the Table**	415
प्राक्कलन समिति	**Estimates Committe**	415
कार्यवाही सारांश तथा अठावनवां और साठवां प्रतिवेदन	Minutes and fifty eight and Sixtieth Reports	
सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति	**Committee on Public Undertakings**	416
कार्यवाही सारांश तथा पन्द्रहवां प्रतिवेदन	Minutes and Fifteenth Report	
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति	**Commitee on Private Members Bills and Resolutions**	416
तीसवां प्रतिवेदन	Thirtieth Report	
लोक लेखा समिति	**Public Accounts Committee**	416
ग्यारहवाँ, तेइसवाँ, सताईसवां, अठाइसवां और उन्तीसवाँ प्रतिवेदन	Eleventh, Twenty-Third, Twenty-Seventh, Twenty eighth and twenty ninth reports	
वित्त विधेयक, 1968	**Finance Bill 1968**	417
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider	
श्री सुदर्शनम	Shri M. Sudarsanam	417
श्री श्री० अ० डांगे	Shri S. A. Dange	418—21
श्री राजशेखरन	Shri Rajasekharan	421—23
श्री मधु लिमये	Shri Madhu Limaye	423—25
श्री हिम्मतसिंहका	Shri Himatsinghka	425—26
श्री उमा नाथ	Shri Umanath	426—28
श्रीमती शारदा मुकर्जी	Shrimati Sarda Mukerjee	429
श्री समर गुह	Shri Samar Guha	430—31
श्री अ० सिं० सहगल	Shri A. S. Saigal	431
श्री रंगा	Shri Ranga	431—33
श्री महन्त दिग्विजय नाथ	Shri Mahant Digvijai Nath	433—34
श्री वेणी शंकर शर्मा	Shri Beni Shanker Sharma	434
डा० सूर्य प्रकाश रीपु	Dr. Surya Prakash Puri	434—35
श्री मोरारजी देसाई	Shri Morarji Desai	435

लोक-सभा
LOK SABHA

मंगलवार, 30 अप्रैल, 1968/10 बैशाख, 1890 (शक)

Tuesday, April 30, 1968/Vaisakha 10, 1890 (Saka)

लोक–सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker in the Chair]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

रायसीना पब्लिकेशंज लिमिटेड और युनाइटेड पब्लिकेशंज लिमिटेड

+
***1531. श्री क़ंवर लाल गुप्त :**
श्री टी० पी० शाह :

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली की कम्पनियां रायसीना पब्लिकेशंज लिमिटेड और यूनाइटेड पब्लिकेशंज लिमिटेड की जो 'लिंक' और 'पेट्रियाट' नामक समाचार पत्र प्रकाशित करती है, इनकी स्थापना के समय कुल कितनी पूंजी थी और इनकी अंश पूंजी, ऋणों और दान का अलग अलग ब्यौरा क्या है;

(ख) इन कम्पनियों को 31 मार्च, 1967 तक कुल कितना घाटा हुआ;

(ग) घाटे को पूरा करने के लिये इस अवधि में कितनी ऋण, दान और अंश पूंजी प्राप्त की गई;

(घ) उन व्यक्तियों के नाम और पते क्या हैं जिन्होंने अंश पूंजी, ऋण अथवा दान के रूप में इन दोनों कम्पनियों में 1,000 रुपये या इससे अधिक रुपये जमा किये हैं ; और

(ङ) क्या यह सच है कि लगभग 10 वर्ष पहिले रूस से मुद्रणालय की लगभग 5 लाख रुपये की मशीनों का आयात किया गया था ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी): (क) से (ङ) : विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये एल० टी० संख्या 1088/68]**

Shri Kanwar Lal Gupta : Both of these companies have suffered a total loss of about Rs. 52.28 lakh in four years. There is an average loss of about Rs. 13 lakh every year and they are still going on under loss. The share capital of this Raisina Publications Ltd. company has gone up from Rs. 8 lakh to Rs. 30 lakh, and that of United Publications Ltd. from Rs. 2 lakh to Rs. 17 lakh. According to the statement, they have made up this loss by taking loans, and the total loan has gone upto Rs. 36.49 lakhs. They are getting donations also. Many Companies are receiving donations but these two companies are giving donations with the result that this too amounts to a loss of Rs. 8.71 lakh. But even then, their share capital is going up. People are giving them donations as well as loans. It is a wonderful company. In spite of such a loss, they are bringing out a new Hindi daily from Delhi and an English daily from South India. Actually, I had already stated that these news papers were getting money from foreign countries who influence our international politics. Link and Patriot are getting money from Russia. In this regard, I had put a question to the hon. Home Minister and I am hereby reading the answer which he gave.

I had asked a question : "whether the Govt. have received any information to the effect that foreign assistance is being received by an English daily published from Delhi and if so the details about the assistance and the name of the newspaper.

Whether Govt. have conducted any enquiry in this regard and if so, the results thereof."

I had asked this question on the 26th April,1968, and the Home Minister has replied : "The intelligence Bureau submitted a report regarding the use of foreign money in the last general election and for other purposes, the report is still under examination.

My point is that while C.B.I. is investigating about the money received by this daily; firstly, I want to ask whether you will inquire as to how many bogus names are there, how much money has been received as a result of pressure and how the foreign money has come here in different names ?

श्री रघुनाथ रेड्डी : सब से पहले तो मैं यही कहूंगा कि हमारा मंत्रालय तो समवाय क़ानून प्रशासन से सम्बन्धित है तथा हमें तो समवाय कानून की परिधि में ही कार्यवाही करनी पड़ेगी, इस से बाहर नहीं। समवाय क़ानून की परिधि में समवाय क़ानून प्रशासन के अन्तर्गत पंजीकार तथा अन्य स्रोतों से जो जानकारी प्राप्त होती है, वह सदन के समक्ष रख दी जायेगी।

जैसा कि वक्तव्य में कहा गया है, रायसीना पब्लिकेशंज को 28.2.67 तक 43.07 लाख रुपये की हानि हुई। युनाइटिड इण्डिया पीरियोडिकल्स प्राइवेट लिमिटिड को 31-12-1966 तक 9·21 लाख रुपये की हानि हुई। रायसीना पब्लिकेशंज को 29-2-64 तक 5·63 लाख रुपये के ऋण दिये गये। 28-2-67 को ऋण की राशि 10·70 लाख रुपये थी। युनाइटिड इण्डिया पीरियोडिकल्स लिमिटिड की ओर ऋण की राशि दिनांक 31-12-58 को 0·10 लाख रु० थी तथा 31-12-66 को 25·7 लाख रुपये थी।

दान के बारे में जो माननीय सदस्य ने कहा है, समवाय क़ानून प्रशासन इस पर कार्यवाही नहीं कर सकता क्योंकि समवाय क़ानून के अनुसार पंजीकार को इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी जाती। इस बारे में जांच करने के लिये कोई अन्य माध्यम हो सकते हैं।

जहां तक यह प्रश्न है कि इस समवाय को राजनैतिक सद् भावना अथवा अन्य कारणों से कोई विदेशी सहायता अथवा स्रोत उपलब्ध हैं, तो मैं केवल यही कह सकता हूं कि इस समवाय ने मोस्को के टेक्नो प्रोइम्पोर्ट (विक्रेता) के साथ 22 दिसम्बर, 1961 को एक समझौता संख्या 56/61-डी-डी किया। इस समझौते में भारत की ओर से मैसर्ज़ युनाइटिड इण्डिया पीरियोडिकल्स

प्राइवेट लिमिटिड (क्रय-कर्ता) तथा मैसर्ज मनुभाई सन्ज एण्ड कम्पनी विक्रेताओं की ओर से अभिकर्ता थे ।

समझौते की शर्तें पौंड की दरों पर थी । समझौते में कहा गया है कि जब भी मूल्यांकन का प्रश्न उठेगा तो इस संदर्भ में स्टर्लिंग पौंड की दर से हिसाब लगाया जायेगा न कि रूबल अथवा रुपये की दर से । पहले पौंड की दरों से हिसाब लगाया जायेगा तथा गणना रुपयों में हो सकेगी और भुगतान रुपयों में होगा । अदायगी की कुछ शर्तें हैं :—

(क) अदायगी के दिन भारतीय बैंकों के संगठन द्वारा निश्चित विनिमय की औसत दरों के हिसाब से रुपये के रूप में ।

(ख) जहाज द्वारा माल भेजे जाने से पूर्व कुल मूल्य के 20 प्रतिशत के धन से उधार खाता खुलेगा ।

(ग) शेष 80 प्रतिशत का भुगतान 6% की वार्षिक ब्याज-दर से माल भेजने के दिन से बारह वर्षों के अन्दर समान वार्षिक किस्तों में किया जायेगा । राज्य व्यापार निगम की अनुमति से 24-11-61 को 6.65 लाख रुपये का आयात अनुमति पत्र प्राप्त किया गया । इसकी वे अब तक तीन किस्तें दे चुके हैं, शेष देनी हैं । जो तीन किस्तें दे दी गई हैं उनकी धन राशि 3,60,585 रुपये है । समझौते के अनुसार, पहले उन्होंने 20 प्रतिशत जमा कराया । इसके बाद दो किस्तें और दीं । जब पैसा रिजर्व बैंक में जमा हो गया तो, आप को याद होगा कि, अवमूल्यन हो गया तथा रूसी पक्ष ने मूल्यांकन करके 57% की वृद्धि की मांग की । रिजर्व बैंक ने कहा कि 6% की दर से जो ब्याज लगाया गया है वह बहुत ऊंचा है तथा जब तक परस्पर बात-चीत द्वारा यह दर $2\frac{1}{2}$ या 3 प्रतिशत तक नहीं घटाई जाती तब तक सारे सौदे का पुनः मूल्यांकन किया जाना कठिन है । यही तथ्य हैं । इससे माननीय सदस्य चाहे जो अर्थ निकालें ।

मुझे इस में कुछ नहीं कहना है ।

Shri Kanwar Lal Gupta : I had addressed this question to the Finance Ministry and only they could give an answer to it. I do not know how did your Department forward it on to the Industry Department.

अध्यक्ष महोदय : मंत्रालयों ने स्वयं यह माँग की होगी । हम स्वंय तो ऐसा नहीं करते ।

Shri Kanwar Lal Gupta : I had sent that to the Finance Minister and the Finance Minister should, therefore, have replied to it. There is one more point in it that ;

"(d) the number of persons who have deposited Rs. 1000 or more........."

He does not have a list thereof. Further it is stated :

"Their names and addresses are available with the Registrar of Companies. It is open for inspection to the public on payment.........,,

It is with the Registrar of Companies.

Now my point is that Mrs. A.Ghosh, who is the wife of Shri Ajoy Ghosh, has deposited Rs. 50,000 in it, Shri S.A. Dange Rs. 30,000 ; and Shri Deo Kumar Malviya's son have deposited Rs. 30,000. Some Asha Seth—I donot know who she is; and who is related to Shri K.D.Malviya—has deposited Rs. one lakh. Similarly Mrs. Aruna Asaf Ali has also deposited Rs. 7 lakh. Sarvashri Gyan Patnaik and Biju Patnaik have also deposited Rs. one lakh each. Dr. Narayanan has also deposited about Rs. 7 lakhs in it. Some Shri Dev Narain Mishra of Nepal too has deposited Rs. 50,000. Janshakti has deposited Rs. 2 lakh.

Similarly many more people have deposited the money in the form of shareholder with these companies. I want to know from the hon. Minister whether he can get it inquired from the Registrar of companies whether these loans and share holders are genuine or not. Will he get it inquired by the sub. Registrar as to what is the standnig of these persons who deposited the money or who are the share holders and whether they are in a position to purchase these shares or extend such loans; and also from where did these donations worth Rs. 9 lakh come?

श्री रघुनाथ रेड्डी : माननीय सदस्य द्वारा उठाये गये पहले प्रश्न के बारे में तो मैं निवेदन करूँगा कि समवाय क़ानून के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अंश अथवा हस्तांतरित अंश खरीदता है तो उसका पंजीकरण केवल उस समवाय में ही नहीं, प्रत्युत रजिस्ट्रार के कार्यालय में भी होगा तथा इन अंशों के बारे में कागजात भी सुरक्षित रखने होते हैं, तथा इसकी निरीक्षण देश का कोई भी नागरिक नियत शुल्क देकर कर सकता है ।

प्रक्रिया सम्बन्धी कोई प्रश्न उठाने की चेष्टा न करते हुए मैं आपका ध्यान प्रक्रिया नियमों के नियम 41 के उप-नियम (2) (15) की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ, जिसकी यह एक सुगमता से प्राप्त हो जाने वाली जानकारी है क्योंकि नाम-मात्र का शुल्क देकर कोई भी नागरिक उसका निरीक्षण कर सकता है ।

उनका दूसरा प्रश्न है कि अंश-पंजी पर सैंकड़ों जमाकर्त्ताओं तथा अंश-धारियों के नाम हैं । यदि माननीय सदस्य मुझे उन व्यक्तियों के नाम दें जिनके बारे में वह मुझ से जांच करने को कह रहे हैं, तो मैं यह जानकारी प्राप्त करके उन्हें देने को तैयार हूं कि वे सब अंश धारी हैं या नहीं ।

Shri Kanwar Lal Gupta : I had not asked that.

अध्यक्ष महोदय : वह कुछ नाम पहले ही बता चुके हैं ।

श्री रघुनाथ रेड्डी : इस समय मेरे पास इसकी जानकारी नहीं है । मैं इन नामों को नोट कर लेता हूं और जांच करूंगा ।

Shri Kanwar Lal Gupta : I had asked whether he will enquire that the names, I mentioned, are there on the register and the share-holders loans and donations are genuine?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने पहले ही कुछ नाम बताये हैं । दूसरे नामों के बारे में भी जांच-पड़ताल की जाये ।

श्री रघुनाथ रेड्डी : मैं अवश्य यह जानकारी एकत्रित करूंगा तथा यदि आवश्यक हुआ तो इसका ब्यौरा सभा-पटल पर भी रख दूंगा ।

Shri Prem Chand Verma : I want to know from the hon. Minister the names of the Chairman, members of the Board of Directors of these two companies and also the General Managers who submit the return to the Registrar, Joint Stock Company. I want their names.

श्री रघुनाथ रेड्डी : दोनों समवायों के निर्देशकों के नाम ये हैं :—

रायसीना प्रकाशंज :

श्रीमती कमला ए० बालिगा
श्रीमती अरुणा आसफ अली
श्री आर० डी० भगत
श्री के० आनन्दन
श्री एन० आर० वेनुगोपाल

	श्री पी० विश्वनाथम्
	श्री ई० नारायणन
	श्री वी० सिंघल
	श्री एम० मधुभूषणम्
युनाइटिड इण्डिया	श्रीमती अरुणा आसफ अली
पीरियाडिकल्ज्	श्री के० आनन्दन
प्राइवेट लिमिटिड :	श्री ई० नारायणन
	श्री ज्ञान पटनायक
	श्री मती बालिगा
	श्री आर० डी० भगत ।

Shri Prem Chand Verma : The respective names of the Chairman of both the companies may be stated.

श्री रघुनाथ रेड्डी : डा० बलिगा अध्यक्ष थे और इनका स्वर्गवास हो गया। इस समय हमारे पास इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि वास्तव में अब उसका अध्यक्ष कौन है।

Shri Prem Chand Verma : Reply should have been given to what I had asked. I want to know the respective names of the Chairman of these two companies and also as to who are the General Managers?

श्री रघुनाथ रेड्डी : मैं जानकारी एकत्रित करूंगा।

Shri Madhu Limaye : I would like to know from the hon. Minister whether his attention has been drawn to the fact that since 'Link' and 'Patriot' have started in our country, they have been always giving assistance to a group within congress and a particular group within Communist party? Whether they get any assistance from abroad to do such work? Therefore it becomes more necessary to know whether the share holders or depositors are genuine. Suppose I purchase share worth Rs. 50 thousand then is it not the duty of the Incometax department to enquire whether the income of Shri Madhu Limaye can be Rs. 50 thousand? If my income is not this much and the shares are in my name then this mystry must be revealed. Therefore, I am asking this specific question. The hon. Minister should not try to escape from it.

श्री रघुनाथ रेड्डी : माननीय सदस्य ने गहरे आशय से पूर्ण अनेक राजनीतिक प्रश्न उठाये हैं, मैं इनका उत्तर नहीं दे सकता, यह माननीय सदस्य पर छोड़ा जाता है कि वे स्वयं अनुमान लगाये कि क्या 'लिंक' और 'पैट्रियाट' को कम्युनिस्ट पार्टी का समर्थन प्राप्त रहा है......

अध्यक्ष महोदय : मंत्री, महोदय को उन सभी प्रश्नो का उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है।

Shri Madhu Limaye : Mr. Speaker, my question should get the answer.

अध्यक्ष महोदय : उन्हें केवल इस प्रश्न का उत्तर देना है अर्थात् क्या कई शेयरहोलडरों ने इतनी राशि का योगदान दिया है जितना कि उनकी सामर्थ्य से बाहर है और क्या ये केवल नाम-मात्र के नाम हैं। क्या मामले के इस पहलू की जांच की जायेगी ?

श्री रघुनाथ रेड्डी : मैं पुनः निवेदन करता हूं कि समवाय कानून के अन्तर्गत इस विभाग को अपनी शक्तियों का प्रयोग करना होगा।

अध्यक्ष महोदय : क्या उनके कहने का तात्पर्य यह हैं कि इस समय इस बात की जांच करने के लिए उनके पास अधिकार नहीं है ?

Shri Madhu Limaye : They have sufficient powers. This question is going for fifteen minutes but no information is coming forth. I want to ask a specific question, We can get a whole list of depositors from the Registrar of Companies though it is not necessary according to law. We should give this list but if there is malpractice there are several officers to inquire into it according to Company Act, then will you ask for a list from the Registrar of Companies ? Will you try to know through the Incometax Dcpartment or Revenue Intelligence of Ministry of Finance that whether these are genuine shareholders or depositors ? This foreign money is being given for encouragement to a group in congress and an another group in the Communist Party— and for this very purpose all this is being done.

श्री रघुनाथ रेड्डी : शेयर की खरीद अथवा बेच के सम्बन्ध में कोई दस्तावेज होगा जो इस बात को बतायेगा, समवाय कानून तभी बीच में आयेगा जब केवल यह या तो बन वटी शेयर का मामला हो अथवा ऋण या अन्य लेन-देन से सम्बन्ध रखने वाला ऐसा सौदा हो जिससे सन्देह जागृत हो अन्यथा यदि हस्तास्तरण उचित रूप से और ठीक-ठीक रूप से किया जाय तो हम इस बात से मतलब नहीं रखते कि कौन शेयर होल्डर है उसके पास पैसा कहां से आया था और क्या उसके पास पैसा था या नहीं ।

श्री मधु लिमये : क्या सरकार अपने अधिकारों का प्रयोग करेंगी ?

अध्यक्ष महोदय : यदि उनके पास कोई अधिकार नही हैं तो वह ऐसा कहें।

श्री रघुनाथ रेड्डी : इस मामले की जांच करने के लिए अनेक सूक्षम एजेंसियां हो सकती हैं और इस कार्य को करने के लिए कई कानून हो सकते हैं । मैं केवल समवाय कानून के अन्तर्गत इस कार्य को करने में असमर्थता के लिए कह रहा हूं ।

Shri Madhu Limaye : My specific question was whether Revenue Intelligence, Income-tax and Company Law Department all together will enquire into it and whether they will produce the findings of the enquiry before the House ? Give the answer, it may be in the positive or negative. If the answer is in negative we will think about other remedies.

श्री रघुनाथ रेडडी : यदि ऋण के कुप्रबन्ध के अलावा गलत दिशा में दिये जाने के कोई स्पष्ट और ठोस आरोप हों तो......

Shri Madhu Limaye : What can be more specific than this. What can be called more malpractice than this matter of bogus share holders and bogus depositors ?

अध्यक्ष महोदय : मैंने प्रश्न को अच्छी प्रकार समझ लिया है। यह केवल औद्योगिक विकास मंत्रालय से सम्बन्ध नहीं रखता बल्कि इसका सम्बन्ध आय-कर राजस्व (इनकम-टैक्स रेवेन्यू) से भी है। प्रश्न है : मान लीजिये धन की इतनी राशि लगाना उनकी सामर्थ्य से बाहर है, तब प्रश्न उठता है कि इतनी राशि उनके पास आई कहां से । तब, यदि उन्होंने मान लीजिये 10 लाख रुपये दिये हैं तो उन्हें इसका आय-कर देना चाहिए । मन्त्री महोदय को इस बात का उत्तर देने दीजिये ।

श्री कंवरलाल गुप्त : वह यह प्रश्न वित्त मंत्री से पूछ सकते हैं।

श्री रघुनाथ रेड्डी : मेरा विनम्र अनुरोध है कि इसका सम्बन्ध वित्त मंत्रालय से है ।

Shri Madhu Limaye : The question was sent to him.

Shri A.B. Bajpayee : Now I will have to draw your attention towards it. Every time this is being done. This question was asked from the Ministry of Finance. They referred it to this Ministry for answr, but these are now escaping from their responsibility and are stating to ask this question from the Ministry of Finance. Being a speaker you can direct them to investigate the whole matter and submit the report before the House.

Shri Madhu Limaye: There is no Prime Minister, there is no Deputy Prime Minister and this Government have no head...... How would this Government run? This is a a headless Government this is a mindless Government.

अध्यक्ष महोदय : अन्य पहलुओं को न उठाइये, एक संगत प्रश्न पूछा गया है, इसका उत्तर देना है। वह श्री वाजपेयी जी द्वारा किये गये प्रश्न कि क्या मूलतः यह प्रश्न वित्त मंत्रालय को भेजा गया था और फिर इसे इस मंत्रालय को सौंप दिया गया था, क्या उत्तर भी दे सकते हैं। मैं इस विषय में नहीं जानता, यह मंत्रालय के अनुरोध पर हस्तान्तरित किया गया होगा नहीं तो ऐसा नहीं किया जाता। लेकिन जब उन्होंने उत्तरदायित्व लिया है तो जानकारी भी इकट्ठी की होगी कुछ भी हो, अभी भी कोई देर नहीं हुई। क्या वे जानकारी इकट्ठी करेंगे और यदि तुरन्त नहीं तो बाद में हो सही, यह जानकारी देंगे ?

श्री रघुनाथ रेड्डी : यह मंत्रालय माननीय सदस्य के विचारों को वित्त मंत्रालय तथा अन्य एजेंसियों को पहुँचा देगा और जितना सम्भव हो सकेगा उतनी जानकारी इकट्ठी करेगा।

श्री मधु लिमये : स्वयं आपकी एजेंसी भी।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : उन्हें स्पष्ट और निश्चित आश्वासन देनी चाहिये कि वे इस मामले की पूरी-पूरी जाँच करेंगे। यह केवल उन तक विचार पहुंचाने का प्रश्न नहीं है।

श्री पीलू मोडी : हम नहीं चाहते कि वे केवल एक अच्छे दूत का कार्य करें हम ऐसा आश्वासन चाहते हैं कि वे सभा को ठीक सूचना देने वाले बनेंगे।

श्री कंवरलाल गुप्त : वे अभियुक्तों को आश्रय दे रहे हैं, व उनको आश्रय दे रहे हैं जो विदेशों से सहायता प्राप्त कर रहे हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और वे इसका उत्तर नहीं दे रहे हैं।

श्री पं० वेंकटासुब्बया : प्रश्नों के आवरण में अनेक असंगत बातें भी उठायी गयी हैं। श्री मधु लिमये ने बताया है कि कांग्रेसियों का एक दल (ग्रुप) उस कार्य में योगदान दे रहा है जिसके लिये ये अखबार कार्य कर रहे हैं। मैं संयुक्त सोशियलिस्ट पार्टी के आन्तरिक झगड़ों में नहीं जाना चाहता हूं लेकिन सब जानते हैं कि यह धीरे-धीरे नष्ट हो रहा है।

Shri Madhu Limaye : Leave the question of crumbling. The world will see who is crumbling.

श्री पं० वेंकटासुब्बया : प्रश्नों के आवरण में ऐसे आक्षेपों से बचने के लिए मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूँ कि जब कभी प्रश्न पूछा जाता है जहां तक सम्पूर्ण आशय का सम्बन्ध है उन्हें उसका उत्तर देना चाहिए ? मैं उनसे जानना चाहता हूं क्या अनेक सदस्यों द्वारा 'पैट्रियाट' के ऋण और शेयर पूंजी में दिये गये योगदान के सम्बन्ध में पूरी-पूरी जांच कर ली गयी है और क्या इस समाचार पत्र को चलाने के पीछे कोई राजनीतिक उद्देश्य है............

Shri Madhu Limaye : What I had asked? My question was declared irrelevant. He is the Chairman of the Estimates Committee.

This was precisely the question I asked.

श्री पं० वेंकटासुब्बया : क्योंकि 'पैट्रियाट' के प्रबन्धकों में कोई भी कांग्रेस सदस्य नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : यदि आक्षेपों को अलग कर दिया जाय तो श्री लिमये ने भी यही प्रश्न किया है। आक्षेप सभी को उत्तेजित हैं। यही कठिनाई है।

श्री रघुनाथ रेड्डी : मैंने पहले ही बता दिया है कि मैं माननीय सदस्य के विचारों को सम्बन्धित विभागों को भिजवा दूंगा और जानकारी प्राप्त करूंगा।

Shri Ram Charan ; An investigation should be made of all the shareholders and depositors of all the leading papers and a commission should be appointed.

श्री बलराज मधोक : हमारे देश में प्रजातंत्रात्मक सरकार है और इसके लिए स्वतंत्र प्रैस एक आवश्यक सहगामी हैं। हमने इस सभा में और इसके बाहर इस बात पर कई बार चर्चा की है कि प्रैस पर कुछ बड़े व्यापारीयों और एकाधिकारीयों का नियंत्रण है। एक प्रैस कौंसिल (परिषद) स्थापित की गयी है और अन्य कार्यवाही भी की गयी है। 'लिंक' और 'पेट्रियाट' को स्पष्ट रूप से विदेशी एजेंसियों द्वारा वित्त उपलब्ध होता है, यह धन बाहर से आता है जोकि यहां बेनामी खाते के अन्तर्गत जमा किया गया होता है। उनमें से कुछ ने बाहर भी पैसा जमा करा रखा है, उदाहरणार्थ श्रीमती अरुणा आसफ अली ने जिसका कि इसमें 7 लाख रुपया जमा है, सरकारी विवरण के अनुसार विदेशी बैंकों में भी धन जमा कर रखा है, इसी प्रकार, श्रीमती करनजिया जिसने कि इन पेपरों में धन लगा रखा है बाहर और बैंकों में धन जमा किये हुए है। मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों द्वारा प्रैस कैसे चलाया जाता है जिनके विदेशों में सम्पर्क हैं और जो विदेशी शक्तियों की आज्ञाओं के अनुसार काम करते हैं। क्या वे लोग प्रजातन्त्र के उद्देश्यों को पूरा करने में योगदान दे सकते हैं जबकि ये विदेशी शक्तियाँ प्रजातन्त्र में विश्वास भी नहीं रखती और पूर्णतः अधिकारवादी हैं ? मैं जानना चाहता हूँ क्या प्रजातन्त्र के हित में और एक स्वतन्त्र और प्रजातान्त्रिक प्रैस के हित में इनके भेद को खोलने का प्रयत्न किया जायेगा और क्या इस हेतु इनके मामलों की जांच की जायेगी।

श्री रघुनाथ रेड्डी : यह प्रश्न कई अनुमानों पर आधारित है, अनुमान पर आधारित इन सभी बातों का उत्तर देना मेरे लिए बड़ा कठिन है, 'पैट्रियाट' ही इन सबका उत्तर दे सकता है।

जहाँ तक अन्य प्रश्नों यथा वित्त सम्बन्धी, शेयर होल्डरों के हितों तथा अन्य बातों का सम्बन्ध है मैंने बताया है कि जहाँ तक अन्य मन्त्रालय सम्बन्धित हैं मैं माननीय सदस्य के विचारों को उन तक पहुँचा दूंगा और जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न करूंगा।

श्री बलराज मधोक : यह प्रजातन्त्र और प्रैस की स्वतन्त्रता से सम्बन्ध रखने वाला बड़ा व्यापक प्रश्न है। क्या वे जांच कराने के लिए तैयार हैं ?

श्री शान्ति लाल शाह : . इन आरोपों को ध्यान में रखकर क्या सरकार कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत निरीक्षक या न्यायाधिकरण नियुक्त करेगी जिनका कि उसे अधिकार भी है। यदि नहीं, तो इस कम्पनी को बन्द करेगी क्योंकि कुल दत्त पूंजी से कुल हानि अधिक है और कम्पनी दिवालिया है और रजिस्ट्रार को अगली कार्यवाही करने के लिए कहेगी ?

श्री रघुनाथ रेड्डी : मुझे समाचार पत्र उद्योग का अधिक अनुभव नहीं है।

श्री न० कु० सोमानी : क्या अपने मंत्रालय का अनुभव है ?

Shri Hukam Chand Kachwai ; Why have you not investigated into the matter so far ?

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि क्या वह इसकी जांच के लिये नियमों के अन्तर्गत कोई अधिकारी नियुक्त कर सकते हैं।

श्री रघुनाथ रेड्डी : मैं इस बात की खोजबीन करूंगा कि इस मामले की जांच किस तरह हो सकती है।

अध्यक्ष महोदय : श्री शान्तिलाल शाह ने जो प्रश्न किया है विशेष रूप से उसके अनुसार इसकी जांच की जा सकती है।

श्री रघुनाथ रेड्डी : जी हाँ।

श्री वीं० कृष्णमूर्ति : दुख की बात है कि भारत में विशेषकर दिल्ली में अनेक उद्योगपति और निहित स्वार्थ वाले व्यक्ति प्रेस पर नियन्त्रण रखे हुए हैं। चिन्ता की बात यह नहीं है कि प्रेस किस के नियन्त्रण में है, पर महत्व तो इस बात का है कि प्रेस क्या छापता है। यदि प्रेस कतिपय निहित स्वार्थों के प्रति विरोधी दृष्टिकोण रखता है तो हमें कार्यवाही करनी चाहिए और यदि प्रेस ठीक-ठीक सेवा करे तो चिन्ता करने की कोई बात नहीं है। मैं मन्त्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वह भारत के सभी प्रेसों के बारे में यह जांच करें कि क्या उनका सम्बन्ध किसी एकाधिकार अथवा उद्योगपति अथवा अन्य निहित स्वार्थ से है या नहीं।

अध्यक्ष महोदय : इस बात का प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री दी० चं० शर्मा : यह कहते हुए मुझे दुःख है कि जितने भी अनुपूरक प्रश्न पूछे गये उन सब में बदनाम किया गया है और व्यक्तिगत चरित्र पर आक्षेप लगाये गये हैं।

श्री शान्ति लाल शाह : पर मेरा अनुपूरक प्रश्न ऐसा नहीं था। इस तरह कहना एक वरिष्ठ सदस्य के उचित नहीं है **(अन्तर्बाधाएं)**।

श्री दी० चं० शर्मा : मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या 'पेट्रियॉट' और 'लिंक', जिन्हें अनेक व्यक्ति और मैं भी पढ़ता हूँ, भारतीय लोकतन्त्र में योगदान नहीं कर रहे हैं और क्या उनके काम से ऐसा नहीं लगता कि वे किसी अन्य विदेशी ताकत या विदेशी आर्थिक एजेन्सी से सम्बद्ध है ?

Shri Sarjoo Pandey ; It is not merely the question of conducting an enquiry into 'Link' and 'Patriot' but as some hon. Members have stated that there are other news papers like 'Current', 'Organiser' and 'Gandeev' which attack Indian democracy and propragate such ideologies as spread hatred in the country. Will the hon. Minister conduct an enquiry also into the financial resources of these newspapers ?

अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न से इस बात का कोई सम्बन्ध नहीं है। इसके लिए आप अलग से प्रश्न पूछें ······**(अन्तर्बाधाएं)**

श्री० दी० चं० शर्मा : मेरा प्रश्न स्पष्ट है कि क्या ये अखबार भारतीय लोकतन्त्र के हित के लिए काम नहीं कर रहे हैं और क्या इनका सम्बन्ध किसी विदेशी ताकत या विदेशी आर्थिक एजेन्सी से सम्बन्ध है।

श्री पीलू मोडी : निस्संदेह, जब से ये अखबार चालू हुए हैं, तभी से अखबारी कागज के लिए और भवन-निर्माण के लिए ऋण देने में इन्हें काफी प्राथमिकता दी गई है। यदि आप 'लिंक' की एक प्रति देखें तो ज्ञात होगा कि विभिन्न सरकारी संगठनों से इसे 15 से 25 विज्ञापन मिलते हैं। इन प्रकाशनों के लिए इण्डियन एयरलाइन्स तथा एयर इण्डिया अधिमान देते हैं और इनमें विदेशियों या विदेशी एजेन्सियों का किसी न किसी प्रकार का अंश जरूर है। मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे माननीय मित्र श्री शान्ति लाल शाह ने जो सुझाव दिया है क्या सरकार, जो एक निष्पक्ष संगठन है, उसे स्वीकार करेगी और कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत निरीक्षकों या न्यायाधिकरण द्वारा या इन्हें बन्द कराकर और राष्ट्रीयकरण करके पूरी जांच करायेगी ?

श्री रघुनाथ रेड्डी : यदि हम इस मामले को उठायेंगे तो विदेशी सहयोग के बारे में अन्य अनेक बातें उठ खड़ी होंगी। पर मैं इस सम्बन्ध में आवश्यक जांच करूंगा।

Shri Shashi Bhushan Bajpayee ; Shri Mody have asked whether an enquiry would be taken up about the persons who have abvanced loans to this newspaper. I want to know whether an euquiry would be made into the fact that Sir H.P. Mody, the Managing Direcror of the Central Bank, had advanced a loan of Rs. 15 lakhs to this newspaper and and whether an enquiry would also be conducted in regard to the 'Current' and 'Organiser' whose money is deposited in foreign countries.

अध्यक्ष महोदय : यह एक अलग प्रश्न है।

Accident to goods train on Cochin-Shoranur Section

\+

* 1533 **Shri Hardayal Devgun :**
Shri Onkar Lal Berwa :
Shri Jamna Lal :
Shri Ranjit Singh

Will the Minister of **Railways** be pleased to state ;

(a) Whether it is a fact that some wagons of a goods train fell into a river from a bridge on Cochin-Shoranur Section during the first week of April, 1968,

(b) Whether it is also a fact that a petrol tanker was also among the said wagons on account of which fire broke out :

(c) Whether it is further a fact that the Diesel engine on the train was also destroyed as a result of fire;

(d) if so, whether Government have conducted an enquiry into it; and

(e) the amount of loss suffered by Government as a result of the said accident ?

रेलवे मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री परिमल घोष) : (क) और (ख) जी हाँ।

(ग) जी नहीं। डीजल इंजिन को केवल क्षति पहुंची थी और उस क्षति का अनुमान लगभग 11,090 रुपये लगाया गया है।

(घ) जी हाँ।

(ङ) रेलवे सम्पत्ति को हुई क्षति का अनुमान लगभग 82,940 रुपये लगाया गया है।

Shri Hardayal Devgun : Sir I want to know what are the findings of the enquiry into this accident. Will the hon. Minister be pleased to state the causes of the accident and the action being taken by Railway Board to eliminate these causes.

श्री परिमल घोष : यह माल गाड़ी थी जो कोचीन से चली थी। इसका इंजिन पुल पर पहुचते समय पटरी से उतर गया था। चूंकि गाड़ी रफ्तार पकड़े हुए थी इसलिए वह पुल के दूसरी ग्रोर तक चली गई ग्रौर रुक गई थी। इजिन के पास के पन्द्रह डिब्बे पुल से नीचे गिर पड़े थे पर कोई जन-क्षति नहीं हुई। मामले की जांच की जा रही है ग्रौर रिपोर्ट नहीं मिली है।

Shri Har Dayal Devgun : Sir, concern is being expressed repe•tedly in this House in regard to the increased railway accidents during the last one year. Soon after any accident takes place and concern is expressed in this House and Government give an assurance to make efforts for preventing such accidents, we face another railway accident, I want to know whether Government are taking any steps seriously to prevent such accidents. It has been complained repeatedly in this House that adequate facilities are not provided to the running staff of Railways, staff is over-burdened wtth work, they are not kept near stations, the necessary inspection of railway lines is not conducted and as a result af such negligence these railway accidents take place. I want to know the action taken by the Government to remove such deficiencies.

श्री परिमल घोष : श्री वान्चू के ग्रध्यक्षता में कुछ सदस्यों की एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति बना दी गई है जो पूरे मामले की जाँच कर रही है। रिपोर्ट ग्राने पर सभा में रखी जायेगी।

हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची

+

***1535 श्री तेन्नेटि विश्वनाथम् :**
श्री मणिभाई जं० पटेल

क्या **ग्रौद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1 ग्रप्रैल 1968 को इंजीनियरिंग टाइम्स समाचार पत्र में यह सूचना प्रकाशित हुई थी कि हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन की क्षमता के उपयोग के बारे में संकट पैदा होने की दिल्ली में तथा राँची में वास्तविक ग्राशंका है जिस से उस कारपोरेशन का भविष्य ग्रंधकारमय दिखाई देता है; ग्रौर

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ग्रौर इसको ठीक करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

ग्रौद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री रघुनाथ रेड्डी): (क) जी, हाँ।

(ख) हेवी इंजीनियरी कारपोरेशन के विभिन्न संयंत्र में ग्रप्रयुक्त क्षमता की समस्या से सरकार पहले ही ग्रवगत है ग्रौर सरकार ने, इन संयंत्र को ग्रधिकतम सीमा तक ग्रार्डरों से लाद देने के हेतु कार्यवाही ग्रारम्भ कर दी है। जहाँ तक कम्पनी के भारी मशीनें निर्माण करने के संयंत्र का सम्बन्ध है, समस्या का ग्रध्ययन करने के लिए रूसी विशेषज्ञों का एक दल हाल ही में भारत ग्राया था। उनकी रिपोर्ट प्राप्त हो गई है ग्रौर उसमें की गई विभिन्न सिफारिशें विचाराधीन हैं।

हेवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची

***1547. श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :** क्या **ग्रौद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हेवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन के ग्रध्यक्ष ने यह कहा बताया गया है कि हेवी

इंजीनियरिंग कारपोरेशन में कार्यकुशलता कम होने का एक कारण यह है कि उस निगम के कर्मचारियों में साम्प्रदायिकता और जातिवाद की भावना व्याप्त है;

(ख) क्या उस संगठन में साम्प्रदायिकता के विषय को समाप्त करने के लिये सरकार ने इस बीच कोई कार्यवाही की है; और

(ग) हेवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन के प्रशासनिक ढाँचे को सुदृढ़ बनाने के लिये ताकि वह मुनाफा कमाने वाला संगठन बने अन्य क्या उपाय करने का विचार है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रघुनाथ रेड्डी): (क) ऐसी कोई सूचना सरकार की जानकारी में नहीं लाई गई है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) मामला नये अध्यक्ष के विचाराधीन है और जब जैसा आवश्यक होगा आगे कार्रवाई की जायगी ।

श्री तेन्नेटि विश्वनाथम : निगम के सभापति ने कहा है कि वह राजनीति में भाग लेते रहेंगे और साथ ही समाजवादी ढाँचे पर समाज की स्थापना के लिए काम करते रहेंगे। क्या सरकार ने यह पता लगाया है कि यह रोचक प्रयोग किस तरह किया जा रहा है ।

श्री रघुनाथ रेड्डी : वह हैवी इंजीनियरी निगम के अवैतनिय अध्यक्ष हैं और राजनीति में भाग लेने की उन्हें स्वतन्त्रता है ।

श्री तेन्नेटि विश्वनाथम : मेरा प्रश्न यह नहीं था कि वह राजनीति में भाग नहीं ले सकते, पर वह निगम का काम और समाज को समाजवादी ढांचे पर लाने का काम एक साथ कैसे कर सकेंगे और इस काम का निगम के कार्य पर क्या प्रभाव पड़ा है ।

श्री रघुनाथ रेड्डी : पद्धति यह है कि राज्य सभा और लोक-सभा के कुछ सदस्य इस प्रकार के निगमों के सदस्य हैं और वे उसके अध्यक्ष या सभापति तथा संसद् सदस्य दोनों ही बने रहते हैं ।

श्री तेन्नेटि विश्वनाथम : मैंने यह नहीं कहा है कि वह राजनीति में भाग नहीं लेना चाहते या भाग नहीं ले सकते । मैंने तो यह पूछा है कि इसका निगम के काम पर क्या प्रभाव पड़ेगा ।

श्री रघुनाथ रेड्डी : यदि कोई व्यक्ति समाजवाद में विश्वास रखता है और किसी कम्पनी का प्रबन्ध करता है, तो शायद उसका अच्छा असर ही पड़ेगा ।

श्री दामानी : एक ओर तो इस कारखाने की कुछ क्षमता अप्रयुक्त है और दूसरी ओर क्रय आदेशों को एक वर्ष बाद पूरा किया जाता है । ऐसी स्थिति में क्या माननीय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन्होंने इन मामलों की जाँच की है और कार्य कुशलता सुधारने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ।

श्री रघुनाथ रेड्डी : हैवी इंजीनियरिंग निगम को 1970–71 तक के लिए पूरे क्रय आदेश मिल चुके हैं और 1970--71 के बाद के लिए क्रय आदेश मिलने की समस्या है। हाल ही में सरकार के निमन्त्रण पर एक सोवियत दल आया था जिसने कार्य कुशलता और उत्पादन क्षमता बढ़ाने के उपाय सुझाये थे ।

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या हैवी इंजीनियरिंग निगम में कार्यकुशलता की कमी के मुख्य कारण प्रबन्ध कुशलता का अभाव और इस क्षेत्र में राज्य तथा केन्द्र का दोहरा नियन्त्रण हैं। क्या यह भी सच है कि विभिन्न सरकारी विभागों की ओर से उच्च अधिकारियों पर दबाव डाला जाता है जिसके कारण अनुशासन बिगड़ जाता है। मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि श्री केशव देव मालवीय को, जिनकी निन्दा की गई है और जिनका चरित्र संदेहातीत नहीं हैं, किस आधार पर चैयरमेन नियुक्त किया गया है ? (**अन्तर्बाधाएं**)। क्या वह तकनीकी विशेषज्ञ हैं या व्यापारिक विशेषज्ञ हैं ?

श्री रघुनाथ रेड्डी : यद्यपि मैं सदस्य महोदय से सहमत हूँ कि इस निगम के कुछ पहलू ऐसे हैं जिन्हें सुचारु रूप से कार्य चालन तथा अधिक कार्य कुशलता के लिए पुनर्गठित करना पड़ेगा, पर मैं यह कहूंगा कि श्री मालवीय को चैयरमेन इसलिए चुना गया है कि वह संगठन सुधार सकेंगे क्योंकि उन्हें सरकारी क्षेत्र के निगम चलाने का गहन अनुभव है। दूसरे, जब तक किसी निगम चलाने वाले व्यक्ति के ऊपर चाहे वह कितना ही कार्यकुशल हो, सामाजिक उत्तरदायित्व न हो, निगम नहीं चलाया जा सकता। ऐसे व्यक्ति को इस सिद्धान्त में विश्वास होना जरूरी है।

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : मैंने तो यह पूछा है कि सरकार ने किस आधार पर ऐसे व्यक्ति को, जिसकी ईमानदारी पर संदेह किया जा चुका है, चैयरमेन नियुक्त किया ?

श्री चन्द्र जीत यादव : वह व्यक्ति, जिस पर ये आक्षेप लगाये गये हैं, स्पष्टीकरण देने के लिए यहाँ उपस्थिति नहीं है। अतः ये आक्षेप नहीं लगाये जाने चाहिएं।

अध्यक्ष महोदय : मन्त्री महोदय उत्तर दे सकते हैं और इस पर आपत्ति उठा सकते हैं। यह भार सदस्य महोदय अपने ऊपर न लें।

श्री चन्द्र जीत यादव : उन्हें व्यवस्थित रहने के लिए कहने का विशेषाधिकार आपको है। श्रीमान्, आपसे मेरा निवेदन है कि आप वे प्रश्न पूछने की अनुमति न दें जिनमें ऐसे आक्षेप लगाये गये हैं।

Shri Shashi Bhusan Bajpayee : How can he make such personal attacks ? He should withdraw these words.

Shri Hukam Chand Kachwai : You may get him out of the House.

अध्यक्ष महोदय : श्री कछवाय, आपको हर प्रश्न पर शोर नहीं मचाना चाहिए। यदि कोई गलत बात है तो मन्त्री महोदय उस पर आपत्ति उठा सकते हैं। वास्तव में प्रश्न तो यह है कि ऐसे व्यक्ति को, जिसने मंत्रिपद से त्याग पत्र दिया है, चैयरमेन नियुक्त करना क्या उचित था और क्या इसके पीछे कोई इरादा था। यदि इसमें कोई गलती है तो मन्त्री महोदय ही उत्तर दे सकेंगे।

श्री रघुनाथ रेड्डी : श्री मालवीय ने मन्त्रिपद से त्यागपत्र दिया था। उन पर कुछ आरोप लगाये गये थे और उन्होंने सिद्धान्त के प्रश्न पर त्यागपत्र दे दिया था। यदि कोई व्यक्ति मन्त्रिपद से त्यागपत्र देता है तो इसका अर्थ यह नहीं है कि वह अन्य कामों के लिए हमेशा के लिए अनुपयुक्त हो जाता है।

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : मन्त्री महोदय का उत्तर गलत है। एक जांच आयोग नियुक्त किया गया था जिसमें न्यायाधीश श्री दास थे और प्रधान मन्त्री श्री जवाहरलाल ने ये शब्द कहे थे कि श्री मालवीय के विरुद्ध कुछ टिप्पणी दी गई हैं। यही कारण था जिससे श्री मालवीय ने

त्यागपत्र दिया था। अब मन्त्री महोदय उसके विपरीत बात कैसे कह सकते हैं। उनकी नियुक्ति का वास्तव में क्या आधार था ?

श्री द्वा० ना० तिवारी : क्या यह सच है कि श्री मालवीय ने तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के अध्यक्ष तथा पैट्रोलियम और रसायन मन्त्री के रूप में बहुत अच्छा काम करके दिखाया था और संसार में भारत को भी तेल-उत्पादक देशों की गिनती में ला दिया था और क्या यही देखकर उन्हें इस शर्त पर नियुक्त कर लिया गया था कि उन्हें राजनीति में भाग लेने की स्वतन्त्रता रहेगी पर साथ ही हैवी इंजीनियरिंग निगम के कार्यचालन को सुधारने की ओर भी पूरा-पूरा ध्यान देंगे

श्री रघुनाथ रेड्डी : जब उन्हें चैयरमेन नियुक्त किया गया था तो उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया था कि वैतनिक अधिकारी समझकर उन पर अनेक प्रतिबन्ध नहीं लगाये जायेंगे और उन्होंने राजनीति में इच्छानुसार भाग लेने की आजादी रखी थी, पर फिर भी हमने यह अनुभव किया था कि वह इस काम के लिए भी अपना काफी ध्यान और समय लगा सकेंगे। मैं श्री तिवारी से सहमत हूँ कि श्री मालवीय ने भारत को भी संसार तेल-उत्पादक देश बनाने में जो योगदान दिया, देश में समाजवादी ढांचे पर समाज के विकास के लिए इस सरकारी कारखाने को ढालने की जो क्षमता, विश्वास और ईमानदारी उनमें है और उनके सामाजिक उत्तरदायित्व को देखते हुए उन्हें नियुक्त किया गया था।

श्री उमानाथ : यह वह सरकारी कारखाना है जिसमें हुए साम्प्रदायिक दंगे में अनेक अल्प संख्यक मुसलमानों, औरतों तथा बच्चों को कत्ल कर दिया गया था। इसका उत्तरदायित्व उन लोगों पर है जो इस कारखाने में उच्च पदों पर बैठे हुए हैं। आपको मालूम ही है कि ऐसी कार्य-वाही वाले श्री गुप्ता इस कारखाने को छोड़ चुके हैं। मैं यह जानना चाहता हूँ कि जब वह वहाँ से छोड़कर जा रहे थे तो चैयरमेन के बदले जाने के बाद वहां पर साम्प्रदायिकता वादियों की ओर से हड़ताल चल रही थी और क्या अब वहाँ स्थिति में इस दिशा में कोई सुधार हुआ है ? क्या यह सच है कि अब भी, जबकि डायरेक्टर बदल गये हैं, अधिकारियों द्वारा, रांची कारखाने के सामने ही, जहां कि सारे मुसलमान कर्मचारी रहते हैं, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के कार्यकताओं को ड्रिल करने की अनुमति दी हुई है ताकि उन मुसलमान कर्मचारियों को डराया जा सके ? क्या यह भी सच है कि कारखाने के अधिकारी इन मुसलमान कर्मचारियों से उन सामान्य स्थानों का जहाँ कि एक-एक कमरे में पाँच-पांच छः-छः मुसलमान कर्मचारी रहते हैं, दो-तिहाई किराया वसूल किया जाता है ? क्या यह भी सच है कि अधिकारियों ने उन कर्मचारियों के जो पिछले उपद्रवों में काम पर जाते समय मारे गये, परिवारों को मुआबजा देने से इंकार कर दिया है ?

श्री रघुनाथ रेड्डी : साम्प्रदायिक उपद्रवों के बाद मिली जानकारी से मालूम हुआ है कि कारखाने में तथा बाहर शहर में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के कार्यकर्ता साम्प्रदायिक विष फैला रहे हैं **(अन्तर्बाधायें)**।

श्री उमानाथ : आप उन्हें गिरफ्तार कर के जेल में क्यों नहीं डाल देते ?

श्री रघुनाथ रेड्डी : श्री मालवीय की नियुक्ति के बाद कारखाने का वातावरण ही ऐसा बदल गया है जोकि किसी कारखाने के ठीक कार्यचालन के लिए जरूरी होता है।

श्री कृष्ण कुमार चटर्जी : क्या यह सच है कि वर्तमान चेयरमेन ने कार्य-भार संभालने के बाद कारखाने के प्रशासनिक ढांचे को गतिशील बनाने के लिए कुछ ऐसे प्रभावी निर्णय किये हैं जिनसे काफी अच्छे नतीजे निकले हैं ? क्या यह भी सच है कि उन्होंने अपनी कार्यवाही से इस कारखाने में फैली समाज तथा राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों पर काबू पा लिया है ?

श्री रघुनाथ रेड्डी : मैं पहले ही कह चुका हूँ कि जबसे उन्होंने वहाँ का कार्यभार संभाला है, वातावरण में काफी परिवर्तन हो गया है।

श्री रंगा : मुझे यह तो नहीं मालूम है कि क्या वह उप-मन्त्री; या राज्य मन्त्री या मन्त्रिमण्डल स्तर के मन्त्री है पर उन्होंने अपने इस वरिष्ठ व्यक्ति को, जिन्हें राजनीतिक कारणों से त्यागपत्र देना पड़ा था, बड़ा भारी प्रमाणपत्र दिया है और त्यागपत्र के कारण को सिद्धान्त का मामला बताया है जिसमें राजनैतिक ईमानदारी या नैतिकता का प्रश्न है। हम यहाँ पर किसी मन्त्री की प्रशंसा या ऐसे प्रमाणपत्र सुनने नहीं आये हैं। किसी मन्त्री को यह छूट है कि वह अपने पूर्ववर्ती मन्त्री को गुणों का भण्डार बतायें ? क्या हम यह समझ लें कि माननीय सदस्यों को इस पर खेद है कि इन मन्त्रियों को त्यागपत्र देना पड़ा और निकाले गये मन्त्रियों को निकाला नहीं जाना चाहिए था ? क्या श्री जवाहर लाल नेहरू के बाद उनका स्तर इतना गिर गया है कि आज ये लोग उनका समर्थन कर रहे हैं और उन्हें गुणों का भण्डार ठहरा रहे हैं ? मुझे आश्चर्य है कि सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के सभापति ने भी यही रुख अपनाया है। वास्तव में हमारा सम्बन्ध तो इस बात से है कि माननीय मन्त्री ऐसा व्यक्ति चाहते थे जो इस कारखाने की व्यवस्था सुधार सके। क्या यह तरीका ठीक है कि किसी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त कर उसे राजनीति में हाथ डालने की इजाजत दी जाये ? क्या इसी तरह इस कारखाने के हितों का ध्यान रखा जा सकता है ? **(अन्तर्बाधाएं)**

श्री रघुनाथ रेड्डी : ऐसी नियुक्तियां पहले भी हो चुकी हैं।

श्री रंगा : उन्होंने 'पूरी तरह बंचनबद्ध' शब्दों का प्रयोग किया है। जबकि उन्होंने यह भी कहा है कि उन्हें राजनीति में भी भाग लेने की इजाजत दी गई थी। क्या ये दोनों बातें एक दूसरे से मेल खाती हैं ?

अध्यक्ष महोदय : जो कुछ उन्होंने कहा है उसे वह स्वीकार करते हैं। मैं उनसे उसमें परिवर्तन करने के लिए नहीं कह सकता। माननीय सदस्य की अपनी राय है। यदि सभा चाहती है कि उसमें परिवर्तन किया जाये, उसके तरीके हैं।

श्री वेदव्रत बरुआ : मन्त्री महोदय ने जो यह बात मानी है कि सरकारी उपक्रम केवल उन्हीं व्यक्तियों के हाथ में सौंपे जाने चाहिए जो सरकारी उपक्रम में निष्ठा रखते हैं। मैं भी एक तकनीकी मामले के बारे में पूछना चाहता हूँ। यह बताया गया है शुरू में ऐसी मशीनें खरीदी गई जोकि उस समय तो काफी आधुनिक समझी गई थीं पर बाद में वे अप्रचलित सिद्ध हुईं। क्या यह सच है कि इन अप्रचलित मशीनों को खरीदना ही कम उत्पादन या पूरी क्षमता तक उत्पादन में सफल न रहने का एक कारण है ?

श्री रघुनाथ रेड्डी : ये मशीनें काफी आधुनिक हैं और हमें इस बात पर गर्व है कि यह कारखाना संसार में बहुत उत्तम ढंग का है।

Shri Atal Behari Vajpayee: Mr. Speaker, the hon. Minister has stated in reply to the question of Shri Umanath that he has received reports that RSS volunteers and their associates are spreading Communal poison in this public enterprise. I want to know the source from which he received such reports and whether he would place a copy of that report on the table of the House. Has he also received such reports that pro-Peking Communists have taken out one procession and have raised slogans of Maotse Tung Zindabad in the factory before the riots took place at Ranchi ?

श्री उमानाथ : क्या यह सच है कि अब भी राष्ट्रीय स्वयं सेवक दल के कार्यकर्ता मुसलमान कर्मचारियों के घरों के सामने परेड करते हैं और मुसलमान अल्पसंख्यकों को डराते धमकाते है ? मन्त्री महोदय कहते हैं कि वह साम्प्रदायिकता के विरुद्ध है पर साम्प्रदायिकता के कामों में हिस्सा लेने वाले रा० स्व० सेवादल के कार्यकर्ताओं का समर्थन क्यों करते हैं ।

Shri Shashi Bhushan Vajpayee : Mr. Speaker, when a reference of RSS is made, why Jan Sangh people come up to speak ?

Shri Atal Behari Vajpayee : RSS does not act under the instructions of the Chinese.

श्री उमानाथ : रांची में जिन लोगों का कत्ल किया गया वे चीन समर्थक व्यक्ति नहीं थे, वे भारतीय थे ।

Shri Kanwar Lal Gupta : I allege that pro-China Communists are still putting up in the house of Shri K.D. Malviya.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न स्पष्ट है । राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और माओ समर्थक नारों के बारे में पूछा गया है । यदि मन्त्री महोदय को इस बारे में जानकारी है तो उसका सीधा उत्तर दें ।

श्री रघुनाथ रेड्डी : इस कारखाने में अनेक राजनीतिक दल काम कर रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : इस प्रकार केवल राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ही नहीं वरन् अन्य दल भी वहां काम कर रहे हैं ।

श्री उमानाथ : यदि श्री वाजपेयी चाहें तो मैं यह सिद्ध कर सकता हूं कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के कार्यकर्ता मुसलमान श्रमिकों के घर के सामने अब भी परेड करते हैं ।.........
(अन्तर्बाधाएं)

Shri Hukam Chand Kachwai : They are agents of China and USA.

श्री उमानाथ : सरकार मुसलमान को संरक्षण दे ।

श्री शिवाजी राव एस० देशमुख : क्या मन्त्री महोदय इस सभा को विश्वस्त करेंगे और यह बतायेंगे कि हैवी इंजीनियरिंग निगम का जो चैयरमेन नियुक्त किया गया है उससे पहले देश के बड़े-बड़े व्यापारी यह चाहते थे कि इस निगम को यथासम्भव विफल बनाया जाये, उसे अपने हाथों में लिया जाये और उनकी नियुक्ति के प्रस्ताव को रद्द कराया जाये ।

श्री रघुनाथ रेड्डी : यह माननीय सदस्य का अनुमान है ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर
Written Answers to Questions

Irregularities by Cloth Mills in Delhi

***1527. Shri Nihal Singh :** Will the Minister of **Commerce** be pleased to state ;

(a) Whether Government have received any complaint in regard to the irregularities being committed by the Delhi Cloth Mill and Birla Cloth Mill, Delhi;

(b) If so, the details thereof;

(c) Whether it is a fact that inferior quality cloth is being manufactured by these mills and the people are being duped by printing high prices on the cloth;

(d) Whether Government have conducted any enquiry in this regard; and

(e) if so, the outcome thereof and the action taken thereon to remedy the situation ?

The Minister of Commerce (Shri Dinesh Singh) : (a) to (e) : A statement is laid on the Table of the House. **[Placed in Library. See No. LT-1089/68]**

फ्लोटिंग पम्पिंग सेट

***1528. श्री भोगेन्द्र झा :** क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हंगरी से लाये गये फलोटिंग पम्पिग सैट जिनका प्रयोग दक्षिण बिहार में किया गया है, बहुत कारगार सिद्ध हुए हैं;

(ख) क्या सरकार ने देश में ऐसे फेलोटिंग पम्पिग सैट बनाना आरम्भ कर दिया है; और

(ग) यदि हां, तो इसकी मुख्य रूप-रेखा क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरूद्दीन अली अहमद) : (क) जी, हां। एक फ्लोटिंग पम्प जिसे हंगरी सरकार से तोहफे के तौर पर प्राप्त किया गया था, का दक्षिण बिहार में प्रयोग किया गया था।

(ख) इस प्रकार के फ्लोटिंग पम्पों के उत्पादन की क्षमता देश में पहले ही स्थापित हो चुकी है।

(ग) ये पम्प नावों अथवा पीपों की शक्ल में होते हैं जिन पर अधिक क्षमता वाले पम्प और जल-परिषण व्यवस्था रहती है।

कच्चे पटसन के लिए समर्थन-मूल्य

***1529. श्री नम्बियार :** **श्रीमती सुशीला गोपालन :**
श्री पी. राममूर्ति : **श्री पं. गोपालन :**

क्या **वाणिज्य** मंत्री कच्चे पटसन के लिये समर्थन मूल्य के बारे में 28 मार्च, 1968 के तारांकित प्रश्न संख्या 926 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कच्चे पटसन के समर्थन मूल्यों के प्रवर्तन हेतु कोई स्थायी सरकारी व्यवस्था बनाने के बारे में सरकार ने इस बीच कोई निर्णय कर लिया है; और

(ख) यदि नहीं, तो निर्णय कब किये जाने की सम्भावना है और विलम्ब के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) और (ख) : कच्चे पटसन के लिये स्थायी बफर स्टाक के प्रवर्तन हेतु व्यवस्था का सुझाव देने के लिये एक समिति की स्थापना की गई है। यह समिति अन्य बातों के साथ साथ बफर स्टाक और बफर स्टाक का प्रवर्तन कार्य करने वाले एक स्थायी अभिकरण, जैसे कि वस्तु निगम, जो मूल्यों के समर्थन विपणन तथा अन्य संबंधित समस्याओं को ध्यान में रखेगा, कि आवश्यकता पर विचार करेगी। समिति द्वारा उस का प्रतिवेदन शीघ्र ही प्रस्तुत किये जाने की सम्भावना है।

तालचेर उद्योग-समूह

***1530 : श्री रविराय** : क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रधान मंत्री को उड़ीसा के मुख्य मंत्री से एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें उनसे यह प्रार्थना की गई है कि तालचेर उद्योग-समूह को केन्द्रीय सहायता देने के बारे में शीघ्र निर्णय किया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) उड़ीया के मुख्य मंत्री ने पिछले महीने प्रधान मन्त्री की सेवा में एक पत्र भेजा था, जिसमें तालचर उद्योग-समूह के विषय में शीघ्र निर्णय लेने की प्रार्थना की गई थी।

(ख) प्रधान मन्त्री ने उड़ीसा के मुख्य मन्त्री को अपने उत्तर में, संक्षेप से, उद्योग-समूह की जटिलताओं से और इस विषय में अन्तिम निर्णय शीघ्र लेने के लिए उठाये जा रहे कदमों से सूचित किया।

केन्द्रीय वक्फ परिषद्

***1532. श्री एम० एल० सोंधी** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:–

(क) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा नियुक्त केन्द्रीय वक्फ परिषद् ने, कोई दो वर्ष पहले अपनी एक समिति की मार्फत, मदरसों और मक्तबों के लिए आदर्श पाठ्य विवरण की बाबत एकमत होकर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी;

(ख) क्या इस रिपोर्ट में आधुनिक संस्थानों और मक्तबों तथा मदरसों के बीच के अन्तर को कम करने का प्रयास किया गया था ; और

(ग) क्या यह सच है कि केन्द्रीय वक्फ परिषद् द्वारा की गई अनेक सिफारिशों पर सरकार ने कोई विनिश्चय नही किए हैं; और

(घ) यदि हां तो इसके क्या कारण हैं ?

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मु० यूनुस सलीम) : (क) केन्द्रीय वक्फ परिषद् मे केवल मदरसों के सम्बन्ध में ही रिपोर्ट पर विचार किया है और उसे अनुमोदित किया है। धार्मिक शिक्षा समिति ने मकतबों के लिए पाठ्य विवरण परअन्तिम रिपोर्ट अभी तक प्रस्तुत नहीं की है।

(ख) जी हां।

(ग) केन्द्रीय वक्फ परिषद ने अपनी सिफारिशों में से कोई भी सरकार को विनिश्चय के लिए निर्देशित नहीं की है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

राज्य व्यापार निगम के विदेशों में स्थित कार्यालयों पर खर्च

+

***1534. श्री सीताराम केसरी** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य व्यापार निगम के विदेशों में स्थित कार्यालयों को चलाने में कुल कितनी राशि खर्च होती है ;

(ख) क्या यह सच है कि इन में से अधिकतर कार्यालयों को इतना कारोबार नहीं मिल रहा है जितना कि उन पर खर्च हो रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इनमें से कुछ कार्यालयों को बन्द करने और उनका काम भारतीय दूतावासों को सोंपने का है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल. टी. 1090/68**]

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

एलेम्बिक कैमिकल वर्क्स कम्पनी लिमिटेड

***1536 श्री मधु लिमये** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार को एलेम्बिक कैमिकल वर्क्स कम्पनी लिमिटेड, बड़ौदा के प्रबन्ध अभिकर्ताओ मैसर्ज रायूमा सर्विसिज द्वारा किये गये कदाचारों के बारे में कुछ पत्र/अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ;

(ख) क्या इन शिकायतों की जांच समवाय विधि विभाग ने की है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है और सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरूद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग) चार अनामक शिकायतें तथा श्री भायू भाई पटेल से एक हस्ताक्षरित शिकायत अगस्त, 1967 से अक्टूबर, 1967 तक प्राप्त हुई थी। कम्पनी विधि बोर्ड ने उन पर पहले विचार किया तथा इसने प्रबन्ध अभिकर्ताओं को 31 मार्च, 1970 यक की अवधि को पुनर्नियुक्ति के अनुमोदन करने का निर्णय करने से पहले प्रबन्ध अभिकर्ताओं के प्रतिनिधि के स्पष्टीकरण को भी सुना। कम्पनी विधि बोर्ड ने यह अनुभव नहीं किया कि शिकायतों में लगाये गये आरोप यह दृष्टिकोण अपनाने को पर्याप्त थे कि प्रस्तावित प्रबन्ध अभिकर्ता कम्पनी के प्रबन्ध

अभिकर्ता के पद पर पुनर्नियुक्त होने के लिये सही तथा उचित व्यक्ति नहीं थे, जिनका कार्यकरण अच्छा समझा गया था।

बोर्ड के अनुमोदन के पश्चात एक दूसरी अनामक शिकायत प्राप्त हुई है, और यह परीक्षान्तर्गत है।

मैसर्स अतुल-प्राडक्ट्स लिमिटेड

***1537. श्री कामेश्वर सिंह :**

श्री श्रीधरण

क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस्पात जांच समिति ने बुलसार जिले की फर्म मैसर्स अतुल प्राडक्ट्स लिमिटेड के मामले में जांच की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या जाँच पूरी हो गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र०चं०सेठी) : (क) से (ग) : सभवत: माननीय सदस्य का संकेत इस्पात जांच समिति को मेसर्स अतुल प्राडक्ट्स के बारे में की गई श्री बालूभाई मगनभाई देसाई की दिनांक 22 मई 1967 की शिकायत की ओर है। समिति ने इस मामले की जांच नहीं की क्योंकि उसके विचार में यह मामला उसके विचारार्थ विषय से बाहर था। उसने यह मामला औद्योगिक विकास मंत्रालय को भेज दिया और उन्हें शिकायत और सम्बन्धित कागजात भी भेज दिए।

रूस को केलों का निर्यात

***1538. श्री मंगलाथुमाडोम** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले पांच वर्षों में रूस को केलों के निर्यात के लिये कितने प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए;

(ख) कितने तथा कितने मूल्य के लाइसेंस दिये गये है ;

(ग) इस प्रकार के लाइसेंस वाले व्यक्तियों के नाम और पते क्या हैं ; और

(घ) ऐसे लाइसेंस देने की कसौटी क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) से (घ) : जानकारी एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जायेगी।

Committee on State Trading Corporation

***1539. Shri Raghuvir Singh Shastri**

Shri D.C. Sharma : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state ;

(a) whether Government have decided to constitute a Committee to enquire into the working of the State Trading Corporation;

(b) if so, the terms of reference thereof and the names of the Members of the Committee; and

(c) the time by which its report would be presented to Government ?

The Minister of Commerce (Shri Dinesh Singh) : (a) to (c) : A statement is laid on the Table of the House. **[Placed in Library. See No. LT-1091/68]**

Licensing Policy Enquiry Committee

***1540. Shri Shashibhushan Bajpai :** Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether financial institutions like the Finance Corporations are also included in the scope of inquiry of the Licensing Policy Enquiry Committee; and

(b) whether the guarantees given by Industrialists, who get large licences and by the collaborators in India and abroad are also proposed to be brought in the scope of enquiry by the said Committee ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri F.A. Ahmed) : (a) One of the terms of reference of the Industrial Licensing Policy Inquiry Committee is that the Committee will enquire whether, and if so how far, the policies followed by specialised financial institutions, such as the Industrial Finance Corporation and the Industrial Credit and Investment Corporation of India in advancing loans to industries have resulted in any undue preference being given to the larger industrial houses.

(b) This would also be covered by the terms of reference.

दुर्गापुर में इंसुलेटर संयंत्र

***1541. श्री शिवचन्द्र झा**

श्री दीवीकन :

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दुर्गापुर में एक इंसुलेटर संयंत्र स्थापित करने के लिये सरकार ने अमरीका के साथ कोई करार किया है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बाते क्या हैं; और

(ग) इस पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च होगी और अमरीकी समवाय को इससे कितना मुनाफा होने की आशा है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरूद्दीन अली अहमद) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठते।

स्टैंडर्ड ड्रम एण्ड बैरल मेनुफैक्चरिंग कम्पनी

***1542. श्री जार्ज फरनेन्डीज :** क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री 26 मार्च 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5231 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्टैंडर्ड ड्रम एण्ड बैरल मैनुफैक्चरिंग कम्पनी के उन संयंत्रों तथा मशीनों का व्यौरा क्या है जिनके आधार पर उसकी क्षमता 1964 में 14, 538 टन निर्धारित की गई थी ;

(ख) जब 1961 और 1964 में निर्धारण के समय उनकी मशीनें वही थीं तो उनकी क्षमता 1961 में 6,100 टन तथा पुन: 1964 में 14,538 टन कैसे निर्धारित की गई थीं;

(ग) क्या संयंत्र की क्षमता निर्धारित करते समय केवल चालू हालत वाली मशीनों को ही ध्यान में रखा जाता है या आवश्यकता पड़ने पर काम आने के लिये रखी गई मशीनों को भी शामिल किया जाता है ; और

(घ) उन ढोल निर्माताओं के विरूद्ध जिन्होने अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिये

ग्रौर इस प्रकार ग्रनधिकृत क्षमताग्रों का पुनर्निर्धारण करने के लिये ग्रवैध पग उठाये, कार्यवाही न की जाने के कारण क्या हैं ?

ग्रौद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरूद्दीन ग्रली ग्रहमद) : (क) से (घ) : एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल. टी. 1092/68**]

भारत में पब्लिक लिमिटेड तथा प्राइवेट लिमिटेड कम्पनियां

***1543 श्री प्रेमचन्द्र वर्मा :** क्या **ग्रौद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय भारत में पब्लिक लिमिटेड तथा प्राइवेट लिमिटेड कम्पनियों की संख्या कितनी कितनी है ;

(ख) प्राइवेट लिमिटेड कम्पनियों तथा पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों की साम्य पूंजी कितनी कितनी है ग्रौर सरकारी कोष से तथा ग्रन्य संस्थाग्रों से उन्होंने कितना कितना ऋण प्राप्त किया है;

(ग) वर्ष 1966-67 ग्रौर 1967-68 में प्रत्येक वर्ग में कितनी कम्पनियों ने दिवाला निकाला ग्रौर कितनी नई कम्पनियां पंजीकृत हुईं ग्रौर दिवाला निकालने वाली कम्पनियों की पूंजी कितनी थी ; ग्रौर

(घ) क्या सरकार ने यह सुनिश्चित करने के कोई उपाय किये हैं कि कम से कम कम्पनियों का दिवाला निकले ग्रौर यदि हां- तो इस संबंध में क्या उपाय किये गये हैं ?

ग्रौद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरूद्दीन ग्रली ग्रहमद) : (क) से (घ) : सदन के पटल पर एक विवरण-पत्र प्रस्तुत है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल. टी. 1093/68**]

कोटकपूरा स्टेशन पर माल बेचने का ठेका

***1544. श्री रा० स्व० विद्यार्थी :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फिरोजपुर डिवीजन में कोटकपूरा रेलवे स्टेशन पर माल बेचने के ठेके के लिये ग्रावेदन पत्र मांगे गये थे ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस विज्ञापन के प्रत्युत्तर में बहुत से हरिजनों ने भी ग्रावेदन पत्र दिये थे ग्रौर उनके ग्रावेदन पत्र देखते ही नामंजूर कर दिये गये थे ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे ; ग्रौर

(घ) वर्ष 1966 तथा 1967 में प्रत्येक क्षेत्रीय रेलवे में हरिजनों को माल बेचने के कितने ठेके दिये गये ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी हां।

(ख) ग्रौर (ग) कोटकपूरा रेलवे स्टेशन पर खोमचे के ठेके के लिए 18 ग्रावेदन पत्र ग्राये हैं जिनमें से 5ग्रावेदन ग्रनुसूचित जाति के हैं। प्रवरण समिति ने ठेका देने के सम्बन्ध में ग्रभी

अपनी सिफारिशों को अन्तिम रूप नहीं दिया है। अतः अनुसूचित जातियों के आवेदन पत्रों को तुरन्त अस्वीकृत कर देने का सवाल नहीं उठता।

(घ) एक बयान सभा पटल पर रख दिया गया है जिसमें ब्यौरा दिया गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल. टी. 1094/68]**

Laying of Railway Lines

***1546. Shri O.P Tyagi :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the laying of Railway lines planned by Planning Commission has proved to be a losing project and that the Railways have decided to ignore the recommendations of Planning Commission in future and to depend on the advice of their own experts for laying new Railway lines;

(b) if so, whether the Planning Commission have granted permission to the Railways therefor ?

The Minister of Railways (Shri C.M. Poonacha) : (a) Before a new line construction is undertaken, a detailed traffic appreciation is made based on data available and the information that is supplied by State Governments and other Ministries of the possible industrial and mining developments in the area. Concurance of the Planning Commission is then obtained. As construction of new Railway lines has to be part of an integrated National Plan, this procedure is being followed. Some of the new lines constructed during the Five Year Plans have not so far yielded returns as anticipated earlier. whereas others have. However, in considering railway lines required for heavy Industrial, mineral and other projects, a long term view is taken in reckoning financial returns.

(b) Does not arise.

पश्चिम बंगाल में हड़ताल तथा तालाबंदियां

***1548. श्री वेणीशंकर शर्मा :** क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संयुक्त मोर्चा सरकार के शासन-काल में पश्चिम बंगाल में घेरावों, हड़तालों तथा तालाबंदियों के कारण कितने श्रमिकों को नौकरी से निकाला गया था और इसके परिणामस्वरूप उन्हें मंजूरी की कितनी हानि हुई;

(ख) उन कारखानों की मालिक कम्पनियों अथवा व्यक्तियों को अनुमानतः कितनी हानि हुई; और

(ग) इसका केन्द्रीय तथा राज्य के राजस्व पर क्या प्रभाव पड़ा ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरूद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग) : जानकारी इकट्ठी की जा रही है और वह सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

छोटे पैमाने के कारखानों द्वारा नाइलोन के धागे का उत्पादन

***1549. श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच हैं कि देश में नाइलोन के धागे की कमी है तथा उसके दाम तेज हैं;

(ख) यदि हां, तो छोटे पैमाने के कारखानों को कम लागत पर कैप्रोलैक्टम चिप्स से नाइलोन का धागा बनाकर उत्पादन बढ़ाने की अनुमति न दिये जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या छोटे पैमाने के कारखाने स्थापित करने की भी अनुमति देने का सरकार का विचार है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) नाइलोन के धागे का देशी उत्पादन तेजी से बढ़ रहा है। राज्य व्यापार निगम द्वारा किये जा रहे आयात के परिणामस्वरूप इस समय देश में इस की कमी का कोई समाचार नहीं है। अभी हाल में नाइलोन के धागे के मूल्यों में गिरावट आई है।

(ख) और (ग) : अनुमान है कि 1970 के अन्त तक इस का उत्पादन 100 लाख किया हो जायेगा और छोटे पैमाने के उत्पादकों के लिये इस का उत्पादन करना कदाचित लाभप्रद नहीं रहेगा।

हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड

***1550. श्री सु० कु० तापड़िया** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री 16 अप्रैल, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7467 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान मशीन टूल्स की किराये पर मशीनें देने की योजना किस किस प्रकार की मशीनों पर लागू होगी ;

(ख) क्या ऐसी मशीनों को किराया-खरीद आधार पर देने के प्रश्न पर भी विचार कर लिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) हिन्दुस्तान मशीन टूल्ज लिमिटेड की किराया योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित वस्तुएं आती है:—

(1) एल० बी० खराद (2) एच० 22 खरादें (3) गोलाकार बरमे (4) टुरेट खरादें (5) मिलिंग मशीनें (मेकेनिकल) (6) घिसाई की मशीनें तथा (7) गेयर काटने की मशीनें।

(ख) और (ग) : जी, हां। किरांये पर लेने वाले को यह छूट होगी कि दो वर्ष के अन्दर मशीन को सीधे ही खरीद ले और यदि वह ऐसा करता है तो खरीदार को मशीन को किराये पर लेने की तिथि से खरीद की तिथि तक के किराए का 50 प्रतिशत लौटा दिया जायेगा और खरीददार को मशीन का पूरा मूल्य चुकाना होगा।

अलौह धातुओं का आयात

***1551. श्री हिम्मतसिंहका** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खनिज तथा धातु व्यापार निगम को विश्व बाजार से अलौह धातुओं का अपेक्षित संभरण प्राप्त करने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है ;

(ख) यदि हां, तो यह कठिनाई किन किन वस्तुओं के बारे में अनुभव की जा रही है ; और

(ग) क्या कारण है कि सरकार उन वास्तविक प्रयोक्ताओं को गैर-सरकारी फर्मों के साथ सौदे करने कि अनुमति नहीं देती है और इस बारे में अपनी नीति को उदार नहीं बनाती है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) और (ख) : जी, नहीं। परन्तु गत दो वर्षों में निकल को उत्पादक के मूल्य पर प्राप्त करने में कठिनाई ही रही है।

(ग) इस मद का आयात खनिज तथा धातु व्यापार निगम के माध्यम से ही किया जाता है।

रेलवे दुर्घटना रोकने के लिये स्वचालित उपकरण

***1552. श्री मि० सू० मूर्ति** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि श्री डी०एस० शास्त्री, एडवोकेट, हैदराबाद ने रेलवे दुर्घटनाएं रोकने के लिये स्वचालित उपकरण का डिजाइन तैयार किया है, जिसके द्वारा (1) रेलवे फाटकों पर दुर्घटनाएं नहीं होंगी, (2) उन फाटकों के लिये, जहां आदमी तैनात नहीं होता, पूर्व सूचना की सीटी बजाने वाला स्वचालित उपकरण लगाया जायेगा ; और (3) वर्षा तथा कुहरे के बावजूद इंजन के इन्स्ट्रूमेंट पेनल पर लाल, हरा पीला संकेत दर्शाने का नया तरीका अपनाया जायेगा;

(ख) क्या सरकार ने उसकी इस प्रार्थना पर कोई निर्णय किया है कि उसके इन उपकरणों का समुचित परीक्षण किया जाये ;

(ग) यदि उपरोक्त भाग (ख) का उत्तर 'नकारात्मक' हो, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) पूर्वी तथा मध्य रेलों में पहले जिन तरीकों का परीक्षण किया जा रहा है उनमें तथा इस उपकरण में क्या अन्तर है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) श्री शास्त्री ने केवल एक प्रस्ताव भेजा है, जो समपार पर दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए स्वचल युक्ति के विकास के सम्बन्ध में है।

(ख) प्रस्ताव की सविस्तार जांच की गयी है और यह पाया गया है कि यह युक्ति व्यावहारिक दृष्टि से रेलों के लिए उपयोगी नहीं होगी।

(ग) श्री शास्त्री का प्रस्ताव स्वचल गाड़ी नियंत्रण की एक पुरानी किस्म की यांत्रिक प्रणाली के सम्बन्ध में है, जिसका परीक्षण रेलों पर किया गया था लेकिन इसे छोड़ दिया गया क्योंकि पूर्व रेलवे में अब इससे बेहतर नियंत्रण प्रणाली की व्यवस्था की जा रही है।

(घ) मूलभूत अन्तर यह है कि पूर्व रेलवे में उपस्कर के जिस प्रोटोटाइप का क्षेत्र परीक्षण किया गया वह ए०सी० इंडक्टिव सिस्टम पर आधारित है जिसमें रेल इंजन में लगे उपस्कर और रेल पथ के उपस्कर में सीधे सम्पर्क होने की जरूरत नहीं पड़ती। जिसके फलस्वरूप उपस्कर के क्षतिग्रस्त होने तथा उपस्कर के बिगड़ने की गुंजाइश कम रहती है, जबकि श्री शास्त्री ने जिस युक्ति की रूप रेखा दी है, उसमें रेल इंजन के शूज और रेल पथ के 'रेम्प' में सीधा सम्पर्क स्थापित होगा।

रेलवे के पहाड़-यात्रा रियायती टिकट

***1553. श्री मुरासोली मारन** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि रेलवे के रियायती टिकट 15 मई से 31 अक्तूबर, तक प्रति वर्ष उपलब्ध किये जाते हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि पहले पहाड़-यात्रा रियायती टिकट 1 अप्रैल से उपलब्ध किया जाता था ;

(ग) यदि हां, तो इस परिवर्तन के क्या कारण हैं ;

(घ) क्या सरकार को पता है कि उदकमंडलम (ऊटी) में ऋतु मार्च से आरम्भ होती है और मई तक रहता है और दूसरी ऋतु वर्षा ऋतु के बाद अक्तूबर में शुरू होती है ;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस विषय में अपने निर्णय पर पुर्नविचार करने का है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) सिवाय श्रीनगर और पठानकोट के, पहाड़ी स्थानों के लिए रियायती वापसी टिकट इस वर्ष 15 मई से जारी होंगे और 14 अक्टूबर तक दिये जाते रहेंगे। श्रीनगर और पठानकोट के लिए इस तरह के टिकट 14 अप्रैल से जारी किये गये हैं।

(ख) जी हां।

(ग) रेलों की वर्तमान वित्तीय स्थिति को देखते हुए सामान्य नीति यह है कि जहां तक व्यवहारिक हो रियायतों को कम किया जाये।

(घ) उदकमंडलम का मौसम लगभग मध्य अप्रैल से शुरू होता है और लगभग जून के आखिर में समाप्त होता है : अक्टूबर माह का मौसम अपेक्षाकृत इतना लोकप्रिय नहीं है।

(ङ) और (च) : इस मामले पर अब पुर्नविचार किया गया है और यह निर्णय किया गया है कि रियायत 15 मई, 1968 के स्थान पर पहली मई, 1968 से दी जाये।

प्रादेशिक नारियल जटा अनुसंधान केन्द्र उलुबेरिया

+

***1554. श्री स० चं० सामन्त :** क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उलुबेरिया में प्रादेशिक नारियल जटा अनुसंधान केन्द्र में सूखी मूसी से मशीन के द्वारा रेशा निकालने में कहां तक सफलता मिली है ;

(ख) क्या प्रयोग में लाई जाने वाली मशीनरी पूर्णतया स्वदेशी है ;

(ग) क्या वहां कोई अन्य अनुसंधान कार्य भी किया जाता है ;

(घ) केन्द्रीय नारियल जटा अनुसंधान संस्था ने प्रादेशिक अनुसंधान केन्द्र की स्थापना से लेकर अब तक इसके कार्यों का कितनी बार पर्यवेक्षण किया है ; और

(ड) क्या प्रादेशिक अनुसंधान केन्द्र के कार्यकरण का सर्वेक्षण करने के लिये नारियल जटा बोर्ड ने कोई स्थानीय समिति गठित की है ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) उपयुक्त भूसी न मिलने के कारण मशीन द्वारा सूखी भुसी से रेशा निकालने में सफलता नहीं मिली। केन्द्र का कार्य 10 मार्च 1967 को बन्द कर दिया गया था।

(ख) जी, हां।

(ग) जी, नहीं।

(घ) केन्द्र की स्थापना से लेकर बन्द होने तक उसके कार्य का 10 बार पर्यवेक्षण किया गया।

(ङ) जी, नहीं।

काजू का आयात

***1555. श्री विश्वम्भरन** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि भारत में काजू उद्योगपतियों को अफ्रीकी देशों से कच्चे काजू का आयात करने में कठिनाई अनुभव होती है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में भारत को आत्म-निर्भर बनाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) काजू की कच्ची गिरियों के उत्पादन को 1.57 लाख मे० टन के वर्तमान स्तर से 1970-61 तक 3.28 लाख मे० १ टन तक बढ़ाने की योजना है।

लाइसेंस जारी करना

***1556. श्री महाराज सिंह भारती** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्ष में अब तक निम्नलिखित फर्मों को विभिन्न प्रकार के कितने लाइसेंस जारी किये गये:—

(1) कामेटेशन पटेल, बम्बई,

(2) डब्ल्यू० एच; बैन्डी एंड कम्पनी लिमिटेड,

(3) औरियेंट जनरल इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, बम्बई,

(4) लालू भाई अमीनचन्द (प्राइवेट) लिमिटेड, बम्बई,

(5) बलन्डेल इश्रोमाइट पेंट्स लिमिटेड, बम्बई,

(6) आसाम आयल कम्पनी लिमिटेड, न्यू दिल्ली,

(7) रैलिस इंडिया लिमिटेड, बम्बई, और

(8) नेशनल टुबैको कम्पनी आफ इंडिया लिमिटेड, कलकत्ता;

(ख) क्या उपरोक्त फर्मों ने उन लाइसेंसों का पूर्ण उपयोग किया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरूद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग) : जानकारी इकट्ठी की जा रही है और वह सभा-पटल पर रख दी जायगी।

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के रेलवे कर्मचारियों द्वारा हड़ताल

***8911. श्री कंवरलाल गुप्त** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 10 अप्रैल, 1968 को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर रेल कर्मचारियों द्वारा अचानक हड़ताल की गई ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण थे ; और

(ग) जांच का क्या परिणाम निकला ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) और (ख) : 10.4.68 को नयी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर रेल कर्मचारियों द्वारा ऐसी कोई हड़ताल नहीं की गयी थी। एक पुलिस सिपाही द्वारा किसी रेल कर्मचारी पर तथाकथित हमले के पश्चात कुछ रेल कर्मचारी अपनी शिकायतें रेलवे तथा पुलिस अधिकारियों और मजिस्ट्रेट को बताने के लिए बाहर निकल आये और इसके कारण टिक्टघरों और आरक्षण कार्यालय का काम थोड़े समय के लिए कुछ अव्यवस्थित हो गया।

(ग) जिस सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट द्वारा इस मामले की जांच की जानी थी उसने अभी तक अपनी रिपोर्ट नहीं दी है।

दक्षिण रेलवे में टेलीप्रिंटर आपरेटर्स

8912. श्री मुरासोल मारन : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस समय टेलीप्रिंटर आपरेटर केवल सिगनलर्स के संवर्ग से ही पदोन्नत किये जाते हैं ;

(ख) क्या दक्षिण रेलवे में सूक्ष्म तरंग प्रणाली के चालू हो जाने के बाद इस संवर्ग में किन्हीं अन्य विभागो के कर्मचारियों को लेने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो उपर्युक्त कर्मचारियों की तुलना में वर्तमान आपरेटरों को कैसे खपाया जायेगा ?

रेलवे मंत्री श्री चे० मु० पुनाचा : (क) जी हां, केवल जमीन पर लगे तार वाले टेलीप्रिंटरों के लिए।

(ख) और (ग) : इस मामले पर रेल प्रशासन द्वारा विचार किया जा रहा है।

दक्षिण रेलवे में तार चपरासी

8913. श्री मुरासोली मारन : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण रेलवे में तार चपरासियों के कर्त्तव्य क्या हैं ;

(ख) क्या वे इन कर्त्तव्यों के अलावा संदेशों को छाँटने और दर्ज करने जैसा कोई अन्य कार्य भी कर रहे हैं ;

(ग) यदि हां तो, क्या इस कार्य को करने के लिये दफ्तरी और रिकार्ड सार्टर नियुक्त करने का कोई प्रस्ताव है ;

(घ) क्या तार चपरासियों को भविष्य में तीसरी श्रेणी में लाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) और (ख) : संदेशों की डिलिवरी। इसके अलावा, मद्रास और मंडलों के प्रधान तार कार्यालयों में संदेशों को छाटना और उनका वितरण करना।

(ग) जी नहीं ।

(घ) और (ङ) : तार घरों के चपरासी कार्यालय क्लर्क के रूप में पदोन्नति के लिए इस संवर्ग के 25 प्रतिशत रिक्त स्थानों के प्रति चुने जाने के पात्र होते हैं। उन्हें तीसरी श्रेणी के अन्य संवर्गों में पदोन्नत करने का कोई और प्रस्ताव नहीं है ।

नमक लाने ले जाने की क्षेत्रीय पद्धति की समाप्ति

8914. श्री मुरासोली मारन : क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जिन क्षेत्रों को नमक ले जाया जाता है वे क्षेत्रीय तथा गैर क्षेत्रीय भागों में विभक्त हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार नमक के उत्पादन, इसकी मांग और रेलवे द्वारा इसे ढोये जाने के बारे में अध्ययन करने और नमक को लाने ले जाने की क्षेत्रीय पद्धति को समाप्त करने का है ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) और (ख) : जी नहीं । लेकिन रेलों द्वारा नमक के युक्तियुक्त वितरण के लिए नमक आयुक्त ने भारत के नमक उत्पादन स्रोतों को छः जोन में विभक्त किया है और उपभोक्ता क्षेत्रों को एक या अधिक ज़ोन के साथ जोड़ दिया है ताकि इन क्षेत्रों में निकटतम उपयुक्त स्रोतों से यथासम्भव कम से कम समय में नमक की उपलब्धता सुनिश्चित की जाये । इस योजना का मुख्य प्रयोजन मनुष्यों के उपभोग के लिए अपेक्षित नमक के न्यायसंगत वितरण और परिवहन की युक्तियुक्त प्रणाली को सुनिश्चित करना ताकि यानांतरण, लम्बी दूरी तक नमक का कर्षण और नमक को इधर से उधर और उधर से इधर लाने ले जाने से बचा जाये ।

जिस नमक का इस प्रकार का कार्यक्रम नमक आयुक्त द्वारा बनाया गया और रेल मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किया गया वह ज़ोनल नमक कहलाता है और कार्यक्रम में दिखाये गये कोटों की मात्रा तक तरजी ही यातायात सूची की अग्रता श्रेणी 'ग' के अनुसार उसकी निकासी की जाती है । जिस नमक का ऐसा कार्यक्रम नहीं बनाया गया वह गैर ज़ोनल नमक कहलाता है जो सामान्य रीति से किसी भी स्रोत से किसी भी गंतव्य स्थान को पंजीकरण की तारीख के अनुसार दूसरे सामान्य माल यातायात के साथ अग्रता 'ई०' के रूप में ले जाया जाता है ।

(ग) अप्रैल, 1967 में योजना आयोग के अन्तर्गत परिवहन योजना के संयुक्त तकनीकी दल द्वारा ऐसा एक अध्ययन किया गया था । उसने यह विनिश्चय किया था कि रेल द्वारा नमक की ढुलाई का काम ज़ोनल योजना के अनुसार जारी रहना चाहिए, जैसा कि इस समय है ।

Manufacture of Cars

8915. Shri R.S. Vidyarthi : Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 7169 on the 26th July, 1967 and state :

(a) the percentage of cars allotted to the officers of Central Government to the total number of cars manufactured in India;

(b) the number of officers, out of those 10,000 officers who were allotted cars again after a period of two years during the last five years; and

(c) the profit earned by those officers who sold their cars on getting new cars allotted to them after two years ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed): (a) Eight percent approximately.

(b) Normally a car is not allotted to any officer before the expiry of a period of 4 years from the date of purchase of the earlier car by him. Departures from this procedure have been made in exceptional cases for valid reasons. No separate records of such cases have been kept and it is not possible to give the exact number of such allotments during the last five years.

(c) My Ministry has no information.

अमरीका की डुनबार बूट कम्पनी के मस्कट ब्रदर्स

***8916. श्री बाबू राव पटेल :** क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य व्यापार निगम ने अमरीका की डुनबार बूट कम्पनी के मस्कट ब्रदर्स के साथ जो समझौता किया है उसकी मूल्य मुख्य शर्तें क्या हैं;

(ख) विभिन्न वस्तुएं किस-किस मूल्य पर सप्लाई करने का ठेका हुआ है;

(ग) (एक) नव भारत एन्टर प्राइजिज लिमिटेड, नई दिल्ली (दो) कानपुर के जालान (तीन) कलकत्ता के रफीक (चार) आगरा के वासन और (पांच) आगरा के शाह से ठेके के अन्तर्गत काउबूआय शू अपर तथा अन्य माल किस मूल्य पर खरीदा जाता है और प्रत्येक फर्म के साथ किये गये ठेके की मुख्य बात क्या हैं;

(घ) क्या यह सच है कि श्री एम० आर० दत्त (राजदत्त) को राज्य व्यापार निगम से तकनीकी जानकारी के लिये 5000 रु० मासिक मिल रहे हैं और जूते के ऊपरी भाग के निरीक्षण के लिये एक प्रतिशत कमीशन तथा अमरीकी डालरों में कमीशन मिलता है और यदि हाँ, तो अब तक श्री दत्त को कितनी धन राशि मिल चुकी है; और

(ङ) मस्कट ब्रदर्स के साथ जूतों के सौदे में राज्य व्यापार निगम को अब तक कितनी हानि हुई है ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) राज्य व्यापार निगम ने अमरीका की मैसर्स डुनबार बूट कम्पनी के मस्कट ब्रदर्स के साथ कोई करार नहीं किया है। तथापि राज्य व्यापार निगम ने मैसर्स एकमे बूट कम्पनी इंक क्लाकसविले, टेनेसी (अमेरिका) के साथ निर्यात संविदाएं की हैं, जिन पर डुनबार बूट कम्पनी ने श्री जेक मस्कट और। अथवा श्री हाइ मस्कट द्वारा, जो मैसर्स एकमे बूट कम्पनी के एजेंटों के रूप में कार्य कर रहे हैं, हस्ताक्षर किये गये हैं। इस करार की शर्तों को बताना निगम के व्यापारिक हितों में उचित नहीं होगा।

(ख) और (ग) : यह जानकारी देना निगम के व्यापारिक हितों में नहीं होगा।

(घ) सन्दर्भ के अन्तर्गत निर्यात संविदाएं श्री एम० आर० दत्त द्वारा प्राप्त की गई थीं। राज्य व्यापार निगम तथा श्री एम० आर० दत्त के बीच विक्रय अभिकरण करार के अनुसार वह वास्तविक खेप तथा सन्दर्भ के अन्तर्गत निर्यात संविदाओं में, जो उसके द्वारा प्राप्त की गई थीं, विदेशी ग्राहकों से भुगतान की प्राप्ति पर 1 प्रतिशत अभिकरण कमीशन का वह हकदार है। तकनीकी जानकारी अथवा जूते के ऊपरी भाग के निरीक्षण के जिये कोई वेतन नहीं दिया जाता

है। अभिकरण कमीशन भारतीय रुपये में दिया जाता है सिवाय इसके कि कुल अर्जित कमीशन का 10 प्रतिशत अंश, रिजर्व बैंक से निकासी हो जाने पर, अमरीकी डालर में देय है। उसको अमरीका में डालरों में कोई अतिरिक्त कमीशन नहीं दिया जाता। तथापि अमरीका को निर्यात के लिये प्रारम्भिक संवर्धनात्मक कार्य तथा संविदा मदों के विकास के लिये श्री एम० आर० दत्त द्वारा खर्च की गई काफी राशि को देखते हुए उस को 30,000 रु० का अग्रिम कमीशन दिया गया था, जिसका राज्य व्यापार निगम द्वारा दिये जाने वाले कमीशन के साथ समंजन किया जा रहा है।

करार के अन्तर्गत जहाज लदान से पूर्व निरीक्षण किया जाता है तथा ग्राहक के रूप में एकमे द्वारा नियुक्त सर्वेक्षकों की स्वीकृति ली जाती है। तद्नुसार ग्राहक ने मैसर्स लैदर एण्ड फुटवीयर इन्सपेक्शन एक्सपर्ट्स (प्राइवेट) लिमिटेड, नई दिल्ली को अपने निरीक्षण सर्वेक्षकों के रूप में नियुक्त किया है। 3.105 करोड़ रु० की कुल संविदा के लिये 85,000 रु० का निरीक्षण प्रभार निर्धारित किया गया है बशर्ते कि ढुलाई 31.3.1968 तक पूरा कर दिया जाये और यदि ढुलाई की अवधि को बढ़ाया जाता है तो निरीक्षण प्रभार 5,000 रुपये प्रति मास की दर निर्धारित किया गया है।

(ग) यह जानकारी देना निगम के व्यापारिक हितों में नहीं होगा।

राज्य व्यापार निगम के विदेश में कार्यालय

***8917. श्री बाबूराव पटेल** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्य व्यापार निगम ने बैंकाक, बेरुत, काहिरा, लागोस, तेहरान तथा काबुल में कार्यालय खोलने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक कार्यालय की स्थापना पर कितनी लागत आयेगी और प्रत्येक कार्यालय को चलाने के लिये कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी और उन्हें क्या वेतन तथा अन्य उपलब्धियां दी जायेगी ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) सरकार के इस निर्णय के, कि राज्य व्यापार निगम को कुछ सरकारी प्रदर्शन कक्षों का प्रबन्ध अपने हाथ में लेना चाहिये और उन्हें वाणिज्यिक ढंग से चलाना चाहिए, अनुसरण में निगम ने बैंकाक, काहिरा, बेरुत, लागोस तथा तेहरान स्थित सरकारी प्रदर्शन कक्षों को हाल ही में अपने हाथ में ले लिया है और उन्हें व्यापार केन्द्रों में परिवर्तित कर दिया है। काबुल में निगम का कार्यालय खोलने का कोई विचार नहीं है।

(ख) एक विवरण (अंग्रेजी में) संलग्न है जिसमें अपेक्षित जानकारी दी गयी है। **(पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी ० ० 1095/68)**

दुर्गापुर इस्पात कारखाना

8918. श्री बाबूराव पटेल : क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दुर्गापुर इस्पात कारखाने की तीन मूल कोक भट्टियां में से पहली भट्ठी इतनी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है कि इसको गिराये जाने तथा उसे पुनः पूर्णतया नई बनाई जाने की सम्भावना है;

(ख) क्या यह भी सच है कि दूसरी और तीसरी भट्ठियां भी क्षतिग्रस्त हो गई है परन्तु उनकी मरम्मत हो सकती है;

(ग) तीनों भट्ठियां को फिर से बनाने और उनकी मरम्मत करने पर कितना खर्च आने का अनुमान है तथा यह काम कब आरम्भ किया जायेगा;

(घ) उन पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च आयेगी तथा प्रत्येक मामले में इस काम के लिये किस प्रकार के विदेशी तकनीकी सहयोग की आवश्यकता है; और

(ङ) इस कारखाने में संभवत: उत्पादन बन्द होने के कारण कुल कितनी हानि होगी ?

इस्पात, खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख) : जी, हां।

(ग) पहली कोक भट्ठी के पुनर्निर्माण पर 19 मिलियन रुपये और दूसरी और तीसरी भट्ठी की मरम्मत पर 0·85 से 0·90 मिलियन रुपये खर्च आने का अनुमान है। तीसरी भट्ठी की मरम्मत का काम पूरा हो गया है और दूसरी भट्ठी की मरम्मत का काम तेजी से हो रहा है।

(घ) पहली भट्ठी को फिर से बनाने के लिए टेण्डर मांगे गये हैं। टैन्डरों की पड़ताल हो चुकने के पश्चात् ही विदेशी मुद्रा का खर्च मालूम हो सकेगा। दूसरी और तीसरी भट्ठियाँ की मरम्मत पर कोई विदेशी मुद्रा खर्च नहीं हुई है।

(ङ) यह अनुमान लगाना कठिन है कि कोक भट्ठियों की मरम्मत के कारण कारखाने को कितनी हानि हुई है क्योंकि इसे श्रमिक अशान्ति, बाजार में मन्दी आदि जैसे दूसरे कारणों से पृथक करना बहुत मुश्किल है।

वैक्यूम तथा थरमोस बोतलों के निर्माता

8919. श्री बाबूराव पटेल : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में वैक्यूम तथा थरमोस बोतलें बनाने वाली विदेशी और भारतीय मालिकों के कारखानों की संख्या कितनी है, तथा वे किन-किन स्थानों में है और प्रत्येक कारखाने में कितनी पूंजी लगी हुई है, उनके निदेशकों के नाम क्या हैं और यदि उनमें कोई विदेशी सहयोग है तो प्रत्येक कारखानेदार इसका व्यौरा क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक कारखाने द्वारा प्रतिवर्ष तैयार किये गये उत्पादों के नाम, उनका विवरण उनकी मात्रा और मूल्य क्या हैं ?

(ग) प्रत्येक कारखाने द्वारा उपरोक्त अवधि में प्रतिवर्ष कितने कितने मूल्य के उत्पादों का निर्यात किया गया और किन-किन देशों को;

(घ) प्रत्येक कारखाने को पिछले तीन वर्षों में कितनी-कितनी बिदेशी मुद्रा खर्चने की अनुमति दी गई और आयात की गई वस्तुओं का व्यौरा क्या है तथा उन वस्तुओं का विशिष्ट प्रयोजन क्या था;

(ङ) गत तीन वर्षों में विदेशी मालिकों की कम्पनियों ने प्रतिवर्ष अपने लाभ की कितनी राशि विदेशों में भेजी;

(च) प्रत्येक कम्पनी में कितने-कितने कर्मचारी काम करते हैं और उनके वेतन आदि पर वार्षिक व्यय कितना है;

(छ) प्रत्येक कम्पनी में कितने विदेशी कर्मचारी काम करते हैं और उनके वेतन आदि पर वार्षिक व्यय कितना है तथा वे कम्पनीवार विदेशों में कितना-कितना धन भेजते हैं; और

(ज) प्रत्येक निर्माता द्वारा पिछले तीन वर्षों में प्रतिवर्ष कितना लाभ कमाया गया ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरूद्दीन अली अहमद) : (क) से (ज) : जानकारी इकट्ठी की जा रही है और वह सभा पटल पर रख दी जायेगी।

पारदर्शी कत्साइट के निक्षेप

8920. श्री वीरेन्द्र कुमार शाह : क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत वर्ष एक सर्वेक्षण के दौरान गुजरात के बनसकंठा तथा साबरकंठा जिलों के कुछ भागों में पारदर्शी कत्सांइट (आइसलैण्ड स्पार के जो आंखों के चश्मे बनाने के काम आता है, कुछ निक्षेप पाये गये थे;

(ख) यदि हाँ, तो निक्षेप कितने मिलने का अनुमान है; और

(ग) उस क्षेत्र में इस खनिज की अग्रेतर खोज और व्यापारिक दृष्टि से इसको निकालने की यदि कोई योजनाएं बनाई गई है, तो उनका व्यौरा क्या है ?

इस्पात, खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) से (ग) बनसकंठा जिले के दांता ताल्लुका में गोरद के निकट और साबरकंठा जिले में खेड़ ब्रह्मा ताल्लुका में जूरा और दिलवारा के स्थान पर भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण संस्था ने ट्रांसफर्ड कैलसाइट (आइसलैण्ड स्पर) के तीन छोटे प्राप्ति स्थानों का पता लगाया है। संचित नमूनों की नेशनल इन्स्ट्रूमेन्टस लिमिटेड, कलकत्ता, द्वारा जांच की गई थी और वे प्रकाशीय प्रयोग के उपयुक्त होने के लिये बहुत अधिक विदलित पाये गये थे। उपलभ्य राशि के अनुमान नहीं लगाये गये हैं। अतः कोई योजनाएं नहीं हैं।

ज्वालामुखी की राख के निक्षेप

8921 : श्री वीरेन्द्र कुमार शाह : क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात राज्य के बुलसर जिले में उनाई के आसपास ज्वालामुखी की राख के निक्षेपो के व्यापक भण्डार पाये गये हैं, जिसका प्रयोग सिल्वर के भांड़े बर्तन पर पालिश करने वाले धातु पर पालिश करने वाले तथा अश्मबेखी (लिथोग्राफिक एब्रेसिक) अपघर्षक जिसे उत्तम किस्म के महीने सामान का प्रयोग करने वाले उद्योगों में किया जा सकता है;

(ख) यदि हां, तो अनुमानतः निक्षेप कितने बड़े हैं; और

(ग) इन निक्षेपों का व्यापारिक लाभ उठाने के लिये यदि कोई योजना तैयार की गई है; तो उसका व्यौरा क्या है ?

इस्पात, खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख) नहीं, महोदय। गुजरात सरकार ने सूचना दी है कि पदम-डूंगरी गांव के आस-पास अब तक इस प्रकार के अभिदर्शित द्रव्य का अनुमान 336 मिट्रिक टन है।

(ग) इस प्रकार की कोई योजना तैयार नही की गई है।

कोयले का मूल्य

8922. श्री मुरासोली मारन : क्या इस्पात, **खान तथा धातु** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1958 से कोयले का मूल्य कितने प्रतिशत बढ़ गया है।

(ख) इसी अवधि में कोयले का अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य कितने प्रतिशत बढ़ा/घटा है;

(ग) लोह अयस्क का मूल्य 1954 से कितने प्रतिशत बढ़ गया है;

(घ) इस अवधि में लोह अयस्क का अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य कितने प्रतिशत बढ़ा/घटा है; और

(ङ) भारतीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों में इस अन्तर के क्या कारण है ?

इस्पात, खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) कोयले के मूल्य पर से जुलाई 1967 से नियन्त्रण हटा लिया गया है। नियन्त्रण हटाये जाने से पूर्व कोयले के मूल्यों में हुई प्रतिशत वृद्धि की सामान्य औसत 50 के लगभग है। नियन्त्रण हटाने के पश्चात् उद्योगानुसार आधार पर कोई पक्के आंकड़े उपलब्ध नहीं है। अत: जुलाई 1967 के पश्चात् हुई प्रतिशत वृद्धि का बताना सम्भव नहीं है।

(ख) उपलब्ध नहीं।

(ग) से (ङ) पिछले दशक में लोह अयस्क के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य में कोई वृद्धि नहीं हुई है। वास्तव में मूल्य निरन्तर गिरते जाते रहे हैं। विश्व बाजारों की प्रवृत्तियों के अनुसार भारतीय लोह अयस्क के मूल्य भी गिरते रहे हैं।

Indian Tubes Company, Calcutta

8923. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state :

(a) the number of branches of the Indian Tubes Company, Calcutta in various cities of India;

(b) the nature of goods manufactured by the said firm; and

(c) the quantity of goods exported to foreign countries by the said firm during the last two years ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri F.A. Ahmed) : (a) Messrs. The Indian Tube Company Ltd. have their Head Office in Calcutta, works at Jamshedpur and Sales Offices at Bombay, New Delhi, Madras and Ahmedabad.

(b) Manufacture of Mild Steel Tubes, Electric Resistance welded tubes, Seamless steel tubes, Tubular steel poles and Cold rolled strips is, at present, within their production range :

(c) Export of steel tubes effected by the Company, as reported to the Directorate General of Technical Development, is as follows :-

Year	Tonnes	Value (in Rupees)
1966	14,209	1,37,43,234
1967	9,845	1,09,52,702

Theft of Railway Property

8924. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Railways** be pleased to state ;

(a) the number of those Railway employees on the Western, North Eastern and Central Railway against whom cases have been filed in courts on the charge of theft of railway property; and

(b) the number of those among them who have been awarded punishment during the last two years and the number of cases still pending disposal in the courts ?

The Minister of Railways (Shri C.M. Poonacha) : (a) 478

(b) (i) Number of Railway employees awarded punishment — 115

(ii) Number of cases pending disposal in courts. — 212

Bokaro Steel Plant.

8925. Shri Ramavatar Shastri : Will the Minister of **Steel. Mines and Metals** be pleased to state ;

(a) the total number of Gazetted Officers working in the Bokaro Steel Plant;

(b) the number of Officers among them belonging to Bihar and other States separately;

(c) the total number of labourers and employees working in the plant; and

(d) the number of those among them resident of Bihar ?

The Minister of State in the Ministry of Steel, Mines and Metals (Shri P.C. Sethi): As on 31.3.1968, the position was as follows;—

(a) 403.

(b) 118 belong to Bihar State. Statistics in regard to other States are not being maintained.

(c) 3495.

(d) 2563.

एर्णाकुलम और त्रिवेन्द्रम के बीच चलने वाली रेलगाड़ियां

8926. श्री विश्वम्भरम:

श्री मंगलाथुमाडोम:

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय एर्णाकुलम और त्रिवेन्द्रम (केरल) के बीच कितनी रेलगाड़ियां सीधी चलती हैं;

(ख) क्या सरकार को पता है कि एर्णाकुलम से त्रिवेन्द्रम और त्रिवेन्त्रम से एर्णाकुलम को रात को चलने वाली सीधी रेलगाड़ियों में यात्रियों की बड़ी भीड़ होती है; और

(ग) जन हित को देखते हुए कम से कम दोनों ओर से रात के समय एक एक और सीधी रेलगाड़ी चलाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेलवेमंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) प्रत्येक ओर से तीन-तीन ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) इस खण्ड पर एक अतिरिक्त गाड़ी चलाने का अभी कोई विचार नहीं है ।

शोरानूर और नीलाम्बूर के बीच रेल-गाड़ी

8927. **श्री विश्वम्भरम** :

श्री मंगलाथुमाडेम :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण रेलवे में शोनानूर और नीलाम्बूर के बीच चलने वाली रेलगाड़ी कभी भी समय पर नहीं चलती; और

(ख) यदि हां, तो इस रेल गाड़ी को समय पर चलाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) इस खण्ड पर गाड़ियों का समय-पालन सन्तोषजनक नहीं है ।

(ख) समय-पालन में सुधार के लिए इंजन लिंक में उपयुक्त संशोधन करने और अन्य आवश्यक उपाय बरतने के बारे में विचार किया जा रहा है ।

Removal of Railway Employees from Service Due to Accidents :

8928. **Shri Sheopujan Shastri :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state;

(a) the number of Drivers, Fireman and Guards removed from service and the number of those who are being prosecuted because of train accidents during the last three years;

(b) whether Government have settled the claims of the employees dismissed; and

(c) if so, the amount paid to them and amount which remains to be paid ?

The Minister of Railways (Shri C.M. Poonacha) : (a) to (c) ; Information is being collected and will be laid on the table of the Sabha.

Weighing Machines at Stations on Western Railway

8929. **Shri Meetha Lal Meena** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state;

(a) whether it is a fact that the weighing machines at most of the railway stations on the Railway are not in working order, if so, the reasons therefor;

(b) the names of those stations of Kotah Division at which the said machines are not in working order:

(c) whether it is also a fact that there is no separate inspector to supervise the work of the said machines, if so, the reasons therefor; and

(d) whether it is also a fact that most of these machines are old and as such they go out of order very soon and the time by which the old machines would be replaced by new ones ?

The Minister of Railways (Shri C.M. Poonacha) : (a) No. Only about 1% of the total number of weighing machines on Western Railway is under repair.

(b) No weighing machine is out of order on Kotah Division.

(c) Separate staff and supervisor are provided for maintenance of these machines.

(c) No. Though some of the weighing machines are old, they are serviceable. None of them are due for replacement this year. Their replacement is done on age-cum-condition basis.

खनिज उद्योगों का विकास

8930. श्री गा० शं० मिश्र : क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में खनिज उद्योगों के विकास हेतु ऋण प्राप्त करने के लिये केन्द्रीय सरकार ने किन-किन देशों के साथ करार किये हैं और इन करारों की शर्तें क्या है;

(ख) खनिज पदार्थों से सम्पन्न विभिन्न राज्यों के लिये इस ऋण का नियतन करने के लिये सरकार ने क्या प्रक्रिया निर्धारित की है;

(ग) चिकनी मिट्टी की खानों, दूधिया पत्थर, बौक्साइट, मैंगनीज़, डोलोमाइट, कोयला, सीमेंट तथा आण्विक खनिजों का विकास करने के लिये मध्य प्रदेश राज्य के लिये कुल कितना नियतन किया गया है; और

(घ) जिन खानों से उन्नत देशों को निर्यात करने की बहुत गुंजाइश है, उनका विकास करने के लिये कितनी राशि रखी गई है ?

इस्पात खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० च० सेठी) : (क) से (घ) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायगी ।

मध्य प्रदेश में खानों तथा धातुओं का सर्वेक्षण

8931 : श्री गा० श० मिश्र : क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में, सरकार ने खनिज सर्वेक्षण अन्तिम बार कब किया था और उसका क्या परिणाम निकला ।

(ख) खुदाई के लिये इन खनिज क्षेत्रों को गैर-सरकारी तथा सरकारी क्षेत्र में नियत करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(ग) मध्य प्रदेश में घने जंगलों तथा नदी तड़ाग में खनिज-सम्पन्न क्षेत्रों का पता लगाने के लिये सरकार ने और क्या कार्यवाही की है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) मध्य प्रदेश भूवैज्ञानिक मानचित्रण और प्राथमिक सर्वेक्षण. भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण संस्था आरम्भ से प्राय: प्रति वर्ष किये जाते रहे है। अब तक राज्य के प्रारम्भिक सर्वेक्षण प्राय: पूरे हो चुके है और आधुनिक नक्शों पर 1 : 63,360 तथा इस से छोटे पैमानो पर मानचित्रण के कार्य प्रगति पर है। अब तक किये गये अन्वेषणों के परिणाम स्वरूप, कोयले, मैंगनीज अयस्क, लोह-अयस्क, बौक्साइट, कोरंडम, सिलीमैनाइट, सीमेन्ट पूलवस श्रेणी के चूना पत्थर, डोलोमाइट, हीरे, टैल्क, पूलेओराइट तथा गेरुओं के खनन योग्य निक्षेपों का पता चला है ।

(ख) सरकार ने, लोह अयस्क, कोयला, तांबा, सीसा, जस्ता, बौक्साइट और फास्फेट जैसी मुख्य खनिजों को उपयोग में लाने के उद्देश्य से, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, राष्ट्रीय कोयला विकास निगम, मैंगनीज और (इन्डिया) लिमिटेड, भारत एल्यूमिनियम कम्पनी आदि जैसे राकीय स्वामित्व के अभिकरणों की स्थापना की है ।

(ग) भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण संस्था द्वारा 1967-68 क्षेत्र-कार्य मौसम कार्य-क्रम के अन्तर्गत आधार धातुओं के लिये सुरगूजा और बालाघाट में ; बौकसाइट के लिये बिलासपुर में ; क्रोमाइट और कायनाइट के लिये बालाघाट में ; ग्रेफाइट, कोयला और सिलीमेनाइट के लिये सुरगुजा में ; कोयले के लिये बेतूल जिले में अन्वेषण कार्य और बस्तर तथा सुरगूजा जिलों में जिन में कि घने जंगल हैं, प्राथमिक खनिज अन्वेषण कार्य प्रस्तावित हैं।

उत्तर प्रदेश-बिहार क्षेत्र में अखबारी कागज का कारखाना

8932 श्री दामानी : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश-बिहार क्षेत्र के सरकारी क्षेत्र में अखबारी कागज के कारखाने की स्थापना का प्रस्ताव स्थगित किये जाने की संभावना हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ;

(ग) क्या नेपा मिल्स का विस्तार भी निर्धारित समय-सूची से पीछे है ; और

(घ) विक्रय मूल्य में वृद्धि करने के बारे में, जैसा कि नेपा मिल्स ने मांग की है, सरकार ने क्या निर्णय किया हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्यमंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, हां।

(ख) स्थगित किये जाने के मुख्य कारण इस प्रकार है :

(1) विभिन्न चीनी मिलों से पर्याप्त मात्रा में गन्ने की खोई प्राप्त हो सकने के संबंध में अनिश्चितता।

(2) योजना की अनुमित लागत बहुत अधिक है जिसके फलस्वरूप अखबारी कागज का यह कारखाना पनप नहीं पायेगा। इसलिए, परियोजना रिपोर्ट में लुगदी तैयार करने की जिस विधि की सिफारिश की गयी है उसकी की तकनीकी तथा आर्थिक सुलभता के बारे में अग्रेतर जांच करनी होगी।

(ग) जी, हां, कुछ हद तक। किन्तु यह भी बता दिया जाये कि मशीन पहुंच गई है और उसे लगाया जा रहा है। नेपा मिल्स के नये कागज अनुभाग में प्रारम्भिक तौर पर अक्तूबर-नवम्बर, 1968 में आयातित लुगदी के आधार पर उत्पादन आरम्भ हो जायेगा।

(घ) मामले पर सरकार सक्रिय रूप में विचार कर रही है।

कोयले के मूल्य

8933 : श्री गा. शे. मिश्र : क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकारी क्षेत्र के उद्योगों को किन दरों पर अपनी आवश्यकता का कोयला खरीदने की अनुमति देने का सरकार का विचार है;

(ख) बिहार के कोयला क्षेत्रों से प्राप्त किये गये कोयले के मूल्य की तुलना में मध्यप्रदेश में कोयला का मूल्य एक रुपया कम रखने के क्या कारण हैं जबकि पर्याप्त परिवहन सुविधाओं के

न होने के कारण मध्य प्रदेश में जिस स्टेशन पर कोयला लादा जाता है तथा जिस स्टेशन पर पहुँचता है, उन दोनों स्टेशनों के कोयले के रेल-तक-निःशुल्क मूल्य बिहार की अपेक्षा अधिक हैं;

(ग) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश के कोयला खान मालिकों ने सरकार की इस की प्रकार भेद-भाव की नीति का विरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो मध्य प्रदेश के उस भाग में कोयला खान मालिकों द्वारा लगाये गये आरोपों की जांच कराने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र. चं. सेठी) : (क) -24 जुलाई, 1967, से कोयले के मूल्य पर से नियन्त्रण हटा लिये जाने के पश्चात "कोयले का मूल्य" कोयले के क्रेता तथा विक्रेता के मध्य आपस में फैसला किया जाने का विषय है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

गोंद का निर्यात

8934. श्री अ० श्री० कस्तूरे : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में वर्ष-वार, भारत ने गोंद के निर्यात से कितनी विदेशी मुद्रा कमाई; और

(ख) कौन-कौन से देश भारत से गोंद का आयात करते हैं ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क)

	अवमूल्यन के पश्चात् 1000 रु० में मूल्य
1965-66	45,867·6
1966-67	23,786·8
1967 (अप्रैल-दिसम्बर)	16,792·5

(ख) मुख्य आयातक देश निम्नलिखित हैं :—

संयुक्त राज्य अमरीका, ब्रिटेन, बर्मा, केन्या, श्रीलंका, मलयेशिया, सिंगापुर, आस्ट्रेलिया, प० जर्मनी, फ्रांस, इटली, नीदरलैंड, स्पेन तथा संयुक्त अरब गणराज्य।

विशाखापत्तनम से बेलाडीला तक रेलवे लाइन का दोहरा किया जाना

8935. श्री वि० नरसिम्हा राव : क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1964-65 से 1967-68 में बेलाडीला से विशाखापत्तनम तक रेलवे को मैंगनीज अयस्क के परिवहन से कुल कितनी आय हुई;

(ख) क्या विशाखापत्तनम से बेलाडीला तक दोहरी लाइन बिछाने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो इस पर क्या लागत आयेगी ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) बेलाडिल्ला से विशाखापट्टणम् को अभी तक मैंगनीज अयस्क का कोई यातायात नहीं हुआ है।

(ख) विशाखपट्टणम् बन्दरगाह के लिए कोट्टवलासा और वाल्टेर के बीच की लाइन पहले से दोहरी लाइन है। बेलाडिल्ला खानों के यातायात को सम्हालने वाले किडान्डूल स्टेशन और कोट्टवलासा के बीच की लाइन को दोहरा करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) भाग (ख) के उत्तर को देखते हुए सवाल नहीं उठता।

पटसन का मूल्य

8936. **श्री वि० नरसिम्हा राव** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृषि जिन्स मूल्य आयोग ने इस वर्ष के लिये कच्चे पटसन का प्रति क्विंटल मानक मूल्य कितना निश्चित किया है;

(ख) क्या यह सच है कि आन्ध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल में, वर्ष 1966-67 और 1967-68 में मूल्य कम हो जाने के बावजूद भी सम्बन्धित राज्य सरकारों ने किसानों पर पटसन उत्पादन कर लगाया था; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (ख) का उत्तर 'हाँ' में हो तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) कच्चे पटसन का निम्नतम समर्थक मूल्य इस समय आसामी किस्म के बाटम वर्ग की पटसन का कलकत्ता में सुपुर्दगी पर 107.17 रुपये प्रति क्विंटल है।

(ख) और (ग) : फिर भी, जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

रूरकेला इस्पात कारखाना

8937. **श्री स० कुन्दू** : क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के रूरकेला इस्पात कारखाने का प्रबन्ध अब भी एक प्रबन्ध समिति द्वारा किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो प्रबन्ध समिति के सदस्यों के नाम क्या हैं और यह समिति कब तक चलेगी;

(ग) क्या उड़ीसा सरकार ने रूरकेला इस्पात कारखाने के महाप्रबंधक के रूप में नियुक्ति के लिये कुछ व्यक्तियों के नाम सुझाये हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उड़ीसा सरकार के सुझाव को स्वीकार करने का है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात, खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) से (ङ): हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के राउरकेला इस्पात कारखाने के महाप्रबन्धक ने 20 मार्च 1968 को अपने पद का कार्य-भार संभाल लिया था और उसी तारीख से प्रबन्ध समिति ने काम करना बन्द कर दिया था। यद्यपि उड़ीसा सरकार ने इस पद के लिए कुछ व्यक्तियों के नाम सुझाये थे और अन्य कई व्यक्तियों पर भी विचार किया गया था परन्तु अन्ततः वर्तमान महाप्रबन्धक को उसकी तकनीकी योग्यता और अनुभव और इस पद की जिम्मेदारियों को देखते हुये चुना गया।

भारत में बरमों (रिगों) की कमी

8938. श्री योगेन्द्र झा : औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में सिंचाई प्रयोजनों के लिए छिद्रण करने के उपकरणों के लिये बरमों (रिगों) की कमी है;

(ख) यदि हां, तो सरकार के पास और गैर-सरकारी फर्मों के पास अलग-अलग ऐसे कितने बरमे (रिग) हैं; और

(ग) क्या देश की बढ़ती हुई समूची मांग को पूरा करने के लिये सरकार का विचार हाटिया और अन्य स्थानों में इन बरमों का बड़े पैमाने पर उत्पादन करने का है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरूद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख) : कुआँ खोदने वाले विभिन्न प्रकार के बरमों (रिगों) की मांग पूरी करने के उद्देश्य से उनका निर्माण करने के लिए देश में पर्याप्त क्षमता विकसित की जा चुकी है। फिर भी, ऐसे कुछ स्थान और भी हो सकते हैं जहां जमीन की विशिष्ट प्रकार की बनावट के कारण विशेष प्रकार के बरमों की जरूरत पड़ती हो जिन बरमों की माँग कम हो और जिनका उत्पादन आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद नहीं हो उनका आयात करना पड़ सकता है। सरकारी और गैर-सरकारी फर्मों के पास मौजूद बरमों की संख्या उपलब्ध नहीं है।

(ग) हैवी इंजीनियरिंग कौरपोरेशन, रांची कुएं खोदने वाले बरमों का उत्पादन आरम्भ कर चुका है और समय-समय पर उठने वाली मांग के अनुसार वह अपना उत्पादन बढ़ा सकता है। गैर-सरकारी क्षेत्र की अनेक फर्में भी कुएं खोदने के विविध प्रकार के उपकरण बना सकती हैं।

भारतीय रेलवे इंजीनियर सेवा के परिवीक्षाधीन इंजीनियर

8939. श्री सोमसुन्दरम् : क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय रेलवे इंजीनियर सेवा के परिवीक्षाधीन इंजीनियरों को अपने पदों पर स्थायी होने के लिये अपनी परिवीक्षावधि में देवनागरी लिपि में हिन्दी की एक विभागीय परीक्षा पास करनी पड़ती है; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार का विचार सम्बन्धित नियमों में परिवर्तन करने का है ताकि अहिन्दी भाषी छात्रों के साथ भेद-भाव का बर्ताव न होने पाये ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी हाँ।

(ख) जी नहीं।

संयुक्त अरब गणराज्य को टायरों का निर्यात

8940. श्री शिवचन्द्र झा : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संयुक्त अरब गणराज्य को टायरों के निर्यात के लिये भारत को बड़ा क्रयादेश मिला है;

(ख) यदि हाँ, तो प्रत्येक किस्म के कितने टायरों का निर्यात किया जायेगा और उससे कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त होने की सम्भावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस समय भारत से विदेशों को देश-वार प्रतिवर्ष कितने टायरों का निर्यात किया जाता है और उससे प्रतिवर्ष कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) एक प्रमुख निर्माता निर्यातक के द्वारा 50·22 लाख रुपये के 10,700 टायर तथा ट्यूबें संयुक्त अरब गणराज्य को निर्यात की जानी हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

निर्यात के लिये नकद सहायता

8941. श्री क० नारायण राव : क्या **वाणिज्य** मन्त्री : अप्रैल, 1968 के तारांकित प्रश्न संख्या 961 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या निर्यात की जाने वाली वस्तुएं चुनने के लिये, जिनके लिये नकद सहायता दी जा रही है, कोई कसौटी निर्धारित की गई है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : **(क) और (ख)** : अपरम्परागत तथा औद्योगिक उत्पादों के निर्यात पर, विशेषतया उन उत्पादों के निर्यात पर जिनमें विकास की क्षमता है, नकद सहायता सामान्यत: इस कसौटी के आधार पर दी जाती है कि बड़े पैमाने के उद्योगों को प्राप्त लाभों से वंचित होने के कारण, जैसा कि नये उद्योगों के लिये स्वाभाविक ही है, और करों तथा शुल्कों की वापसी न होने के कारण जिससे अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में उनकी प्रतिस्पर्धा शक्ति पर प्रभाव पड़ता है, क्या उन्हें सहायता की आवश्यकता है। इस सम्बन्ध में उद्योग द्वारा तथा विभिन्न निर्यात संवर्धन परिषदों द्वारा दिये गये सुझावों पर, उत्पादों के निर्यात की तत्काल तथा दीर्घावधि संभाव्यताओं के संदर्भ में सरकार विचार करती है।

Culvert at Kota Junction

8942. Shri Onkar Lal Berwa : Will the Minister of **Railways** be pleased to state;

(a) whether it is a fact that the Western Railway Zonal Committee has obtained permission from the Railway Board for the construction of the second culvert at Kota Junction and funds have been sanctioned for the same; and

(b) if so, the probable date of commencement of the work ?

The Minister of Railways (Shri C.M. Poonacha) : (a) and (b) No. The Western Railway Users, Amenities Committee had only recommended inclusion of the work of provision of second foot over-bridge at Kota' in Railways' 1968-69 Works Programme. This was not, however, found feasible by the Railway due to paucity of funds.

Orders for export of Shoes

2943 Shri Ram Charan : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state;

(a) whether it is a fact that all orders for the export of shoes in the year 1967 were placed with the persons belonging to non-Scheduled Castes;

(b) if so, whether Government propose to place orders received in future for export with the persons belonging to Scheduled Castes; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Commerce (Shri Dinesh Singh) :. (a) No, Sir.

(b) and (c) : Do not arise.

पटसन का रक्षित भंडार

8944. श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने खाद्य और कृषि संगठन को पटसन का एक रक्षित भण्डार बनाने का अनुरोध किया है;

(ख) क्या अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य स्थिर करने के प्रश्न पर विचार करने के लिए पटसन का उत्पादन करने वाले और उसका प्रयोग करने वाले देशों की एक बैठक बुलाने के लिए कोई कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि हां, तो इस दिशा में कितनी प्रगति हुई है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) : खाद्य तथा कृषि संगठन का पटसन, केनाफ तथा सम्बन्ध रेशे सम्बन्धी एक अध्ययन दल है जो पटसन के विभिन्न पहलुओं पर, जिनमें अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों का स्थिरीकरण भी शामिल है, विचार करने के लिये प्रतिवर्ष अपनी बैठक करता है। दल की एक परामर्श समिति है जिसके सदस्य पटसन उत्पादक तथा उपभोक्ता देश हैं। इस समिति की विगत बैठक जनवरी, 1968 में रोम में हुई थी, जिसका प्रतिवेदन अभी प्राप्त नहीं हुआ है।

Charges against Railway Administration and R.P.F.

8945. Shri Molahu Prasad : Will the Minister of **Railways** be pleased to state ;

(a) whether it is a fact that a meeting of the Committee on Railway security policy, Railway officials and representatives of trade and commercial establishments was held on the 22nd March, 1968;

(b) whether it is also a fact that the representatives levelled serious charges against the Railway administration and the Railway Protection Force; and

(c) if so, the details thereof and the action taken or proposed to be taken thereon ?

The Minister of Railways (Shri C.M. Poonacha) : (a) to (c) In the course of giving their evidence before the High Powered Committee at their meeting held on 22.3.68 in Divisional Superintendent's office Lucknow, some of the representatives of Industry, Commerce and Public Organisations complained against the Railway Administration in general terms and particularly that Railways were losing in traffic by diversion to Road Transport because of the time taken in transit, difficulties in booking arising out of traffic restrictions, rough handling and pilferages. They also offered certain suggestions for better security of their goods.

The whole question of security and policing of Railways is at present under consideration of the High Powered Committee, whose report is awaited. The Government will, no doubt, examine the report in all respects before coming to a definite decision.

Vespa Scootor Lottery at Kota

8946. Shri Onkar Lal Berwa : Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a lottery for the sale of scooters was drawn at Kota, Rajasthan on the 31st March, 1968 and if so, the name of that place;

(b) whether it is also a fact that the draw was not held before the public; if so, the reasons therefor; and

(c) the quota of Vespa scooters fixed for Kota, Rajasthan and the number of Vespa scooters booked at Kota, Rajasthan ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri Ahmed) :

(a) The order in which the large number of bookings for Vespa Scooters received

by a newly appointed dealer in Kota should be registered in his books was decided by drawing lots on the 31st March, 1968. Lots were drawn at the Irrigation Dak-Bungalow, Alnia 13 miles from Kota on the Jhalawar Road.

(b) The drawing of lots took place in the presence of a Committee appointed for the purpose by the Director of Transport, Rajasthan and consisting of the Asstt. Regional Transport Officer, Kota and the City Magistrate, Kota. Two selected persons representing the general public were also present. These were the Zila Pramukh of Kota and the Adhyaksh of the Kota Municipal Council.

(c) No specific quota of Vespa scooters has been fixed for Kota, Rajasthan. Supply is made by the manufacturers to their dealers on the basis of the total production and the number of pending orders with the various dealers. The Kota dealer has so far been supplied 42 scooters.

1930 orders were booked by the Kota dealer initially on the basis of the lots drawn on the 31st March, 1968.

Railway Hospital in Kota Division

8947. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) the value of medicines obtained through local purchase by the Railway Hospital in Kota Division from the 1st April, 1967 to 1st April, 1968;

(b) the value of medicines, out of them, issued to Class III or Class IV employees;

(c) whether it is a fact that a mobile hospital van is attached from Kota to Bina; and

(d) if so, the number of employees to whom these injections and medicines, obtained through local purchase, were issued during 1967-68 ?

The Minister of Railways (Shri C.M. Poonacha : (a) Rs. 3935.87 paise in Divisional Hospital, Kota.

(b) Class III—Rs 1943.44 p.

Class IV—Rs 1281.56 p.

(c) Yes.

(d) Nil. No expenditure was incurred for medicines and injections by local purchase for the mobile medical van, the stocks of which are recouped from the Divisional Medical Stores as and when necessary.

जापान को लौह अयस्क का निर्यात

8948. **श्री रवि राय :** क्या **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लौह अयस्क के निर्यात के बारे में दीर्घकालीन करार करने से पहले भारत की बन्दरगाह क्षमता का अनुमान लगाने के लिये जापान के विशेषज्ञ भारत आये थे; और

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि जापान ने यह इच्छा प्रकट की है कि वह उस देश को इस समय निर्यात किये जा रहे एक करोड़ टन लौह अयस्क के अलावा, भारत से लगभग ८० लाख टन और अधिक लौह अयस्क लेना चाहता है ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जापान सरकार द्वारा प्रायोजित एक सात सदस्यीय विशेषज्ञ दल, जिसमें पतन मामलों के विशेषज्ञ तथा दो रेल मामलों के विशेषज्ञ थे, 29 फरवरी

और 19 मार्च, 1968 के मध्य भारत में रहा। दल के आगमन का प्रमुख उद्देश्य विशाखापटनम के दौरे के आधार पर और द्रव गवेषणा संस्थान पूना में किये गये नमूना परीक्षणों के परिणामों के आधार पर बैलादिल्ला के लौह अयस्क के निर्यात के लिये दूसरा मार्ग स्थापित करने की व्यावहारिकता का आकलन करना था। दूसरा मार्ग स्थापित करने की व्यावहारिकता का अध्ययन करने के अतिरिक्त दल मद्रास पतन भी गया जहां उसने बाह्य बंदरगाह पर स्थापित किये जाने वाले प्रस्तावित यान्त्रिक अयस्क लदान संयंत्र के बारे में, जिसका किसी अन्य संदर्भ में विकास किया जा रहा है, विचार विमर्श किया।

(ख) जी, नहीं।

Export of Tyres

8949. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) the names of countries to which heavy vehicles, trucks, tractors, cars, jeeps, motor cycles and scooters tyres manufactured in India were exported during the years 1964-65, 1965-66 and 1966-67 and the number thereof;

(b) the amount of foreign exchange earned thereby; and

(c) the number of tyres likely to be exported to each country during the year 1968-69 and the amount of foreign exchange likely to be earned thereby ?

The Minister of Commerce (Shri Dinesh Singh) : (a) The more important countries to which heavy vehicle trucks, tractors, cars, jeeps, motor cycles, and scooter tyres manufactured in India were exported during the year 1964-65, 1965-66, 1966-67 were Czechoslovakia, Yugoslavia, U.S.S.R., U.A.R, Kuwait, U.S.A., Ceylon, Thailand, Malaysia, Burma, Nepal, Hongkong, and Fiji Island. The total no. of tyres exported during 1964-65, 1965-66 and 1966-67 stood at 70363, 80730 and 95960 respectively.

(b) The total amount of foreign exchange earned during 1964-65, 1965-66, 1966-67 stood at Rs. 1.14 crores, Rs. 1.55 crores and Rs. 2.32 crores respectively.

(c) Chemicals & Allied Products E.P.Council, Calcutta has fixed the export target for 1968-69 at Rs. 6.50 crores.

राज्य व्यापार निगम के अध्यक्ष के विरुद्ध जांच

8950. **श्री क० लकप्पा :** क्या **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्य व्यापार निगम के अध्यक्ष के विरुद्ध गत दो वर्षों से कुछ जांच की जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार की जांच की जा रही है और उसका ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी, नही।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

दक्षिण वियतनाम को रेल की पटरियों का निर्यात

8951. **श्री मणिभाई जे० पटेल :** क्या **इस्पात, खान तथा धातु मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान भिलाई इस्पात कारखाने के प्रबन्धकों के विरुद्ध लगाये गये

आरोपों के बारे में छपे इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि अमरीकी गुप्तचर एजेंसी के प्रभाव में आकर दक्षिण वियतनाम की रेल की पटरियों के निर्यात को प्राथमिकता दी गई थी, हालांकी भारत में उनकी मांग थी; और

(ख) यदि हां, तो इसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री० प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख) : भिलाई इस्पात कारखाने के उत्पादों के लिए आर्डर हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड का केन्द्रीय विक्रय सगठन बुक करता है न कि भिलाई इस्पात कारखाने का प्रबन्धक वर्ग। अप्रैल 1967 से लेकर जनवरी 1968 की अवधि में दक्षिण वियतनाम को कोई रेल की पटरी निर्यात नहीं की गई। इस अवधि में दक्षिण वियतनाम को 4444 टन राउण्ड्स-फ्लेट्स और 115 टन ढांचे निर्यात किये गये। यह माल दूसरे देशों को भेजे गये कुल माल अर्थात 2·72 लाख टन से ऊपर राउण्ड्स और फ्लैट्स तथा 1·42 लाख टन से ऊपर ढाँचों का बहुत थोड़ा भाग है। अमरीकी गुप्तचर एजेंसी अथवा किसी अन्य एजेंसी के प्रभाव में आकर दक्षिण वियतनाम को माल निर्यात करने का प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्रीय वक्फ परिषद्

8952. श्री एस० एल० सोंधी : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय वक्फ परिषद् के सचिवालय को, प्रोफेसर कबीर द्वारा पद व्यक्त कर दिए जाने के बाद से, परिषद् के वर्तमान अध्यक्ष से कोई सहायता और सहयोग मिलना कुछ समय से बन्द हो गया है,

(ख) क्या सचिवालय का काम, वक्फ बोर्डों से चन्दा मांगने तक ही सीमित किया जा रहा है और क्या उसे वक्फ बोर्डों की समस्याओं की ओर ध्यान नहीं देने दिया जा रहा हैं,

(ग) क्या यह भी सच है कि पिछले वर्ष केवल दो अधिवेशन किये जा सके और इन अधिवेशनों के कार्यवृत, सचिवालय को कोई एक वर्ष बाद लौटाए गए, और

(घ) वक्फ बोर्डों के कल्याण के लिए परिषद् सचिवालय के निर्बाध कार्यचालन में बाधाएं दूर करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मु० यूनुस सलीम) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) जी, नहीं। गत वर्ष के दौरान परिषद् का एक अधिवेशन मई, 1967 में हुआ था जिसका, अध्यक्ष द्वारा सम्यक रूप से अनुमोदित, कार्यवृत्त सितम्बर, 1967 में परिषद् के सदस्यों में परिचालित किया गया था।

(घ) कोई बाधायें नहीं हैं।

Stenographers Attached to Senior Scale Officers

8953. Shri Nihal Singh : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a letter written by a Member of Parliament to him in November. 1967, enclosing a list showing the names of stenographers in the scale of Rs. 130-300 attached to the Senior Scale Officers on the Northern Railway has not been replied to so far; and

(b) if so, the time taken by his Ministry in replying to one letter and the probable date by which the said letter would be replied to ?

The Minister of Railways (Shri C.M. Poonacha) : (a) Yes.

(b) Time taken in replying a letter depends upon the issues raised therein. It is not possible to fix any specific date but final reply is expected to be sent shortly.

Burning of Third Class Compartment of Kota-Bina Train on 30.3.68

8954. Shri Ranjit Singh : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a third class compartment of Kota-Bina train caught fire on the 30th March, 1968 as a result of short circuit;

(b) whether it is also a fact that these compartments have outlived their life; and

(c) if so, when their batteries were installed and the action proposed to be taken by Government for replacing the batteries and compartments ?

The Minister of Railways (Shri C.M. Poonacha) : (a) On 30.3.1968, fire was noticed in the roof of a third class coach of train No. 92 Up Kota-Bina Passenger at Digod station. The fire was put out immediately. The cause of the fire is under investigation.

(b) No.

(c) The batteries which were commissioned in 1966 are due to be replaced only in 1970. The coach was not overaged and as such the question of its replacement does not arise.

Wagon Weighing Machines at Sawai Madhopur

8955. Shri Ranjit Singh
Shri Jamna Lal

Will the Minister of **Railways** be pleased to state ;

(a) whether it is a fact that a wagon weighing machine has been installed at Sawai Madhopur, Western Railway;

(b) whether it is also a fact that wagons cannot be weighed as it always remains out of order;

(c) if so, the number of wagons which could not be weighed at that machine since its installation, the number of wagons which could not be weighed and the time since when the machine is lying out of order; and

(d) the action taken by Government to keep the machine in working order ?

The Minister of Railways (Shri C.M. Pooncha) : (a) Yes.

(b) No.

(c) and (d) From the date of commissioning upto 10.4.1968, 12349 wagons were weighed on this weighbridge. 274 wagons could not be weighed from 11.11.1967 to 14-11-1967 when the weighbridge remained under repairs. It has been in use since the day it was put right.

आयात नीति

8956. श्री रणजीत सिंह : श्री भारत सिंह चौहान :
श्री कंवर लाल गुप्त : श्री बृज भूषण साश

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश के कुल उत्पादन का केवल एक प्रतिशत भाग ही भारत से निर्यात किया जाता है; और

(ख) गत वर्ष कितना इंजीनियरी का सामान तथा सूती कपड़ा निर्यात किया गया ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी, नहीं। भारत का निर्यात देश के कुल

राष्ट्रीय उत्पाद (जी० एन० पी०) के ४ प्रतिशत के लगभग है।

(ख) निर्यात के आंकड़े केवल जनवरी 1968 तक प्राप्त हैं। अप्रैल 1967 से जनवरी 1968 तक इंजीनियरी तथा कपड़े के माल के निर्यातों का मूल्य निम्नलिखित था :

1. इंजीनियरी सामान	27,51 लाख रु०
2. कपड़े का माल	53,05 लाख रु०

Memorandum from Central Railway Employees Union.

8957. Shri Onkar Lal Berwa :
Shri T.P. Shah .

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Agra Branch of the Central Railway Employees Union have forwarded a memorandum regarding their demands to Government; and

(b) if so, the action taken by Government in the matter ?

The Minister of Railways (Shri C.M. Poonacha) : (a) No; Sir

(b) Does not arise.

पटसन के लिए भांडागार

8958. श्री सीताराम केसरी : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पटसन के लिये एक भांडागार स्थापित करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस परियोजना के कब तक पूर्ण हो जाने की सम्भावना है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठते।

Export of Coal to Nepal

8961. Shri Madhu Limaye : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government propose to export more coal to Nepal during the current year;

(b) if so the extent of increase in the export thereof;

(c) whether Government propose to purchase some goods from Nepal in return; and

(d) the profit likely to be earned from this trade ?

The Minister of Commerce (Shri Dinesh Singh) : (a) and (b) : Government have no proposal under consideration to export more coal to Nepal during the current year. The Coal Controller has been issuing sanctions and bulk allotments in respect of coal for the consumers in Nepal against an annual quota of 45000 tons. In November, 1967, an informal request was made by Government of Nepal for allotment of an additional quantity of 15000 tons of coal, Government of Nepal has been informed that there should be no difficulty in acceding to this request.

(c) No such proposal is under consideration.

(d) Does not arise.

कच्छ में गांधी धाम-कांडला और लखपत को मिलाने वाली रेलवे लाइन

8962. श्री मधु लिमये : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रतिरक्षा तथा वाणिज्यिक दोनों ही दृष्टियों से कच्छ के पूर्वी भाग में गांधी धाम-कांडला और पश्चिमी भाग में लखपत को मिलाने वाली एक रेलवे लाइन के

निर्माण के लिये मांग की गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रतिरक्षा तथा रेलवे मंत्रालय ने इस प्रस्ताव की जांच कर ली है;

(ग) क्या कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(घ) क्या किन्हीं गैर-सरकारी पक्षों को सरकारी सहायता के साथ या उसके बिना इस लाइन का निर्माण करने के लिये कहा गया है; और

(ङ) क्या इस कार्य को अपने हाथ में लेने का सरकार का विचार है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) इस क्षेत्र के विकास के लिये और सामरिक कारणों से हाल में गुजरात के मुख्य मंत्री ने गांधी धाम से लखपत तक एक नई रेलवे लाइन बनाने का सुझाव दिया था।

(ख) और (ग) गांधी धाम-लखपत नाम की किसी लाइन के निर्माण के लिए कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है। इस लाइन को प्रतिरक्षा की दृष्टि से बनाने के लिए भी प्रतिरक्षा मंत्रालय ने इस मंत्रालय से कोई अनुरोध नहीं किया है।

(घ) नई रलवे लाइनों को बनाने के लिए गैर सरकारी पक्षों को अनुमति देने की नीति सरकार की नहीं है।

(ङ) इस समय गांधी धाम-कांडला खण्ड से लखपत तक एक रेलवे लाइन बनाने का काम शुरू करने का कोई विचार नहीं है।

सुरेन्द्र नगर-बाधवान रेलवे लाइन

8963. श्री मधु लिमये : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) इस समय कुल कितनी रेलड़े लाइनें गैर-सरकार लोगों के हाथ में है;

(ख) क्या सौराष्ट्र क्षेत्र की सुरेन्द्रनगर-बाधवान लाइन अब भी गैर-सरकारी हाथों में है;

(ग) इस लाइन का मालिक कौन है;

(घ) गत तीन वर्षों में लाइन के मालिक ने कितना लाभ कमाया है;

(ङ) लाइन के मालिकों ने आम और पर कितना आय-कर दिया है;

(च) क्या यह सच है कि सरकार ने इस लाइन को अपने हाथ में नहीं लिया है; और

(छ) यदि हां, तो इस छोटे से क्षेत्र की इस रेलवे लाइन का किन कारणों से राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) फिलहाल 11 गैर-सरकारी रेलें हैं जिनमें से 5 केन्द्रीय सरकार द्वारा संचालित हो रही हैं और शेष गैर-सरकारी कम्पनियों द्वारा। इनके अतिरिक्त भारतीय रेलवे अधिनियम के उपबन्धों को सुरेन्द्रनगर-बाधवान ट्रामवे लाइन पर भी लागू कर दिया गया है।

(ख) जी हां।

(ग) यह लाइन भारत ट्रामवे कम्पनी की है।

(घ) और (ङ) सूचना उपलब्ध नहीं है ।

(च) जी हां ।

(छ) यह एक ट्रामवे है जो मूलत: भूतपूर्व वाधवान रियासत और अब गुजरात सरकार से एक करार के अन्तर्गत परिचालित है । केन्द्रीय सरकार का इस लाइन में कोई वित्तीय हित नहीं है ।

आयात तथा निर्यात नीति सम्बन्धी रामस्वामी मुदालियार समिति

8964. श्री कामेश्वर सिंह :

श्री श्रीधरन :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आयात तथा निर्यात नीति सम्बन्धी रामस्वामी मुदालियार समिति ने बताया है कि कुछ देश भारत से परम्परागत वस्तुओं का अपनी मांग से अधिक मात्रा में आयात कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या हैं; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) और (ख) : आयात तथा निर्यात नीति सम्बन्धी रामस्वामी मुदालियार समिति ने इस सम्भावना के बारे में टिप्पणी की है कि कुछ देश भारत से अपनी मांग से अधिक परम्परागत मदों का आयात करते होंगे परन्तु पक्का निष्कर्ष निकालने के लिए समिति के सम्मुख कोई साक्ष्य नहीं है । स्थिति पूर्ववत् ही है और ऐसे किसी देश का पता नहीं लगा है जो हमेशा हमारे परम्परागत उत्पादों को अपनी स्वदेशी मांग से अधिक खरीदता रहा है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

रूस को रेल के माल डिब्बों का निर्यात

8965. श्री कामेश्वर सिंह :

श्री श्रीधरन :

क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रूस ने भारत में बनाने वाले रेल के माल डिब्बों के लिये क्रयादेश दिया है;

(ख) यदि हां, तो कितने माल डिब्बों के लिये क्रयादेश प्राप्त हुआ है;

(ग) क्या क्रयादेश भारतीय विशिष्ट विवरणों के अनुसार है; और

(घ) यदि नहीं, तो निर्यात के लिये माल डिब्बे किन विशिष्ट विवरणों के अनुसार बनाये जायेंगे ।

वाणिज्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) सोवियत रूस ने माल डिब्बे खरीदने के लिये एक संविदा करने के सम्बन्ध में बातचीत करने के लिये अपनी इच्छा व्यक्त की है । भारत की ओर से सोवियत रूस को, उनके द्वारा दिये गये तकनीकी प्रलेखों के जांच के उपरांत विस्तृत तकनीकी एवं वाणिज्यिक प्रस्ताव दिया जाना है । यह प्रस्ताव संविदा करने के लिये दोनों पक्षों में आगे की बातचीत का आधार बनेगा ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) और (घ) : माल डिब्बों को रूस की विशिष्टियों के अनुरूप बनाना पड़ेगा ।

मैसर्स अतुल प्रोडक्ट्स

8966. श्री कामेश्वर सिंह : क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जनवरी, 1966 में गुजरात के बुलसार जिले के मैसर्स अतुल प्रोडक्ट्स का इस्पात लाइसेंस रद्द कर दिया गया था ;

(ख) यदि हाँ, तो अतुल प्रोडक्ट्स को उनका कोटा मिलता रहा है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) मैसर्स अतुल प्रोडक्ट्स को कुछ नई वस्तुओं के निर्माण के लिये रजिस्ट्रेशन एण्ड लाइसेंसिंग आफ इण्डस्ट्रीयल अण्डरटेकिंग रूल, 1952 के आधीन जारी किया गया लाइसेंस दिसम्बर 1965 में रद्द कर दिया गया था।

(ख) और (ग) : सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायगी।

रांची स्थित फांउड्री फोर्जिंग प्लांट

8967. श्री कामेश्वर सिंह :
श्री श्रीधरन :

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रांची स्थित फांउड्री फोर्जिंग प्लांट और हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट में दोहरी मशीनें लगाई गई हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख) : यद्यपि एक ही प्रकार के कुछ मशीनी औजारों को भारी मशीन निर्माण संयंत्र तथा फाउण्ड्री फोर्ज संयंत्र में लगाया गया है किन्तु ऐसा करना संयंत्र विशेष के कुशल संचालन के लिए आवश्यक था। इसलिए वास्तव में इसमें कोई द्विगुणन नहीं है।

Travelling without Tickets by French Nationals

8968. Shri Ram Gopal Shalwale : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that five French nationals were caught travelling without tickets at Ferozepur Railway Station;

(b) whether it is also a fact that they quarrelled with the Railway staff; and

(c) if so, the action taken by Government against them ?

The Minister of Railways (Shri C.M. Poonacha) : (a) Four foreign nationals-three French and one German-were detected without tickets at Ferozepur station on 26.3.68.

(b) and (c) : There was an altercation between the foreigners and the railway staff. The foreigners were finally persuaded to pay the railway charges due.

केरल में उद्योग

8969. श्री मंगलाथुमाडोम　　　　श्री विश्वम्भरम :

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत गत 10 वर्षों में, केरल

राज्य में उद्योग स्थापित करने के लिए उद्योगपतियों से कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं ;

(ख) उनमें से कितने उद्योगपतियों को लाइसेंस दिये गये ;

(ग) क्या कोई आवेदन पत्र इस आधार पर अस्वीकार किया गया है कि योजना के अन्तर्गत ऐसे उद्योग की पूरी क्षमता बनाने के लिए पहले ही अन्यत्र लाईसेंस दिया जा चुका है ;

(घ) यदि हां, तो उस उद्योग का नाम क्या है और उस उद्योग के लिए राज्यवार कितनी क्षमता के लाइसेंस दिये जा चुके हैं ; और

(ङ०) आवेदन पत्रों को अस्वीकार करने के क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरूद्दीन अली अहमद) : (क) से (ङ०) : जानकारी इकट्ठी की जा रही है और वह सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

Trade with Pakistan

8970. **Shri Raghuvir Singh Shastri :** Will the Minister of **Commerce** be pleased to state .

(a) whether it is a fact that the Commerce Minister of Afganistan said on the 6th April, 1968 that there is large scope for the development of trade between India and Pakistan;

(b) if so, the details of discussions held with him; and

(c) the action taken by Government to promote trade between the two countries ?

The Minister of Commerce (Shri Dinesh Singh) : (a) to (c) : Government are not aware of any such statement reported to have been made by the Commerce Minister of Afghanistan. Certain discussions were held recently with the Afghan Minister on Indo-Afghan trade. A copy of the press note issued at the end of these discussions containing a gist of the discussions is attached. **[Placed in Library. See No. LT-1107/68]** Efforts are being made constantly to promote trade between India and Afghanistan.

Banana and Fruit Development Corporation

8971. **Shri Raghuvir Singh Shastri :** Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) the special steps taken by the newly set-up Banana and Fruit Development Corporation to increase the Export of fruits;

(b) whether Government are aware that there is a possibility of earning about Rs. 20 crores from the export of bananas to U.S.S.R. and Japan; and

(c) if so, the action taken in this regard ?

The Minister of Commerce (Shri Dinesh Singh) : (a) The Banana & Fruit Development Corporation has been concentrating upon introduction in the States of Madras, Andhra Pradesh, Mysore and Kerala of large scale banana cultivation schemes for the purpose of export.

(b) If the production of exportable varieties of bananas is pushed up significantly, there is a good possibility of increasing our earnings from the export of bananas.

(c) In order to promote exports the Banana and Fruit Development Corporation has been taking steps to increase the production of exportable varieties of bananas. The State Trading Corporation is undertaking trial shipments to U.S.S.R. and Japan with a view to developing a stable export trade in bananas.

Trade with Ceylon

8972. **Shri Raghuvir Singh Shastri :** Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether a meeting between the representatives of India and Ceylon was held in

Delhi during the second week of April, 1968 to increase the trade between the two countries;

(b) if so, the subjects discussed and the outcome thereof; and

(c) the details of the trade agreement signed, if any ?

The Minister of Commerce (Shri Dinesh Singh) : (a) to (c) ; A Trade Delegation from Ceylon was expected to visit India early in April, 1968, to review the working of the Indo-Ceylon Trade Arrangement for 1967, and to finalise a Trade Arrangement for the year 1968 but the visit was postponed on account of certain unavoidable reasons. Consultations are being made for fixing another date convenient to both the parties.

Fall in Exports to U.S.S.R. and European Countries.

8973 Shri Raghuvir Singh Shastri : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that per unit price of shoes, cotton yarn, cashew-nuts being exported to U.S.S.R. and other European countries are declining gradually;

(b) whether the exporters of these commodities have complained to Government that the purchase agencies of those countries are taking advantage of our weak bargaining power; and

(c) the action taken by Government in this regard ?

The Minister of Commerce (Shri Dinesh Singh) : (a) In the case of shoes and cotton yarn, the average export price to U.S.S.R. and other East European countries has cncreased in the post devaluation period. For cashew nuts however there has been a marginal decrease.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

Wagons of Soft Coke supplied to Delhi.

8974. Shri Shashibhushan Bajpai : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of wagons of soft coke being supplied to Delhi per month;

(b) the number thereof during summer and winter, respectively; and

(c) the names of traders recommended by the Delhi Administration who can indent these wagons ?

The Minister of Railways (Shri C.M. Poonacha) : (a) An average of 1414 wagons of soft coke per month were loaded for Delhi during 1967-68.

(b) Monthly averages of 1337 and 1490 wagons respectively were loaded during Summer (April to Sept.67) and Winter (Oct.67 to March'68).

(c) The Delhi Administration has given the attached list of their nominees for the allocation of soft coke for the period April,68 to June, 1968. **[Placed in Library. See No. LT-1096/68]**

Survey of Railway Lines

8975. Shri Shasibhushan Bajpai : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the total number of Railway lines in India which have been surveyed many times but have not been opened so far;

(b) the names of the places where these Railway lines are situated and the reasons for not opening them so far; and

(c) the number of lines out of them which are proposed to be opened and the time by which they are likely to be opened ?

The Minister of Railways (Shri C.M. Poonacha) : (a) to (c) ; Information regarding Surveys for new lines sanctioned each year is given in Chapter IV(New Construction and Engineering Works) of the Annual Report by the Railway Board on Indian Railways (Volume-I), copies of which are available in the Library of the Lok Sabha.

2. To gauge the agricultural and Industrial development potentiality of the areas to be served by the proposed railway lines and to what extent they will hasten the prospects of proper tapping of the resources and also their impact on the advancement, prosperity and betterment of the people of the areas, Surveys (Traffic, Reconnaissauce, Preliminary Engineering and Final Location) used to be carried out. If the results of these surveys revealed that the line is financially viable and funds are also available then the construction of a line is taken up. Various new lines already surveyed could not be taken up as they were not financially justified or the funds required for their construction were not available.

3. It is not possible to state when if at all, the various new lines surveyed can be considered for construction as this is dependent upon traffic justification and availability of funds.

Railways Accidents

8976. Shri T.P. Shah :

Shri Kanwar Lal Gupta :

Will the Minister of **Railways** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No.7286 on the 16th April, 1968 regarding Railway accidents and state the number of railway employees responsible for causing accidents and against how many of them action has been taken ?

The Minister of Railways (Shri C.M. Poonacha) : During the period 1.10.67 to 31.12.67, 265 train accidents in the categories of collisions, derailments, trains running into road traffic at level crossings and fires in trains took place on the Indian Government Railways. In these accidents, 295 railway staff were held responsible. Disciplinary action has already been finalised against 188 persons and is in progress against the others.

Chairman of Government Undertakings

8977. Shri T.P. Shah :

Shri Kanwar Lal Gupta :

Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Shri Keshav Dev Malviva delivered speeches in Congress meetings after becoming the Chairman of a Government factory;

(b) if so, whether persons who are Chairmen of Government undertakings or are working in any other post can take part in politics;

(c) if not, whether Government have formulated rules in this regard, if so, the the details thereof; and

(d) whether Government have asked all such persons to resign from political parties ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri F.A. Ahmed) : (a) It has been reported that Shri K.D. Malaviya, Chairman, Heavy Engineering Corporation Ltd., Ranchi, addressed a meeting of the Ranchi Congress Committee on the 24th March, 1968 on a request from the Committee.

(b) to (d) : According to the Conduct Rules of the Corporation, no Corporation, servant should be a member of a political party or assist any political movement or activity. Shri Malaviya, is an Honorary Chairman of the Corporation and is not governed by the above mentioned conduct rules.

Boarding and Lodging Arrangements for S.T. C Officers.

8978 Shri T.P. Shah : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether the State Trading Corporation have framed any rules for the boarding and lodging arrangements for their Officers when they go abroad;

(b) whether it is a fact that they are paid allowances at rates higher than those admissible to the Central Government employees;

(c) whether it is also a fact that the Officers of the Corporation have not to render account for 95 per cent of this expenditure; and

(d) if so, the reasons therefor ?

The Minister of Commerce (Shri Dinesh Singh) : (a) to (d) : Government have recently recognised the STC as an export house for the purpose of allocating a blanket permit for specified sum of foreign exchange from time to time for the purpose of meeting expenditure of its officers when they go abroad. Government have prescribed certain scales of allowances for the purpose which have been adopted by the STC and are followed in individual cases. These rates of allowances are analogous to the ones followed by the Reserve Bank of India for other Commercial Houses.

Rates of allowances for different items of expenditure for Government employees and for commercial houses are somewhat different and are not strictly comparable.

Details of expenditure and vouchers are not required to be submitted for 95 per cent of the admissible allowances.

The daily allowances permitted by the Reserve Bank include Board, lodging, transportation and other contingent expenditures. For the sake of accounting convenience the STC have issued internal instructions that 95% of the daily allowance permited by the R.B.I. is meant to cover expences on board, lodging, transportation, personal needs, etc. and no accounts are necessary to be submitted along with vouchers in support of such expenditure. For the balance 5% however, which may be spent on other contingencies like cables, postage etc. accounts have to be rendered. If no expenditure is incurred or there is a saving on such contingencies, this is to be refunded to the Corporation.

Export of Cotton

8979 Shri Maharaj Singh Bharati : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that that the cotton being produced in the country is not fully utilised by the textile industry and lakhs of bales of cotton are exported every year;

(b) if so, the reasons therefor;

(c) whether it is also a fact that cotton is also imported to manufacture superfine cloth; and

(d) the steps being taken by Government to ensure that cotton is not imported in future ?

The Minister of Commerce (Shri Dinesh Singh) : (a) and (b) : Only Bengal Deshi cotton and some other varieties such as Assam Comilla, Zoda, Yellow Pickings and Sweepings being unspinnable are allowed to be exported. These exports on an average are about 3 lakh bales per year.

(c) Imports of cotton are allowed as the indigenous production is still not adequate to meet fully our requirements of staple cotton. As the shortfall is predominantly in the type of cotton suitable for the manufacture of fine and superfine cloth, our imports generally consist of such cotton.

(d) Efforts to maximise production of cotton, especially long staple varieties, are being made through package and other programmes.

Discovery of Copper in Khasi Jaintia Hills.

8980. Shri Maharaj Singh Bharati : Will the Minister of **Steel, Mines and Metals** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that large reserves of copper have been discovered in Khasi Jaintia Hills of Assam which when exploited could meet the entire requirement of the country; and

(b) if so, the progress made to exploit the said mines ?

The Minister of State in the Ministry of Steel, Mines and Metals (Shri P.C.Sethi): (a) and (b) : Copper mineralisation near Umpyrtha in the United Khasi and Jaintia Hills district of Assam has been known since long. Exploratory drilling by the Geological Survey of India is in progress. The estimate of reserves of copper ore will become available after the investigation is completed.

हाथियों का निर्यात

8981. श्री शिव चन्द्र झा : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच हैं कि भारत हाथियों का निर्यात करता है ;

(ख) यदि हां, तो गत पांच वर्षों में किन किन देशों को कितने कितने हाथी निर्यात किये गये ; और

(ग) उपरोक्त अवधि में उनके निर्यात से कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) : एक विवरण (अंग्रेजी में) संलग्न है जिसमें वर्ष 1963-64 से 1967-68 तक (जनवरी 1968 तक) देशवार निर्यात किये गये हाथियों की संख्या और मूल्य दिये गये हैं । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल. टी. 1097/68]**

उत्तर बिहार में भारी उद्योग

8982 श्री शिव चन्द्र झा : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना में उत्तर बिहार में भारी उद्योग स्थापित करने का सरकार का विचार है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरूद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख) : चौथी पंचवर्षीय योजना तैयार करने का काम अभी हाल ही में प्रारम्भ किया गया है, अत: ऐसी स्थिति में यह बता सकना सम्भव नहीं है कि उत्तरी बिहार में इस योजना के दौरान कितने भारी उद्योग स्थापित किए जा सकेंगे ।

हिन्द गाल्वेनाइजिंग कम्पनी

8983. श्री जार्ज फरनेन्डीज : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री 26 मार्च, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5230 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने अनुमति प्राप्त किये बिना ही मशीनरी खरीद कर गैर-कानूनी क्षमता का निर्माण करने के बाद ही हिन्द गाल्वेनाइजिंग एण्ड इंजिनियरिंग कम्पनी

ढोल बनाने की स्थिति में हुई थी और उसके बाद उसने सरकार से ढोल बनाने की अनुमति लेने का आग्रह करना आरम्भ किया था ;

(ख) यदि हां, तो उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम 1951 का जान-बूझ कर उल्लंघन करने के कारण उसके विरूद्ध कार्यवाही न किये जाने के क्या कारण थे ;

(ग) जनवरी, 1962 से अगस्त, 1964 तक की अवधि में इस कम्पनी द्वारा कितने ढोल बनाये गये थे और वे किसे सप्लाई किये गये थे ; और

(घ) इस कम्पनी ने किन आयातकर्ताओं से निर्बाध बिक्री वाली इस्पात की चादरें खरीदी थी और प्रत्येक आयातकर्ता से कितनी इस्पात की चादरें खरीदी थीं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरूद्दीन अली अहमद) :

(क) और (ख) : 24-11-1967 के तारांकित प्रश्न संख्या 250 के उत्तर में मैसर्स हिन्द गैलवैनाइजिंग एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी (प्रा०) लिमिटेड की तेल के ढोल बनाने की क्षमता को दी गई मान्यता संबंधी स्थिति बताई जा चुकी है ।

(ग) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल. टी. 1098/68**]

(घ) फर्म के कथनानुसार निर्बाध बिक्री वाली इस्पात की चादरें जनवरी, 1962 और मई 1963 के बीच मेसर्स अमीनचन्द प्यारेलाल कलकत्ता और मैसर्स रामकृष्ण कुलवन्तराय, कलकत्ता से खरीदी गयी थी। मई, 1963 के बाद कितना कितना इस्पात किस किस फर्म से खरीदा गया इसकी सूचना नहीं मिल सकी हैं। यह जानकारी एकत्र करने का प्रयास किया जा रहा है प्राप्त होते ही यह सूचना सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

प्योंटा साहिब-जगाधरी रेलवे लाइन

8984. श्री प्रेम चन्द वर्मा : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) क्या हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्योंटा साहिब और जगाधरी के बीच रेलवे लाइन बनाने के लिये उनके मंत्रालय से प्रार्थना की है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय किया गया है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी हां

(ख) हिमाचल प्रदेश सरकार ने पहले जगाधरी से प्योंटा होकर किशाऊ बांध तक रेल सम्पर्क और ददाहू तक शाखा लाइन बनाने के लिए कहा था। चूंकि इस लाइन का मुख्य औचित्य किशाऊ बांध के निर्माण के लिए सुविधाएं देना है और पहले से ही देहरादून से डाक पथार/कालसी तक एक लाइन उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के 'निक्षेप निर्माण कार्य' के रूप में बनाने का प्रश्न विचाराधीन था, इसलिए हिमाचल प्रदेश सरकार को यह सुझाव दिया गया था कि उत्तर प्रदेश सरकार की इस साईडिंग से किया जाने वाला रेल सम्पर्क कम खर्चीला होगा। हिमाचल प्रदेश सरकार ने इस सुझाव की सराहना की थी। देहरादून-डाक पथार-कालसी बड़ी रेलवे लाइन का सर्वेक्षण पहले ही पूरा हो चुका है और सर्वेक्षण रिपोर्ट की जांच की जा रही है। चूंकि इस रेल सम्पर्क (देहरादून-डाक पथार/कालसी) का मार्ग निर्धारण दुर्गम पहाड़ी मार्ग से गुजरता हैं,

इस लाइन (लगभग 43 कि० मी०) पर लगभग 6 करोड़ रुपये खर्च का अनुमान है। इस बात की सम्भावना बहुत कम है कि इस लाईन पर इतना यातायात हो पायेगा ताकि उसकी आमदनी से प्रत्यक्ष परिचालन खर्च पूरा हो जाय। नये पूंजी निवेश पर दैय सांविधिक लाभांश की बात तो दूर रही। इस लिए यदि इस रेल सम्पर्क का निर्माण हाथ में लेना हो तो यह काम उत्तर प्रदेश सरकार के खर्च पर करना पड़ेगा और इस सम्बन्ध में उनका निर्णय आवश्यक है। इसके बाद इस लाइन से हिमाचल प्रदेश क्षेत्र के अन्य स्थानों तक (पोंटा/राजवन या किशाऊ बांध स्थल जिसके लिए हिमाचल प्रदेश सरकार से सुझाव प्राप्त हो चुके हैं) रेल सम्पर्क बनाने के लिए देहरादून डाक पथार-कालसी लाइन के निर्माण के सम्बन्ध में निर्णय किये जाने के बाद ही विचार किया जा सकता है।

रस्सों का आयात

8985. **श्री प्रेमचन्द वर्मा** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रस्सों का भारी मात्रा में आयात किया जा रहा है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि भारत में देश की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये पर्याप्त मात्रा में उत्तम किस्म के रस्सों का उत्पादन होता है ;

(ग) यदि हाँ, तो इनका आयात करने के क्या कारण है और वर्ष 1967-68 में कितनी मात्रा में रस्सों का आयात करने की अनुमति है ; और

(घ) क्या भारतीय उत्पादकों ने इसके आयात को बन्द करने के लिये कोई मांग की है और यदि हां, तो इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) मनीला सन के साधारण रस्सों तथा जहाजी रस्सों का, जहाज़ के स्टोरों के रूप में एक नगण्य मात्रा में आयात किया जाता है।

(ख) जी हां। अच्छे किस्म के रस्सों का भारत में पर्याप्त मात्रा में उत्पादन किया जाता है।

(ग) विदेशी जहाज़ों आदि की मांग पूरी करने के लिये 1967-68 (दिसम्बर, 1967 तक) में 14000 रु० मूल्य के 15 मै० टन मनीला सन के रस्सों का आयात किया गया है।

(घ) जी, हां। इण्डियन रोप मैन्यूफैक्चर्स एसोसियेशन, कलकत्ता ने मनीला तथा सीसल के रस्सों के आयात के विरूद्ध अभ्यावेदन किया है और अभ्यावेदन पर विचार किया जा रहा है।

संगचल कर्मचारियों का मील भत्ता

8986. **श्री रा० स्व० विद्यार्थी** : क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मील नियमों के ढांचे के बारे में जांच करने के लिये नियुक्त की गई समिति द्वारा निर्णय दिये जाने तक संगचल कर्मचारियों के मील भत्तों में यात्रा भागीदारों के साथ-साथ संशोधन करने का विचार है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे-मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी नहीं।

(ख) सरकार द्वारा रनिंग भत्तों के नियमों और दरों के पुनरीक्षण के लिये जो समिति नियुक्त की गयी है, उससे पहले ही कहा गया है कि वह यात्रा भत्ते की दरों में संशोधन का ध्यान में रखे। समिति की रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।

आगरा छावनी से मथुरा तक मीटर गाज लाइन

8987 श्री रा० स्व० विद्यार्थी : क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि आगरा छावनी से मथुरा तक मीटर गाज रेजवे लाइन न होने के कारण आगरा छावनी जंक्शन पर लोगों को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस कठिनाई को दूर करने के बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है ;

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) हाल में यात्री जनता से इस मंत्रालय को ऐसे अभ्यावेदन नहीं मिले हैं कि आगरा छावनी और मथुरा के बीच मीटर लाइन न होने के कारण उन्हें असुविधा होती है। इसके अलावा, आगरा छावनी और मथुरा के बीच एक मीटर लाइन पहले से है। यह लाइन अछनेरा से होकर जाती है और इसका रास्ता थोड़ा चक्करदार है।

(ख) सवाल नहीं उठता ।

Proprietors of Industrial Undertakings Living in Pakistan

8988. Shri R. S. Vidyarthi : Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state :

(a) the number of such industrial undertakings in India whose proprietors or partner live in Pakistan or who frequently go to Pakistan; and

(b) the amount remitted by them to Pakistan during the last five years ?

The Minister of Industrial Development And Company Affairs : (Shri F.A. Ahmed)

(a) and (b) no information is avialable in this Ministry. This Ministry deals only with companies and not with proprietory and partnership firms.

रेलवे दुर्घटनाएं

8989. श्री स० मो० बनर्जी : क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे दुर्घटनाओं के कारणों के बारे में अखिल भारतीय रेलवे कर्मचारी संघ के विचार मालूम किये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो उनके विचार क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) से (ग) सम्भवत: माननीय सदस्य का आशय अखिल भारतीय रेल कर्मचारी संघ से है। रेल दुर्घटना समिति, 1962 ने इस संघ को रेल दुर्घटनाओं के बारे में अपने विचार प्रकट करने का अवसर दिया था। संघ द्वारा प्रकट किये गये विचारों पर समिति ने समुचित रूप से गौर किया। समिति की अन्तिम सिफारिशों पर यथा-सम्भव अमल किया गया है।

संरक्षा के मामलों में क्षेत्रीय रेलें स्थायी वार्तातन्त्र के माध्यम से मान्यता-प्राप्त यूनियनों (जिनमें अखिल भारतीय रेल कर्मचारी संघ से सम्बद्ध यूनियनें भी शामिल हैं) का सहयोग भी ले रही हैं और इस सम्बन्ध में जहां तक आवश्यक और व्यावहारिक है, उनके द्वारा कार्रवाई की जा रही है।

कानपुर में सूती कपड़ा मिलों को सरकार द्वारा अपने अधिकार में लिया जाना

8990. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कानपुर के कुछ सूती कपड़ा मिलों को अपने हाथ में लेने के बारे में अन्तिम निर्णय कर लिया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) और (ख) : कानपुर की कुछ कपड़ा मिलों को सामान्यतः हाथ में लेने का कोई विशिष्ट सुझाव नहीं है। उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम की धारा 18 ए के उपबन्धों के अन्तर्गत आने वाली केवल ऐसी सूती कपड़ा मिलें अधिनियम में उल्लिखित जांच के पश्चात अगर सीमित वित्त घोषणा द्वारा उन्हें उपयुक्त समय में, चालू किया जा सकता हो तो, सरकार द्वारा हाथ में ली जा सकती हैं।

ढले लोहे के स्लीपरों के स्थान पर कंक्रीट के स्लीपरों का लगाना

8991. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ढले लोहे के स्लीपरों के स्थान पर कंक्रीट के स्लीपर लगाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि नहीं, तो इस प्रस्ताव को समाप्त करने के क्या कारण हैं ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) और (ख) : कंक्रीट के स्लीपरों के उपयोग के प्रस्ताव पर सक्रिय रूप से विचार हो रहा है। उसे छोड़ा नहीं गया है। कंक्रीट के स्लीपरों के उपयोग के विनिश्चय को अमल में लाने के लिए कुछ कदम भी उठाये गये हैं।

नेशनल इन्सट्रूमेंटल लिमिटेड, कलकत्ता

8992. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय**-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल इन्सट्रूमेंटल लिमिटेड, कलकत्ता की कार्य-भार की स्थिति सुधर गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या अब वहां फालतू कर्मचारियों की कोई समस्या नहीं है; और

(ग) क्या कम्पनी के निदेशक बोर्ड का पुनर्गठन किया गया है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख) : जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

(ग) जी, हां।

चाय पर निर्यात शुल्क

8993. **श्री रवि राय** :

श्री दी० चं० शर्मा :

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वे 6 अप्रैल, 1968 को कलकत्ता में चाय उद्योग के प्रतिनिधियों से मिले थे;

(ख) क्या प्रतिनिधियों ने उन से अनुरोध किया था, कि चाय पर 20% निर्यात शुल्क पूर्णतया समाप्त कर दिया जाये;

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस मामले में क्या निर्णय किया गया है ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) और (ख) : जी, हां।

(ग) उन्हें सूचना दे दी गई थी कि चाय के निर्यात में कोई और कमी करने का सरकार का विचार नहीं है।

राजस्थान में राक फास्फेट के निक्षेप

8994. श्री देवकीनन्दन पाटोदिया : क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान में हाल में राक फास्फेट के बड़े भण्डारों का पता लगा है;

(ख) यदि हां, तो किन स्थानों पर; और

(ग) क्या इन निक्षेपों की मात्रा का अनुमान लगाने के लिये कोई प्रयत्न किया गया है ?

इस्पात, खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) से (ग) : राजस्थान के जैसलमेर जिले में बिरमानिया व उदयपुर जिले में कानपुर, करबरिया-का-गुढा, मातों और डाकों कोटरा में प्रचुर मात्रा के राक फास्फेट के निक्षेपों का पता चला है। इन क्षेत्रों में भारतीय वैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा विस्तृत अन्वेषण किया जा रहा है।

नई आयात नीति में विषमताएं

8995. श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 5 अप्रैल, 1968 के 'इकानामिक टाइम्स' में प्रकाशित एक समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें लघु उद्योग एसोसिएशन फैडरेशन द्वारा नई आयात नीति में बताई गई विभिन्न विषमताओं का उल्लेख किया गया है;

(ख) क्या सरकार ने इस उद्योग की कठिनाइयों पर विचार कर लिया है; और

(ग) यदि हां, तो क्या इस नीति में कोई परिवर्तन करने का विचार है ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) : मामला विचाराधीन है।

इस्पात और कोयले का उत्पादन

8996. श्री योगेन्द्र झा : क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1967-68 में सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों में इस्पात और कोयले का कितना-कितना उत्पादन हुआ है;

(ख) उपरोक्त दोनों क्षेत्रों में 1973 में इस्पात और कोयले का कितना-कितना उत्पादन होने की सम्भावना है;

(ग) इस्पात और कोयले की वर्तमान खपत कितनी है तथा वर्ष 1973 में अनुमानित कितनी खपत होने की सम्भावना है; और

(घ) शीघ्रातिशीघ्र इनमें आत्म निर्भरता प्राप्त करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात, खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) वर्ष 1967-68 में इस्पात और कोयले का कुल उत्पादन इस प्रकार रहा :

	इस्पात	कोयला	(मिलियन टन)
(I) सरकारी क्षेत्र	3.45	14.102	,,
(II) निजी क्षेत्र	2.72	53.115	,,
	6.17	67.217	,,

(ख) वर्ष 1973 में सरकारी क्षेत्र में 8·3 मिलियन टन इस्पात पिण्ड और निजी क्षेत्र में 3·3 मिलियन टन इस्पात पिण्ड उत्पादन की क्षमता होगी । अनुमान है कि 1973 में कोयले का उत्पादन 104 मिलियन टन होगा ।

(ग) वर्ष 1967-68 में देश में 3·8 मिलियन टन तैयार इस्पात की खपत हुई । कोयले की खपत 67·15 मिलियन टन हुई । राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद् ने अनुमान लगाया है कि 1970-71 में तैयार इस्पात की मांग 7·401 मिलियन टन और 1975-76 में 12·284 मिलियन टन होगी उनसे वर्ष 1973-74 में मांग का अनुमान लगाने को कहा गया है । अनुमान है कि 1973 में कोयले की खपत लगभग 104 मिलियन टन होगी ।

(घ) कोयले के मामले में देश पहले से आत्म-निर्भर है । इस्पात में आत्म-निर्भरता प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाये गये । उठाये जा रहे हैं :

(I) राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर इस्पात कारखानों में से प्रत्येक का क्रमशः 1 मिलियन टन पिण्डक से 1·8, 2·5 और 1·6 मिलियन टन पिण्डक तक विस्तार किया गया है । किया जा रहा है । भिलाई इस्पात कारखाने की क्षमता का 2·5 मिलियन टन से 3·2 मिलियन टन पिण्डक तक विस्तार करने के लिए पहला कदम यह उठाया गया है कि वहां छठी धमन भट्टी लगाई जा रही है ।

(II) 1970-71 और 1975-76 में इस्पात की माँग के बारे में राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद् की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है । इस रिपोर्ट में 1980-81 की मांग का भी मोटा अनुमान लगाया गया है । इस विभाग में एक योजना कक्ष खोला गया है जो दूसरी बातों के साथ-साथ इस रिपोर्ट पर भी विचार करेगा और सिफारिशें करेगा कि किस प्रकार अच्छे से अच्छे ढंग से होने वाली मांग की पूर्ति की जा सकती है ।

(III) यथा सम्भव मात्रा में और परिचालन व्यय के अनुकूल सरकारी और निजी क्षेत्र के इस्पात कारखानों में उत्पादन-तरीकों में तकनीकी सुधार किये जा रहे हैं हमारे इस्पात कारखानों में उत्पादन में विभिन्नीकरण लाने की सम्भाव्यताओं पर भी विचार किया जा रहा है ।

संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन

8997. श्री योगेन्द्र झा : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन में कितनी बार मत विभाजन हुआ और इन मत विभाजनों के दौरान किस-किस देश ने भारत का साथ दिया; और

(ख) उन विकसित देशों के नाम क्या हैं जिन्होंने विकासशील देशों से निर्यात के सम्बन्ध में उनकी मांगों को स्वीकार कर लिया है ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) विभिन्न संकल्पों पर मतदान के समय हुए मत विभाजनों में भारत के साथ किन-किन देशों ने मत दिया, इसके बारे में जानकारी एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(ख) विकसित देशों में विकासशील देशों से निर्यातित माल को तरजीह देने अथवा निर्बाध रूप से प्रवेश करने देने के संकल्प पर सभी विकसित देशों ने योग दिया है।

हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट, रांची

8998. श्री योगेन्द्र झा :
श्री वेणी शंकर शर्मा :

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री 26 मार्च, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5219 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट, रांची के बारे में रूसी दल के प्रतिवेदन पर इस बीच विचार कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(ग) उनकी सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) रिपोर्ट में की गई विभिन्न सिफारिशें अभी सरकार और कम्पनी के विचाराधीन हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

बांका उप-मंडल में तांबे के निक्षेप

8999. श्री वेणी शंकर शर्मा : क्या **इस्पात खान तथा धातु** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि भारतीय भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा ढूंढ-खोज किये जाने के परिणामस्वरूप बिहार के बांका उप-मंडल तथा भागलपुर जिले में तांबे के कुछ निक्षेप पाये गए थे;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बात का पता लगाने के लिए उस क्षेत्र में कोई और अधिक खोज-कार्य किया गया है कि क्या वहां तांबे के इतने अधिक निक्षेप हैं कि उनका व्यापारिक लाभ उठाया जा सकता है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात, खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) हां, महोदय ।

(ख) बड़े पैमाने के नक्शे बनाना, भूरसायनिक प्रतिचयन, गर्त्तन, खाइयां खोदना और भू-भौतिकीय कार्य प्रगति पर है । अभी यह नहीं कहा जा सकता कि क्या निक्षेप वाणिज्यिक उपयोग के लायक है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

शाखा-लाइनें बन्द करना

9000. श्री वेणी शंकर शर्मा : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अपने आय-व्ययक भाषण में उनके द्वारा दिये गये इस वक्तव्य के पश्चात् कि शाखा-रेलवे लाइनें घाटे पर चल रही हैं, क्या उनका विचार इन लाइनों को बन्द करने का है और क्या इस मामले में सरकार ने कोई निर्णय किया है;

(ख) क्या यह सच है कि इस मामले पर अन्तिम निर्णय लेने से पहले उनके मन्त्रालय ने इस बारे में राज्य सरकारों से परामर्श किया था; और

(ग) यदि हां, तो किन-किन राज्य सरकारों ने अपनी अनुमति नहीं दी है और किन राज्यों ने अनुमति दे दी है ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) अभी कोई पक्के निर्णय नहीं किये गये हैं ।

(ख) अभी तक की गई जांच से पता चला है कि चौदह अलाभप्रद लाइनों के सम्बन्ध में सड़क परिवहन बिना किसी कठिनाई और सम्बन्धित क्षेत्र की अर्थ व्यवस्था पर कोई कुप्रभाव डाले बिना रेल परिवहन का स्थान ले सकता है । सम्बन्धित राज्य सरकारों को इस बात की पुष्टि करने के लिए लिखा गया था कि रेलों द्वारा इस समय ढोये जाने वाले यातायात को पूरा करने के लिए सड़क परिवहन में आवश्यक वृद्धि करने में उन्हें कोई कठिनाई न होगी । अब चौदह लाइनों की एक सूची संलग्न है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1099/68**] इसमें उन राज्य सरकारों का भी उल्लेख किया गया है जिनसे पत्र व्यवहार किया गया था ।

(ग) अभी तक मंट्टुपालयम-उदकमंडलम खण्ड के सम्बन्ध में मद्रास सरकार से, रोहतक-गोहाना लाइन के सम्बन्ध में हरियाणा सरकार से, पैरालम-करेवकल लाइन के सम्बन्ध में पांडीचेरी सरकार से, बटाला कादिया लाइन के सम्बन्ध में पंजाब सरकार से, भागलपुर मंदार हिल लाइन के सम्बन्ध में बिहार सरकार से माघोसिंह-मिर्जापुर घाट, मथुरा-वृंदावन, अकबरपुर-टांडा और बरहन-एटा लाइनों के बारे में उत्तर प्रदेश सरकार से तथा ग्वालियर-शिवपुरी लाइन के सम्बन्ध में मध्य प्रदेश सरकार से उत्तर प्राप्त हुए हैं । मध्य प्रदेश के अलावा, सभी राज्य सरकारें इन लाइनों को बन्द करने के विरोध में विचार प्रकट किये हैं । मध्य प्रदेश सरकार ने कहा है कि रेल मन्त्रालय ग्वालियर-शिवपुरी लाइन के बन्द करने के फलस्वरूप सड़क की ओर आने वाले अतिरिक्त यातायात की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय राजपथ नं० 3 के ग्वालियर-शिवपुरी खण्ड के सुधार के लिए धन की व्यवस्था करें ।

पश्चिम बंगाल में कारखानों का बन्द किया जाना

9001. श्री वेणी शंकर शर्मा : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मार्च, 1967 से नवम्बर, 1967 तक पश्चिम बंगाल में कितने कारखानों को बन्द किया गया अथवा उनमें तालाबंदी की गई ;

(ख) उनमें से कितने कारखानों को इस बीच पुनः खोला अथवा चालू कर दिया गया है और कितने अभी तक बन्द पड़े हैं ; और

(ग) उन कारखानों के नाम क्या हैं जो अभी तक बन्द पड़े हैं तथा उनके बन्द पड़े रहने के क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरूद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग) : जानकारी इकट्ठी की जा रही है और वह सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग कम्पनी

9002. श्री सु० कु० तापड़िया : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक पुरानी और सुस्थापित स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग कम्पनी ने, जिनके तीन कारखाने हैं - दो बम्बई में और एक कलकत्ता में, वित्तीय सहायता के लिये केन्द्रीय सरकार से प्रार्थना की है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस कम्पनी के वित्तीय संसाधन किन परिस्थितियों में समाप्त हो गये है और इस कम्पनी की सहायता करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरूद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख) : पता चला है कि मेसर्स स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग वर्क्स लि० बम्बई के प्रतिनिधियों ने 14 अप्रैल, 1968 को उप प्रधान मंत्री से भेंट की थी। इस भेंट के दौरान उन्होंने सरकार से वित्तीय सहायता के लिए कोई अनुरोध नहीं किया। हां, भारत में अपने सामान्य कार्यकलाप के संचालन की रुपया मुद्रा संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अमरीका के बैप्टिस्ट फाउण्डेशन आफ अमेरिका इनकोरपोरेटेड से 40 लाख डालर का विदेशी मुद्रा का ऋण लेने के संबंध में रक्षित बैंक से जो अनुरोध किया है उस पर विचार पूरा करने में शीघ्रता कराने का अनुरोध अवश्य किया था। पता चला है कि उनका यह अनुरोध वित्त मंत्रालय के विचाराधीन है।

खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा लौह अयस्क तथा मैंगनीज अयस्क का निर्यात

9003. श्री हिम्मत सिंह का : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खनिज तथा धातु व्यापार निगम अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में, उस मूल्य से, जो वह सामान्यतः प्रसिद्ध व्यापारियों के माध्यम से निर्यात द्वारा प्राप्त कर सकता है कम मूल्य पर लौह अयस्क तथा मैंगनीज अयस्क बेचने की पेशकश करता रहा है ;

(ख) यदि हां तो खनिज तथा धातु व्यापार निगम ने वर्ष 1967-68 में इन धातुओं को औसतन किस भाव पर बेचा तथा देश के गैर-सरकारी निर्यातकों द्वारा ऐसा ही माल उसी वर्ष में निर्यात किये जाने से जो मूल्य प्राप्त किया गया, उसकी तुलना में यह मूल्य कितना कम है ;

(ग) क्या खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा कम मूल्यों पर ये धातु बेचे जाने के कारण इन अयस्कों के प्रसिद्ध व्यापारियों का कारोबार ठप्प हो गया है ; और

(घ) यदि हाँ, तो खनिज तथा धातु व्यापार निगम इन धातुओं को किस कारण से कम मूल्यों पर बेचता है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) :

(क) से (घ) गोआ के परम्परागत निर्यातकों द्वारा निर्यात किये जाने वाले गोआ उद्भव के लौह अयस्क को छोड़कर, शेष लौह अयस्क का निर्यात खनिज एवं धातु व्यापार निगम के माध्यम से ही किया जाता है। उसी प्रकार मैंग्नीज और इण्डिया लि० नामक सरकारी क्षेत्र के एक अन्य उपक्रम द्वारा इस अयस्क के निर्यात को छोड़कर शेष मेंग्नीज अयस्क का निर्यात खनिज एवं धातु व्यापार निगम के माध्यम से किया जाता है। खनिज एवं धातु व्यापार द्वारा लोह एवं मेंग्नीज अयस्क की बिक्री के लिये तय किये गये मूल्य कुल मिलाकर प्रतिस्पर्द्धी एवं सन्तोषजनक रहे हैं। चूंकि उपरोक्त सीमा के अलावा गैर-सरकारी निर्यातकों को इन दो मदों के निर्यात की अनुमति नहीं है अतः इन अयस्कों के प्रसिद्ध निर्यातकों का कारोबार ठप्प होने का प्रश्न नहीं उठता।

लौह तथा मेंगनीज अयस्कों की उत्पादन लागत

9004. श्री हिम्मतसिंह का : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लौह तथा मैंगनीज अयस्कों की, प्रतिटन औसत उत्पादन लागत कितनी-कितनी है और वर्ष 1967-68 में भाड़ा तथा निर्यात शुल्क को मिलाकर अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में उनका लागत मूल्य कितना था ; और

(ख) उस वर्ष इन दोनों अयस्कों के निर्यात से खनिज तथा धातु व्यापार निगम को कितने प्रतिशत लाभ हुआ ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) और (ख) : ये ब्यौरे बताना निगम के व्यावसायिक हित में नहीं है।

धातु तथा खनिज व्यापार निगम द्वारा ताम्बे का आयात

9005. श्री हिम्मतसिंह का : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यदि वास्तविक प्रयोक्ताओं को या सुस्थापित आयातकों को विशुद्ध ताम्बे का सीधा आयात करने की अनुमति दी जाये तो वह धातु तथा खनिज व्यापार निगम द्वारा आयात की अपेक्षा लगभग 300 रुपये प्रति टन सस्ता पड़ता है ;

(ख) यदि हां तो इस के क्या कारण हैं ; और

(ग) इस विषमता को कम से कम करने के लिये या धातु तथा खनिज व्यापार निगम की

अपेक्षा वास्तविक प्रयोक्ताओं और सुस्थापित आयातकों द्वारा आयात के सम्बन्ध में उदार नीति अपनाने के बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठते ।

खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा दिये गये खनिजों के मूल्य

9006. श्री हिम्मतसिंहका : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा अवमूल्यन से पहले के मूल्यों पर बड़ी मात्रा में खरीदे गये खनिजों को देश में उपभोक्ताओं को अवमूल्यन के बाद के मूल्यों पर बेचा गया था ;

(ख) यदि हां, तो इस तरह आयात किये गये तथा बेचे गये प्रत्येक खनिज की कुल मात्रा क्या थी ; और

(ग) खनिज तथा धातु व्यापार निगम ने इन खनिजों को किन दरों पर खरीदा था और उनको देश में उपभोक्ताओं को किन दरों पर बेचा गया था ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी, नहीं । खनिज तथा धातु व्यापार निगम खनिजों का आयात नहीं करता ।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठते ।

लोहा तथा इस्पात की मांग

9007. श्री वीरेन्द्र कुमार शाह : क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद ने लोहे तथा इस्पात के सम्बन्ध में चौथी पंचवर्षीय योजना कार्यक्रम के लिये आधार रूप में लोहे तथा इस्पात की मांग का पुनरीक्षित प्राक्कलन प्रस्तुत किया है ;

(ख) यदि हां, तो राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद की रिपोर्ट की मुख्य बातें क्या है ;

(ग) इस रिपोर्ट को दृष्टि में रखते हुए विशेषत: हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के विभिन्न एककों के विस्तार के सम्बन्ध में चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत लोहे तथा इस्पात के संबन्ध में निर्धारित अस्थायी लक्ष्य क्या है ; और

(घ) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो तो इस प्रतिवेदन के कब तक मिलने की आशा है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी, हां ।

(ख) 1970-71 और 1975-76 की मांगों का वर्गवार सविस्तार अनुमान लगाया गया है जबकि 1980-81 तक की मांग का मोटा अनुमान लगाया गया है। ये अनुमान कुल राष्ट्रीय

उत्पादन और दूसरे औद्योगिक लक्ष्यों में वृद्धि की दर के आधार पर लगाये गये हैं। आजकल राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद् की रिपोर्ट की जांच की जा रही है। राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद् ने अनुमान लगाया है कि न्यूनतम वृद्धि दर के आधार पर 1970-71 में मांग 7.125 मिलियन टन की होगी, 1975-76 में 10.512 मिलियन टन और 1980-81 में 15.375 मिलियन टन होगी। इसमें विवरण-सूची में उल्लिखित सामग्री शामिल है परन्तु निर्यात, जिसमें पर्याप्त वृद्धि हुई है, शामिल नहीं है। चतुर्थ योजना अवधि के अनुरूपी वर्षों के लिए अनुमान नहीं लगाये गये हैं।

(ग) चतुर्थ योजना अवधि अर्थात 1973-74 के लिए अभी अस्थायी अनुमान नहीं लगाये गए हैं। इन पर विचार किया जा रहा है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

देबड़ी में जिंक स्मैलटर

9008 : श्री वीरेन्द्र कुमार शाह : क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देबड़ी में जिंक स्मैलटर में प्रति दिन बनाए जाने वाले कम से कम 1000 टन सुपर फास्फेट का वितरण नहीं किया जा रहा है ;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं और वहां पर कुल कितना स्टाक जमा हो गया है ; और

(ग) इस जमा स्टाक को निकालने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ताकि यह जिंक स्मैलटर ठीक तरह से काम करता रहे ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख) जस्ता प्रद्रावक के सुपर फास्फेट संयंत्र की क्षमता प्रति वर्ष 78,000 मैट्रिक टन या प्रति मास 6,500 मैट्रिक टन की है। 23 अप्रैल 1968, तक कुल उत्पादन 25,067 मैट्रिक टन था। 4,746 मैट्रिक टन की मात्रा क्रेताओं को प्रेषित की जा चुकी है और प्राप्त हुए आदेशों की पूर्ति के लिये और प्रेषणों का प्रबन्ध किया जा रहा है।

(ग) अन्यों के साथ, राजस्थान और मध्य प्रदेश की राज्य सरकारों को जस्ता प्रद्रावक से सुपर फास्फेट की प्रदाय प्राप्त करने के लिये कहा गया है। अभी तक निम्नलिखित आर्डर प्राप्त हुए हैं:—

1—राजस्थान क्रय-विक्रय संघ।	प्रतिवर्ष 10,000 मैट्रिक टन के लिये, जिस में से 7,305 मैट्रिक टन जून 1968 तक प्रदाय किया जाना है।
2— हरयाणा सहकारी विषणन संघ।	प्रति मास 500 मैट्रिक टन की दर से 6,000 मैट्रिक टन के लिये।
3— मध्य प्रदेश सहकारी विषणन संघ	25,000 मैट्रिक टन के लिये, जिस में से 8,500 मैट्रिक टन मई/जून 1968 में और बाकी मार्च 1969 तक प्रदाय किया जाना है।

सुपर फास्फेट के संचलन के लिये रेलवे मन्त्रालय से वैगनों के नियतन के लिये कहा गया है। रेल विभाग ने प्रतिदिन 25 से 30 वैगन देने की बात मान ली है। रेल विभाग को 40 वैगन प्रतिदिन देने के लिये प्रार्थना की गई है।

मैसर्स प्रैसटोलाइट आफ इंडिया लिमिटेड

9009. श्री जार्ज फरनेन्डीज : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसर्स प्रैसटोलाइट आफ इंडिया लिमिटेड की अधिकृत स्वीकृत तथा प्रदत्त पूंजी कितनी-कितनी है ; और

(ख) इस कम्पनी द्वारा बैंकों से ऋण के रूप को कितनी राशि प्राप्त हुई है तथा ये ऋण किन शर्तों पर लिये गये हैं ;

(ग) इस कम्पनी के पास गैर सरकारी-जमाकर्ताओं की कितनी राशि जमा है ;

(घ) इस कम्पनी ने उत्पादन आरम्भ होने से अब प्रति वर्ष इसकी वार्षिक बिक्री तथा लाभ कितना है ; और

(ङ) क्या सरकार को इस कम्पनी द्वारा जमाकर्ताओं को उनकी जमाराशि तथा ब्याज के वापस नहीं किये जाने के बारे में शिकायतें मिली हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरूद्दीन अली अहमद) :

(क)	अधिकृत पूंजी	1, 00, 00, 000, रुपये
	अभिदत्त पूंजी	38, 16, 470 रुपये
	प्रदत्त पूंजी	38, 12, 595 रुपये
(ख)	हरियाना फाइनेंसियल कारपोरेशन से ऋण	16, 70, 000 रुपये
	अनुसूचित बैंकों से ऋण तथा अग्रिम धन	58, 79, 638 रुपये

(शर्तें, जिनके अन्तर्गत बैंकों से ऋण प्राप्त किये गये हैं, प्राप्त नहीं है)

जमा	21,56,900 रुपये

नोट:— ऊपर दिये गये आंकड़े 31-12-1966 तक के है। 31-12-1967 तक का वार्षिक लेखा अभीदेय नहीं हैं।

(घ)	वर्ष	बिक्री	शुद्ध लाभ / हानि (+) (−)	
	1964	10,39,231 रुपये	(−)	2,21,086 रुपये
	1965	54,51,834 रुपये	(+)	4,21,236 रुपये
	1966	74,83,619 रुपये	(+)	79,438 रुपये

(ङ) 1500 रुपयों के सावधि निक्षेप, जो 6 अप्रेल, 1968 को परिपक्व था, के वापिस न करने का आरोप लगाते हुए, हाल में एक शिकायत प्राप्त हुई थी।

मेसर्स प्रेस्टोलाईट आफ इंडिया लिमिटेड

9010. श्री जार्ज फरनेन्डीज : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत मैसर्स प्रेस्टोलाइट आफ इंडिया को कारखाना लगाने के लिए कब लाइसेंस दिया गया था और किन शर्तों पर ;

(ख) क्या यह सच है कि प्रस्टोलाइट आफ इंडिया लिमिटेड के प्रबन्धक निदेशक श्री इन्द्र सिंह ने 10 लाख रुपये के मूल्य के तैयार माल के आयात के लिये मुख्य'तदर्थ' आयात लाइसेंस हेतु आयात नियंत्रक को आवेदन पत्र दिया गया था ;

(ग) यह आवेदनपत्र देते समय क्या कारण बताये गये थे और इस आवेदन-पत्र को किन कारणों से अस्वीकार किया गया था ; और

(घ) क्या ऐसे ही अथवा अन्य आधारों पर बाद में कोई आवेदन पत्र दिये गये थे और यदि हाँ, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरूद्दीन अली अहमद) : (क) मैसर्स प्रैस्टोलाइट आफ इण्डिया लिमिटेड नई दिल्ली को उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम 1951 के अधीन दो लाइसैंस दिये गये थे जिनका विवरण इस प्रकार है:

1. मोटर गाड़ियों के बिजली के हिस्से-पुर्ज़े जैसे कण्डॅन्सर, रॅगूलेटर, हार्न रिलेज, सोलेनोइडस (यह दो पुर्जे अब निकाल दिये गए हैं) एस० पी० क्लीनर्स, राटर्स कैप्स, कण्टेक्ट पाट्‌टण्ट्स, कौहल्स (इग्निशन) हार्न में लैम्पस, बैटरी केबल्स (केवल एण्ड फिटिंग्स), इग्निशन केबल्स (केवल एण्ड फिटिंग्स) और गवर्नंस आदि बनाने के उद्देश्य से फरीदाबाद में एक नया कारखाना लगाने के लिए दिनांक 6 अप्रैल, 1962 का संख्या एल० / 7 (5) / 12 / 62 / ए० ई० आई

(1) फरीदाबाद स्थित उनके मौजूदा कारखाने में विण्डस्क्रीन वाइपर असेम्बली और (डिस्ट्रीब्यूटर असेम्बरी आदि 'नयी वस्तुएं' बनाने के लिए दिनाँक 31 अक्टूबर, 1963 का संख्या एल० 7 (5) / 56 / 63 ए० ई० आई० ।

ये लाइसेंस उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम 1951 के अधीन दिये जाने वाले लाइसेंसों की निर्धारित शर्तों के अधीन दिये गये थे । औद्योगिक लाइसेंस की एक शर्त के अनुसार कच्चे माल के आयात का नियमन समय समय पर लागू सामान्य नीति के अधीन विदेशी मुद्रा संबंधि स्थिति तथा अन्य परिस्थितियों का ध्यान रखते हुए किया जायेगा ; यदि संबंधित औद्योगिक प्रतिष्ठान अथवा उसका कोई संबंद्ध सहयोगी लाइसेंस के अधीन आने वाली वस्तुओं के लिए अधिकृत आयातकर्ताओं के कोटे का लाइसेंस पाने के अधिकारी हों तो अधिष्ठित आयातकर्ताओं के उक्त कोटे का किस सीमा तक उपयोग किया जाए अथवा कच्चे माल के आयात के लिए काम में लाया जाये आदि प्रश्नों का प्रत्येक मामले के गुणावगुणों के आधार पर विचार किया जायेगा ।

(ख) से (घ) : श्री इन्दर सिंह ने फर्म के मैनेजिंग डाइरक्टर के रूप में 15 अक्टूबर, 1962 को मोटर गाड़ियों के बिजली के हिस्सों पुर्जों के आयात के लिए 5, लाख रु० (10 लाख रु० नहीं) के आयात लाइसेंस का आवेदन पत्र दिया यह आवेदन पत्र अधिष्ठित आयातकर्ताओं के लिए अपेक्षित पत्र पर इन तथ्यों के आधार पर तदर्थ लाइसेंस जारी किये जाने के लिए दिया गया था ।

सरकार ने इस फर्म को अमरीका की इलैक्ट्रिक आटोलाइट कम्पनी (जो अब एलट्रा कारपोरेशन के नाम से विख्यात है) के तकनीकी तथा वित्तीय सहयोग से मोटर गाड़ियों के

बिजली के पुर्जो का उत्पादन करने का लाइसेंस दिया गया था। सहयोग संबंधी करार पर हस्ताक्षर हो जाने के बाद ही अमेरिकन फर्म ने भारत में अपने एक मात्र वितरकों की व्यवस्था समाप्त करके प्रैस्टोलाइट आफ इण्डिया,को भारत में अपना एक मात्र वितरक नियुक्त कर दिया; इस लिए जिस आयात के लिए आवेदन किया जा रहा है उसके फलस्वरूप एक ओर जहाँ उनके उत्पादन कार्यक्रम में सहायता मिलेगी वही आयातित वस्तुओं के उचित और समान वितरण के फलस्वरूप बाजार में उनको ऐसे आवश्यक सम्पर्क स्थापित करने का मौका मिल जायेगा जिनको वे अपने कारखाने से उत्पादन आरम्भ होने पर देशी माल सन्तोषप्रद तरीके से बेच सकेंगे।

आयात तथा निर्यात महानियंत्रक ने यह आवेदन-पत्र 1-1-1963 को आगे बताये गये आधार पर अस्वीकार कर दिया:—

1. तकनीकी विकास विभाग ने आयात की अनिवार्यता प्रमाणित नहीं की है।

2. वर्तमान नीति के अनुसार इस प्रकार के तदर्थ लाइसेंस देने की कोई व्यवस्था नहीं है।

इन फर्म ने उक्त निर्णय के विरूद्ध अभ्यावेदन किया था। इसके बाद जिन वस्तुओं के उत्पादन का लाइसेंस उस फर्म को मिला हुआ था उनके उत्पादन के लिए हिस्सों-पुर्जों और कच्चे माल का आयात करने के लिए सन् 1963-64 में उसने चार आयात आवेदन पत्र और दिये। तकनीकी विकास महानिदेशालय ने फर्म द्वारा दिये गये अभ्यावेदन के आधार पर इन आवेदन पत्रों पर विचार करके फर्म को हिस्सों पुर्जों और कच्चे माल का आयात करने के लिए 20 लाख रु० का लाइसेंस इस शर्त पर देने की सिफारिश की कि लाइसेंस में दी गई वस्तुओं का पूर्णतः असंयोजित (सी० के० डी०) हालत में आयात करने के लिए 5 लाख रु० से अधिक का उपभोग नहीं किया जायेगा तदनुसार आयात तथा निर्यात मुख्य नियंत्रक के कार्यालय ने 5 सितम्बर, 1963 को इस फर्म को 20 लाख रु० का लाइसेंस दे दिया।

Export of Railway Wagons and Equipment

9011 Shri Nihal Singh: Will the Minister of **Commerce** be plesed to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1849 on the 27th February, 1968 and state;

(a) the names and locations of the concerns who exported Railway wagons and other Railway equipments and the number thereof in public and private sectors, respectively;

(b) the dates on which orders were placed on these firms or companies by the foreign countries and the reasons for not supplying the goods completely in time: and

(c) whether Government have received complaints about those companies or firms having supplied inferior quality of goods and having committed other irregularities and if so, the details thereof ?

The Minister of Commerce (Shri Dinesh Singh): (a) and (b) The information is not available as official statistics are maintained commodity-wise and not exporter-wise. Commodity statistics were already provided through answer to question No. 18+9 on 27. 2. 1968.

(c) There have been a few cases of complaints and they are being dealt with according to the merits of each case and in accordance with the provisions under the rules.

Manufacture of Battery Celles in Hyderabad

9012: Shri Nihal Singh: Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 3750 on the 12th March, 1968 and state:

(a) the names of firms collaborating in setting up of factories for manufacturing battery cells in Hyderabad and Allahabad, the capital outlay thereof and when they would start their work;

(b) the name of factory where there had been a strike and a lock-out and the cause of the strike; and

(c) the priod for which the strike lasted in this unit and the loss of life and property caused thereby ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : (a) There is no foreign collaboration for the Hydrabad factory. For the Allahabad factory technical know-how has been furnished by M/S. Vidor Ltd. & M/S. Burndept Ltd., U. K. The capital outlay as given by the Companies are Rs. 46,77,000 for the Hydrabad factory and Re. 57,00,000 for the Allahabad factory. The Hydrabad factory has already commenced trail production and the Allahabad factory is expected to go into production by June of this year.

(b) There was no strike or lock out in any of the above factories.

(c) Does not arise.

Burhanpur Railway Station

9013. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there is neither a Restaurant nor a Book Stall at Burhanpur Railway Station (Madhya Pradesh) in spite of the industrial and historical importance of the town;

(b) whether Government propose to provide a Restaurant and Book Stall at that station; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha ; (a) to (c). Neither a Restaurant nor a Book Stall has been provided at Burhanpur Railway Station. A Tea Stall is, however in existence where tea, coffee, sweet meat, fruits and edibles, such as puri, bhaji. etc. are sold. This Tea Stall, along with the Refreshment Room provided at Bhusaval and Khandwa stations, which are 54 Kms. and 69 Kms. respectively on either side of Burhanpur adequately meets the food requirements of passengers travelling on the section.

On receipt of request in 1964 for opening a Book Stall at this station, permission was granted but the party did not open the Book Stall. Apparently there is not much demand for books at this station and there is no justification for a book stall.

Asistance to Burhanpur Tapti Mills

9014. Shri G. C. Dixit : Will the minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether Government have given any financial assistance in the shape of loan to the Burhanpur Tapti Mill Limited, Madhya Pradesh from the year 1962 to March, 1968;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether the full amount of the loan has been utilised by the Mill; and

(d) if not the unspent amount and when it is likely to be utilised ?

The Minister of Commerce (Shri Dinesh Singh) : (a) to (d) During the year 1963, the National Industrial Development Corporation Sanctioned a loan of Rs. 34.62 lakhs to this Mill for rehabilitation and modernisation of the plant and machinery, out of which Rs. 31.82 lakhs have so far been drawn and fully utilised. The balance is likely to be utilised as soon as the other machinery is received.

Besides, the Madhya Pradesh Government granted a loan of Rs. 10 lakhs through the Madhya Pradesh Financial Corporation. This amount too has been fully utilised.

Ludhiana Railway Station

9015. **Shri Yajna Datt Sharma :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Government have recently received any representation for the opening of a Booking-cum-Reservation window on the Western side of the Ludhiana Railway Station near the over-bridge at the Railway Station.

(b) whether similar representations were made by the public earlier also;

(c) if so, the steps taken for the opening of the Booking-cum-Reservation window on the Western side of the station;

(c) if not, the reasons there for ?

The Minister of Railway (Shri C. M. Poonacha) : (a) and (b) : Yes,

(c) and (d) : The proposal to open a Booking-cum-Reservation window on the Western side of the Ludhiana station was examined on receipt of a representation in 1965 but in view of the poor traffic anticipated, the proposal was not found feasible. However, the matter is being reviewed.

Public Sector Undertakings in M. P.

9016. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state :

(a) the total number of Public Sector Undertakings and Industrial institutions in Madhya Pradesh and places where these are situated; and

(b) the number and names of the undertakings under the management of Birla Bre'hers in Madhya Pradesh ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : (a) the total number of Industrial or Commercial Public Sector Undertakings registered under the Companies Act, and situated in Madhya Predesh is six. There names and the places where they are situated along with the information about the nature of activity of each company are set out in statement I attached. **[Placed in Library. See No. LT-1100/68]**

(b) there are thirteen companies in the private sector located in Madhya Pradesh which are under the management control of Birlas. The details are given in statement II attached, **[Placed in Library. See No. LT-1100/68]**

दिल्ली के निकट पुराने रेल के डिब्बों को जंग लगना

9017. **श्री बाबूराव पटेल :** क्या **रेलवे** मन्त्री 27 फरवरी, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2029 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के किसी अन्य स्थान पर भी रेल के पुराने डिब्बों को जंग लग रहा है;

(ख) ऐसी गाड़ियों को किसी कारखाने में क्यों नहीं भेजा जाता जिससे इनकी धातु का उपयोग किया जा सके अथवा इनको कबाड़ के रूप में बेचा जा सके; और

(ग) क्या यह सच है कि गाड़ी के चारों ओर एकत्रित हुआ कूड़ा तथा खाद उसके निकट रहने वाली जनता के स्वास्थ्य के लिये एक कठिन समस्या बना हुआ है और यदि हाँ, तो सरकार ने वातावरण को दूषित होने से बचाने के बारे में क्या कार्यवाही की है ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) सवाल नहीं उठते ।

Mail/Express Trains Between Delhi and Bombay

9018. Shri Shiv Charan Lal : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of Mail/Express trains running between Delhi and Bombay via Agra since 1947;

(b) the increase in the number of passengers since 1947;

(c) the Class-wise income derived by these trains;

(d) whether accomodation for passengers in these trains has been increased and if so, the detailes thereof; and

(e) the number of trains increased between Delhi and Madras since 1947, the number of trains running between Delhi and Madras now and before 1947 ?

The Minister of Railways (Shri C. M Poonacha) : (a) One pair of Mail and one pair of Express trains,

(b) and (c) Statistics of the number of passengers travelling by Mail/Express trains and income derived from them class-wise, are not maintained separately for the Bombay-Delhi or any other Sections. The information required is, therefore, not available.

(d) Yes, the cumulative increase by these trains put together has been three bogies between Bombay and Jhansi and one bogie between Bhopal and New Delhi with effect from 1-2-1968.

(e) As against one pair of trains between New Delhi and Madras prior to 1947 there are at present two pairs of direct trains (G. T. Express and Janta Express) linking these point. while the third pair (Dakshin Express) has a part running between New Delhi and Hyderabad and the other part running between New Delhi and Madras.

Thefts Of Railway Property

9019. Shri Shiv Charan Lal : Will the Minister of **Railways** be pleased to state the value of Railway property and component parts of trains stolen during the year 1967-68 ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : Rs. 38.32 lakhs approximately. (Figure relates to period from 1-4-67 to 29-2-68.)

Loss on Running of Departmental Restaurants and Dinning Cars

9020. Shri Shiv Charan Lal : Will the Minister of **Railways** be pleased to state ;

(a) whether there was a loss to the Railways on the departmental restaurants and dinning cars during the year 1967-68;

(b) if so the income accrued from the Departmental Restaurants and Dinning Cars in 1967-68 and the expenditure incurred thereon during the above period; and

(c) the expected loss/gain during the year 1968-69 ?

The Minister of Railways (Shri C.M. Poonacha) : (a) and (b) Audited figures of Profit and Loss account of departmental catering units for the year 1967-68 are not yet available. However, according to revised estimates for 1967-68, the income from all departmental catering establishments is expected to be Rs. 6,28,60,000 as against an expenditure of Rs. 6,25,91,000 thereby leaving a profit of Rs. 2,69,000. Separate figures of sales, expenditure and profit/loss in respect of restaurants and dinning cars only are not available.

(c) According to the Budget estimates for 1968-69, departmental catering is expected to yield a profit of Rs. 51,000.

दिल्ली में रेलवे कर्मचारियों द्वारा प्रदर्शन

9021. श्री सूरज भान : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 28 मार्च, 1968 को लगभग 5000 रेलवे कर्मचारियों ने दिल्ली में प्रदर्शन किया था,

(ख) क्या रेलवे कर्मचारियों के नेताओं ने कोई मांग-पत्र दिया था, और

(ग) यदि हाँ, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी हाँ कुछ कर्मचारियों द्वारा ।

(ख) जी हां ।

(ग) सरकार द्वारा कर्मचारियों की मांगों की जांच की गयी है लेकिन उनमें से किसी को स्वीकार करने का औचित्य नहीं पाया गया ।

मछलियों का निर्यात

9022. श्री म० ला० सौंधी : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्व के देशों में भारत का मछली का निर्यात तेजी से बंद हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, तथा इन देशों में मछली का पुनः निर्यात हो इसके लिये क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) विभिन्न किस्मों की मछलियों का गत पाँच वर्षों में किन-किन देशों को कितनी-कितनी मात्रा में निर्यात किया गया ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) और (ख) : पूर्व के देशों को मछली के निर्यात में अधिकाँश सूखी मछली झींगा मछलियां होती हैं। बर्मा की सरकार भारत से सूखी झींगा मछलियों के आयात में उत्तरोत्तर कमी कर रही थी और अप्रैल, 1966 से उसने आयात पूर्णतः बंद कर दिये हैं । श्रीलंका की सरकार द्वारा श्रीलंका में केन्द्रीकृत आयातक अभिकरण की स्थापना किये जाने से और जिस किस्म की मछलियों की वहां मांग है उनको पकड़ने में कमी आने के फलस्वरूप श्रीलंका को निर्यात में मामूली गिरावट आई है । जापान तथा हांगकांग को निर्यात लगभग पूर्ववत ही रहे हैं । झींगा मछलियों की काफी मात्रा जो पहले सुखाने के काम आती थी अब निर्यात के लाभ प्राप्त करने के लिये डिब्बों में बंद करने तथा जमाने के काम में लाई जाई जा रही है ।

(ग) वर्ष 1963-64 से 1967-68 (जन० 1968 तक) के निर्यातों का एक विवरण (अंग्रेजी में) संलग्न है । **(पुस्तकालय में रखा गया : देखिये संख्या एल० टी० 1101/68)**

Fire in Compartment of Kotah-Bina Train

9023. Shri Jamna Lal : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a fire broke out in a Third Class compartment of Kota-Bina train due to short circuit on the 30th March, 1968;

(b) whether it is also a fact that the bogies attached to this train had outlived their prescribed life; and

(c) if so, how old were the batteries fitted in these bogies and the steps proposed to be taken by Government to provide new batteries and bogies ?

The Minister of Railways (Shri C.M.Poonacha) : (a) On 30.3.1968 fire was noticed in the roof of a third class coach of train No. 92 Up Kota-Bina Passenger at Digod station. The fire was put out immediately. The cause of the fire is under investigation.

(b) No.

(c) The batteries which were commissioned in 1966 are due to be replaced only in 1970. The coach was not overaged and as such the question of its replacement does not arise.

हीरों का आयात

9024. श्री जार्ज फरनेन्डीज : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में प्रति वर्ष कुल कितने मूल्य के हीरों का आयात किया जाता है और इस कार्य के लिये कितनी फर्मों को लाइसेंस दिये गये हैं ;

(ख) देश में ऐसे एककों की संख्या कितनी है जो आयात किये जाने वाले अपरिष्कृत हीरों को तैयार करते हैं ;

(ग) क्या सरकार का विचार अपरिष्कृत हीरों के आयात का काम एकमात्र धातु तथा खनिज व्यापार निगम को सौंपने का है ; और

(घ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) और (ख) : पिछले तीन वर्षों में हीरों के आयात निम्न प्रकार रहे :

मूल्य '000' रु० में

ब्यौरा	1965-66	1966-67	1967-68 (अप्रैल-दिसम्बर)
1. औद्योगिक हीरे (बोर्ट सहित)	1861	7987	9821
2. हीरे (औद्योगिक हीरों को छोड़कर) बिना जड़े अथवा गूंथे हुए :	——	——	——
(1) तराशे हुए	1041	182	987
(2) बिना तराशे हुए	955	13875	22420
योग :	1996	14057	23407
महायोग :	3857	21954	33228

हीरा उद्योग एक कुटीर उद्योग है और इनका कार्य कारीगरों द्वारा अधिकांशतः घरों में ही किया जाता है । उद्योग का कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) वर्तमान स्थिति में सरकार इसे आवश्यक नहीं समझती ।

नये औद्योगिक एककों को लाईसेंस देना

9025. श्री मुहम्मद इमाम **श्री मत्तुस्वामी** :

श्री गाडिलिंगन गौड़ :

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बतानेकी कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्य सरकारों के मन्त्रियों ने हाल ही में केन्द्र से अनुरोध किया है कि

नये औद्योगिक एककों को लाइसेंस देने के बारे में व्यावहारिक तथा उदार दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिये ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) नये उद्योगों के लाइसेंस देने के सम्बन्ध में आम तौर पर व्यावहारिक तथा उदार दृष्टिकोण अपनाये जाने के लिये राज्य सरकारों की ओर से कोई औपचारिक अनुरोध तो नहीं प्राप्त हुआ है परन्तु मैसूर के वित्त मंत्री ने 18 अप्रैल, 1968 को बंगलौर में औषध तथा भेषज संबन्धी पुनर्गठित विकास परिषद् की छठवीं बैठक का उद्घाटन करते समय इस सम्बन्ध में जो वक्तव्य दिया था उसको समाचार पत्रों में छपी खबरें सरकार की निगाह में आई हैं ।

(ख) सरकार लाइसेंस देने की प्रक्रिया पर समय समय पर पुनर्विचार करती रहती है और यह प्रक्रिय विभिन्न दिशाओं में सुप्रवाही और उदार भी बतायी जा चुकी है । कुछ विशिष्ट उद्योगों को छोड़कर २५ लाख रु० तक की स्थिर पूंजी तक के तमाम उद्योगों को उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियमन के अधीन लाइसेंस प्राप्त करने के अनुबंधन से छूट दे दी गई है । ऐसे कुछ उद्योगों को तो इस अधिनियम के अधीन लाइसेंस प्राप्त करने की शर्त से पूरी तरह मुक्ति दे दी गयी है जिनके लिए बड़ी मात्रा में पुर्जों-हिस्सों अथवा कच्चे माल का आयात नहीं करना पड़ता । साथ ही सरकार ने मौजूदा उद्योगों को यह छूट भी दे रखी है कि वे बिना लाइसेंस प्राप्त किये अपने कुल उत्पादन के 25 प्रतिशत तक विविधता ला सकते हैं और कुछ शर्तें पूरी करने के बाद अपनी पंजीकृत । लाइसेंस प्राप्त उत्पादन क्षमता के 25 प्रतिशत तक अपना उत्पादन भी बढ़ा सकते हैं । इस समय औद्योगिक लाइसेंस नीति जांच समिति लाइसेंस देने की नीति तथा प्रक्रिया पर पुनर्विचार कर रहीं है । इस समिति की रिपोर्ट प्राप्त हो जाने के बाद ही यह निर्णय किया जा सकेगा कि औद्योगिक लाइसेंस देने की प्रक्रिया में आगे और परिवर्तन किया जाये अथवा नहीं ।

Ticketless Travel

9026: Shri Baswant : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether any drive to check ticketless travel on Suburban Railway, Bombay of the Central Railway has been started from the 1st March, 1968;

(b) whether any special orders were issued by the Railway Board in this regard;

(c) the total number of ticketless travellers caught in March, 1968 and the number of third class and first class passengers out of them and the total amount realised from them;

(d) the number of staff members in this drive; and

(e) the total amount realised from ticketless travellers in March each year for the last five years ?

The Minister of Railways (Shri C.M. Poonacha) : (a) and (b) ; Although no special drive has been started by the Central Railway on the Bombay suburban sections from 1.3.68, all Railways including the Central Railway have standing instructions to conduct vigorous checks against ticketless travel frequently on all sections of the Railways including suburban sections.

(c) ; The total number of cases of ticketless and irregular travel on Suburban Section of Central Railway during March 1968 and amounts realised from them are as under :

	Cases	Amount
I class	4,188	Rs. 7,077

III class	28,684	Rs.	38,021
Total ;	32,872	Rs.	45,098

(d) Does not arise in view of reply to (a) and (b) above.

(e) Amounts realised on ticketless travel during last five years on Suburban Section of Central Railway for the month of March are as under ;

Year	Amount
March 1964	Rs. 33,311
March 1965	Rs. 32,709
March 1966	Rs. 38,179
March 1967	Rs. 40,080
March 1968	Rs. 45,098

Diva-Dahanu Link Railway

9027. Shri Baswant : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the question of a Link Railway on the Central-Western Railways of Bombay Division is under consideration;

(b) if so, whether it is proposed to undertake a survey for Diva-Dahanu Link Railway;

(c) whether it is also a fact that this Link-Railway would help in diversifying the industrially developed area; and

(d) when the survey work is likely to be taken in hand ?

The Minister of Railways (C.M. Poonacha) : (a) to (d) : A proposal for an additional rail link between Central and Western Railways is under consideration. Reconnaissance Enginneering and Traffic Surveys for two alternative alignments, viz. Mira Road-Diva and Virar-Diva, were undertaken sometime back and are in progress. In addition, it is proposed to undertake shortly surveys for another alternative alignment, viz. Diva-Vangaon. This rail link, when constructed, will, interalia, facilitate movement of goods and passenger traffic from the Central Railway to the Western, and vice versa. Actual construction of the line is however dependant upon the results of the surveys mentioned above and the availability of funds.

Kalyan Railway Station

9028. Shri Baswant : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) when the building of Kalyan Station of Bombay Division of Central Railway (including Station Master's Room and First Class Waiting Room) was built;

(b) the average daily traffic on that station at that time and at present;

(c) whether it is a fact that it was decided to rebuild Railway Station three years ago and if so, the estimated expenditure proposed to be incurred thereon; and

(d) when the work is likely to be completed ?

The Minister of Railways (Shri C.M. Poonacha) : (a) The main line station building on island platform No. 3 & 4 was constructed in the year 1916. This consists of Station Master's and Assistant Station Master's Office, Telegraph Office, Ticket Collector's Room, Parcel and Enquiries Office, First and Second Class Gents and Ladies Waiting Rooms, Third Class Waiting Room(General), Railway Protection Force Inspector's Office and Refreshment Rooms. The Third Class Waiting Hall with Booking Office towards the city side constructed in the year 1927 was dismantled and a new Third Class Waiting Hall with Booking facilities provided in the year 1960 under the major scheme of Amenites to Passengers at Kalyan.

(b) Records showing the average daily traffic of the year 1916 are not available. The volume of present passenger traffic is as under:—

(i)	Daily average number of passengers booked	11745
(ii)	Maximum number of passenger dealt with at any one time	1725

The figures mentioned above are for both suburban and main line traffic.

(c) No. Only the work of 'Kalyan Passenger yard provision of an additional platform for suburban trains and other minor alterations, was approved and is in progress. It does not include rebuilding of Kalyan Station building.

(d) Does not arise in view of reply to part (c) above.

बिड़ला उद्योग समूह को लाइसेंस जारी किया जाना

9029. श्री क० लकप्पा : क्या **औद्योगिक निकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1967 से अब तक बिड़ला उद्योग समूह द्वारा औद्योगिक लाइसेंसों के लिए दिये गये कितने आवेदन पत्र अस्वीकार किये गये हैं ;

(ख) सरकार ने इन आवेदन पत्रों को किन कारणों से अस्वीकार किया है ; और

(ग) क्या सरकार ने बिड़ला उद्योग समूह को औद्योगिक लाइसेंस देने पर प्रतिबन्ध लगाने का निर्णय किया है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और वह सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

मैसूर में खनिजों के निक्षेप

9030. श्री क० लकप्पा : क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खनिजों और अयस्कों के निक्षेपों का पता लगाने के लिये मैसूर राज्य में कोई सर्वेक्षण किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) मैसूर राज्य में खनिजों की खोज का क्या कार्यक्रम है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख) हां, महोदय ! भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण संख्या ने खनिज साधनों के प्रारम्भिक निर्धारण के लिये चित्रदुर्ग, हरसन, मैसूर, माण्डया, उत्तर कनारा, दक्षिणी कनारा, शिमोगा, रायचूर और गुलबर्गा जिलों का । : 63, 360 और 1:126, 720 मापों पर व्यवस्थित भू-वैज्ञानिक मानचित्रण किया है । 1961 से अब तक लगभग 25,000 वर्ग किलोमीटर के कुल क्षेत्र में मानचित्रण किया है । प्रादेशिक निर्धारण के उद्देश्य से बौक्साइट के लिये बेलगाम जिले में ; सोने के लिये रायचूर जिले के हुट्टी क्षेत्र में, तुमकुर जिले के बेल्लारा क्षेत्र में, धारवार जिले के गड़ग क्षेत्र में, तांबे के लिये हस्सन जिले के कल्यादि क्षेत्र में और चित्रदुर्ग जिले के कांचीगनहालू तथा निकटवर्ती क्षेत्रों में, गुलबर्गा जिले के तिनथिनी क्षेत्र में, मैसूर जिले के कौल्लेगल क्षेत्र में और उत्तर कनारा जिले के कायगा

क्षेत्र में; पूलवस श्रेणी के चूना-पत्थर के लिये बीजापुर जिले के बागलकोट क्षेत्र में, बेलगाम जिले के यादवद क्षेत्र में और गुलबर्गा जिले के सरम तथा चित्रापुर क्षेत्रों में अन्वेषण कार्य किये गये हैं। इसके अतिरिक्त, चिकमागलूर जिले की बाबाबूड़न पहाड़ियों में और बैल्लारी जिले के दोनिमलाई और रमणदुर्ग क्षेत्रों में लोह अयस्क की प्राप्यता को सिद्ध करने के कार्य भी भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण संस्था द्वारा किये गये हैं।

(ग) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा ऐस्बेस्टास, सोना, तांबा, सीसा, लोहा तथा मैंगनीज अयस्क, चूना पत्थर, बौक्साइट और क्रोमाइट के लिये अगला कार्य उनके भावी कार्यक्रमों के अन्तर्गत किया जाना प्रस्तावित है।

हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड

9031. श्री चित्तिबाबू : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्व बैंक के दो सदस्यों ने हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड द्वारा अपेक्षित सामान का आयात करने के लिये विश्व बैंक द्वारा दी जाने वाली सहायता के बारे में सरकार के साथ बातचीत की है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

राष्ट्रीय सहकार समिति

9032. श्री चित्तिबाबू : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन के साथ सहयोग के लिए एक राष्ट्रीय समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो इस समिति के सदस्य कौन-कौन हैं; और

(ग) इस समिति के कार्य क्या होंगे ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) : ब्यौरा औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्रालय (औद्यगिक विकास विभाग) के दिनांक 29 मार्च, 1968 के संकल्प संख्या आई० पी० एण्ड एफ० सी०-12 (10)। 68 में दिया हुआ है जिसकी प्रति अंग्रेजी उत्तर के साथ संलग्न है। **(पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1102/68)**

खनिज निक्षेपों का वायु-चुम्बकीय सर्वेक्षण

9033. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में रूसी सहायता से तथा संयुक्त राष्ट्र विकास निधि की सहायता से खनिज निक्षेपों का वायु-चुम्बकीय सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं और सर्वेक्षण क्षेत्र कितना था;

(ग) क्या उड़ीसा सरकार ने ऐसे सर्वेक्षण संयुक्त राष्ट्र विकास निधि द्वारा कराने की वरीयता दर्शायी है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

इस्पात, खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) से (घ) नहीं, महोदय। चुने हुए क्षेत्रों में खनिज निक्षेपों का वायु-चुम्बकीय सर्वेक्षण रूसी सहायता से किये जाने का एक प्रस्ताव विचाराधीन है। इस सर्वेक्षण के अन्तर्गत दण्डकारण्य और सम्बलपुर-बोलनगीर क्षेत्र आयेंगे।

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की सहायता से उड़ीसा के कुछ क्षेत्रों में, अन्य बातों के साथ-साथ, हवाई भूभौतिकी सर्वेक्षण का एक प्रस्ताव उड़ीसा सरकार से प्राप्त हुआ था। उड़ीसा सरकार को सलाह दी गयी है कि इस से पूर्व कि प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत सहायता के लिये भेजे जायें, वे सयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञ की हाल ही में राज्य सरकार के साथ हुई बातचीत को ध्यान में रखते हुए अपने प्रस्तावों का परिशोधन करलें।

औद्योगिक बस्तियों के विकास के लिये राज्यों को ऋण

9034. श्री क० प्र० सिंह देव : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार नगरीय क्षेत्रों में औद्योगिक बस्तियों के विकास के लिये कुछ राज्यों को ऋण देने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस प्रयोजन के लिये इस योजना में उड़ीसा राज्य के लिये ऋण की कोई व्यवस्था की है;

(ग) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, हां। भारत सरकार राज्य सरकारों को ग्रामीण तथा उपनगरीय क्षेत्रों की औद्योगिक बस्तियों में रोडों के निर्माण तथा नगरीय क्षेत्रों में औद्योगिक बस्तियों के विकास के लिए ऋण प्रदान करती है।

(ख) और (ग) : उड़ीसा राज्य सरकार को वर्ष 1967-68 के लिए उपरोक्त योजनाओं के लिए मार्च 1968 में 11·51 लाख रुपये की राशि अस्थायी रूप से अदा की गयी थी। इसी प्रकार 1968-69 के लिए भी उस राज्य सरकार द्वारा वास्तविक खर्च के आधार पर उपयुक्त राशि दी जायगी।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

हावड़ा दिल्ली डी-लक्स गाड़ी

9035. **श्री समर गुह** : क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हावड़ा-दिल्ली डी-लक्स गाड़ी प्राय: देर से चलती हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार हावड़ा-दिल्ली डी-लक्स गाड़ी के समय में पुन: परिवर्तन करने का है जिससे यह प्राय: दस बजे से पहले दिल्ली पहुंच जाये ताकि संसद् सदस्य और सरकारी कर्मचारी अपने अपने काम पर समय पर पहुंच सकें ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) फरवरी. 1968 से 27 अप्रैल, 1968 तक की अवधि में यह गाड़ी कुल 37 दिन चली जिनमें से 20 दिन यह गाड़ी नयी दिल्ली ठीक समय पर पहुंची, 4 दिन 15 मिनट तक देर से पहुंची जबकि बाकी 13 दिन यह 15 मिनट से अधिक देर से पहुंचती रही।

(ख) इस गाड़ी के देर से चलने के कई कारण हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ तांबे के तारों की चोरी के कारण संचार व्यवस्था में खराबी, उपस्करों की खराबी, दुर्घटनाएं आदि शामिल हैं।

(ग) जी नहीं।

खनिज पदार्थों के नये स्त्रोतों की खोज

9036. **श्री समर गुह** : क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को खनिज पदार्थों के नये स्त्रोतों के पता लगने के सम्बन्ध में भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग का प्रतिवेदन (1967-68) प्राप्त हो गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या खनिज पदार्थों के नये स्रोतों का पता लगा है;

(ग) यदि हां, तो वे खनिज पदार्थ कौन-कौन से हैं, उनकी अनुमानित मात्रा कितनी है तथा उन धातुओं को शीघ्र निकालने की कितनी सम्भावना है; और

(घ) हाल में जिन खनिज पदार्थों के स्रोतों का पता लगा है उनको निकालने का काम सरकार कब आरम्भ करेगी ?

इस्पात, खान तथा धात मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) से (ग) भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण संस्था के क्षेत्र-कार्य मौसम 1967-68 का कार्यक्रम अक्टूबर 1967 से आरम्भ हुआ था और यह सितम्बर 1968 में समाप्त होगा। 1967-68 के क्षेत्र-कार्य मौसम के दौरान किये गये अन्वेषणों सम्बन्धी रिपोर्टें भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण संस्था के अधिकारियों के क्षेत्रों से वापस आने के पश्चात् और अन्वेषणों के दौरान इकट्ठे किये गये नमूनों के शैलवैज्ञानिक, वैश्लेषिक और अन्य परीक्षण हो चुकने के पश्चात् प्राप्त होगी। तथापि, भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण संस्था द्वारा अब तक किये गए अन्वेषणों के परिणामस्वरूप, देश के विभिन्न भागों में आधार धातुओं, फास्फोराइट, चूना-पत्थर, कोयला तथा लोह-अयस्क के नये स्रोतों का पता लगाया गया है।

(घ) खनिजों की प्रत्याशंसाओं और उनके विकास के विषय पर, अन्वेषणों सम्बन्धी विस्तृत रिपोर्टों के उपलब्ध हो जाने के पश्चात् ही विचार किया जायेगा ।

Memorandum from Running Staff at Jhajba (E. Rly.)

9039. **Shri Ramavtar Shastri** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether the running staff of Jhajha and other places of Eastern Railway; submitted a memorandum containing their difficulties and demands to the General Manager, Eastern Railway, Calcutta last year;

(b) whether in the absence of any reply from the General Manager, the employees again sent an appeal to him on the 19th December, 1967, sent a reminder on the 20th February, 1968 and a telegram to the Divisional Superintendent, Danapur on the 25th March, 1968;

(c) whether the running staff of Danapur Division have declined to officiate in higher grade posts since April 1, because no reply was received even to the said reminder and telegram;

(d) whether any obstruction has been caused in the movement of trains as a result thereof; and

(e) if so, whether Government propose to settle the issue by considering their demands sympathetically ?

The Minister of Railways (Shri C.M. Poonacha) : (a) to (e) Information has been called for from the Railway Administration concerned and will be laid on the Table of the Sabha as soon as it is received.

Lighting Arrangement in Trains on Patna-Gaya Section

9040. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there is no lighting arrangement at night in the trains running on Patna-Gaya section; resulting in thefts; and

(b) if so. the steps which Government propose to take to remove the complaints of the passengers ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) Lighting arrangement is provided on trains running on Patna-Gaya Section but there are a few failures mostly on account of thefts of the equipments and shortage of materials.

(b) Every effort is already being made to maintain the train lighting system in good condition and also reduce the thefts by adopting suitable measures for preventing thefts.

यालिविगी रेलवे दुर्घटना

9041. **श्री अगाड़ी** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 19 मार्च, 1958 को दक्षिण रेलवे में यालिविगी नामक स्थान पर जो रेल दुर्घटना हुई थी उसकी न्यायिक जांच बगलौर की बजाये हुबली में करवाने के लिये जनता द्वारा किये जा रहे आन्दोलन की जानकारी क्या सरकार को है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले में सरकार ने अन्तिम निर्णय कर लिया है ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी नहीं ।

(ख) सवाल नहीं उठता ।

भारत के पूर्वी क्षेत्र में नमक की बिक्री

9042. **श्री स० चं० सामन्त** : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वी प्रदेश में वितरण तथा बिक्री के लिए भारत के पश्चिमी तट से कलकत्ता को स्टीमरों द्वारा नमक लाया जाता है;

(ख) क्या यह भी सच है कि उसके बाद कलकत्ता से विभिन्न क्षेत्रों को बड़ी लाइन पर रेलवे वैगनों द्वारा नमक भेजा जाता है;

(ग) क्या मीटर गाज लाइन पर स्थित नमक बिक्री केन्द्रों को वहां से नमक ले जाने में बहुत कठिनाई होती है;

(घ) क्या मीटर गाज लाइनों के नमक व्यापारियों से कोई शिकायत मिली है; और

(ङ) यदि हां, तो क्या पश्चिमी तट से मीटर गाज लाइन द्वारा सीधे इन स्थानों को नमक सप्लाई किया जा सकता है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) पश्चिमी तट से नमक का लाना ले जाना क्षेत्रीय योजना के अन्तर्गत होता है जिसे नमक विभाग, रेलवे बोर्ड के परामर्श से निर्धारित करता है और कलकत्ता के समुद्र के रास्ते भेजा जाता है। क्षेत्रीय योजना के अन्तर्गत न आने वाला कुछ नमक रेल के द्वारा भी ले जाया जाता है।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) पश्चिमी तट से क्षेत्रीय योजना के अन्तर्गत आने वाले कुछ नमक को दरमियानी पटरी की रेलों द्वारा पूर्वी क्षेत्र के गन्तव्य स्थानों को ले जाने के आशय के कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ङ) जी, हां। सरकार की नीति पश्चिमी स्रोतों से क्षेत्रीय योजना के अन्तर्गत आने वाले नमक को पूर्वी क्षेत्र में गन्तव्य स्थानों तक समुद्र-रेल द्वारा कलकत्ता के रास्ते भेजने की है ताकि कलकत्ता कोयला लाने वाले पोतों के सौराष्ट्र से वापिस कलकत्ता जाने का भार मिल सके।

नेशनल इन्सट्रूमेंट लिमिटेड, कलकत्ता

9043. **श्री जुगल मंडल** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल इन्सट्रूमेंट लिमिटेड द्वारा निर्मित डाक्टरी थर्मामीटर की सम्पूर्ण एजेंसी एक गैर-सरकारी पक्ष को इसकी निर्माण लागत से कम दर पर दी गई है ? और

(ख) यदि हां, तो एजेन्सी किस दर पर दी गई है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और वह सभा-पटल पर रख दी जायगी।

नेशनल इन्सट्रूमेंट लिमिटेड, कलकत्ता

9944. **श्री जुगल मंडल** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल इन्सट्रूमेंट लिमिटेड, कलकत्ता द्वारा निर्मित मुख्य वस्तुयें लागत मूल्य से कम मूल्य पर बेची जाती है; और

(ख) क्या इस बात के बावजूद कि वहां 40 लाख रुपये का तैयार माल जमा हो गया है

उनका उत्पादन बन्द नहीं किया गया है और उसके फलस्वरूप वहां पूंजी रुक गई है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख) जानकारी इकट्ठी की जा रही हैं और वह सभा पटल पर रख दी जायगी।

Export of Leather and Leather Goods

9045. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state the estimated quantities of leather and leather goods to be exported during the year 1968-69 and the amount of foreign exchange likely to be earned thereby ?

The Minister of Commerce (Shri Dinesh Singh) : Quantities and value of exports of leather and leather goods estimated for 1968-69 as follows:—

	Quantity in million kg; (Value in U. S. million dollars)	
	Quantity	**Value**
1. Tannned hides and skins including E. I. tanned leather	18.8	60.00
2. Chrome tanned leather	9.2	26.60
3. Finished leather	2.8	13.30
4. Leather goods	0.5	0.70
	(Quantity in million pairi) (Value in U. S. million dollars)	
Leather footwear	9.1	16.00

Hira Mill Company (Public) Ltd. Ujjain

9046. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) the amount of loan given to the Hira Mill Company (Public) Limited, Ujjain by Government. Industrial Finance Corporation and the State Government after the appointment of the Controller;

(b) whether Government are aware that the mill is running at a loss even after the appointment of the controller;

(c) if so, whether an inquiry in the matter is contemplated;

(d) the total amount of loan due from the mill as in December, 1967; and

(e) whether it is a fact that the mill is likely to be closed down in the near future and if so, the action proposed to be taken by Government in this regard ?

The Minister of Commerce (Shri Dinesh Singh) : Since the mill was taken over under an Authorised Controller, the Madhya Pradesh Financial Corporation has advanced a loan of Rs. 20 lakhs to Hira Mills Ltd., Ujjain, on Madhya Pradesh Government's guarantee. National Industrial Development Corporation has also given a loan of Rs. 2,19,300 to the mill, Central Government have not given any loan/financial assistance to the mill.

(b) Yes, Sir.

(c) The textile industry in general has been facing difficulties which have affected the profitability particularly of weak and marginal mills. The case of Hira Mills Ltd., also falls in this category and Government are not contemplating any enquiry.

(d) Rs. 87.71 lakhs (including fixed deposits of Rs. 88,000).

(e) No, Sir.

संयुक्त राष्ट्र संघ का औद्योगिक विकास संगठन

9047. श्री दीवीकन : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के औद्योगिक विकास संगठन के औद्योगिक विकास बोर्ड की वियाना में हुई दूसरी बैठक में भारत ने भी भाग लिया था;

(ख) यदि हां, तो उस बैठक में किन-किन विषयों पर विचार किया गया था;

(ग) क्या भारत ने कोई प्रस्ताव पेश किया था; और

(घ) यदि हां, तो उसकी मुख्य रूपरेखा क्या थी, और इसमें कहां तक सफलता प्राप्त हुई ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, हां। चूंकि भारत औद्योगिक विकास बोर्ड का सदस्य है, इसलिए वियाना में 17 अप्रैल से 14 मई 1968 तक चल रहे बोर्ड के दूसरे अधिवेशन में भाग ले रहा है।

(ख) से (घ) अधिवेशन समाप्त होने तथा भारतीय दल से रिपोर्ट मिल जाने के बाद ही सूचना दी जा सकेगी।

प्रोटोटाइप उत्पादन तथा प्रशिक्षण केन्द्र, ओखला

9048 श्री देवेन सेन : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के ओखला स्थित प्रोटोटाइप उत्पादन तथा प्रशिक्षण केन्द्र के कर्मचारियों के संघ ने एक मांग-पत्र प्रस्तुत किया है तथा उसके आधार पर 16 अप्रैल, 1968 से हड़ताल करने का नोटिस दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस विवाद का निबटारा करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, हां।

(ख) प्रबन्धकों तथा यूनियन के मध्य मांग पत्र में दिये गए मामलों पर समय-समय पर बातचीत की जा रही है।

भूतत्व वेत्ताओं में बेरोजगारी

9049. श्री नीतिराज सिंह चौधरी : क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विदित है कि पांच हजार भूतत्ववेत्ता और भूभौतिक शास्त्री बेरोजगार है;

(ख) क्या यह सच है कि प्रतिवर्ष शिक्षा संस्थाओं में से लगभग 500 भूतत्ववेत्ता और भूभोतिक शास्त्री उत्तीर्ण होकर निकलते हैं; और

(ग) यदि हां, तो उन्हें उचित रोजगार देने के लिये यदि कोई कार्यवाही करने का सरकार का विचार है, तो क्या ?

इस्पात, खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) यह ठीक नहीं है। वास्तव में देश भर में कुल स्नातकोत्तर भूवैज्ञानिकों और भूभौतिकीविदों की संख्या का

अनुमान 5000 के लगभग लगाया जाता है : 31 दिसम्बर, 1967 के दिन रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर इस प्रकार के व्यक्तियों की संख्या भूवैज्ञानिक–155 और भूभौतिकीविद–शून्य थी ।

(ख) 1963 से 1967 तक विभिन्न संस्थाओं में स्नातकोत्तर (स्तर पर भूविज्ञान और भूभौतिकी पाठ्यक्रमों में दाखिल किये गये विद्यार्थियों की संख्या) 368 से 392 (एम० एस० सी० डिग्री के लिये) और 56 से 82 (पी० एच० डी० डिग्री के लिये) के मध्य रही ।

(ग) वार्षिक आयोजनाओं में समाविष्ट खनन और अन्य सम्बन्ध क्रियाकलापों के फलस्वरूप रोजगार सुविधायें प्राप्त होने की आशा है ।

भारत-अफगान व्यापार का संतुलित किया जाना

9050. श्री अब्दुल गनि दार : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आयातकों की विभिन्न श्रेणियों के अन्तर्गत भारत में कितने अफगान नागरिकों के नाम दर्ज हैं और भारत में उन्हें क्या विशेषाधिकार प्राप्त है ;

(ख) क्या इनमें से किन्हीं अफगान आयातकों ने भारत में अपने स्थायी कार्यालय खोले हैं और यदि हां, तो उनका व्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या सरकार का विचार इन अफगान व्यापारियों के आने-जाने पर कोई प्रतिबन्ध लगाने का है और क्या उन्हें किसी सरकारी एजेंसी को अपने आने-जाने की सूचना देनी पड़ती है और यदि हां तो, उस सरकारी एजेंसी का नाम क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) और (ख) : अपेक्षित जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

(ग) अफगान व्यापारियों के भारत में आने जाने पर कोई प्रतिबन्ध लगाने का विचार नहीं है । देश में रहने वाले अन्य सभी विदेशियों की तरह इन व्यापारियों से भी यह अपेक्षा की जाती है कि विदेशियों के पंजीयन की नियमावली, 1939 के उपबन्धों के अनुसार वे स्थानीय पंजीयन अधिकारी को अपने आने जाने की सूचना दें ।

भारत और अफगानिस्तान के बीच व्यापार

9051. श्री अब्दुल गनि दार : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष के कारण भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापार मार्गों के बन्द हो जाने से पाकिस्तान ने भारी मात्रा में माल जब्त कर लिया था ;

(ख) यदि हां तो क्या सरकार ने इस बात का अनुमान लगाया है कि इसके कारण कितनी हानि हुई ; और

(ग) यदि हाँ, तो उसका व्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) पाकिस्तान द्वारा भारत-अफगान व्यापार के परम्परागत स्थलीय मार्ग के बन्द किये जाने के परिणामस्वरूप, संभव है कि भारतीय राष्ट्रिकों के कुछ परेषण पाकिस्तान ने रोक लिये हों तथा जब्त किये हों ; परन्तु अब तक सरकार की जानकारी में ऐसा कोई मामला नहीं लाया गया है ।

(क) और (ग) : प्रश्न नहीं उठते ।

भारत-अफगान व्यापार

9052. श्री अब्दुल गनी दार : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1959 के बाद भारत-अफगान व्यापार में व्यापारियों का एक वर्ग बनाया गया था जिन्हें पहले निर्यात और बाद में बराबर का आयात करने के लिये कहा गया था ;

(ख) यदि हाँ, तो भारत-अफगान व्यापारियों की कितनी श्रेणियाँ हैं और प्रत्येक श्रेणी में अन्तर्गत सरकार के पास कुल कितने व्यापारियों के नाम दर्ज हैं ; और

(ग) भारत और अफगानिस्तान के बीच लगभग कितना व्यापार होता है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी, हाँ ।

(ख) तीन वर्गों के व्यापारियों को भारत-अफगान व्यापार में सम्मिलित होने की अनुमति है । वे निम्नलिखित हैं:— (1) मान्यता-प्राप्त आयातक, जो जून 1956 को समाप्त हुए 4 वर्षों की अवधि में भारत-अफगान व्यापार में भाग लेते थे (2) शाही अफगान सरकार द्वारा मनोनीत फर्में तथा (3) ऐसे व्यापारी जिन्होंने अपने को 'नवागन्तुकों' के रूप में पंजीयित करवा रखा है । इन तीन वर्गों में से प्रत्येक के अन्तर्गत आने वाले व्यापारियों की संख्या से सम्बन्धित जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जागी ।

(ग) वर्ष 1966-67 तथा 1967-68 (अप्रैल-दिसम्बर) में भारत-अफगान के बीच कुल कारोबार क्रमशः 1108 लाख रु० तथा 1111 लाख रु० के लगभग था । दिसम्बर 1967 के पश्चात् के आंकड़े इस समय प्राप्त नहीं है ।

पूर्वोत्तर रेलवे पर मजूरी भुगतान अधिनियम के अन्तर्गत दायर किये गये मुकदमे

9053. श्री विश्वनाथ पाण्डेय : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1965 से 1967 में पूर्वोत्तर रेलवे के प्रत्येक डिवीजन में मजूरी भुगतान अधिनियम के अन्तर्गत कितने मुकदमे दायर किये गये ;

(ख) उक्त अवधि में कितने मुकदमों का फैसला हुआ ;

(ग) रेलवे ने कितने मुकदमे जीते और कितने हारे ; और

(घ) दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) :

(क) से (ग) एक विवरण संलग्न है जिसमें स्थिति बतायी गयी है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल. टी. 1103/68]**

(घ) सूचना मंगायी जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

Theft of Stores at Bhilai Steel Plant

9054. Shri Y. S. Kushwah : Will the Minister of **Steel, Mines and Metals** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some employees of the Bhilai Steel Plant recently stole copper, mercury and other articles from the factory;

(b) if so, the details there of; and

(c) the action taken by Government to obviate such cases of theft in future ?

The Minister of State in the Ministry of Steel, Mines and Metals (Shri P. C. Sethi) : (a) and (b) Only one case of pilferage in the Bhilai Steel Plant has come to notice in the recent past. On 26. 3. 68. 33 kg. of Mercury were drawn from the stores department by altering the original indent of one of the operation departments for 50 Kg of Soda. On discovery, the matter was reported to the police and some project employees and an outsider have been arrested. The case is still under investigation.

(c) In the extension area covering Bhilai Steel Plant township and mines, suitable arrangements are made to prevent thefts. Patrolling is done as a prevention measure. Cases of thefts are promptly taken up with the police.

नमक बनाने वाले कारखाने

9055. श्री जुगल मन्डल : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में नमक बनाने वाले कारखानों के नाम क्या-क्या हैं तथा उनके पूरे पते क्या-क्या हैं तथा उनकी राज्यवार और कारखानावार वार्षिक उत्पादन क्षमता कितनी-कितनी हैं ; और

(ख) क्या पश्चिम बंगाल के कारखानों को सरकार की ओर से अब तक कोई सहायता अथवा अनुदान मिला है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरूद्दीन अली अहमद) :

(क) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और वह सभा-पटल पर रख दी जायगी ।

(ख) मेसर्स कोंटाई साल्ट इण्डस्ट्रीज कम्पनी लिमिटेड, कोन्टाई, जिला मिदिनापुर, पश्चिमी बंगाल को लाइसेंस प्राप्त नमक निर्माता ऋण अनुदान नियम 1959 के अधीन 1964-65 में 18.000 रु० की राशि ऋण के रूप में प्रदान की गई थी ।

विदेशों में भेजे गये शिष्टमंडल

9056. श्री जुगल मंडल : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1966-67 और 1967-68 में उनके मंत्रालय द्वारा विदेशों में कितने शिष्टमंडल भेजे गए; और

(ख) उन्होंने किन-किन देशो की यात्रा की तथा उनकी यात्रा के क्या उद्देश्य थे ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरूद्दीन अली अहमद) :

(क) और (ख) : जानकारी इकट्ठी की जा रही है और वह सभा-पटल पर रख दी जायगी ।

Recovery of Stolen Railway Sleepers From Ratton Steel Ltd. Lohta (Varanasi)

9057. Shri Nihal Singh : Will the Minister of **Railways** be pleased to state ;

(a) whether it is a fact that in a Police raid, a full truck load of Railway sleepers was recovered from the Rattan Steel Limited, Lohta, Varanasi in October, 1967 ;

(b) whether it is also a fact that these sleepers were being brought to this factory and were used for manufacturing cast iron pipes after melting them ;

(c) whether it is further a fact that the Police arrested the Security Officer of

the factory and later released him on bail whereas the security officer has nothing to do with the theft and the sole responsibility in this connection rests with the owner of the factory, and

(d) if so, the value of goods recovered and the action taken by Government in this regard ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha): (a) Yes.

(b) The sleepers were recovered from inside the factory premises by the police.

(c) Yes, but case is still under police investigation.

(d) Estimated value is Rs. 2081/—.

कानपुर-टुंडला सैक्शन का विद्युतीकरण

9058. श्री चित्तरंजन राय : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क्या यह सच है कि कानपुर-टुंडला सैक्शन के विद्युतीकरण का काम ओपन लाइन संगठन को दे दिया गया है;

(क) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ख) ओपन लाइन संगन के विद्युतिकरण सम्बन्धी कार्य जो पहले किया था उसका व्यौरा क्या है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी हाँ।

(ख) रेलवे की विद्युतीकरण परियोजनाएं अभी तक पूर्वी क्षेत्र में सकेंद्रित थी। लेकिन हवड़ा खड़गपुर खण्ड पर विद्युतीकरण सम्बन्धी शेष काम जून, 1968 तक पूरा हो जाने पर उस क्षेत्र में विद्युतीकरण का अधिकांश काम पूरा हो जायेगा। जिस रूप में उस समय कलकत्ता में रेल बिद्युतीकरण संगठन गठित किया गया था, उस रूप में वह अपनी भौगोलिक दूरस्थता के कारण चालू योजना के लिए निर्धारित कानपुर-टुंडला और विरार साबरमती मार्गों के विद्युतीकरण का काम संतोषप्रद ढंग से नहीं सम्हाल पाता। इसके अलावा, इगतपुरी-भुसावल और मद्रास-विल्लुपुरम खण्डों के विद्युतीकरण का काम चालू लाइन रेल प्रशासनों द्वारा सफलतापूर्वक निष्पादित किया जा चुका था और यह सोचा गया कि यदि इन परियोजनाओं के काम में क्षेत्रीय रेलें प्रत्यक्ष रूप से और अधिक हाथ बढ़ायें, तो उनकी समग्र आवश्यकताओं में परिप्रेक्ष्य में विद्युतीकरण की समेकित प्रगति सुनिश्चित हो जायेगी। इन सब बातों पर विचार करके रेल विद्युतीकरण संगठन को पुनर्गठित करने का निश्चय किया गया। संशोधित व्यवस्था के अनुसार विद्युतीकरण परियोजनाओं को निष्पादित करने के लिए आगे से क्षेत्रीय रेलें जिम्मेदार होंगी और बुनियादी इंजीनियरिंग और अभिकल्प के लिए लखनऊ स्थित अनुसंधान, अभिकल्प और मानक संगठन जिम्मेदार होगा, जबकि रेलवे बोर्ड समग्र रूप से नियंत्रण और उनमें ताल-मेल रखेगा। इस प्रशासनिक विनिश्चय के अनुसार ही कानपुर-टुंडला मार्ग के विद्युतीकरण का काम चालू लाइन प्रशासन को सौंपा गया है।

(ग) उत्तर रेलवे ने, जिसको उपर्युक्त परियोजना सौंपी गयी है, विद्युतीकरण का कोई काम पहले नहीं किया है। लेकिन दक्षिण और मध्य रेलों ने क्रमशः मद्रास-विल्लुपुरम तथा इगतपुरी-भुसावल खण्डों की विद्युतीकरण परियोजनाओं को पूरा किया है। इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट कर दिया जाय कि इलाहाबाद स्थित रेल बिजली योजना की क्षेत्रीय निर्माण यूनिट जो अब उत्तर रेलवे के महाप्रबन्धक के प्रशासनिक नियंत्रण में दी जा रही है, को विद्युतीकरण का व्यापक अनुभव है क्योंकि वह गया-मुगलसराय. मुगलसराय-इलाहाबाद, और इलाहाबाद-कानपुर खण्डों के विद्युतीकरण सम्बन्धित सभी काम निष्पादित कर चुकी है।

ट्रैक्टरों का मूल्य

9059. **श्री काशीनाथ पाण्डेय** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान आयातित ट्रैक्टरों तथा देशी ट्रैक्टरों के मूल्य में विद्यमान भारी अन्तर की ओर दिलाया गया है ;

(ख) किनने तथा कितने मूल्य के पुर्जों का आयात किया जाता है तथा कितने तथा कितने मूल्य के पुर्जे देश में बनाये जाते हैं ; और

(ग) भारत में बने ट्रैक्टरों की कीमत कम करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरूद्दीन अली अहमद) : (क) जी, हां।

(ख) देश में बन रहे विभिन्न प्रकार के ट्रैक्टरों में देश में निर्मित तथा आयातित पुर्जों का अनुपात तथा मूल्य निम्नलिखित हैं:—

	आयातित पुर्जे		देश में निर्मित पुर्जे	
	मूल्य रु०	अनुपात	मूल्य रु०	अनुपात
1. मेसर्स ट्रैक्टरज़ इक्विपमेंट फार्म लिमिटेड, मद्रास (35 अ० श०)	5,724	35 प्रतिशत	10,738·	63 प्रतिशत
2. मेसर्स इन्टरनेशनल ट्रैक्टर कम्पनी बम्बई (35 अ० श०)	4,725	37 "	8,099	63 "
3. मेसर्स हिन्दुस्तान ट्रैक्टरज लिमिटेड, (50 अ० श०)	7,843	51 "	7,647	49 "
4. मेसर्स एस्कार्ट्स लिमिटेड (इ०--37)	4,905	36 "	8,900	64 "
5. मेसर्स ऐशर ट्रैक्टरज़ लिमिटेड, (26.5 अ० श०)	6,672	63 "	3,988	37 "

(ग) देश में निर्मित पुर्जों के ऊंचे दाम होने का एक कारण उत्पादन थोड़ी मात्रा में होना है। लागत को कम करने उत्पादक की मात्रा को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि ट्रेक्टर उचित मूल्यों पर बेचे जायें, सरकार ने इन की लागत की जांच लागत लेखा अनुभाग से करवाने के प्रबन्ध किये थे। इस जाँच के आधार पर ट्रेक्टरों के मूल्य आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत अनुसूचित कर दिए गए हैं। रोक के दूसरे उपाये के तौर पर प्राशुल्क आयोग को भी कहा गया था कि वह उत्पादन की लागत की जांच करे और सरकार को उचित विक्रय मूल्य के बारे में सिफारिश करे। आयोग की सिफारिशें प्राप्त हो गई है और वह विचाराधीन हैं।

नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन

9060. **श्री सोमसुन्दरम** : क्या **इस्पात खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नेवली लिग्नाइट कारपोरेशन की काटी गई वर्तमान खान बिजलीघर के सभी यूनिटों के लिए, विशेष रूप से उर्वरक कारखाने ब्रिक्वेटिंग संयंत्र तथा कार्बनीकरण संयंत्र के लिये, लिग्नाइट सप्लाई नहीं कर सकी है।

(ख) क्या यह भी सच है कि दूसरे मुख्य कटाव के लिये 1963 में प्राकलन तैयार किये गये थे और केन्द्रीय सरकार को भेजे गये थे ;

(ग) क्या यह भी सच है कि सभी विभागों में तथा सभी श्रेणियों के हजारों कर्मचारियों की छटनी हो जायेगी ; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार छटनी को रोकने तथा साथ ही राष्ट्रीय हानि को रोकने के लिये खान का दूसरा कटाव चालू करने क है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी)

(क) वर्तमान खान-कटाव (कट) से उपलब्ध मशीनरी के साथ किया गया उत्पादन परियोजना-समूह (कम्पलैक्स) के सब एककों की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिये पर्याप्त नहीं है। यह आशा की जाती है कि अतिरिक्त मशीनरी खरीद किये जाने से इन आवश्यकताओं की पूर्णतया पूर्ति हो जायेगी।

(ख) हां, महोदय।

(ग) बड़े परिणाम में कोई छटनी किये जाने की सम्भावना नहीं।

(घ) इस समय दूसरे खान-कटाव (कट) को चालू करना उचित नहीं है।

Over Bridges on Railway Crossings

9062. Shri Sheopujan Shastri : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Government have received complaints from the residents of Bikaner city that they have to face great inconvenience in crossing the roads due to many Railway crossings in the city;

(b) if so, whether Government propose to construct overbridges with a view to remove the inconvenience of the public; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) Yes.

(b) and (c) There exist 3 level crossings within town limits in Bikaner, each of which has to be closed, on safety considerations, for about 40 times in 24 hours. Necessary proposals to provide road overbridges, one on either side of the Railway Station was formulated in 1961, but the schemes could not be progressed further due to opposition from the local people, and the proposals had to be dropped finally at the request of the State Government.

Divisional System on North Eastern Railway

9063. Shri Sheopujan Shastri : will the Minister of **Railways** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1285 on the 20th February, 1968 and state;

(a) whether the question of introducing Divisional system on North Eastern Railway has since been considered;

(b) if so, the details there of, and

(c) if not, the progress made in this regard and when a decision is likely to be taken in the matter ?

The Minister of Railway (Shri C. M. Poonacha) : (a) The question of introduction of Divisional system on the North Eastern Railway is still under consideration.

(b) The details have not yet been finalised.

(c) The matter is under consideration at the highest level and a decision in expected to be taken shortly.

Price and Cost Structure of New Industries

9064. Shri Sheopujan Shastri : will the Minister of **Commerce** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1880 on the 27th February, 1968 and state :

(a) whether Government have since taken a decision on the recommendation of the Tariff Commission in regard to cost and price structure of the new industries;

(b) if so, the details thereof; and

(c) if not, the reasons there for ?

The Minister of Commerce (Shri Dinesh Singh) : (a) to (c) The examination of the recommendations of the Tariff Commission Review Committee is not yet complete.

कलकत्ता के इर्दगिर्द रेलवे की भूमि पर अनधिकृत कब्जा

9065. श्री सु० कु० तापड़िया : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता के इर्द-गिर्द रेलवे की भूमि पर अनधिकृत कब्जा काफी बढ़ गया है ; और

(ख) यदि हां, तो रेल गाड़ियों के सुरक्षित चलने और रेल की पटरियों को हानि से बचाने के लिये सरकार ने अनधिकृत कब्जे को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी नहीं।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए सवाल नहीं उठता। ज्योंही अनधिकृत कब्जे का पता चलता है, जमीन खाली करने का नोटिस जारी करने के लिये फौरन कार्यवाई की जाती है जिसके पालन न करने पर सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत दखलकारों की बेदखली) अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत कार्यवाई की जाती है।

टिकट परीक्षकों (टीटियों) की भर्ती

9066. श्री सुब्रावलू : **श्री मयावन :**
श्री नारायणन : **श्री दीवीकन :**

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि टिकट परीक्षकों (टीटियों) की पदाली में भर्ती कम कर दी गई है ; और

(ख) यदि हाँ, तो बिना टिकट यात्रा में वृद्धि होने के परिणामस्वरूप राजस्व की कितनी हानि होने की संभावना है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जहां कहीं व्यावहारिक हुआ टिकट परीक्षकों के संवर्ग में किफायत की गयी है।

(ख) जो भी किफायत की गई है उसका, बिना टिकट यात्रा की जांच सम्बन्धी कुशलता पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ा है।

प्रशिक्षणार्थी सहायक स्टेशन मास्टरों तथा स्थायी स्टेशन मास्टरों के वेतनमान

9067. **श्री मयावन :** **श्री नारायणन :**
श्री दीवीकन : **श्री कमलनायन :**

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रशिक्षणार्थी सहायक स्टेशन मास्टरों तथा स्थायी स्टेशन मास्टरों के वेतनमान क्या है ;

(ख) क्या उनके वेतनक्रमों में पर्याप्त विषमता है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) से (ग) एक प्रशिक्षणार्थी सहायक स्टेशन मास्टर को प्रशिक्षण के दौरान 130 रुपये मासिक दर से वजीफा मिलता है और किसी कार्यकारी पद पर उसकी नियुक्ति हो जाने पर उसका वेतन 130-240 रुपये के अधिकृत वेतनमान में 150 रु० मासिक से शुरू होता है । सहायक स्टेशन मास्टरों और स्टेशन मास्टरों के वेतनमान इस प्रकार हैं :-

सहायक स्टेशन मास्टर

130-240 रुपये	(न्यूनतम प्रारम्भिक वेतन 150 रुपये)
205-280 रुपये	
250-380 रुपये	
335-425 रुपये	

स्टेशन मास्टर

205-280 रुपये	
250-380 रुपये	
335-425 रुपये	
370-475 रुपये	
450-575 रुपये	स्टेशन अधिक्षक-अराजपत्रित)

प्रशिक्षणार्थी सहायक स्टेशन मास्टरों को केवल प्रशिक्षण के दौरान वजीफा मिलता है और स्टेशन मास्टर नियमित वेतनमानों के अंतर्गत वेतन लेते हैं । ये दोनों विभिन्न कोटियां हैं और इस लिए इनकी तुलना नहीं की जानी चाहिये ।

रेलगाड़ियों में टिकट निरीक्षकों का चलना

9068. श्री कमलनयन : **श्री मयाबन :**
श्री नारायणन : **श्री दीवीकन :**

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डिवीजन वार उनकी क्या संख्या है जिनमें टिकट निरीक्षक नहीं चलते हैं ; और

(ख) कुछ गाड़ियों में टिकट निरीक्षकों के न चलने के क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (चे० मु० पुनाचा) : (क) और (ख) जिन गाड़ियों में चल टिकट परीक्षक तैनात नहीं किये जाते उनकी संख्या के बारे में मण्डलों के अनुसार आँकड़े नहीं रखे जाते । भारतीय रेलों पर प्रतिदिन डाक/एक्सप्रेस, सवारी और उपनगरीय गाड़ियों सहित, कुल मिलाकर लगभग

4,950 गाड़ियां चलती हैं। इनमें से केवल महत्वपूर्ण गाड़ियों में चल टिकट परीक्षक जाँच करते हैं। दूसरी सभी सवारी गाड़ियों में या तो चल टिकट परीक्षकों द्वारा बारी-बारी से बार-बार जाँच की जाती है या इन गाड़ियों की जांच मण्डल मुख्यालय के चल टिकट परीक्षकों के उड़न-दस्ते करते हैं।

रेलवे विद्युतीकरण योजना के इंजीनियर

9069. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** **क्या रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी देश ने हमारे रेलवे इंजीनियरों की कार्यकुशलता का उपयोग करने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या हैं जो रेलवे विद्युतिकरण योजना के कार्यकुशल कर्मचारियों की सेवायें लेना चाहते हैं; और

(ग) यदि नहीं तो इस लक्ष्य को पूरा करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी हाँ।

(ख) किसी देश ने अभी तक इस तरह का अनुरोध नहीं किया है।

(ग) आमतौर पर इस तरह के अनुरोध पर राष्ट्र मंत्रालय के जरिये मिलते हैं और उनके प्रत्युत्तर तत्परता और सहानुभूतिपूर्वक भेजे जाते हैं।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा कोयले की खरीद

9070. **श्री ज्योतिर्मय बसु :**

क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कोयले की सरकारी क्षेत्र की आवश्यकता को पूरी करने के लिये कितनी मात्रा में कोयला (1) गैर-सरकारी लोगों की कोयले की खानों से, तथा (२) राष्ट्रीय कोयला विकास निगम से खरीदा जाता है?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : कोयले पर से नियन्त्रण हटाये जाने के पश्चात् से, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों सहित कोयले के सभी उपभोक्ता अपनी आवश्यकताएं सीधी उत्पादकों से पूरी करते हैं। इस कारण सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा गैर-सरकारी कोयला खानों से खरीदे गये कोयले की मात्रा के सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध नहीं है।

जहाँ तक राष्ट्रीय कोयला विकास निगम का सम्बन्ध है, 1967-68 के दौरान इसने राज्य विद्युत बोर्डों, रेलवे और इस्पात संयंत्रों सहित सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को लगभग 81·0 लाख मैट्रिक टन कोयला प्रदाय किया।

कचरा में नया रेलवे स्टेशन

9071. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** **क्या रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वी रेलवे (सियालदह डिवीजन) पर हरोआ रोड और मालती-पुर के बीच कचरा के स्थानीय निवासी वहाँ पर एक नया स्टेशन मंजूर करने के लिये सरकार से अनुरोध करते आ रहे हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) और (ख) कचरा में एक नया स्टेशन खोलने के सम्बन्ध में वहां के निवासियों से कोई अभ्यावेदन नहीं मिला है। लेकिन हरुआ रोड़ और मालतीपुर स्टेशनों के बीच मिर्जानगर-काँकरा पर हाल्ट स्टेशन खोलने के एक प्रस्ताव की जाँच की गयी थी, लेकिन पर्याप्त औचित्य न होने के कारण उसे स्वीकार नहीं किया जा सका।

राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की खानें

9072. **श्री सु० कु० तापड़िया** : क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की खानों द्वारा कोयले की ढुलाई पर गत वर्ष कितना विलम्ब शुल्क तथा अन्य अर्थदण्ड दिया गया ;

(ख) क्या इस प्रकार का भुगतान असामान्य समझा जाता है तथा गैर-सरकारी क्षेत्र में कोयला उद्योग द्वारा किये जाने वाले ऐसे औसतन भुगतान की तुलना में ये आंकड़े कितने अधिक है अथवा कम ; और

(ग) इसके लिये क्या कार्यवाही की गई है कि विलम्ब शुल्क कम से कम बार देना पड़े ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) से (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

कोयला उद्योग

9073. **श्री सु० कु० तापड़िया** : क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान कोयला संगठनों की हाल में हुई वार्षिक बैठक में बताई गई कोयला उद्योग की समस्याओं की ओर आकर्षित किया गया है ;

(ख) क्या कोयला उत्पादकों और उपभोक्ताओं के प्रतिनिधियों के साथ महत्वपूर्ण समस्याओं पर विचार विमर्श करने का सरकार का कोई प्रस्ताव है ; और

(ग) विभिन्न श्रेणियों के कोयले के लिये एक ऐसा आर्थिक मूल्य ढाँचा जो विकास की आवश्यकताओं तथा श्रमिक आकांक्षाओं के अनुकूल हो। निर्धारित करने में क्या कठिनाइयाँ हैं ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख) सरकार को विभिन्न कोयला संगठनों से वार्षिक भाषणों की प्रतियां प्राप्त होती है, जिनमें कोयला उद्योग की सामान्य समस्याओं का उल्लेख होता है। उनकी जाँच की जाती है और जहाँ आवश्यक हो कार्यवाही की जाती है। कोयला-हितो से भी परामर्श किया जाता है, जब ऐसा आवश्यक समझा जाये।

(ग) कोयले पर से नियन्त्रण हटा लिया गया है। अब उपभोक्ताओं और उत्पादकों को आपस में बातचीत द्वारा मूल्यों का फैसला करना होता है।

रेलों के विकास के लिए ईराक को सहायता

9074. **श्री दी० चं० शर्मा :**

श्री क० प्र० सिंह देव :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईराक ने अपनी रेलों के विकास के लिये भारत से सहायता माँगी है और क्या इस सम्बन्ध में एक प्रतिनिधि-मण्डल भारत आया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या सहायता माँगी गई है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) से (ग) : 7 अप्रैल से 13 अप्रैल, 1968 के दौरान इराक के रेलवे के महानिदेशक ने, जिनके साथ एक वरिष्ठ इराकी रेलवे अधिकारी था, भारत का दौरा किया था। प्रतिनिधि मण्डल के दौरे का उद्देश्य मुख्यतः भारतीय रेलवे के कार्य-चालन तथा इराकी रेलवे के लिये तकनीकी परिज्ञान, रोलिंग स्टाक तथा अन्य रेलवे उपकरणों का संभरण करने की भारतीय क्षमता के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करना था। विशेषज्ञ भेजने, व्यक्तियों को प्रशिक्षण देने तथा उपकरणों के संभरण के क्षेत्र में भारतीय तथा इराकी रेलवे के बीच सहयोग बढ़ाने के सम्बन्ध में लाभदायक बातचीत हुई थी।

चूंकि यह दौरा समन्वेषण सम्बन्धी था, अतः कोई ठोस निर्णय लिये जाने में कुछ समय लगेगा। विकासशील देशों के मध्य निकट सहयोग का विकास करने की दिशा में. एक दूसरे की उत्पादक क्षमताओं का ज्ञान पहला कदम है।

पटसन का रक्षित भण्डार

9075. श्री दी० चं० शर्मा : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व व्यापार तथा विकास सम्मेलन की वस्तु समिति ने विकासशील और उन्नत देशों में पटसन का रक्षित भंडार बनाने की सिफारिश की थी ;

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) से (ग) : विश्व व्यापार तथा विकास सम्मेलन-द्वितीय की वस्तु समिति की इस सिफारिश का सम्मेलन ने अनुमोदन कर दिया था कि पटसन तथा सम्बद्ध रेशों के अध्ययन दल को, अंकटाड सचिवालय से सलाह लेकर, पटसन के लिये एक उपयुक्त रक्षित भंडार योजना बनाने की सम्भाव्यता का तत्काल पता लगाना चाहिए। भारत कच्चे पटसन का थोड़ा सा ही आयात करता है, इस कारण भारत पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस समय तत्काल कोई कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं है।

कम्पनी सेक्रेटरीशिप

9076. श्री दी० चं० शर्मा : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कम्पनी सेक्रेटरीशिप परीक्षा का सरकारी डिप्लोमा प्राप्त बहुत से उम्मीदवारों को उपयुक्त नौकरियां नहीं मिल सकी है ; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार का विचार सरकारी उपक्रम विभाग को यह आदेश देने का है कि वह कम्पनी सेक्रेटरीशिप का सरकारी डिप्लोमा प्राप्त व्यक्तियों की एक नामिका बनाये

और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को निदेश जारी करें कि वे कम्पनी सेक्रेटरियों और असिस्टेंट कम्पनी सेक्रेटरियों के पदों को इस नामिका में दर्ज उम्मीदवारों में से भरे ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य-मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) कम्पनी सचिवत्व में सरकारी डिप्लोमा प्राप्त कुछ व्यक्तियों से अभ्यावेदन प्राप्त हुये हैं ; कि उन्हें कम्पनियों के सचिवीय विभागों में उपयुक्त नौकरी नहीं मिल रही है ।

(ख) यद्यपि कम्पनी सचिव की परीक्षा पास करना ही, सरकारी कम्पनियों में सचिव का पद प्राप्त करने के लिये केवल एक योग्यता नहीं है, फिर भी लोक उपक्रमों के कार्यालय, समय-समय पर, सम्पूर्ण, कम्पनी सचिवत्व में सरकारी डिप्लोमा प्राप्त व्यक्यिों के ब्यौरे, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को, यह प्रार्थना करते हुये परिचालित करते रहते हैं कि वे अपने सचिवीय विभागों में उपयुक्त नौकरी के लिये व्यक्तियों का चुनाव करते समय इन व्यक्यिों का ध्यान रक्खे ।

भिलाई इस्पात कारखाना

9077. श्री कार्तिक ओरांओं : क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रूस से आयातित फालतू पुर्जे भारी मात्रा में भिलाई इस्पात कारखाने में स्थित स्टोर में अनिश्चित अवधि से पड़े हुए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इनका कुल मूल्य कितना है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) भिलाई इस्पात कारखाने में रूस के बने हुये फालतू पुर्जों की बड़ी मात्रा का क्षतिमय बीमा और इन्हें यथासमय इस्तेमाल करने के लिये रखा हुआ है । कुछ पुर्जे कारखाने के पिछले विस्तार-कार्यक्रम के पश्चात् जिसमें कारखाने का 2·5 मिलियन टन क्षमता तक विस्तार किया गया था, बच गये थे ।

(ख) इस समय भिलाई इस्पात कारखाने में पड़े हुये (स्लौं मूविंग) सोवियत पुर्जो की कुल लागत 2 करोड़ 34 लाख रुपये के लगभग है ।

हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची

9078. श्री कार्तिक ओरांओं : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राँची स्थित हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा व्यवसाय प्रशिक्षओं की की गई भर्ती में अनुसूचित आदिम जातियों के व्यक्तियों को बहुत ही कम संख्या में लिया गया है ;

(ख) यदि हाँ, तो अब तक कितने प्रतिशत लिये गये हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि स्थानीय लोगों को प्रतिशतता भी उतनी ही कम है ; और

(घ) यदि हाँ, तो इस कमी को पूरा करने के लिये, सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख) : जी, नहीं । हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड में भर्त्ती किए गए शिक्षुओं में अनुसूचित आदिम जातियों के शिक्षु 22 प्रतिशत हैं ।

(ग) जी, नहीं । कम्पनी के कर्मचारियों में बिहार के लोगों का प्रतिशत 82 है ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

बरवाडीह-सरनाडीह रेलवे लाईन

9079. **श्री कार्तिक ओराओं** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1947 में पूर्व रेलवे ने बरवाडीह-सरनाडीह रेलवे लाइन का जो निर्माण-कार्य आरम्भ किया था वह लगभग दो वर्ष तक चलता रहा और अन्त में उसे छोड़ दिया गया था ?

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे; और

(ग) निर्माण कार्य पर अब तक कुल कितना व्यय किया गया ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी हां ।

(ख) उस समय की अर्थोपाय की कठिन स्थिति के कारण ।

(ग) कुल 1,52,43,548 रुपये खर्च हुए हैं ।

मशीनरी साज-समान का उत्पादन

9080. श्री कार्तिक ओराओ : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रांची स्थित भारी इंजीनियरिंग निगम के भारी मशीन निर्माण संयंत्र में मशीनरी उपकरणों का वास्तविक उत्पादन निर्धारित उत्पादन से कहीं पीछे है ?

(ख) यदि हाँ, तो (एक) पिछले चार वर्षों में इस कारखाने की अधिष्ठापित क्षमता कितनी थी, (दो) पिछले चार वर्षों में वास्तविक उत्पादन कितना हुआ, (तीन) वर्ष 1968-69 के लिये उत्पादन कार्यक्रम क्या है, (चार) इस कारखाने में पूरा उत्पादन सम्भवतः कब से होने लगेगा और (पांच) निर्धारित उत्पादन कार्यक्रम क्या है जिसके अनुसार पूरे उत्पादन के स्तर तक पहुंचने का विचार है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, हां।

(ख)	(1)	1964-65	7758 मी० टन
		1965-66	9451 मी० टन
		1966-67	14,500 मी० टन
		1967-68	14,656.2 मी० टन
	(2)	1964-65	3,208.2 मी० टन
		1965-66	10,980.5 मी० टन
		1966-67	14,309.2 मी० टन
		1967-68	14,656.2 मी० टन

(3) 30,000 मी० टन 14,000 ढांचों सहित

(4) 1973-74

(5) उत्पादन कार्यक्रम को अभी 1970-71 तक ही निर्धारित किया गया है। इसके अनुसार 1969-70 में उत्पादन 43,030 मी० टन तथा 1970-71 में उत्पादन 58,430 मी० टन होगा। इसके बाद के वर्षों के लिए उत्पादन कार्यक्रम अभी निर्धारित किया जायगा।

पूर्वी रेलवे में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारियों के लिये आरक्षित पद

9081. **श्री कार्तिक ओरांओ** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वी रेलवे में, विशेषकर धनबाद डिवीजन में, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के व्यक्तियों द्वारा भरे जाने के लिये पदों का जो कोटा आरक्षित था, वह किसी भी श्रेणी में नहीं भरा गया है ?

(ख) यदि हाँ, तो अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कितने-कितने व्यक्ति प्रवर संवर्ग (सिलेक्शनग्रेड) में हैं; और

(ग) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के व्यक्तियों के लिये जो कोटे आरक्षित हैं, वे पूरी तरह इन जातियों के लोगों द्वारा भरे जायें, इसके लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) से (ग) सूचना मंगायी जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

आप्टिकल औजारों का निर्माण

9082. **श्री हरदयाल देवगुण** :

श्री ज्योतिर्मय बसु :

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जर्मन लोकतन्त्रात्मक गणराज्य के मैसर्स गार्ल जी से जाना के सहयोग से आप्टिकल औजारों के निर्माण के लिए उत्तर प्रदेश में सरकारी क्षेत्र में एक परियोजना की सहमति दी गई थी और इस परियोजना के सम्बन्ध में सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई थी किन्तु बाद में उसे समाप्त कर दिया गया ?

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण थे ; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस परियोजना को गैर-सरकारी फर्म के रूप में चलाई जाने के लिए किसी उद्योगपति को सौंपने का है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :

(क) और (ख) : आप्टिकल औजारों सहित कुछ वैज्ञानिक यंत्रों के बनाने में पूर्वी जर्मनी के मैसर्स कार्ल वीहस जैना का सहयोग प्राप्त करने का लखनऊ की प्रिसीजन इंस्ट्रूमैण्ट्स फैक्टरी का जो उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार के अधीन है, प्रस्ताव भारत सरकार ने अगस्त, 1964 में ही सिद्धान्त रूप में स्वीकार कर लिया था। इस मंत्रालय को अन्तिम रूप से कोई प्रस्ताव प्राप्त

न होने के कारण 21-3-68 को उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार को यह सूचित कर दिया गया था। विदेशी सहयोग प्राप्त करने सम्बन्धी उपरोक्त मंजूरी को रद्द माना जा रहा है। मैसर्स कार्ल वीहस जैना ने राज्य सरकार को सूचित किया हैं कि उनकी इस परियोजना में अब कोई रुचि नहीं रही है। अब राज्य सरकार अन्य किसी देश का सहयोग प्राप्त करने की संभावनाओं का पता लगा रही है।

(ग) भारत सरकार को कुछ पता नहीं।

औद्योगिक बस्तियां

9083. श्री हरदयाल देवगुण : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न शहरी केन्द्रों में औद्योगिक बस्तियों के विकास के लिए सरकार ने 16 राज्यों में बांटे जाने के लिये 1.33 करोड़ रुपये का ऋण मंजूर किया है ?

(ख) यदि हां, तो विभिन्न राज्यों के लिये ऋणों का नियतन करने का आधार क्या है; और

(ग) क्या इस ऋण का उपयोग किन्हीं विशेष उद्योगों के लिए किया जाना है अथवा अन्यथा ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, हां। 1967-68 वर्ष में ग्रामीण तथा उपनगरीय क्षेत्रों में औद्योगिक बस्तियों में शेड बनाने और नगरीय क्षेत्रों में औद्योगिक बस्तियों के प्लाट विकसित करने के लिए 16 राज्य सरकारों को अस्थायी अदायगी के लिए मार्च 1968 में 133.59 लाख रुपये की स्वीकृति दी गयी थी।

(ख) किसी भी राज्य सरकार को केन्द्रीय सरकार की सहायता का आंकन उस राज्य सरकार द्वारा वर्ष विशेष में कुल किये गये वास्तविक खर्चे के 80 प्रतिशत के आधार पर किया जाता है।

(ग) ऋण की सहायता औद्योगिक बस्तियों में शेड निर्माण करने तथा औद्योगिक बस्तियों के विकास के लिए दी जाती है। इस ऋण का कोई अंश किसी भी उद्योग विशेष को चालू करने के लिए नहीं होता है।

सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखाने

9084. श्री क० प्र० सिंह देव : क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने सरकारी क्षेत्र के तीन इस्पात कारखानों में प्रौद्योगिकी उन्नति का कार्यक्रम चालू किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख) हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के प्रौद्योगिकी उन्नति, परिवर्धन और रूप परिवर्तन का एक योजनाबद्ध कार्यक्रम हाथ में लिया है। 20 मार्च 1968 को 'परफारमेंस आफ हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड' के

शीर्षक से एक निबन्ध सभा-पटल पर रखा था जिसमें इस कार्यक्रम की कुछ मुख्य-मुख्य बातें दी गई हैं ।

फिरोजपुर डिवीजन में आर० पी० एफ० के नायकों के पदों के लिए परीक्षा

9085. **श्री हेमराज :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1965 तथा 1968 में फिरोजपुर डिवीजन में आर० पी० एफ० के नायकों के पदों के लिये कोई परीक्षा की गई थी ; और

(ख) यदि हां, तो कितने व्यक्ति चुने गये तथा पदोन्नत किये गये तथा कितने व्यक्तियों की पदोन्नति होनी है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) और (ख) रेलवे सुरक्षा दल में वरिष्ठ रक्षक (नायक) के पद पर तरक्की के लिये 1965 में कोई परीक्षा नहीं ली गयी थी ।

1968 में एक परीक्षा हुई थी जिसके परिणाम को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है ।

पठानकोट स्टेशन पर क्लोक रूम और पार्सल क्लर्क

9086. **श्री हेमराज** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या यह सच है कि पठानकोट रेलवे स्टेशन पर क्लाक रूम और पार्सल क्लर्कों का कार्य अत्यधिक बढ़ गया है ;

(ख) क्या यह सच है कि इस पद पर कार्य करने वाले व्यक्ति को गुमशुदा सम्पत्ति व सामान, बुकिंग लोकल, लगेज बुकिंग फारेन, क्लोक रूम, आउट-वर्ड पार्सल, इनवर्ड पार्सल फाइलों, एन० पी० एफ० एण्ड एफ० आई० वी० से सम्बन्धित कार्यों की देखभाल करनी पड़ती है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि इतना अधिक काम होने के कारण वह कार्य के बोझ से दबा पड़ा है और वह यात्रियों के साथ न्यायोचित व्यवहार नहीं कर सकता ; और

(घ) यदि हां, तो क्या इस कार्य के लिये एक और व्यक्ति लगाने का सरकार का विचार है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) से (घ) : इस समय पठानकोट रेलवे स्टेशन पर अमानती समान घर और पार्सल सम्बन्धी काम 3 क्लर्कों द्वारा किया जाता है । काम में वृद्धि को देखते हुए, क्लर्कों की संख्या बढ़ाने के सवाल पर उपयुक्त प्रंधिकारियों द्वारा विचार किया जा रहा है ।

राज्य व्यापार निगम तथा खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा नियुक्त एजेंटों द्वारा माल की बिक्री

9088. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(ख) क्या इसका पता लगाने के लिये कोई जाँच की गई है कि राज्य व्यापार निगम तथा खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा नियुक्त एजेंट उन्हें दिये गये माल को किस मूल्य पर बेचते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो कब तथा उसका क्या परिणाम निकला ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) और (ख) : खनिज तथा धातु व्यापार निगम उसके द्वारा आयात किये गये माल की बिक्री के लिये एजेंट नियुक्त नहीं करता । राज्य

व्यापार निगम उसके एजेंटों द्वारा लिये जाने वाले मूल्यों की समय समय पर परीक्षण जांच करता है। जब कभी निगम के एजेंटों द्वारा अधिक मूल्य लिये जाने के बारे में सरकार से शिकायतें की जाती हैं तो वास्तविक तथ्यों का पता लगाने के लिये जांच की जाती है। राज्य व्यापार निगम, उसके द्वारा नियुक्त किये गये एजेंटों के बारे में सामान्य प्रश्न पर विचार कर रहा है :

जूतों का निर्माण

9089. श्री महन्त दिग्विजय नाथ : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत और रूस ने मिलकर जूतों का निर्माण करने के लिये एक करार किया हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि फलो तथा तैयार पोशाकों के बारे में भी इस तरह का एक करार हुआ है ;

(ग) यदि हाँ तो क्या यह भी सच है कि रूस तकनीकी जानकारी तथा मशीनें देने के लिये राजी हो गया है ; और यदि हाँ, तो प्रत्येक देश कितने प्रतिशत हिस्सा वहन करेगा ; और

(घ) संयंत्र कब तक लग जायेंगे और कब तक उत्पादन शुरू हो जायेगा और कितना मुनाफा होने का अनुमान है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जीं, नहीं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) सोवियत प्रतिनिधि मण्डल के साथ हाल में हुई वार्ताओं के दौरान भारतीय पक्ष ने, कच्चे माल की प्राप्यता तथा अन्य संशोधनों जैसे प्राकृतिक संपदा के आधार पर सोवियत तकनीकी सहायता से, यदि आवश्यक हो, भारत में शाखा उद्योगों की स्थापना में कुछ रुचि व्यक्त की थी ताकि उत्पाद सोवियत उपभोक्ताओं को स्वीकार्य विशिष्टियों के अनुरूप बन सकें। इस संबन्ध मे सोवियत सहायता से एक जूता कारखाना तथा एक चर्म परिधान कारखाना स्थापित करने की संभावनाओं पर विचार किया गया। इन वार्ताओं में कोई पक्के सम्मत निश्चय नहीं किये जा सके।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली में औद्योगिक बोर्ड

9090. श्री महन्त दिग्विजय नाथ : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली प्रशासन ने एक औद्योगिक बोर्ड स्थापित किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि उस बोर्ड में एक भी संसद सदस्य का नाम-निर्देशित नहीं किया गया है ; और

(ग) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं तथा उस बोर्ड के मुख्य कार्य क्या हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी हाँ।

(ख) और (ग) : दिल्ली के दो संसद सदस्य इस बोर्ड के सदस्य है। बोर्ड के कार्यों का विवरण संलग्न है। **(पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1104/68)**

किरीबूर खाने

9091. **श्री तेन्नेटि विश्वनाथम्** : क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) किरीबुर खानी में आज तक प्रति वर्ष कितनी हानि हुई है ;

(ख) उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय खनिज विकास निगम द्वारा नियुक्ति विदेशी परामर्श दाता अर्हता प्राप्त नहीं थे ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड को 31 मार्च, 1967, तक 295. 30 लाख रुपये की हानियाँ हुई, जिसका ब्यौरा यह है :—

		लाख रुपयों में
1964-65		182,48
1965-66		68,17
1966-67		44,65
	जोड़	295.30 लाख रुपये

1967-68 वर्ष की हानियों का पता वार्षिक लेखों को अन्तिम रूप दिये जाने के पश्चात् ही लगेगा ।

(ख) निर्यात-अधिस्थापित किरिबुर प्रायोजना, उड़ीसा राज्य के भीतरी प्रदेश व विशाखा-पत्तनम पोर्ट का विकास करने के लिये एक बहुपंथी योजना के अंश के रूप में हाथ में ली गई थी । उस समय भी यह समझा गया था कि विशेष रूप से खान से बन्दरगाह तक के लम्बे रेल मार्ग के कारण प्रयोजना से लोह-अयस्क का निर्यात एक लाभदायक प्रस्ताव नहीं होगा ।

इन हानियों के कारण यह है : (1) राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के नियन्त्रण से बाहर के कारणों के परिणाम स्वरूप आरम्भिक वर्षों में उत्पादन को सीमित करने की आवश्यकता; (२) करिबूर के पिंड-सूक्ष्म के अनुपात के कल्पित किए गये अनुमान से कम होने के कारण खनन की बढ़ी हुई लागत ; और (3) मूल्यो के विभिन्न अवयवों, जैसे कि, रेल-भाड़ा, पत्तन प्रभार, स्यामिस्व और उपकर, भण्डारों, मजदूरों, ब्याज और मूल्य ह्रास आदि में वृद्धि ; और (4) रुपये के अवमूल्यन के पश्चात् से अयस्क पर 10.50 रुपये की दर से निर्यात शुल्क लगा दिया जाना, आदि ।

(ग) परामर्शदाताओं-जापान कन्सलटिंग इन्सटीट्यूट को आवश्यक तकनीकी दक्षता प्राप्त थी ।

मैसर्स हिन्दुस्तान एल्युमिनियम कारपोरेशन

9092. श्री गा० श० मिश्र : क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) 1963 से लेकर 1967 की अवधि के दौरान मैसर्स हिन्दुस्तान एल्युमिनियम कारपो-रेशन को प्रतिवर्ष टनों में कुल कितनी अतिरिक्त क्षमता मंजूर की गई ; और

(ख) 1967 तक सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं और गैर-सरकारी परियोजनाओं की क्षमता कितनी कितनी थी तथा सरकारी क्षेत्र और गैर-सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा मंजूरी प्राप्त क्षमता में से कितनी वास्तविक उत्पादन क्षमता आज तक प्राप्त की गई ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) हिन्दुस्तान एल्यूमिमियम कारपोरेशन लिमिटेड, बम्बई, को 1963 से 1967 तक की अवधि में उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951, के अधीन दो लाइसेंस रेणुकूट (उत्तर प्रदेश) में स्थित एल्यूमिनियम प्रद्रावक में एल्यूमिनियम धातु के उत्पादन के लिये प्रतिवर्ष 100,000 मैट्रिक टन की कुल अतिरिक्त क्षमता की स्थापना के लिये दिये गये थे। एक लाइसेंस 1963 में प्रद्रावक के 20,000 से 60,000 मैट्रिक टन तक के विस्तार के लिये और दूसरी 1966 में प्रद्रावक के 60,000 से 120,000 मैट्रिक टन तक के विस्तार के लिये था। कारपोरेशन ने पहला विस्तार पूरा कर लिया है।

(ख) देश में इस समय चालु सभी एल्यूमिनियम प्रद्रावक गैर-सरकारी क्षेत्र में है। 1967 के अन्त तक गैर-सरकारी क्षेत्र में एल्यूमिनियम धातु के उत्पादन के लिये लाइसेंस प्राप्त था अभिप्राय-पत्रों के अन्तर्गत आने वाली कुल क्षमता प्रतिवर्ष 323, 300 मैट्रिक टन थी।

प्रतिवर्ष 150,000 मैट्रिक टन की कुल क्षमता की दो एल्यूमिनियम प्रायोजनायें इस समय सरकारी क्षेत्र में क्रियान्वित की जा रही है।

Children's Train at Kanpur

9093. Shrimati Sushila Rohatgi : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether there is a proposal to introduce a Children's Train at Kanpur in Uttar Pradesh as it has been introduced in Delhi ; and

(b) whether the said plan would be implemented within the Fourth Five Year Plan period ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) and (b) Availing of the offer of the Ministry of Railways of Children's Train free of cost, to each State, the Govt. of Uttar Pradesh requested for the supply of a Children's Train. The choice of the site rests entirely with the State Government. The Children's Train will be supplied on hearing from the State Government about the site, and the provision at their cost, of the facilities for opera-ting the train there.

Detention of Trains at Murray Crossing in Kanpur

9094. Shrimati Sushila Rohatgi : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether the passengers are detained every day for hours together at Murary crossing in Kanpur and thus a lot of inconvenience is caused to the public;

(b) whether it is a fact that this problem has not so far been solved though it has been under the consideration of Government for the last many years, and

(c) whether Government propose to construct a bridge over Murary crossing to remove the inconvenience of the public there ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) The Murray level crossing is indeed a busy one and at times the road-users have to be detained for about half an hour at a stretch.

(b) **Yes.**

(c) A proposal for a road under-bridge in replacement of the Murray level crossing (level crossing on Mahatma Gandhi Marg) has already been sponsored by Kanpur Nagar Mahapalika. The Railways have finalised the necessary technical details and have also made suitable provision in the current year's Works Programme towards Railway's share of the cost of the work.

The progress of the work is, however, held up due to the Nagar Mahapalika not having been able to provide necessary funds to cover the road authority's share of the cost of the work as required under the extant rules. As soon as this is done and road authority's portion of the work is undertaken by the Nagar Mahapalika, the Railways would correspondingly take appropriate action in executing Railway's portion of the work.

Halting of 12 Down and 11 Up Express Trains at Rura

9095. Shrimati Sushila Rohatgi : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether requests for halting 12 Down and 11 Up Express trains at Rura (Northern Railway) have been received from Rura area of Kanpur District;

(b) whether Government are aware that Rura has a population of about 20,000 and several colleges are situated there and it is a very big marketing centre where from large quantities of foodgrains are loaded, and

(c) if so, when Government propose to issue orders for halting these trains at Rura ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) Yes.

(b) Yes.

(c) The pattern and quantum of passenger traffic offering at Rura station do not justify the stoppages of these long distance express trains there.

Railway Agencies on Ferozpur Division

9096 Shri Hem Raj : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the names of such Railway agencies as have been closed in 1966-67, 1967-68 and 1968-69 on the Ferozepur Division and the reasons therefor ?

(b) whether Government propose to start those agencies again and if not, the reasons therefor ?

The Minister of Railway (Shri C. M. Poonacha) : (a) No Out Agencies or City Booking Agencies on the Ferozepur Division were closed in 1966-67 and none has been closed so far in 1968-69. In 1967-68, the Out Agencies at Gagret, Bharwain, Paragpur, Nadaun and Jawalamukhi Mandir and the City Booking Agency at Kangra, which were being worked by Messrs Shiwalik Transport Comany, Hoshiarpur, stopped functioning from 10th August 1967. The buses belonging to the company were detained by the Government of Himachal Pradesh and it is understood that the company has since gone into liquidation.

The Out Agency at Zira had to be closed in January, 1968, because the contractor gave notice terminating the agreement.

(b) The question of reviving the Out Agency at Zira is under examination, So far as the other Out Agencies at the City Booking Agency at Kangra are concerned, efforts are being made to secure the services of a suitable contractor to operate them again.

सियालदह-पठानकोट एक्सप्रेस गाड़ी के डिब्बे में आग

9097. श्री स० चं सामन्त : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अप्रैल, 1968 के दूसरे सप्ताह में पठानकोट एक्सप्रेस गाड़ी यात्रियों के डिब्बे में आग लग जाने के कारण का पता चल गया है ?

(ख) क्या आग रेलवे कर्मचारियों की लापरवाही के कारण लगी थी और यदि हां, तो

उन व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है जो आग लग जाने के जिम्मेदार हैं जिसके परिणामस्वरूप कई व्यक्तियों की मृत्यु हो गई;

(ग) जान तथा सम्पत्ति की जो हानि हुई है उसके लिये कितना मुआवजा दिया जा रहा है; और

(घ) रेलवे सम्पत्ति को कितनी राशि का घाटा हुआ ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) और (ख) रेल संरक्षा के कलकत्ता स्थित अपर आयुक्त ने इस दुर्घटना की सांविधिक जांच की है। उनकी रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।

(ग) अभी तक दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों या उनकी ओर से क्षतिपूर्ति के लिये कोई दावा नहीं मिला है।

(घ) रेल सम्पत्ति को लगभग 30,000 रुपये की क्षति का अनुमान है।

रेलवे विद्युतीकरण परियोजना

9098. श्री ज्योतिर्मय बसु : **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री भगवानदास : **श्री हेम बरुआ :**
श्री ही० ना० मुकर्जी :

क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रेलवे विद्युतीकरण परियोजना को बहु-एकक परियोजना में परिवर्तित करने का निर्णय किया है;

(ख) क्या इसके परिणामस्वरूप संस्थापन व्यय तथा वेतन आदि का खर्च बहुत बढ़ जायेगा; और

(ग) यदि नहीं, तो इस प्रस्तावित कार्यवाही से रेलवे को क्या विशेष लाभ होंगे ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) रेल विद्युतीकरण संगठन के पुनर्गठन का निश्चय किया गया है जिसके फलस्वरूप भविष्य में परियोजनाओं को निष्पादित करने का उत्तरदायित्व उन क्षेत्रीय रेलों का होगा जहां परियोजनाएं स्थित हों। मूल अभिकल्प और इंजीनियरिंग की जिम्मेदारी रेलवे अनुसंधान, अभिकल्प और मानक संगठन की हो गयी है और सर्वोपरि नियंत्रण रेलवे बोर्ड का होगा।

(ख) जी नहीं।

(ग) रेल विद्युतीकरण संगठन के पुनर्गठन का विनिश्चय सर्वथा प्रशासनिक कारणों से किया गया है क्योंकि यह विचार किया गया था कि विद्युतीकरण के दूसरी और तीसरी पंचवर्षीय योजनाओं के शेष काम जून, 1968 तक पूरे हो जाने के बाद, रेल विद्युतीकरण संगठन जो इस समय कलकत्ता में स्थित है, कानपुर-टूण्डला और विरार-साबरमती खण्डों जैसे दूर स्थित खण्डों की विद्युतीकरण योजनाओं को भौगोलिक दूरी के कारण सन्तोषप्रद ढंग से नहीं सम्हाल सकेगा। इसके अलावा, इस परिवर्तित व्यवस्था में क्षेत्रीय रेलों को अपने खण्डों के विद्युतीकरण में अधिक प्रत्यक्ष रूप से काम करने का अवसर मिलेगा और इस प्रकार वे क्षेत्रीय रेलों की सर्वोपरि आवश्यक निर्माण कार्यों में समाकलित प्रगति कर सकेंगी।

भारतीय भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग

9099. श्री स० कुन्डू : क्या इस्पात, खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग और राज्यों तथा सरकारी उपक्रमों के बीच तकनीकी कर्मचारियों की अदला- बदली का कोई कोई कार्यक्रम आरम्भ किया है;

(ख) यदि हां, तो इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है ?

(ग) भारतीय भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग के कितने अधिकारी उड़ीसा सरकार तथा उड़ीसा खान निगम के प्रतिनियुक्ति पर भेजे गये हैं अथवा प्रतिनियुक्त किये जाने वाले है और उसके बदले में उड़ीसा सरकार तथा उड़ीसा खान निगम के कितने अधिकारियों के भारतीय भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग में प्रतिनियुक्ति पर जाने की सम्भावना है; और

(घ) पूर्वी क्षेत्र में इस कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिए क्या व्यवस्था की गई है ?

इस्पात, खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और

(ख) जी हां । श्रीनगर में दिनांक 26 से 29 सितम्बर, 1967, तक हुई खनिज सलाहकार बोर्ड की चौदहवीं बैठक और राज्यों के मन्त्रियों के सम्मेलन में, भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण संस्था और राज्य सरकारों, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों, विश्वविद्यालयों और प्रयोगशालाओं के मध्य तकनीकी विशेषज्ञों के विनिमय का निर्णय किया गया था । यह निर्णय केन्द्रीय और राज्य भू-वैज्ञानिक संगठनों के साधनों के संवर्धन के उद्देश्य से और इस बात को सुनिश्चित करने की दृष्टि से किया गया था कि समन्वय के व्यवस्थित कार्यक्रम के द्वारा उपलब्ध साधनों का अधिक से अधिक सम्भव सदुपयोग हो सके ।

(ग) भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण संस्था के दो अधिकारी उड़ीसा सरकार को प्रतिनियुक्त पर भेजे गये है और उनका एक अधिकारी शीघ्र ही उड़ीसा खनन निगम में कार्य-भार ग्रहण करेगा ।

उड़ीसा सरकार का एक अधिकारी और उड़ीसा खनन निगम का एक अधिकारी आगे ही भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण संस्था में कार्य-भार ग्रहण कर चुके हैं तथा उड़ीसा सरकार का एक अन्य अधिकारी शीघ्र ही कार्य-भार ग्रहण करेगा ।

(घ) भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण संस्था के दो अधिकारियों ने बिहार राज्य सरकार में कार्य-भार ग्रहण कर लिया है और एक अधिकारी भारतीय खनि स्कूल धनबाद, में प्रतिनियुक्त किया गया है । भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण संस्था के एक अन्य अधिकारी की भारतीय औद्योगिकी संस्थान, खड्गपुर, में कार्य-भार ग्रहण करने की आशा है । बिहार सरकार के दो अधिकारियों ने भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण संस्था में कार्य-भार ग्रहण कर लिया है ।

भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण संस्था और आसाम तथा पश्चिम बंगाल की राज्य सरकारों के मध्य अधिकारियों के विनियम के प्रश्न का निर्णय शीघ्र ही होने की आशा है ।

Suspension of Railway Employees on N. E. Railway

9100 Shri Bansh Narain Singh: Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of employees suspended during the last one year in Varanasi District on the North-Eastern Railway;

(b) the reasons for suspending each of the said employees;

(c) the number of cases disposed of out of the said cases of suspension;

(d) the reasons for delay in the rest of the cases, and

(e) the time likely to be taken to dispose of the rest of the cases ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) to (e) Information is being collected and will be laid on the table of the Sabha.

Memorandum from N.E. Railway Labour Union.

9101 Shri Bansh Narain Singh : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether the North-Eastern Railway Labour Union has submitted any memorandum to the District Mechanical Engineer:

(b) if so, the action taken thereon so far;

(c) when the action is proposed to be completed in this connection;

(d) whether Government have received some complaints against the said District Mechanical Engineer; and

(e) whether any enquiry is proposed to be conducted in this regard ?

The Minister of Railways (Shri C.M. Poonacha) : (a) to (e) Information has been called for from the Railway Administration concerned and will be laid on the Table of the Sabha as soon as it is received

Commercial Clerks of N.E. Railway

9102. Shri Bansh Narain Singh : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that discriminatory treatment is metted out to Commercial Clerks of North Eastern Railway in respect of facilities such as residential accommodation and passes, as compared to other Clerks ;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) whether facilities given to Running staff are not given to Parcel Clerks and if so, the reasons therefor ?

The Minister of Railways (Shri C.M. Poonacha) : (a) No

(b) Does not arise.

(c) No. As Parcel Clerks do not fall in the category of Running staff, the question of extending to them the facilities that are given to Running staff does not arise;

पूर्वोत्तर रेलवे में सहायक स्थाई मार्ग निरीक्षक

9103. श्री जगन्नाथ राव जोशी: क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पूर्वोत्तर रेलवे में ऐसे कर्मचारियों की संख्या कितनी है जिन्होंने सहायक स्थाई मार्ग निरीक्षक के पद पर 1956 से अपना कार्य आरम्भ किया तथा जिनकी बाद में स्थाई मार्ग निरीक्षक पद के लिये पदोन्नति हो गई परन्तु जिन्हें अब तक सहायक स्थाई मार्ग निरीक्षक के पद पर स्थायी घोषित नहीं किया गया है;

(ख) क्या यह सच है कि पदाली स्थिति के अनुसार उन्हें बहुत पहले स्थाई मार्ग निरीक्षक के रूप में स्थायी समझा जाना था;

(ग) क्या यह भी सच है कि जब तक वे स्थायी न हों वे श्रेणी II के चयन के लिये प्रस्तुत नहीं हो सकते; और

(घ) यदि हाँ, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा): (क) 42.

(ख) जी नहीं ।

(ग) जी हाँ ।

(घ) उपलब्ध स्थायी रिक्तियों के प्रति पात्र कर्मचारियों को स्थायी करने का काम सामान्य रूप से किया जाता है ।

Extension of Bhusaval-Itarsi Passenger Train upto Bhopal.

9104. Shri Bharat Singh Chauhan: Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the public have demanded extension of Bhusawal-Itarsi Passenger train upto Bhopal;

(b) if so, the reasons for not doing so uptil now;

(c) whether the Railway Board and Divisional authorities have rejected such demands; and

(d) if so, the reasons therefor ?

The Minister of Railways (Shri C.M. Poonacha) : (a) No

(b) to (d). Does not arise.

फोटो तैयार करने वाले उपकरणों का आयात

9105. श्री रा० ढो० भंडारे: क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सरकार की सामान्य नीति है कि लघु उद्योगों को देश की माँग की पूर्ति करने के लिये बढ़ावा दिया जाये ताकि विदेशी मुद्रा की बचत की जा सके तथा देश में निर्मित वस्तुओं का निर्यात करके विदेशी मुद्रा अर्जित की जा सके;

(ख) यदि हाँ, तो क्या यह भी सच है कि यद्यपि फोटो तैयार करने वाले उपकरण बड़े पैमाने पर देश में बनाये जा रहे हैं तथा उनका निर्यात किया जा रहा है तथापि केन्द्रीय सरकार उनके लिये आयात लाइसेंस जारी कर रही है; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (ख) का उत्तर स्वीकारात्मक हो, तो क्या फोटो तैयार करने के उपकरणों के आयात पर प्रतिबन्ध लगाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ताकि निर्माता न केवल देश की माँग पूरी कर सकें बल्कि विदेशी मुद्रा भी अर्जित कर सकें ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह): (क) जी, हाँ ।

(ख) केवल ऐसे अत्यावश्यक संघटकों तथा उपकरणों के आयात की अनुमति दी जाती है जो देश में नहीं बनते अथवा जिनका स्वदेशी उत्पादन आंतरिक माँग को पूरा करने के लिये अपर्याप्त है ।

(ग) फोटो परिष्करण उपकरण की कुछ ऐसी मदों पर रोक लगाने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है जो देश में बन रही हैं अथवा बनाई जा सकती हैं ।

रद्दी अभ्रक का निर्यात

9106. श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार के एक विनिर्णयानुसार, रद्दी अभ्रक का निर्यात 330 रुपये प्रति मीट्रिक टन से कम दर पर नहीं दिया जा सकता;

(ख) क्या इस प्रतिबन्ध के कारण उन व्यापारियों को भारी अड़चन हो रही है जिनके पास समुद्र पार देशों से 324 रुपये प्रति मीट्रिक टन की दर पर खरीद--प्रस्ताव आ रहे हैं, किन्तु इस प्रतिबन्ध के कारण वे उन्हें स्वीकार नहीं कर सकते;

(ग) क्या यह व्यवसाय सरकार से इस शर्त में ढील देने का अनुरोध कर चुका है ताकि वे निर्यात अवसरों पर लाभ उठा सकें; और

(घ) यदि हाँ, तो क्या इस अनुरोध पर विचार किया गया है और यदि हाँ, तो उस पर क्या निर्णय किया गया है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह): (क) 330 रुपये प्रति टन से कम मूल्य पर रद्दी अभ्रक का निर्यात नहीं किया जा सकता जिसमें 40 प्रतिशत निर्यात शुल्क शामिल नहीं है ।

(ख) न्यूनतम मूल्य, निर्यातक के हितों में और इकाई मूल्यों के संरक्षण की दृष्टि से नियत किये गये हैं । इस सम्बन्ध में कोई गम्भीर कठिनाई सरकार के ध्यान में नहीं लाई गई है ।

(ग) सरकार को कुछ अभ्यावेदन मिले हैं जिनमें से कुछ न्यूनतम मूल्यों को बढ़ाने के लिये तथा कुछ घटाने के लिये हैं ।

(घ) मामले पर इस समय अभ्रक निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा विचार किया जा रहा है जो उचित जाँच करने के उपरान्त अपनी सिफारिशें सरकार को देगी;

बैंक आफ इंडिया के निर्देशक मंडल द्वारा दान

9107. श्री मधु लिमये क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय**--कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि बैंक आफ इन्डिया का निदेशक मंडल फोरन आफ ट्रेड इंटर--प्राइज और ऐसी ही अन्य संस्थाओं को दान देता रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इस प्रकार से दान देना बैंक आफ इंडिया के मैमोरैंडम आफ ऐसोसिएशन के अनुसार निदेशक मंडल की शक्तियों से बाहर है;

(घ) क्या ये दान उस समय दिये गये थे जब उक्त बैंक के वर्तमान अध्यक्ष उस बैंक के महाप्रबन्धक थे और दान का प्रस्ताव अंशधारियों के समक्ष उनके विशिष्ट अनुमोदन के लिये कभी भी प्रस्तुत नहीं किया गया था; और

(ङ) यदि हाँ, तो इस प्रकार के कदाचार को रोकने के लिये समवाय विधि विभाग/बोर्ड या सरकार के किसी अन्य विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद): (क) से (ङ) सूचना संग्रह की जा रही है व सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी ।

इंडियन इंस्टिट्यूट आफ फौरेन ट्रेड

9108 श्री शशि भूषण वाजपेयी: क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडियन इंस्टिट्यूट ग्राफ फोरेन ट्रेड द्वारा ग्रंतर्राष्ट्रीय विपणन में प्रति वर्ष कितने छात्र प्रशिक्षित किये जाते हैं;

(ख) यह पाठ्यक्रम कितनी ग्रवधि का है ग्रौर प्रत्येक छात्र से कितना शुल्क लिया जाता है;

(ग) सरकार प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी पर कितना खर्च करती है;

(घ) इस संस्था के प्रयत्नों से कितने प्रशिक्षणार्थियों को रोजगार मिला है; ग्रौर

(ङ) क्या सरकार का विचार इन नवयुवकों को सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों में रोजगार दिलाने का है ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) वरिष्ठ कार्यकारियों के लिये प्रत्येक ग्रंतराष्ट्रीय विपणन पाठ्यक्रम में 35 छात्रों को प्रशिक्षण दिया जाता है। सामान्यतः प्रत्येक वर्ष एक पाठ्यकम का प्रबन्ध किया जाता है।

(ख) पाठ्यक्रम की ग्रवधि तीन सप्ताह होती है ग्रौर प्रत्येक सदस्य छात्र से 750 रुपये तथा गैर-सदस्य छात्र से 1,000 रुपये लिये जाते हैं।

(ग) सरकार संस्था को इस उद्देश्य के लिये कोई ग्रलग ग्रनुदान नहीं देती। छात्रों से प्राप्त शुल्कों से ही खर्च पूरा किया जाता है।

(घ) ग्रौर (ङ) इस पाठ्यक्रम में केवल उन्हीं उम्मीदवारों को भाग लेने की ग्रनुमति दी जाती है जो व्यापार तथा ग्रौद्योगिक संस्थाग्रों, संगठनों एवं सरकारी विभागों द्वारा प्रायोजित किये जाते हैं। ग्रत: उन्हें रोजगार दिलाने का प्रश्न नहीं उठता।

ऊनी होजरी माल का निर्यात

9109 श्री हरदयाल देवगुण: क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऊनी होजरी माल के निर्यातों के बदले संपूर्ति लाइसेंसों की वृद्धि करने के सम्बन्ध में कपड़ा ग्रायुक्त के ग्रध्ययन दल ने कोई सिफारिश की है; ग्रौर

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ग्रौर उस बारे में सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह): (क) ग्रौर (ख) ऊनी होजरी के निर्यात पर पंजीयित निर्यातकों को दिये जाने वाले ग्रायात पुनर्भरण के बारे में वस्त्र-ग्रायुक्त के प्रतिवेदन पर सरकार विचार कर रही है।

रूस को लोहे ग्रौर इस्पात का निर्यात

9110. श्री महन्त दिग्विजय नाथ: क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रूस भारत से 5 लाख टन इस्पात ग्रौर 2 लाख टन कच्चा लोहा खरीदने के लिये तैयार हो गया है;

(ख) क्या यह खरीद नकद भुगतान के ग्राधार पर होगी ग्रथवा वस्तु विनियय के ग्राधार पर;

(ग) इस्पात के बदले में भारत का विचार रूस से किन-किन वस्तुओं को खरीदने का है; और

(घ) इससे कितना मुनाफा अथवा घाटा होने की आशा है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी): (क) फिलहाल हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड और सोवियत सरकार की व्यापार-संस्था प्रोमसीरियोइम्पोर्ट के बीच सोवियत रूस को 2 लाख टन इस्पात के निर्यात के लिये एक करार पर हस्ताक्षर हुये हैं । इसके अलावा फरवरी 1968 में जब रूस के विदेश व्यापार मंत्री भारत में आये थे उस समय इस्पात, खान तथा धातु मंत्री ने उनके साथ पांच साल तक प्रति वर्ष 0.5 से 1.00 मिलियन टन तक इस्पात और 0.3 से 0.5 मिलियन टन तक कच्चा लोहा अधिक निर्यात करने की संभाव्यता पर बातचीत की थी। सिद्धान्ततः उन्होंने यह बात मान ली थी । औपचारिक रूप से एक लिखित प्रस्ताव सोवियत सरकार को भेज दिया गया है अभी तक उनसे हमें कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है ।

(क) और (ग) : प्रोमसीरियोइम्पोर्ट पहले किये गये करार के अन्तर्गत दिये जाने वाले माल की अदायगी सोवियत सरकार द्वारा भारत को दिये गये ऋण के भुगतान की रकम में से करेगी। आगे किये जाने वाले सौदों की शर्तों तथा सोवियत सरकार को भविष्य में निर्यात किये जाने वाले इस्पात के बदले खरीदे जाने वाले माल के बारे में अभी अन्तिम रूप से कोई निर्णय नहीं हुआ है ।

(घ) इस समय लाभ या हानि के बारे में बताना संभव नहीं है।

रूस से निकिल की खरीद

9111. **श्री महन्त दिग्विजय नाथ** : क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत रूस से निकिल खरीद रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि रूस कुछ यूरोपीय देशों से लिये जाने वाले मूल्य से दुगुना मूल्य भारत से ले रहा है;

(ग) इस सौदे में भारत को कितना नुकसान होने का अनुमान है;

(घ) क्या थाईलैण्ड अथवा किसी अन्य देश से सस्ती दर पर निकिल खरीदने के लिये किसी प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो उसे रूस से अधिक दरों पर खरीदने के क्या कारण हैं ?

इस्पात, खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) हां, महोदय ।

(ख) रूस ने निकिल का अभी कोई भाव नहीं बताया है । निकल की प्रदाय के सम्बन्ध में व्यापारिक संविदा के विषय में नई दिल्ली स्थित सोवियत व्यापारिक प्रतिनिधि के साथ बातचीत हो रही है ।

(ग) और (ख) को ध्यान में रखते हुए, यह प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) इस समय थाईलैण्ड से निकल खरीदने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है । तथापि

उत्तरोत्तर बढ़ी हुई मात्रा में केनेडा से निकल प्राप्त करने के लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

उच्च शक्ति प्राप्त कपड़ा विकास बोर्ड

9112. श्री हरदयाल देवगुण : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रशासनिक सुधार आयोग ने देश में कपड़ा उद्योग के लिये एक उच्च शक्ति प्राप्त कपड़ा विकास बोर्ड बनाये जाने की सिफारिश की है;

(ख) क्या सरकार ने इस आयोग द्वारा की गई सिफारिश को स्वीकार कर लिया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) प्रशासनिक सुधार आयोग ने आर्थिक प्रशासन के बारे में अपना प्रतिवेदन सरकार को अभी नहीं दिया है ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

Coal Washeries in Kathara, Geedi and Sawang.

9113. Shri Mrityunjay Prasad : Will the Minister of **Steel Mines and Metals** be pleased to state :

(a) when the coal washeries in Kathara, Geedi and Sawang would start functioning;

(b) whether the coal which would be mined for these factories is of the same high grade as was intended or is lower grade;

(c) whether the proportion of broken coal is more than is intended in the scheme; and

(d) whether the cocking coal and other type of coal obtained from the washeries would be consumed in the public and private undertakings completely or it would fall short or be in excess of the requirement ?

The Minister of State in the Ministry of Steel, Mines and Metals (Shri P.C. Sethi) : (a) According to present indications, Kathara Washery is likely to be commissioned in December 1968, Sawang in Febuary, 1969, and Gidi by about the middle of 1969.

(b) The coal which would be mined for treatment at these washeries is likely to be of about the same quality as envisaged in the Project Reports.

(c) This would be adjudged only after these washeries have gone into operation.

(d) While washed coal and by-products from Kathara and Sawang Washeries are likely to be almost completely consumed by the public undertakings, due to recession in demand, some surplus capacity at Gidi washery is apprehended in the initial stages of its operation This surpulus capacity is expected however to be gradually utilised corresponding with the rise in the demand for coal of the type proposed to be washed at Gidi Washery.

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा राष्ट्रीय कोयला विकास निगम से कोयला खरीदना

9114. श्री मृत्युंजय प्रसाद : क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रम राष्ट्रीय कोयला विकास निगम से कोयला खरीदते समय निगम को सीधे रूप में अदायगी करने के स्थान पर बिचौलियों को अदायगी करते हैं तथा वे बिचौलिये निगम को अदायगी नहीं करते जैसा कि निर्धारित किया हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार राष्ट्रीय कोयला विकास निगम तथा उसके सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में कोयला खरीदने वालों को एक उच्चस्तरीय समन्वय समिति बनाने का सुझाव देगी जो बिचौलियों की आवश्यकता को जहाँ तक सम्भव हो समाप्त कर दे; और

(ग) सरकार बिचौलियों से निगम को अदायगी करने सम्बन्धी बकाया राशि तथा उस बकाया राशि पर ब्याज और उस पर अर्थ दण्ड की राशि वसूल करने के बारे में सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

इस्पात, खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी): (क) यह सच है कि कुछ सरकारी क्षेत्र के उपक्रम, मुख्यत: कुछ राज्य विद्युत-बोर्ड बिचौलियों के द्वारा राष्ट्रीय कोयला विकास निगम से कोयला खरीदते हैं तथा इसके लिए बिचौलिये को ही अदायगियां करते हैं न कि सीधे राष्ट्रीय कोयला विकास निगम को। यह बिचौलिये, कभी-कभी राष्ट्रीय कोयला विकास निगम को, संगत अनुबन्ध के अनुसार, समय पर अदायगी करने से चूक कर जाते हैं।

(ख) इस समय, बिचौलियों की आवश्यकता को समाप्त करने के लिये एक उच्च-स्तरीय समन्वय समिति बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) राष्ट्रीय कोयला विकास निगम बिचौलियों से अपनी बकाया अदायगियां उगाहने के लिये हर प्रयत्न कर रहा है। देरी से की जाने वाली अदायगियों पर शास्ति लगाने तथा उन पर ब्याज लगाने के प्रश्न पर निगम इस समय विचार कर रहा है।

Loss of Railway Property due to Accident near Nonera Station

9115. Shri Y.S. Kushwah : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the details of loss to the Railway property in the Railway accident which took place in May, 1967 near Nonera Railway Station in Gwalior-Bhind Railway line (narrow gauge) of the Central Railway;

(b) the number of coaches and wagons damaged and the arrangements made to replace the same by new ones;

(c) whether the engine of the said train was also damaged;

(d) if so, whether the engine has been got repaired; and

(e) the action taken against the driver of the said train ?

The Minister of Railways (Shri C.M. Poonacha) : (a) The cost of damage to railway property was estimated as under;—

Rolling stock	..	Rs. 22,500	approximately
Permanent way	..	Rs. 2,000	,,
Total		Rs. 24,500	,,

(b) Seven coaches and three wagons were damaged of which two coaches and one wagon have been repaired and three coaches and one wagon are under repair. Two coaches were condemned and one wagon is also being condemned. The two coaches that have been condemned were replaced coaches and the question of their replacement; therefore, does not arise. The replacement of the wagon when condemned will be arranged through future Rolling Stock Programme if considered necessary.

(c) No.

(d) Does not arise.

(e) Action against the Driver is in progress.

खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा अपने कलकत्ता कार्यालयों के लिये दिया गया किराया

9116. श्री धीरेन्द्र नाथ देव : श्री सी. पी. राममूर्ति :

श्री प्र.न. सोलंकी :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खनिज तथा धातु व्यापार निगम को कलकत्ता शाखा ने अपने कार्यालय के भवन के लिये कुल कितना किराया दिया है ;

(ख) खनिज तथा धातु व्यापार निगम के कार्यालय भवन के लिये दो वर्ष पहिले कितना किराया दिया जाता था ;

(ग) क्या यह सच है कि कार्यालय के भवन का मासिक किराया 6,000 रुपये से बढ़कर 30,000 रुपये हो गया है ;

(घ) क्या पिछले दो या तीन वर्षों में कलकत्ता में मकानों के किराये काफी कम हो गये है; और

(ङ०) यदि हां, तो खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा अपने कार्यालय के भवन के लिये 500 से 600 प्रतिशत तक अधिक किराया दिये जाने का क्या औचित्य है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) 1967-68 में खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा इसके कलकत्ता स्थिति कार्यालय भवन के लिये दिया गया कुल किराया 20,2027.78 रुपये है।

(ख) 1965-66 में दिया गया किराया 76,302.60 रुपये है।

(ग) मासिक किराया 6,358.55 रुपये से बढ़कर 24,319.29 रुपये हो गया है ।

(घ) जी, नही । पिछले दो या तीन वर्षों में कलकत्ता क्षेत्र में, विशेष रूप से महत्वपूर्ण वाणिज्यिक क्षेत्रों में कार्यालय भवनों के किराये में कोई उल्लेखनीय कमी नहीं हुई है।

(ङ) खनिज एवं धातु व्यापार निगम के क्षेत्रीय कार्यालय के अमले को दो अलग अलग भवनों में रखा गया जिससे कार्यालय के सुचारू कार्यचालन में अनेक असुविधाएं प्रस्तुत हुईं । इसके अतिरिक्त निगम के क्षेत्रीय कार्यालय के भवनों में से एक भवन के मालिक ने भवन खाली कराने के लिये दावा कर दिया और उस भबन को देर-सबेर खाली करना ही था । चूंकि भवन अधिकृत रिसीवर के पास था और भवन का किराया कम था अतः मालिक ने अत्यावश्यक मरम्मत आदि पर और धन खर्च करने से इंकार कर दिया जिसके फलस्वरूप निगम को असंतोषजनक सफाई प्रबन्ध, छतों के टपकने, जर्जर बिजली की तारें जैसी अनेक असुविधाओं में गुजारा करना पड़ा ।

सारे अमले के सुविधापूर्वक रहने योग्य भवन के मिलते ही उस भबन निर्माण में कार्यालय के स्थानान्तरित कर लेने का निश्चय किया गया है

उड़ीसा से मेंगनीज अयस्क का निर्यात

9117. श्री धीरेन्द्र नाथ देव : श्री एस० पी० राममूर्ति :

श्री प्र० न० सोलंकी :

क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1966-67 और 1967-68 में उड़ीसा से मैंगनीज अयस्क का कितनी मात्रा में

निर्यात किया गया ; और

(ख) उपर्युक्त अवधि में इस सम्बन्ध में कितनी और कितने मूल्य की बिदेशी मुद्रा अर्जित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) निर्यात के अलग आंकड़े प्राप्त नहीं हैं क्योंकि पोत-लदान से पूर्व विशाखापतनम और कलकत्ता के पतनों पर उड़ीसा का अयस्क अन्य स्रोतों से आने वाले अयस्क में मिला दिया जाता है ।

(ख) मैंगनीज अयस्क के निर्यात का लक्ष्य अखिल भारतीय आधार पर निर्धारित किया जाता है ।

12 लाख मे० टन के वार्षिक निर्यात लक्ष्य की तुलना में बर्ष 1966-67 तथा 1967-68 में हुए वास्तविक निर्यात निम्नलिखित थे: —

	मात्रा हजार मे० टन में	**मूल्य लाख रु० में**
1966-67	1185.13	1336.58
1967-68	1042.44	1128.56

रूरकेला इस्पात कारखाने द्वारा रद्दी लोहे की बिक्री

9118. श्री धीरेन्द्र नाथ देव : क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1963 में रूरकेला इस्पात कारखाने द्वारा बहुत बड़ी मात्रा में रद्दी लोहे की बिक्री करने का ठेका दिया था ;

(ख) क्या टेण्डर देने वाले व्यक्ति द्वारा समय पर स्टाक नहीं उठाया गया था और इसलिये टेण्डर को रद्द समझा गया था ;

(ग) क्या जिस का टेण्डर स्वीकार किया गया था उस व्यक्ति से बयाने के रूप कोई राशि प्राप्त की गई थी ; और

(घ) क्या यह मामला इस समय मध्यस्थ निर्णायक के समक्ष है अथवा नये टेंडर मांग कर इस लोहे को बेच दिया गया है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) से (घ) : हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड ने राउरकेला इस्पात कारखाने के 3000 टन वैगन स्क्रेप की बिक्री के लिए खुला टेण्डर माँगा था । जिस पार्टी को ठेका दिया गया उसने लगभग एक साल तक माल नहीं उठाया (जबकि उसे 3 महीने के अन्दर माल उठाना था) । परिणामस्वरूप पार्टी को आवश्यक नोटिस देने के पश्चात ठेका खत्म कर दिया गया, माल के लिए पुनः टेण्डर मांगे गये और उसे पहले से कम मूल्य पर बेच दिया गया । हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड ने पार्टी द्वारा करार को तोड़ने के लिए पार्टी पर दावा किया है । करार की शर्तों के अनुसार हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड और पार्टी दोनों ने मामले को 1964 में मध्यस्थनिर्णय के लिए सौंपा था परन्तु अभी इसका कोई फैसला नहीं हुआ है । अन्तिम निर्णय होने तक हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड ने पार्टी का बयाना रोक लिया है ।

शा वोलस एण्ड कम्पनी लिमिटेट, कलकत्ता

9119. श्री अर्जुन सिंह भदौरिया : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1965-66 तथा 1967-68 में शा वोलस एण्ड कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता को विभिन्न उद्योग चलाने के बारे में कितने औद्योगिक लाइसेंस दिये गये हैं ; और

(ख) क्या सरकार का विचार इस बृटिश स्थापित्व वाली कम्पनी का एकाधिकार समाप्त करने तथा भारतीय कम्पनियों को वरीयता देने का है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरूद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख) : जानकारी इकट्ठी की जा रही है और वह सभा पटल पर रख दी जायेगी।

काली सूची में रखे गये आयातक व्यापारी

9120. श्री क० लकप्पा :

श्री श्रीधरण :

क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बर्ष 1964 के बाद से काली सूची में रखे आयातकों/व्यापारियों की कितनी संख्या है ; और

(ख) वह किस प्रकार के व्यापार में लगे हुए हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) 1964 से अब तक 524 व्यापार संस्थाएं, जो कि आयात तथा निर्यात के व्यापार में लगी हुई थीं, काली सूची में रखी गई हैं।

(ख) उनमें से 33 सुस्थापित आयातक थे तथा 491 वास्तविक उपभोक्ता थे जो कि सूती वस्त्र, रसायन, साबुन, प्लास्टिक का माल, इंजीनियरी आदि बनाते थे, या अखबार और पत्रिकाओं के मुद्रक थे।

Running of Mixed Trains on N.G. Line of Gwalior-Bhind Section.

9121. Shri Y.S. Kushwah : Will the Minister of **Railways** be pleased to state ;

(a) whether it is a fact that the mixed trains running on narrow gauge line of Gwalior-Bhind section of the Central Railway now take more time to cover the said distance and if so, the extra time they take to cover the distance as compared to that being taken in 1947;

(b) whether Government propose to run passenger and goods trains separately with a view to save the time of the travelling public and to make the journey convenient for the passengers; and

(c) whether Government also propose to introduce a faster daily passenger train service on Bhind-Sabalgarh route via Gwalior halting at Bhind, Soni, Gohadroad, Nonera, Gwalior, Bamourgaon, Sumaoli, Jora and Sabalgarh ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) Yes, about 1¼ to 1½ hours extra.

(b) There is no intention to run separate passenger and goods trains.

(c) No.

Wagon for Transport of Stones Between Kailars and Bamourgaon Stations.

9122. Shri Y.S. Kushwah ; Will the Minister of **Railways** be pleased to state ;

(a) whether it is a fact that the train services and wagons required by the manage-

ment of the Cement Factory, Bamour, District Morena, Madhya Pradesh between Kailaras and Bamougaon Stations for the carriage of stones have not been fully supplied by the Railways;

(b) whether it is a fact that the said factory has consequently declared its intention to arrange trucks for transporting the stones keeping in view the indifferent attitude of the Railway authorities; and

(c) if so, the annual loss of income to the Railways as a result of the above proposal ?

The Minister of Railways (Shri C.M. Poonacha) : (a). No.

(b). No.

(c). Does not arise·

Coaches and Wagons on N.G. Lines of Central Railway.

9123. Shri Y.S. Kushwah : Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the number of coaches and wagons on narrow gauge lines of the Central Railway from Gwalior to Bhind, Gwalior to Shivpur and Gwalior to Shivpuri are far from adequate; and

(b) if so, the action taken to provide adequate number of coaches and wagons and when these will be provided ?

The Minister of Railways (Shri C.M. Poonacha) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

मफत लाल उद्योग समूह

9124. श्री अर्जुन सिंह भदौरिया : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में मफतलाल उद्योग समूह, बम्बई को कितने औद्योगिक लाइसेंस दिये गये ;

(ख) क्या यह सच है कि इस उद्योग समूह को सबसे अधिक लाइसेंस दिये गये हैं ; और

(ग) क्या इसके फलस्वरूप इसे एकाधिकार प्राप्त हो गया है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग) : जानकारी इकट्ठी की जा रही है और वह सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

लाइसेंसों का जारी किया जाना

9125. श्री अर्जुन सिंह भदौरिया : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) (एक) बर्ड एण्ड कम्पनी, (दो) सिम्पसन ग्रुप आफ इंडस्ट्रीज, मद्रास और (तीन) लार्सेन तथा टूब्रो लिमिटेड, बम्बई की अब तक किस किस प्रकार के लाइसेंस दिये गये हैं ;

(ख) क्या इन कम्पनियों ने इन लाइसेंसों का पूर्ण रूप से उपयोग किया है। और

(ग) यदि नहीं, तो इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग) : जानकारी इकट्ठी की जा रही है और वह सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

पन्ना हीरा क्षेत्र

9126. श्री महन्त दिग्विजय नाथ :

श्री क० प्र० सिंह देव :

क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पन्ना हीरा क्षेत्र में मझावन में हीरे निकालने के लिये स्थापित किया गया कारखाना चालू हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस कारखाने की अनुमानित लागत क्या है ; और

(ग) इसकी अनुमानित उत्पादन क्षमता क्या है ?

इस्पात खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) से (ग) आंध्र प्रदेश की गारिविडी मैंगनीज खान से खरीदे गये अयस्क प्रसाधन उपकरणों पर आधारित एक शोधन संयंत्र मझावन में स्थापित किया जा रहा है। इस संयंत्र के अनुक्रम को अन्तिम रूप दिया जा चुका है और संयंत्र के 1968 की तीसरी तिमाही में चालू हो जाने की आशा है। इस बीच में समन्वेषी कार्य के दौरान कुछ हीरे निकाले जा रहे हैं। संयंत्र का अनुमानित लागत 8,25 लाख रुपये है और इस शोधन संयंत्र पर आधारित मझावन खान से प्रतिवर्ष 12,000 केरेट हीरों का उत्पादन प्रत्याशित है।

समवाय विधि बोर्ड सेवा

9127. श्री प्र०रं० ठाकुर : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समवाय विधि बोर्ड सेवा के विभिन्न श्रेणी के पदों में प्रत्येक श्रेणी के प्राधिकृत पदों की कुल संख्या कितनी हैं तथा वास्तव में प्रत्येक श्रेणी में कितने कितने कर्मचारी हैं ;

(ख) प्रत्येक श्रेणी के पदों पर अब तक अनुसूचित जातियों के तथा अनुसूचिर आदिम जातियों के कितने अधिकारी नियुक्त किये गये हैं ;

(ग) क्या इस सेबा के प्रारम्भिक गठन के समय इन समुदायों के लिये कोई पद आरक्षित किये गये थे ;

(घ) यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं ; और

(ङ०) सेवा के नियमों के अन्तर्गत इन व्यक्तियों के पर्याप्त प्रतिनिधित्व के लिये क्या विशिष्ट उपबन्ध किये गये हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरूद्दीन अली अहमद) : (क) कम्पनी विधि बोर्ड सेवा के अनेक पदक्रमों में मे प्रत्येक में कुल अधिकृत तथा वास्तविक संख्या निम्न प्रकार है :—

पदक्रम	अधिकृत पदों की संख्या	वास्तविक पदों की संख्या
I	16	14
2	17	16
3	22	19
4	35	33

(ख) केवल एक अनुसूचित जातीय अधिकारी सेवा के 4 पदक्रम में अब तक नियुक्त कया गया है।

(ग) नहीं, श्री मान् ।

(घ) चूंकि नियमों के अनुसार कम्पनी कार्य विभाग में पहले से ही कार्य कर रहे पदों के अधिकारियों के ही केवल, कम्पनी विधि बोर्ड सेवा के प्राथमिक गठन के लिये, निर्वाचन पर विचार करना था, अतः इन जातियों के लिये संभवतः सुरक्षित स्थान नहीं दिये जा सके ।

(ङ०) कम्पनी विधि बोर्ड सेवा नियम, 1965 के नियम 13 में शर्त है कि इस सेवा की प्रत्यक्ष भर्ती की नियुक्ति के लिये, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति के सदस्यों के सम्बन्ध में समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रेषित आदेशों का पालन किया जायेगा ।

वातानुकूलित डिब्बों के प्रभारक तथा अटेन्डेन्टों के वेतन तथा भत्ते

9128. श्री जे एच० पटेल : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वातानुकूलित डिब्बों में काम करने वाले प्रभारकों तथा अटेन्डैन्टों के वेतन तथा भत्ते क्या है;

(ख) बम्बई सेन्ट्रल और पठानकोट के बीच चलने वाली फ्रंटियर मेल में इन श्रेणियों के कर्मचारियों के काम के घण्टे क्या है ;

(ग) इन कर्मचारियों को कितना समयोपरि भत्ता दिया जाता है ;

(घ) क्या यह सच है कि वातानुकूलित डिब्बों के प्रभारकों और अटेन्डेंन्टों को, जो 3 डाउन पठानकोट गाड़ी में बम्बई से चलते हैं और 4 अप गाड़ी से वापस जाते हैं 90 घण्टे से अधिक समय तक अपने पदों पर निरन्तर काम करना पड़ता है;

(ङ) क्या मन्त्रालय इन कर्मचारियों के भत्तों और अन्य सुविधाओं में सुधार करने पर तुरन्त विचार करेगा; और

(च) क्या इन कर्मचारियों को दी जाने वाली वर्दियों को बढ़ा कर प्रति वर्ष चार सैट सफेद और एक सैट ऊनी रखने का भी विचार है ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) से (च) सूचना मंगायी जा रही है और यथासमय सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

बाहीरगाची पर हाल्ट स्टेशन

9129. श्री प्र० रं० ठाकुर : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बाहीरगाची पर जो एक अच्छी आबादी वाला स्थान है तथा पूर्वी पाकिस्तान से आये विस्थापितों का एक महत्वपूर्ण पुनर्वास केन्द्र है और जो पूर्वी रेलवे की रानाघाट गेडी लाइन पर अरनघाटा और बगुला के बीच स्थित है, एक नया रेलवे स्टेशन या कम से कम एक हाल्ट स्टेशन स्थापित करने के लिये पिछले 15 वर्षों से निरन्तर मांग की जा रही है;

(ख) क्या यह भी सच है कि उस लाइन पर सम्बन्धित दैनिक यात्री उतरने के लिए जंजीर खींच कर गाड़ियों को नियमित रूप से ठहराते हैं;

(ग) यदि हां, तो इस मामले में कोई कार्यवाही न करने के क्या कारण हैं जबकि एक लम्बे समय से वहां पर वास्तविक रूप से गाड़ियां ठहराई जाती हैं; और

(घ) क्या स्थानीय यात्रियों की सुविधा के लिए वहां पर एक नियमित हाल्ट स्टेशन स्थापित करने का अब कोई प्रस्ताव है ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी हां।

(ख) खतरे की जंजीर खींचने की कई घटनाएं हुई।

(ग) और (घ) बाहीरगाची में एक फ्लैग स्टेशन/गाड़ी हाल्ट खोलने के प्रस्ताव पर अतीत में विचार किया गया था, लेकिन इसका औचित्य नहीं पाया गया। इस मामले पर हाल में फिर विचार किया गया और 14-4-1968 से, परीक्षण के तौर पर वहां ठेकेदार द्वारा चालित एक हाल्ट स्टेशन खोल दिया गया है।

लाइसेंस जारी करना

9130. **श्री रा० बरुआ** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निम्न फर्मों को गत चार वर्षों में अब तक विभिन्न प्रकार के कितने लाइसेंस जारी किए गये हैं; (1) डालमिया आयरन एण्ड स्टील लिमिटेड, कलकत्ता; (2) ओगले ग्लास वर्क्स लिमिटेड, (3) जै० के० इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, कलकत्ता, (4) आगला इण्डिया लिमिटेड, बम्बई, (5) डालमिया सीमेंट भारत लिमिटेड नई दिल्ली, (6) मदन मोहन लाल श्रीराम (प्रा०) लिमिटेड, दिल्ली, (7) इण्डिया सीमेंट लिमिटेड, मद्रास;

(ख) क्या इन फर्मों ने इन लाइसेंसों; का पूरी तरह उपयोग कर लिया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग) : जानकारी इकट्ठी की जा रही है और वह सभा-पटल पर रख दी जायगी।

लाइसेंसों का जारी करना

9131. **श्री जुगल मन्डल : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों में निम्न कम्पनियों को विभिन्न प्रकार के अब तक कितने लाइसेंस जारी किये गये (1) ए० वी० टामस एण्ड कम्पनी लि० केरल; (2) दी कोका-कोला एक्सपोर्ट कारपोरेशन, नई दिल्ली; (3) ब्रिटानिया बिसकिट्स कम्पनी लिमिटेड कलकत्ता; (4) यूनियन कारबाइड इण्डिया लिमिटेड;

(ख) क्या उक्त कम्पनियों ने इन लाइसेंसों का पूरे रूप से उपयोग किया है;

(ग) यदि नहीं, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाहीं की है; और

(घ) क्या यह भी सच है कि भारत में इन कम्पनियों का एकाधिकार है और यदि हां, तो किस सीमा तक तथा उक्त कम्पनियों ने भारत में कितनी पूंजी लगाई हुई है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरूद्दीन अली अहमद) : (क) से (घ) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायगी।

लाइसेंसों का जारी करना

9132. श्री बे० कृ० दास चौधरी : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में निम्न कम्पनियों को विभिन्न प्रकार के कितने लाइसेंस जारी किये गये : (1) सी० ऐडुलजें एण्ड कम्पनी, नागपुर। (2) अलुमिनियम इन्डस्ट्रीज लिमिटेड, कुंडारा। (3) जे० बी० अडवानी बरलीकोन इलेक्ट्रोड्स (प्राईवेट) लिमिटेड, बम्बई। (4) रेडियो एण्ड इलेक्ट्रीकल्स मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड, बंगलौर। (5) जानसन एण्ड जानसन आफ इंडिया लिमिटेड, बम्बई। (6) ओरियन्ट पेपर मिल्स लिमिटेड, कलकत्ता। (7) वी० एम० सालां कार एण्ड ब्रदर्स, गोआ। (8) मार्टिन एण्ड हैरिस (प्राइवेट) लिमिटेड, कलकत्ता। (10) इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग्स लिमिटेड, कलकत्ता। (11) मोदी इन्डस्ट्रीज लिमिटेड, मोदीनगर और (12) एसोसियेटिड इलेक्ट्रीकल इन्डस्ट्रीज लिमिटेड, भोपाल;

(ख) क्या उक्त कम्पनियों ने इन लाइसेंसों को पूरी तरह उपयोग किया है; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और वह सभा-पटल पर रख दी जायगी।

जनरल इलेक्ट्रिक कं० आफ इण्डिया लिमिटेड

9133. श्री बे० कृ० दास चौधरी : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि निम्नलिखित कम्पनियों को भारत में एकाधिकार प्राप्त है (एक) जनरल इलेक्ट्रिक कम्पनी आफ इंडिया लिमिटेड (दो) एवरे इंडिया लिमिटेड, कलकत्ता (तीन) इंगलिश इलेक्ट्रिक कम्पनी आफ इंडिया लिमिटेड, मद्रास और (चार) ब्रिटानियां बिस्कुट्स कम्पनी लिमिटेड, बम्बई; और

(ख) यदि हां, तो कितना और इन कम्पनियों ने कम्पनी वार भारत में कितनी पूंजी लगाई हुई है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) सदन के पटल पर 8 अक्तूबर, 1965 को प्रस्तुत की गई एकाधिकार जांच आयोग की रिपोर्ट में, अनेक उत्पादनों, जिनमें, इन चार कम्पनियों में से प्रत्येक का नाम तथा उनके उत्पादन का क्रमशः भाग अंकित है; की एक सूची अनुबन्ध के रूप में संलग्न है।

(ख) अनुबन्ध 1 के कालम 3 के आंकड़े, उसके कालम 2 में दिये गये अनेक उत्पादों का कुल उत्पादन में, इन चारों कम्पनियों में से प्रत्येक का प्रतिशत भाग दिखाते हैं। अनुबन्ध 2 में, भारत में, इन चार कम्पनियों में से प्रत्येक का प्रतिशत भाग दिखाता है। अनुबन्ध 2 में, भारत में, इन चार कम्पनियों में से प्रत्येक को प्रदत्त पूंजी तथा विदेश के बारे में आंकड़े दिये हैं। **[पुस्तकालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 1105/68]**

लाइसेंसों का जारी किया जाना

9134. **श्री बे० कृ० दास चौधरी** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों में (1) गोल्डन टुबैको कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड, बम्बई, (2) बंगाल कोल कम्पनी लिमिटेड, पश्चिमी बंगाल (3) एशियाटिक आक्सीजन एण्ड एसेटीलीन कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता तथा (4) जय इंजीनियरिंग वर्क्स, कलकत्ता को अब तक किस-किस प्रकार के लाइसेंस जारी किये गये हैं;

(ख) क्या इन कम्पनियों ने लाइसेंसों को पूर्ण रूप से उपयोग किया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और वह सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

मफतलाल उद्योग समूह को लाइसेंसों को जारी किया जाना

9135. **श्री बे० कृ० दास चौधरी** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मफतलाल उद्योग समूह की निम्न कम्पनियों को कितने औद्योगिक लाइसेंस जारी किये गये हैं : (1) मफतलाल गागलभाई एण्ड कम्पनी (पी०) लिमिटेड, (2) गागल भाई जूट मिल्स (पी०) लिमिटेड (3) न्यू शोरोक स्पिनिंग एण्ड मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड, (4) स्टैण्डर्ड मिल्स कम्पनी लिमिटेड, (5) इंडिया डाइस्टफ इंडस्ट्रीज लिमिटेड, (6) एम० जी० इंवस्टमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, (7) मफतलाल सर्वीसिज (पी०) लिमिटेड, (8) नेशनल आरसनिक कैमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड और (9) पोलियोलेफिंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड;

(ख) क्या इन कम्पनियों ने इन लाइसेंसों का पूर्ण रूप से उपयोग किया है और ये क्या-क्या वस्तुयें बनायेंगी; और

(ग) यदि नहीं, तो इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और वह सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

किल्बन एण्ड कम्पनी, कलकत्ता

9136. **श्री कांशी नाथ पाण्डे** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि (1) बर्ड एण्ड कम्पनी, कलकत्ता (2) वालैस एण्ड कम्पनी, कलकत्ता और (3) किल्बर्न एण्ड कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता का भारत में एकाधिकार है;

(ख) यदि हां, तो कहां तक और इन कम्पनियों की भारत में कितनी पूंजी लगी हुई है; और

(ग) ब्रिटेन में उनकी मूल ब्रिटिश कम्पनी के उनमें कितने प्रतिशत शेयर हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) सदन के पटल पर 8 अक्तूबर, 1965 को प्रस्तुत की गई एकाधिकार जांच आयोग की रिपोर्ट में अनेक उत्पादनों, जिनमें इन तीन कम्पनियों में से प्रत्येक का नाम तथा उनके उत्पादन का क्रमशः भाग अंकित है, की एक सूची, अनुबन्ध 1 के रूप में संलग्न है।

(ख) अनुबन्ध एक के कालम 3 में, कुल उत्पादन में, इन तीन कम्पनियों में से प्रत्येक का भाग निरूपण करते हुए, प्रतिशत आंकड़े दिखाये गये हैं। अनुबन्ध 2 में भारत में, इन तीन कम्पनियों में से प्रत्येक की प्रदत्त पूंजी तथा निवेश के बारे में आंकड़े दिये हैं **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल. टी. 1106/68]**

(ग) उनकी मूल ब्रिटिश कम्पनियों द्वारा, इन तीन कम्पनियों में से प्रत्येक में धारण किये गये हिस्सों का प्रतिशत अनुबन्ध 3 में दिया गया है।

लाइसेंस जारी करना

9137. श्री यशपाल सिंह : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में अब तक निम्नलिखित कम्पनियों को किस-किस किस्म के लाइसेंस दिए गए : (एक) साउदर्न रोडवेज लिमिटेड मदुरै, (दो) बंगाल कारपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड, कलकत्ता (तीन) ट्रैक्टर्स एण्ड फार्म इक्विपमेंट लि० मद्रास (चार) शा वेलेस एण्ड कम्पनी लिमिटेड कलकत्ता, (पांच) स्मिथ स्टेन्सट्रैक्ट एण्ड कम्पनी लिमिटेड कलकत्ता (छः) प्रीमियर टायर्स लिमिटेड, बम्बई (सात) मैटल बाक्स कम्पनी आफ इंडिया लिमिटेड कलकत्ता और (आठ) ए० वी० थामस एण्ड कम्पनी लिमिटेड, एलप्पी;

(ख) क्या उपरोक्त कम्पनियों ने इन लाइसेंसों का पूरी तरह उपयोग किया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

टायरों का चोर बाजार में बेचा जाना

9138. श्री म० ला० सोंधी : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) यह सच है कि सरकार स्कूटर टायरों तथा ट्यूबों की चोर बाजार में बिक्री को रोकने में असफल रही है तथा उपभोक्ताओं को वास्तविक मूल्य से दुगने से भी अधिक दाम देने पड़ते हैं;

(ख) इस कमी के वास्तविक कारण क्या है और क्या गलती निर्माताओं की है अथवा व्यापारियों की अथवा दोनों की;

(ग) क्या यह भी सच है कि स्कूटरों तथा कारों के टायरों और ट्यूबों को पड़ौसी राज्यों में चोरी छिपे ले जाया जा रहा है; और

(घ) यदि हाँ, तो राजधानी में इन वस्तुओं की बिक्री को सुव्यवस्थित कराने तथा वास्तविक

उपभोक्ताओं को बिना किसी कठिनाई के इन्हें उपलब्ध कराने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरूद्दीन अली अहमद): (क) और

(ख) 1967 में स्कूटर टायरों का कुल उत्पादन 1,44,609 संख्या थी जबकि 1966 में यह उत्पादन 1,50,858 संख्या थी। उत्पादन में गिरावट का कारण फायर स्टोन एकक में 1967 में हड़ताल थी। मूल उपकरण के रूप में 1967 में सम्भरण 97,050 संख्या थी और बदले जाने के लिये शेष 47,533 संख्या ही बचे। 1967 की प्रथम छमाही में दिल्ली में सम्भरण किये गये टायरों की संख्या 6,580 थी 1967 की प्रथम छमाही में कोई कमी नहीं थी। दूसरी छमाही में सम्भरण में कमी फायर स्टोन में हड़ताल होने के कारण हुई। इस कमी को पूरा करने के प्रयत्न किये गये थे। 1 जनवरी 1968 से 15 अप्रैल, 1968 की अवधि में उत्पादकों द्वारा दिल्ली को 6,168 स्कूटर टायरों का सम्भरण किया गया था। 1968 के प्रथम साढ़े तीन महीनों में टायरों का सम्भरण 1967 की प्रथम छमाही के सम्भरण के लगभग बराबर था जिसमें कि कमी नहीं थी।

(2) सरकार को जानकारी है कि स्कूटर टायरों की कमी अभी भी है। एक तरफ आयुक्त क्षमता का पूर्ण प्रयोग करते हुये कुल उत्पादन में वृद्धि करने और दूसरी ओर उनके उत्पादन के लिये और लाइसेंस जारी करने पर लगी रोक को हटाने के कदम उठाये गये हैं। छुट-पुट समस्याओं जैसे दिल्ली में वर्तमान कमी आदि के निराकरण के लिये कदम उठाये गये हैं। उनके दिल्ली स्थित शाखा कार्यालयों द्वारा उत्पादकों को कहा गया है कि दिल्ली में टायरों के सम्भरण को बढ़ायें।

(3) फायर स्टोन एकक में उत्पादन अब उस पुनः आरम्भ हो गया है। गुड इयर एकक में विस्तार लाइसेंस के अन्तरगत स्कूटर टायरों का उत्पादन जुलाई 1968 में आरम्भ हो जायगा।

(ग) चूंकि टायरों के लाने और ले जाने पर कोई रोक नहीं है इसलिये इन टायरों की पड़ौसी राज्यों में तस्करी का प्रश्न नहीं उठता।

(घ) दिल्ली में स्कूटर टायरों की बिक्री को दिल्ली प्रशासन ने नियमित कर दिया है। यह कदम इस लिये उठाया गया है कि केवल वास्तविक माँग पर ही विचार किया जाय और कुरीतियों को, यदि कोई हों, रोका जाय।

रबड़ उत्पन्न करने वाले देशों का सम्मेलन

9139. श्री वासुदेव नायर : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अफ्रीका तथा एशिया के रबड़ पैदा करने वाले देशों का मई, 1968 में लन्दन में सम्मेलन करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत इस सम्मेलन में भाग लेगा ; और

(ग) इस सम्मेलन में किन विषयों पर चर्चा की जायेगी ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) से (ग) एक ऐसा समाचार है कि प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन करने वाले कुछ देश मई, 1968 में पेरिस में एक बैठक करने की योजना बना रहे हैं। इसका उद्देश्य प्राकृतिक रबड़ उत्पादकों का एक संघ बनाने का प्रतीक होता है। इस सम्मेलन में भाग लेने के लिये भारत से नहीं कहा गया है।

पालघाट में सूक्ष्म यंत्र परियोजना

9140. श्री वासुदेवन नायर: क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय**--कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल सरकार ने केन्द्रीय सरकार से पुनः अनुरोध किया है कि केरल राज्य में पालघाट में सूक्ष्म यंत्र परियोजना क्रियान्विति अविलम्ब आरम्भ की जाय;

(ख) क्या यह सच है कि रूस उन बहुत से यंत्रों की खरीद का इच्छुक है, जो उस कार--खाने में बनाये जायेंगे; और

(ग) सरकार का इस मामले में कब तक अंतिम निर्णय करने का विचार है;

औद्योगिक विकास तथा समवाय--कार्य मंत्री (फखरुद्दीन अली अहमद): (क) जी, हां।

(ख) इस मामले पर हाल ही में आए रूसी शिष्टमण्डल से बातचीत नहीं की गई थी।

(ग) इस पर अन्तिम निर्णय शीघ ही लिये जाने की आशा है।

रेलवे की दुर्घटनाएं, चोरियां तथा बिना टिकट यात्रा

9141. श्री क० प्र० सिंह देव: क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) (एक) विभिन्न रेलों में दुर्घटनाओं, (दो) रेलवे सम्पत्ति की चोरियां, (तीन) बिना टिकट यात्रा तथा (चार) लोगों की सम्पत्ति की चोरी के कारण दिये गये मुआवजे के कारण हानि के परिणाम स्वरूप वर्ष 1967--68 में सरकार को कितनी हानि हुई; और

(ख) इस प्रकार की हानि को रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा): (क) (1) 1967--68 में घटित दुर्घटनाओं में रेल सम्पत्ति को लगभग 1, 30, 30, 398 रुपये की क्षति का अनुमान लगाया गया है।

(2) लगभग 38.32 लाख रुपये (1.4.1967 से 29.2.1968 तक की अवधि के लिये)।

(3) बिना टिकट यात्रा के कारण सरकार को होने वाली वार्षिक हानि का ठीक-ठीक अनुमान उपलब्ध नहीं है लेकिन मोटे तौर पर यह लगभग 10 करोड़ रुपये है।

(4) 1967--1968 के पूर्वार्द्ध में बुक किये गये परेषणों की चोरी या उनसे चोरी गये माल के कारण 1.7 करोड़ रुपये क्षतिपूर्ति के रूप में दिये गये (1966--67 के सम्पूर्ण वर्ष में यह रकम 2.45 करोड़ रुपये थी)।

(ख) सभी रेल दुर्घटनाओं की जाँच की जाती है और इस तरह की दुर्घटनाओं की पुनरा-वृत्ति न हो, इसके लिये आवश्यक उपाय किये जाते हैं। चूंकि रेल दुर्घटनाओं के सम्बन्ध में की गई जांचों से पता चला है कि रेल कर्मचारियों की गलती दुर्घटनाओं का अकेला सबसे बड़ा कारण है, इसलिये कर्मचारियों में संरक्षा की भावना जागृत करने और दुर्घटनाओं की रोक--थाम के उद्देश्य से एक चतुस्सूत्री शैक्षणिक, मनोवैज्ञानिक, दण्डात्मक और तकनीकी संरक्षा अभियान चलाया गया है। जांच रिपोर्टों की छान--बीन के फलस्वरूप और जो भी कार्रवाई आवश्यक समझी जाती है, की जाती है।

रेल सम्पत्ति और जनता की सम्पत्ति की चोरी की घटनाओं को रोकने के लिये निम्न-लिखित उपाय किये गये/किये जा रहे हैं:—

(1) ज्ञात अपराधियों का पता लगाने के उद्देश्य से अपराध--आसूचना एकत्रित करने के लिये रेलवे सुरक्षा दल के कर्मचारी सादी पोशाक में तैनात किये जाते हैं।

(2) चोरी का माल रखने वालों से सम्बन्धित आसूचना एकत्रित करने के लिये विशेष खुफिया कर्मचारी तैनात किये जाते हैं और पुलिस की सहायता से उनकी दुकानों पर छापे मारे जाते हैं।

(3) अचानक छापा मार कर अपराधियों को रंगे हाथ पकड़ने के लिये क्षेत्रीय मुख्यालयों तथा रेलवे बोर्ड के केन्द्रीय अपराध ब्यूरों के कर्मचारी तैनात किये जाते हैं।

(4) सभी कारखानों और भंडारों में सुरक्षा के आधारभूत उपायों की व्यवस्था कर दी गयी है।

(5) अपराधियों और चोरी का माल रखने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिये, रेलवे सुरक्षा दल, रेलवे पुलिस और पुलिस अधिकारियों के बीच निकट सम्पर्क रखा जाता है।

(6) चोरी की रोक थाम के लिये निम्नलिखित उपाय किये गये हैं:—

डिब्बों में ताला लगाना, बिजली उपस्करों को वेल्ड करना और उन्हें ढक कर रखना, निचले ढाँचों में लगे तारों की क्लीटिंग और ट्रफिंग, जिन उपस्करों के चुराये जाने की अधिक संभावना रहती है उन्हें डिब्बों के अन्दर रखना ताकि समाज विरोधी व्यक्ति उन्हें आसानी से न हटा सकें।

(7) सभी लदे हुये माल डिब्बों को रिपट लगाकर सुरक्षित कर दिया जाता है। इसके अलावा जिन माल डिब्बों में मूल्यवान वस्तुयें होती हैं, उन्हें ई० पी० ताले लगाकर सुरक्षित कर दिया जाता है और प्रभावित क्षेत्रों में रात के समय रेलवे सुरक्षा दल के सशस्त्र पहरेदार तैनात रहते हैं।

(8) सभी महत्व पूर्ण माल गाड़ियों में रेलवे सुरक्षा दल के सशस्त्र कर्मचारी तैनात किये जाते हैं।

(9) प्रभावित क्षेत्रों में समय-समय पर रेलवे सुरक्षा दल के सशस्त्रक कर्मचारियों द्वारा गश्त लगायी जाती है।

बिना टिकट यात्रा और अन्य प्रकार की अनियमित यात्रा को कम करने के लिये सघन और बार-बार जांच की जाती है। इसमें उड़त दस्तों और रेलवे मजिस्ट्रेटों द्वारा छद्म वेश में की जाने वाली जांच और अचानक जाँच शामिल है।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO A M\TTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

राष्ट्रीय पुरस्कारों का दुरुपयोग

श्री गिरिराज शरण सिंह (मथुरा) : मैं गृह-कार्य मन्त्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक

महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर दिलाता हूँ और अनुरोध करता हूं कि वह इस पर वक्तव्य दें :

पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं द्वारा संहिता का उलंघन करते हुए राष्ट्रीय पुरस्कारों, जैसे पद्मश्री, पद्मभूषण इत्यादि, का वाणिज्यिक तथा व्यक्तिगत लाभ के लिये दुरुपयोग और भारत सरकार की अधिसूचनाओं में (देखिये सूचना और प्रसारण मन्त्रालय की 28 मार्च, 1968 की घोषणा संख्या 14935064 एफ० सी०) उपाधि के रूप में दुरुपयोग :

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वान) : गत गणतन्त्र दिवस पर पद्म पुरस्कारों की घोषणा के तुरन्त बाद, हमारे ध्यान में कुछ दृष्टान्त आए थे जिनमें पुरस्कृत व्यक्तियों तथा कुछ व्यक्तियों ने पुरस्कार के नाम को उपाधि के रूप में प्रयोग किया था। पद्म पुरस्कार व्यक्तियों को कला, विज्ञान, साहित्य तथा परोपकारी कार्य जैसे विभिन्न क्षेत्रों में की गई विशिष्ट सेवा की मान्यता में प्रदान किये जाते हैं। इस प्रकार के अलंकार व्यक्तियों द्वारा की गई जन-सेवाओं का राजकीय आदर है तथा ऐसी सेवा के लिये दी गई प्रतिष्ठा को उपाधि के रूप में उपयोग करना नितान्त अनुचित है।

(2) अतः हम जनता को समय-समय पर प्रेस नोटों द्वारा सूचित करते रहे हैं कि ये अलंकार उपाधियों के रूप में प्रयोग किये जाने के लिये नहीं है। इस विषय पर ऐसा अन्तिम प्रेस नोट 17 अप्रैल 1968 को निकाला गया था। इन पुरस्कारों के कुछ प्राप्तकर्ताओं ने मेरे मन्त्रालय को भेजे पत्राचार में भी पुरस्कार को उपाधि के रूप में प्रयोग किया था क्योंकि उन्हें वस्तुस्थिति का बोध नहीं था। जब भी ऐसे दृष्टान्त ध्यान में आये थे तो सम्बन्धित व्यक्तियों को अपने नाम के आगे अलंकार का नाम न लगाने की सलाह दी गई थी।

(3) ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय द्वारा जारी की गई एक अधिसूचना को भी निर्दिष्ट किया गया है। यह भी हमारे ध्यान में आया था तथा मन्त्रालय को कहा गया था कि वह अधिसूचना में उल्लिखित नाम के आगे प्रयोग किये गये "पद्म श्री" शब्द को हटाने के लिए एक शुद्धि-पत्र जारी करें। उन्होंने हमें सूचित किया है कि यह भूल अनवधानता के कारण हुई थी तथा अधिसूचना को शोधित कर लिया गया है।

श्री गिरिराज शरण सिंह (मथुरा) : क्या इस बात को दृष्टि में रखते हुए कि संविधान निर्माता इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि किसी भारतीय नागरिक को उपाधि ग्रहण करने तथा उसका प्रयोग करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, क्या राष्ट्रीय सम्मान तथा उपाधियों का व्यक्तिगत लाभ के लिये निरन्तर दुरुपयोग को दृष्टि में रखते हुए-सरकार पिछले अनुभव से प्रेरित होकर राष्ट्रीय पुरस्कारों से विभूषित करने के सम्पूर्ण आधार पर विचार करेगी और उन्हें पूर्णतया रद्द करेगी और क्या सरकार इन पुरस्कारों को पूर्णतः बन्द करने के प्रश्न पर विचार करेगी। दूसरी बात यह कि क्या यह सच है कि नाटककार उतपल दत्त को जो 'कलोल' जैसे राष्ट्र विरोधी तथा माओ-समर्थक नाटक लिखने में विशेष निपुण हैं, पद्मश्री की उपाधि से विभूषित करने की पेशकश की गई थी जिसे उसने ठुकरा दिया था ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : ये पुरस्कार हैं न कि उपाधियां, जैसा कि मैं बता चुका हूं और

उपाधियों के रूप में इनका प्रयोग गलत है, इसलिये उन्हें तथा जनता को वास्तविकता से अवगत कराने के लिए निरन्तर प्रयत्न किये जा रहे हैं, पुरस्कार देने की प्रथा को बन्द करने का सरकार का कोई विचार नहीं है क्योंकि हमारे पास यही एक रास्ता है जिसके जरिये हम उन लोगों के प्रति जिन्होंने देश के लिये सत् कार्य तथा सेवाएं की हैं, सराहना की भावना व्यक्त कर सकते हैं, कुछ लोगों ने इन उपाधियों को विरोध के रूप में लौटाया है। उनके इस व्यवहार के बारे में मैं कोई आलोचना नहीं करना चाहता और मैं इस विशेष मामले को फैसले के लिये जनता पर ही छोड़ता हूं।

नन्दकुमार सोमानी (नागौर) : गृह-कार्य मन्त्रालय द्वारा परिपत्र जारी किये जाने के बाद भारतीय सांख्यिकीय संस्था ने, जिसे मंत्रिमण्डल सचिवालय द्वारा चलाया जा रहा है, कल ही डा० सी० आर० राव के आगे पद्मभूषण की उपाधि लगाकर उसका फिर प्रयोग किया है। मैं यह जानना चाहता हूं इन पुरस्कारों का उपाधियों के रूप में दुरुपयोग को बन्द करने के लिए सरकार ने क्या कठोर कदम, नियम अथवा विनियम या कार्यकारी आदेश जारी किये हैं? मेरा सुझाव है कि इन पुरस्कारों के अन्तिम चयन में संसद को सम्बद्ध किया जाना चाहिए या फिर कम से कम एक मंत्रिमंडल उपसमिति होनी चाहिए जो इन राष्ट्रीय पुरस्कारों के अन्तिम चयन के बारे में जाँच करे।

श्री यशवन्तराव चह्वाण : जहां तक मंत्रिमंडल सचिवालय के प्रकाशन में गलती का सम्बन्ध है, मैं उसके लिये लाचार हूं। मैं इस बात की ओर खुद प्रधान मन्त्री का ध्यान दिलाऊंगा ताकि उसे ठीक किया जा सके। जहां तक इनके अन्तिम चयन के बारे में माननीय सदस्य का सुझाव का सम्बन्ध है, इन मामलों पर गृह-कार्य मन्त्री तथा प्रधान मन्त्री द्वारा विचार किया जाता है। इस प्रयोजन के लिये एक किस्म की अनौपचारिक समिति बनी हुई है।

सदस्यों को रोकने, हटाने, गिरफ्तारी तथा उनकी दोष सिद्धि तथा रिहाई के बारे में

RE : RESTRAINT, REMOVAL, CONVICTION AND RELEASE OF MEMBERS

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को सूचित करना है कि कल हमने कुछ विचार-विमर्श किया था और कुछ प्रस्तावों की पूर्वसूचनाएं दी गई थी, मैंने घोषित किया था कि मैं कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बुलाऊंगा, जो समय निश्चित करेगी। मैं गृह-कार्य मन्त्री जी से भी उसकी बैठक में शामिल होने का अनुरोध कर रहा हूं ताकि हम समय निश्चित कर सकें और जो कुछ करना चाहें उसे समुचित रूप से किया जा सके। मैं जानता हूं कि सम्पूर्ण सभा इस बारे में नाराज है, कार्य मंत्रणा समिति की बैठक का समय आज 5 बजे सांय निश्चित किया गया है। समिति इस बारे में निर्णय करेगी जिसे सभा के समक्ष रखा जायेगा।

इस बैठक में कच्छ मामले में असंगति के बारे में भी विचार किया जायेगा। इसलिये मेरा अनुरोध है कि गृह-कार्य मन्त्री तथा सभी दलों के नेता लोग इस बैठक में उपस्थित रहें।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : Sir I request you to hear me first. I do not want you to give your ruling just now.

अध्यक्ष महोदय : मैं आपकी बात कल सुनूंगा । दूसरी बात यह कि हम आपके साथ इस मामले पर कार्य-मंत्रणा समिति की बैठक में भी विचार-विमर्श कर सकते हैं ।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

लेखा परीक्षा प्रतिवेदन और विनियोग लेखे, डाक व तार

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : मैं निम्नखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) संविधान के अनुच्छेद 151 (1) के अन्तर्गत लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, डाक तथा तार, 1968 की एक प्रति ।

(2) वर्ष 1966-67 के लिये विनियोग लेखे, डाक तथा तार, की एक प्रति । [**पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 1085/68**]

विकास परिषद के वार्षिक प्रतिवेदन

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : मैं श्री फ० अ० अहमद की ओर से उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 की 7 की उपधारा (4) के अन्तर्गत वर्ष 1966-67 के लिए निम्नलिखित विकास परिषदों के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :

(एक) मोटर गाड़ियों, मोटर गाड़ी सहायक उद्योंगों, परिवहन यान उद्योगों, ट्रैक्टरों तथा मिट्टी हटाने के उपकरणों सम्बन्धी विकास परिषद् ।

(दो) मशीनी औजार उद्योग संबंधी विकास परिषद् ।

(तीन) कागज, गूदा तथा सहायक उद्योगों सम्बन्धी विकास परिषद् ।

(चार) चीनी उद्योग सम्बन्धी विकास परिषद् ।

(पांच) कार्बनिक रसायन उद्योगों सम्बन्धी विकास परिषद ।

(छः) अकार्बनिक रसायन उद्योगों सम्बन्धी विकास परिषद । [**पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 1086/68**]

सरकारी बचत पत्र (साविधिक निक्षेप) नियम

परिवहन तथा नौवहन मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री भक्त दर्शन) : मैं श्री जगन्नाथ पहाड़िया की ओर से सरकारी बचत पत्र (साविधिक निक्षेप) नियम, 1968 की एक प्रति जो दिनांक 17 अप्रैल, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी एस० आर० 745 में प्रकाशित हुए थे, सभा-पटल पर रखता हूं । [**पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 1087/68**]

प्राक्कलन समिति

ESTIMATES COMMITTEE

कार्यवाही का सारांश

श्री वेंकटासुब्बया (नन्दूयाल) : मैं सामान्य विषयों के बारे में प्राक्कलन समिति की बैठकों के कार्यवाही सारांश सभा-पटल पर रखता हूं ।

सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति
COMMITTEE ON PUBLIC UNDERTAKINGS
कार्यवाही-सारांश

Shai D.N. Tiwari (Gopalganj) : I beg to lay on the Table Minutes of the sittings of the committee on Public undertakings relating to the fifteenth Report.

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति
COMMITTEE ON PRIVATE MEMBER'S BILLS AND RESOLUTIONS
तीसरा प्रदिवेदन

श्री खाडिलकर (खेड) : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का तीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

प्राक्कलन समिति
ESTIMATES COMMITTEE
अठावनवां तथा साठवां प्रतिवेवन

श्री पें० वेंकटासुब्बया (नन्दूयाल) : मैं प्राक्कलन समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं :

(एक) भूतपूर्व खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय (कृषि विभाग) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद—के बारे में प्राक्कलन समिति (तीसरी लोक-सभा) के 75 वें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के विषय में 58वां प्रतिवेदन ।

(दो) वित्त मन्त्रालय—प्रतिरक्षा बजट की समीक्षा—राजस्व माँगों का समेकन—के बारे में प्राक्कलन समिति के 45वें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के विषय में 60वां प्रतिवेदन ।

लोक लेखा समिति
PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE
ग्यारहवां, तेईसवां, सत्ताइसवां, अठाइसवां तथा उन्तीसवां प्रतिवेदन

श्री श्री० रु० मसानी (राजकोट) : मैं लोक-लेखा समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं :

(एक) "न्यू सर्विस" "न्यू इंस्ट्रूमेंट्स आफ सर्विस" के विषय में 11वां प्रतिवेदन ।

(दो) विनियोग लेखे (रेलवे), 1965-66 तथा लेखा परीक्षा प्रति (रेलवे), 1967 के विषय में 23वां प्रतिवेदन ।

(तीन) सूचना तथा प्रसारण, निर्माण, आवास तथा सम्भरण (निर्माण तथा आवास विभाग), और खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार (खाद्य तथा कृषि विभाग) मन्त्रालयों के सम्बन्ध में विनियोग लेखे सिविल), 1965-66, लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (सिविल), 1967 तथा लेखा परीक्षा प्रतिवेदन

(वाणिज्यिक), 1967 के विषय में 27वां प्रतिवेदन ।

(चार) सड़क कूटने के इंजनों की खरीद में सम्बन्ध में लोक लेखा समिति के पहले प्रतिवेदन पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के विषय में 28वां प्रतिवेदन ।

(पांच) राजस्व प्राप्तियों सम्बन्धी लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (सिविल), 1967, के अध्याय I, IV और V के विषय में 29वां प्रतिवेदन ।

सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON PUBLIC UNDERTAKING

पन्द्रहवां प्रतिवेदन

Shri D.N. Tiwari : I beg to present the fifteenth Report of the Committee on Public undertakings on Financial Management in Public undertakings.

वित्त विधेयक — जारी

FINANCE BILL—CONTD.

अध्यक्ष महोदय: 29 अप्रैल, 1968 को श्री मोरारजी देसाई द्वारा पेश किये गए निम्नलिखित प्रस्ताव पर सभा अब और आगे विचार करेगी: —

"कि वित्तीय वर्ष 1968–69 के लिये केन्द्रीय सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को क्रियान्वित करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये" ।

श्री म० सुदर्शनम कल उस पर बोल रहे थे । वह अपना भाषण जारी रख सकते हैं ।

श्री म० सुदर्शनम (नरसारावपेट) वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्यांकन तकनीकी काम है और उसे तकनीकी लोगों द्वारा ही किया जाना चाहिये । कई मामलों में रोजगार अथवा वस्तुओं के लिए ठेकों की शर्तों पर समवाय-कार्य विभाग द्वारा मंजूरी दी जाती है । इस सम्बन्ध में आयकर अधिकारियों को अस्वीकृत करने की कोई भी शक्ति देना ठीक नहीं है ।

वित्त मंत्री को ब्याज के सम्बन्ध में वेतन में से कर की कटौती की व्यवस्था को जिससे कई कठिनाइयाँ उत्पन्न हो गई हैं, इस समय समाप्त कर देना चाहिये था । इस आवश्यकता की पूर्ति न करने पर अत्यधिक जुर्माना और कठिन कारावास की व्यवस्था की गई है । किन्तु कुछ मामलों में जहां लेखों को अन्तिम रूप देने में विलम्ब होने की संभावना हो, इस आवश्यकता का पालन नहीं किया जा सकता ।

बैंक दर में कमी करना सही दिशा में एक कदम है जो ठीक समय पर उठाया गया है । उम्मीद ऐसी थी कि इससे व्यापार तथा उद्योग को लाभ पहुंचेगा । लेकिन दुःख है कि ऐसा हो नहीं रहा है । वित्त मंत्री को बैंकिंग संस्थाओं पर दबाव डालना चाहिये कि देश की अर्थ व्यवस्था के हित में यह लाभ व्यापार तथा उद्योग को दिया जाना चाहिये ।

मैं इस राय से सहमत हूं कि करों के भारी बोझ से कर अपवंचन नहीं रुकेगा । यदि सरकार कर अपवंचन रोकना चाहती है, तो उसके लिये यह जरूरी है कि कर–भार इतना हो जिसे सहन किया जा सके ।

आंध्र प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है, वहां प्रति व्यक्ति बिजली की खपत भारत

में सबसे कम है । विकसित राज्यों और केन्द्रीय सरकार को आंध्र प्रदेश के विकास में सहायता करनी चाहिये । अंकटाड (संयुक्त राष्ट्र व्यापार तथा विकास सम्मेलन) के सिद्धांत को आंध्र प्रदेश के मामले में लागू किया जाना चाहिये क्योंकि वह उसकी अर्थव्यवस्था का विकास करने के लिये अत्यावश्यक है ।

भारत सरकार विदेशों से भारी मात्रा में और काफी अधिक लागत पर खाद्यान्न, विशेषतः चावल मंगाती है जिस पर बहुत विदेशी मुद्रा खर्च होती है । यदि भारत सरकार उन सिंचाई परियोजनाओं के लिये जो लगभग पूरी होने वाली हैं, वास्तव में दान दे दें, तो इससे हम अनाज का उत्पादन बढ़ा सकते हैं और उस पर खर्च होने वाली विदेशी मुद्रा बचा सकते हैं । यह कार्य बहुत जल्द किया जाना चाहिये ।

सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं की कार्यकुशलता बढ़ाई जानी चाहिये और उन्हें दक्षता से चलाया जाना चाहिये । इस क्षेत्र के सर्वोच्च कार्यकारी अधिकारियों को और अधिक शक्तियाँ दी जानी चाहिये और स्वविवेक से काम करने की शक्ति प्रदान की जानी चाहिये । मंत्रालय द्वारा उनके कामों में कोई दखल नहीं दिया जाना चाहिये । वे तभी बेहतर काम कर सकते हैं और देश की अर्थव्यवस्था के विकास में अपेक्षित सहायक हो सकती है ।

आयात तथा निर्यात के असन्तुलन को कम करना जरूरी है । अन्यथा अर्थव्यवस्था को स्थिर नहीं किया जा सकता । हाल ही मे ब्रिटिश पौंड के अवमूल्यन और ब्रिटेन में अतिरिक्त कराधान के कारण इस वर्ष तम्बाकू और खली के निर्यात को भारी धक्का पहुंचा है । इस पर बहुत शीघ्र विचार किया जाना चाहिये और तम्बाकू तथा खली पर से निर्यात कर तुरन्त हटाया जाना जरूरी है ।

श्री श्री० अ० डांगे : (बम्बई—मध्य दक्षिण) देश के सामने जो आर्थिक तथा वित्तीय समस्यायें हैं, उन्हें सुलझाने के लिये वित्त विधेयक तथा वित्त मंत्री के प्रारम्भिक भाषण में कोई आशाजनक संकेत नहीं है ।

आय—व्ययक तथा वित्त विधेयक भयानक मन्दी--ग्रस्त अर्थव्यवस्था की पृष्ठभूमि में तैयार किये गये हैं और हमें आशा थी कि सरकार मन्दी को दूर करने के लिये ऐसी नीतियां अपनायेगी जिससे आम जनता को अर्थव्यवस्था के विकास का विश्वास दिलाया जाता और उसे आश्वस्त किया जाता कि उसे फिर ऐसी कठिनाइयां नहीं झेलनी पड़ेंगी । लेकिन ऐसा किया नहीं गया । वित्त मंत्री ने चाहे कितनी ही आशा क्यों न बांधी हो, और वह कितने ही आशावादी क्यों न हों, लेकिन उनकी नीतियों से आम आदमी को कोई लाभ नहीं हुआ है और अर्थव्यवस्था की तस्वीर नहीं बदली है । इसलिये वित्त मन्त्री को स्थिति की अविलम्बनीय आवश्यकताओं और दीर्घकालीन आवश्यकताओं को ध्यान में रख कर वित्तीय प्रश्न पर अपना समूचा दृष्टिकोण फिर से तैयार करना चाहिये ।

अविलम्बनीय आवश्यकता यह है कि आम आदमी पर से कर का बोझ कम करके उसे उन आदमियों पर लादा जाये जो आम आदमी के बल पर रुपया बना रहे हैं और सम्पत्ति जोड़ रहे हैं और जो उसे बड़े आराम से सहन कर सकते हैं । लेकिन बजट या वित्त मंत्री के दृष्टिकोण में इस किस्म की कोई बात ही नहीं है ।

हम एकाधिकार–प्राप्त समूहों के कारनामों का यहां भण्डाफोड़ करते रहें हैं । क्या वित्त मंत्री ने उनकी गतिविधियों को कम करने के लिये कोई उपाय किया हैं ? राज्य सभा के एक माननीय सदस्य ने सबसे बड़े ग्रौर सबसे ज्यादा भ्रष्ट एकाधिकार समूह ग्रर्थात् बिड़ला समूह के कारनामों का भण्डाफोड़ करने वाले पूरे दस्तावेज सभा--पटल पर रखे । लेकिन सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की । कम से कम उस मामले की जांच करने के लिये एक जांच समिति नो बनायी जानी चाहिये थी । वित्त मन्त्री केवल बिड़ला घराने तथा एकाधिकारियों का ही नहीं ग्रपितु बुर्जुग्रा तथा पूंजीवाद वर्ग का भी पूरी तरह प्रतिनिधित्व करते हैं , वित्त मंत्री का वित्तोय दृष्टिकोण देश की ग्रर्थव्यवस्था के लिये विनाशकारी है । मैं उनसे यह ग्राशा नहीं करता कि वह देश में समाजवाद लायेंगे । मैं उन पर यह ग्रारोप लगा रहा हूँ कि वह देश में समुचित पूंजीवादी ग्रर्थव्यवस्था तक कायम नहीं कर सके । वह कृषि का विकास नहीं कर सके, ग्रौर वह सामान्य ग्रर्थव्यवस्था का निर्माण करने में तक ग्रसफल रहे ।

ग्रब मैं ग्रापका ध्यान ग्राथिक विकास के मध्य बिन्दु की ग्रोर दिलाना चाहता हूं । पहले हम रक्षित निधियों पर 2 प्रतिशत ग्रौर पूंजी पर 6 प्रतिशत लाभ (रिटर्न) को सामान्य विकास मानते रहे । लेकिन ग्रब सरकार यह मानने लगी है कि रक्षित निधियों पर 4 मे 7 प्रतिशत तक ग्रौर पूंजी पर 9 प्रतिशत तक लाभ नितान्त ग्रावश्यक है । इस देश के पूंजीमूलक नियमों में इतना ग्रन्तर हो गया है कि जिस 8 या 9 प्रतिशत को हम 20 वर्ष पहले प्राथमिकता शेयरों के के लिये गारन्टी दर मानते थे, ग्राज वह देश में उद्यमकर्ता के लिये ग्रौसत लाभ का गारन्टी स्तर हो गया है । इसलिये लाभ की दर ग्रब सामान्य गारन्टी दर के रूप में 18 या 20 प्रतिशत तक पहुंच गई है ग्रौर सरकार ने पूंजी पर लाभ (रिटर्न) की दर बदल कर 8 या 8½ प्रतिशत कर दी है ।

सरकार यदि उत्पादन-प्रधान ग्रर्थव्यवस्था का निर्माण करना चाहती है, तो उसे कुछ ग्रावश्यक पग उठाने पड़ेंगे । किसी भी ग्रर्थव्यवस्था में यह नितान्त ग्रावश्यक है कि उत्पादन के बाद माल का शीघ्र परिचालन हो ताकि पूंजी का प्रवाह बढ़ता चला जाये ग्रौर उसका जल्दी--जल्दी विनियोजन होता रहे । इस देश में सड़क परिवहन का विकास हुग्रा है । एक प्रस्ताव था कि ग्रन्तर्राष्ट्रीय सड़क परिवहन की उन सब कठिनाइयों को दूर किया जाये जो उन्हें राज्य स्तर पर सीमित भारी मोटर–गाड़ी कराधान के कारण होती है । इस बात को दो या तीन वर्ष बीत चुके हैं पर यह एक साधारण सा काम भी नहीं हो पाया जिससे कि सड़क परिवहन को केवल एक ही स्थान पर कर देना पड़ता ग्रौर सभी राज्यों में ग्राना–जाना निर्बाध रूप से हो सकता था ।

इसके ग्रलावा चुंगी प्रथा को, जो वर्तमान समय के ग्रनुरूप नहीं है, समाप्त किया जाना चाहिये इसे देश की कराधान प्रणाली में राजनैतिक कारणों से स्थान दिया जा रहा है । इस 70 करोड़ रुपये का ग्रनावश्यक व्यय होता है । यह 70 करोड़ रुपये की राशि ही सारे देश की चुंगी के बराबर है । कुछ राज्यों में चुंगी है ही नहीं, ग्रौर कुछ राज्यों में उसे खत्म करने के बजाय बढ़ाई जा रही है । यह बात वित्त मंत्री के ध्यान में क्यों नहीं ग्राती ग्रौर वह मुख्य--मंत्रियों को इसे, जो मध्यकालीन ग्रवशेष है, समाप्त करने की सलाह क्यों नहीं देते ? इसके समाप्त किये जाने पर सड़क परिवहन कर भी देश में एक समान हो जायगा ।

उत्पादन बढ़ाने, माल का परिचालन करने तथा आम आदमी को लाभ पहुंचाने की दृष्टि से यह आवश्यक है कि सरकार तुरन्त कुछ कदम उठाये। उसे एकाधिपतियों के विकास के कारनामों की जाँच करनी चाहिये कि एकाधिकार आयोग की नियुक्ति के बाद एकाधिकार फिर कैसे बढ़ा है, यह उत्पादन के विकास को कैसे रोक रहा है और इसे कैसे ठीक किया जाये। यह एक क्रान्तिकारी प्रस्ताव तो नहीं है लेकिन इसे सभी क्रान्तिकारी-विरोधी तत्वों से रोका जा रहा है। अतः वित्त मंत्री को इस पर विचार करना चाहिये और इस प्रश्न पर तुरन्त निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिये।

सरकारी क्षेत्र के कारखानों के प्रबन्ध में सुधार करना जरूरी है। इन कारखानों का प्रबन्ध भारतीय सिविल सेवा तथा भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को नहीं सौंपा जाना चाहिये। मुझे उनकी योग्यता आदि के बारे में कुछ नहीं कहना है। मेरा मतलब यह है कि वे लोग कुछ विशेष नियमों से बंधे होते हैं और इन नियमों से भारी उद्योग के मूल कारखानों में उत्पादन नहीं बढ़ सकता, इसके स्थान पर देश की इंजिनियरिंग पदालि से औद्योगिक प्रबन्ध पदालि बनाई जा सकती है और उसका विकास किया जा सकता है और यदि वे अधिक वेतन मांगें तो उन्हें ज्यादा वेतन देना भी लाभदायक ही है क्योंकि वे इन कारखानों का विकास कर सकते हैं और उनमें सुधार कर सकते हैं। उत्पादन में कमी या रुकावट का कारण कार्मिक संघों की आपसी वैमनस्यता नहीं बल्कि इन कारखानों के प्रबन्ध में कमी है। इसलिये यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जिस पर गंभीर रूप से विचार किया जाना चाहिये।

जिन चीजों का उत्पादन देश में हो सकता है उनका आयात बन्द करना जरूरी है, लेकिन इस समय कुछ सार्थ समूहों के लाभ के लिये आयात की अनुमति दे दी जाती है। इस सरकार ने विश्व बैंक के दबाव में आकर रुपये का अवमूल्यन किया। उसका अवमूल्यन करते समय यह कहा गया था कि आयात कम किया जायेगा और निर्यात बढ़ाया जायेगा और उससे विदेशी मुद्रा की स्थिति सुधरेगी, अब विश्व बैंक यह कहता है कि आयात का उदारीकरण करना जरूरी है। अतः अवमूल्यन के पहले की अपेक्षा अब ज्यादा आयात हो रहा है। यह नीति क्या है? क्या इससे एकाधिपतियों को लाभ नहीं हो रहा है? जब हम यह पूछते हैं कि जिन चीजों को देश में बनाया जा सकता है, सरकार उनका आयात करने की अनुमति क्यों दें रही है. तो इसका कोई उत्तर नहीं दिया जाता क्योंकि उसका कोई उत्तर भी नहीं है।

भारतीय मानक संस्था की ओर से कई शिकायतें आई हैं कि इन आयातों के कारण हम देश में मानक उपकरण तैयार नहीं कर सकते। लेकिन उन पर कोई गौर नहीं किया जाता देश में विभिन्न कपड़ा मिलों में 11 किस्म के तकुए चल रहे हैं। ऐसा विदेशी सहयोग के कारण हो रहा है क्योंकि हर सहयोग कर्ता अपना बनाया तकुआ चलाता है और हम मान जाते हैं। इसे एक दम रोकना आवश्यक है।

कपड़ा मिलों में कुछ विनियंत्रण (डिकन्ट्रोल) आवश्यक है। बन्द मिलों को फिर से चालू करने तथा मजदूरों को रोजगार देने के लिये यह जरूरी है कि कुछ किस्म के कपड़े पर उत्पादन शुल्क में कुछ परिवर्तन किये जायें।

यदि हम पूंजी जुटाना चाहते हैं तो इस प्रयोजन के लिये बैंकों से बढ़कर और कौन-सी जगह बड़ी है? यदि हम केन्द्रीय नियंत्रण और योजनबद्ध उत्पादन चाहते हैं, तो कोई भी योजना बैंकों के राष्ट्रीय करण के बिना संभव नहीं है। हम उधार संग्रह उधार विनियोजन आदि द्वारा

अपनी अर्थ व्यवस्था को ठीक नहीं कर सकते जब तक कि चल पूंजी प्रारक्षित और बचत तथा जमा रकमों के रूप में चल पूंजी के केन्द्रीय निधि संचयन को केन्द्र द्वारा रिजर्व बैंक के जरिये नहीं बल्कि सभी बैंकों का राष्ट्रीयकरण करके नियंत्रित नहीं किया जाता। लेकिन सरकार ने ऐसा करने के बजाये एक दूसरा पग उठाया है जिसे बैंकों का सामाजिक करण कहा गया है जिसके सफल होने की कोई संभावना नहीं है।

दूसरा तरीका जीवन बीमा का विकास करना है, लेकिन जीवन बीमा का धन अब भी सट्टे के लिये दिया जा रहा है, ऐसी शिकायत है कि जीवन बीमा निगम कुछ कम्पनियों को खरीद रहा है। लेकिन वास्तविक स्थिति इसकी उल्टी हैं। जीवन बीमा निगम नहीं बल्कि कम्पनियां इस निगम को खरीद रही है।

देश में प्राप्त प्रतिभा को गतिमान करना आवश्यक है। 700 वैज्ञानिक बाहर जा रहे हैं और वहां पर काम कर रहे हैं। सैकड़ों लोग अमरीका में स्थायी 'वीसा' लेकर रह रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि वे बाहर क्यों जाते हैं? इसलिये कि हमारे देश की प्रणाली उनकी प्रतिभा का लाभ उठाने में असमर्थ है। अत: इस प्रणाली के दोषों को दूर करना जरूरी है।

श्रमजीवी वर्ग तथा कार्मिक संघों का काम क्या है? हमें दोषी ठहयाया जाता है कि हम देश में उत्पादन पर रोड़ा अटका रहे हैं और अर्थ व्यवस्था को दूषित कर रहे हैं। लेकिन क्या सरकार मजूरी पद्धति में व्याप्त दोषा को ठीक कर सकती है? देश की मजदूरी-प्रथा ऐसी स्थिति तक पहुंच चुकी है कि उसके हर एक क्षेत्र में उचित संशोधन करने की जरूरत है, मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी की गारन्टी देना आवश्यक है। सरकार को जीवन-निर्वाह सूचकांक को ठीक करना चाहिए, सूचकांक बढ़ने पर महगाई भत्ता अपने आप बढ़ा दिया जाना चाहिए, सरकार को मजदूरों को वास्तविक मजूरी बढ़ाने तथा लाभ या हिस्सा देने की गारन्टी देनी चाहिए, मजदूरों का बेकारी बीमा सुनिश्चित किया जाना चाहिए। यदि सरकार उन्हें ये चीजें, जो बहुत कीमती नहीं है, देने को तैयार हो, तो मजदूर उत्पादन बढ़ाने में सहयोग करने के लिये तैयार हैं।

कार्मिक संघों को मान्यता प्रदान करने की एक प्रणाली बनायी जानी चाहिए। यदि कार्मिक संघों को मान्यता देने की प्रजातांत्रिक प्रणाली बनायी जाये जिसमें अल्पसंख्यकों को मतदान द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व दिया जाये, मजूरी प्रथा को ठीक बनाया जाये और एकाधिकार वित्त को सही तरह लगाया जाये, तो देश की अर्थ व्यवस्था सक्षय हो सकती है।

हमें डालर के चंगुल से निकलना बहुत जरूरी है, ऐसा सोचना गलत है कि डालर एक शक्तिशाली वस्तु है। वियतनामियों ने तक केवल अपने बल पर उससे छुटकारा पा लिया है। इसके खातिर हमें रुपये का भी अवमूल्यन करना पड़ा जिसके परिणाम स्वरूप हमें आयातित वस्तुओं के लिये अधिक विदेशी मुद्रा देनी पड़ रही है और सोने की तस्करी भी नहीं घटी है। बम्बई में आज भी प्रतिदिन 20,000 तोले तस्करी सोने का सौदा होता है।

श्री राजशेखरन् (कनकपुरा) : मैं प्रस्तुत वित्त विधेयक का समर्थन करता हूँ।

कराधान तथा कर का बोझ जनता पर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, लेकिन और कोई चारा भी नहीं है क्योंकि विकासशील अर्थव्यवस्था में हमें कुछ त्याग करना पड़ेगा ताकि देश का भविष्य उज्जवल हो।

सरकारी क्षेत्र के कारखानों की आज बड़ी कड़ी आलोचना होती है, हमने इस क्षेत्र में कई करोड़ रुपये लगाये हैं किन्तु उसका प्रतिलाभ हमें आशानुकूल नहीं मिल रहा है। उस उद्योगों

तथा कारखानों पर लगाये गये धन का एक बड़ा भाग अनुत्पादक चीजों में चला गया है। उदाहणार्थ हमने कार्यालयों के लिये इमारतें बनाने पर 80 करोड़ रुपये खर्च किये हैं। यह विनियोजन एकदम व्यर्थ विनियोजन है। इससे हमें कोई प्रतिलाभ नहीं मिलता।

इस देश में, हमें अपने पास उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का लाभ उठाने की योजनाओं को प्राथमिकता देनी चाहिये थी। दुर्भाग्यवश वर्ष 1950 से लेकर आज तक इन संसाधनों के दोहन (एक्सप्लाइटेशन) की ओर हमने अधिक ध्यान नहीं दिया है।

सबसे पहले मैं कृषि की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, आज इस क्षेत्र की ओर सर्वाधिक ध्यान देने की जरूरत है। यदि हमने इस पर पहले ही अधिक ध्यान दिया होता, तो हमें वर्तमान कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता। फिर भी इस साल अच्छी फसल हुई है जिसका अर्थ यह है कि हमारी अर्थ-व्यवस्था अब पुनः जीवित हो रही है और यदि इस क्षेत्र की ओर पर्याप्त ध्यान दिया गया तो आशा है कि हम अपनी अर्थव्यवस्था का उद्धार कर लेंगे।.

बैंकिंग संस्थाओं का क्या काम है ?

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अपना भाषण 2 बजे (म० प०) जारी रख सकते हैं।

इसके पश्चात लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिये दो बजे (म० प०) तक के लिये स्थगित हुई।
The Lok Sabha then adjourned for lunch till fourteen hours of the Clock.

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात दो बजे (म० प०) पर पुनः समवेत हुई।
The Lok Sabha re-assembled after lunch at fourteen hours of the Clock.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy Speaker in the Chair]

श्री राजशेखरन् : मैं कह रहा था कि कृषि क्षेत्र के विकास में बैंकिंग संस्थाएं क्या काम कर सकती हैं। बैंक ग्रामीण लोगों को अपने व्यवसाय में तरक्की करने के लिए सुविधाएं दे सकते हैं। लेकिन इस सम्बन्ध में हमारे बैंकों का काम बहुत ही निराशाजनक रहा है। इसका कारण यह है कि दो-तिहाई बैंकिंग संस्थाएं शहरी क्षेत्रों में हैं और केवल 15 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित हैं। इसके अलावा 80 प्रतिशत ऋण वाणिज्य तथा उद्योग की मदद करने के लिये दिये गये हैं। 1953 में उद्योगों को 182.39 करोड़ रुपये के ऋण दिये गये थे जबकि 1965 में 1287.3 करोड़ रुपये के ऋण दिये गये। इस अवधि में कृषि को कितना ऋण मिला? वर्ष 1953 में बैंकों ने कृषि के विकास के लिये 19.01 करोड़ रुपये दिये थे किन्तु 1965 में यह राशि घटकर 3.9 करोड़ रुपये रह गई। इससे पता चलता है कि बैंकिंग उद्योग किस प्रकार कृषि की सहायता कर रहा है। आज बैंकों के पास जमा रकम के रूप में लगभग 3500 करोड़ रुपये हैं जबकि उनकी अंश पूंजी मुश्किल से 100 करोड़ रुपये है। उपप्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री को इस बारे में यथाशीघ्र उचित कार्यवाही करनी चाहिए ताकि सरकारी तथा गैर-सरकारी बैंक किसानों की मदद कर सकें।

जहां तक बिजली का सम्बन्ध है, सरकार को इस ओर भी पर्याप्त ध्यान देना चाहिए। यदि हम उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके इस क्षेत्र का विकास कर सकें तो हम और अधिक रोजगार की व्यवस्था कर सकेंगे और समूचे कृषि क्षेत्र को बिजली दे सकेंगे ताकि

कृषक राष्ट्रीय उत्पादन बढ़ाने में अधिक से अधिक योगदान दे सकें।

मैसूर में बहुत अच्छी नदियां हैं जिनसे बिजली मिलने की बहुत सम्भावनाएं हैं। लेकिन हमारे पास धन नहीं है। उपप्रधान मन्त्री को इस ओर उचित ध्यान देना चाहिए और हमारी काली नदी परियोजना के विकास के लिए धन की व्यवस्था करनी चाहिए।

शरबती परियोजना से न केवल मैसूर को अपितु पड़ौसी राज्यों को भी काफी बिजली मिल रही है। सरकार को समूचे देश में बिजली की व्यवस्था करने के लिए पर्याप्त संशाधनों की व्यवस्था की ओर तुरन्त ध्यान देना चाहिए। सरकार को इस बारे में विश्व बैंक अथवा अन्य अभिकरणों से अनुरोध करना चाहिए। बिजली पैदा करने से ही काम नहीं चलेगा। इसकी सप्लाई की व्यवस्था करना भी अत्यन्त महत्वपूर्ण है। सभी अन्तर्राज्य बिजली वितरण लाइनों को केन्द्रीय परियोजनाओं के रूप में अपने अधिकार में ले लिया जाना चाहिये और केन्द्र इसके लिये धन की व्यवस्था करे। सरकार राज्य सरकारों और राज्य विद्युत बोर्डों को ऋण देने के के लिए संशाधनों की खोज करे ताकि वे शीघ्रातिशीघ्र बिजली की सप्लाई का काम चालू कर सकें।

जीवन बीमा निगम को अपनी विनिमयन का 33 प्रतिशत भाग ग्रामीण क्षेत्र से प्राप्त होता है। परन्तु यह ग्राम्य क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था का विकास करने के काम पर मुश्किल से 3 प्रतिशत खर्च करती है। यह बहुत अनुचित बात है। जीवन बीमा निगम एकक प्रन्यास और राज्य विद्युत बोर्डों को 6 प्रतिशत से भी कम दर पर ऋण दे।

भारत सरकार को नदियों के जल के उपयोग के बारे में एक राष्ट्रीय नीति बनानी चाहिए। यदि हम नदी कार्य परियोजनाओं के लिये निश्चित किये गये 1,000 करोड़ रु० सभी छोटी, बड़ी और बीच के दर्जे की सिंचाई परियोजनाओं के लिए लगा दें, तो हमारी खाद्य समस्या हल हो सकती है। केन्द्र राज्यों को जो ऋण देना है उस पर बहुत अधिक सूद लेना है। मेरा मन्त्री जी से अनुरोध है कि वे इस ओर ध्यान दे।

अन्त में मैं रेशम उद्योग के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। मैसूर राज्य में यह एक विशाल और विकसशील उद्योग है। इस उद्योग से देश में विदेशी मुद्रा के रूप में 4.5 करोड़ रुपये आ रहे हैं। परन्तु केन्द्रीय सरकार ने इसकी उपेक्षा कर रखी है। तीन वर्ष हो गये हैं और केन्द्रीय सरकार ने मैसूर राज्य रेशम सहकार्य विपणन समिति को 20 लाख रुपये की ऋण की प्रार्थना पर अभी तक कुछ नहीं किया है। वाणिज्य मन्त्री श्री दिनेश सिंह, ने सभा में यह घोषित किया था कि वह अल्पवस्थित कपड़ा मिलों की देखभाल करने के लिए एक निगम का गठन करेंगे और पूंजी के रूप में 10 करोड़ रुपये की व्यवस्था करेंगे। मेरा वित्त मन्त्री जी से अनुरोध है कि वह इस ऋण को शीघ्रातीशीघ्र व्यवस्था करें।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : Last year while presenting the budget the Minister of Finance had promised that he would not resort to deficit financing. But he has failed in fulfilling his assurance.

The budget should be prepared keeping in view the fact that it leads to early industrial bevelopment and the agricultural production increases. But the budget presented by the Finance Minister is not likely to achieve these aims.

We have been pleading that drastic steps should be taken to check tax evasion. Although the Finance Minister has made provisions in the Bill in this regard, but unless

there is no change in the policy and intentions of Government, it is not likely to lead to any result.

In the past few days three specified cases of tax evasion in respect of Kilachand Devchand, Amin Chand Pyarelal and Radha Krishna Punja Ram Narayan & Sons were raised in the House. In section 277 of the Income tax Act, there is a special provision that if a person delivers an account or statement which is false, he shall be punishable with rigorous imprisonment for a term which may extend to two years. I would request the Minister of Finance to let me know whether criminal proceedings have been instituted against the above three parties. If it is not done, it means that Government lacks determination and the recommendations made by the Minister of Finance in Finance Bill are not likely to lead to any result in the absence of the determination.

The object of Banking Bill referred to select committee is to bring social control. But I think in the name of social control, control by congress is likely to be imposed on the banks. In the light of the proposed Bill the capitalists have started appointing Congressmen as Directors of Banks. It will mean that in future only those institutions will get loan from banks who are supporters of Congess. Therefore, it is essential that banks are not brought under the control of capitalists and Government and these banks function in public interest.

The announcement about raising or decreasing the bank rates is generally made on Wednesday. This year, the Budget was presented on Thursday, the 29th February but no announcement was made on that day about decreasing the bank rates. This announcement was made on 2nd March. The speculators had come to know in advance that the bank rates would be decreased. The result of it was that the point on which the Minister of Finance laid stress during his speech had no effect on dealers in Bills of Exchange. It is really regrettable that such things take place in Stock Exchanges. We have come to know that there is a speculator by the name of Kaparia who is the son of a senior member of the Cabinet. Therefore, all these things should be enquired into and an Enquiry Committee should be appointed for the purpose. This step is essential to remove corruption in public life.

Last year at the time of levying duty on power looms, the Minister of Finance had remarked that there would be an income of Rs.7,80,00,000 but afterwards after allowing small concessions, the income dwindled to Rs. 6,00,00,000. At that time, late Dr. Lohia had challenged these figures. It was suggested that if collection is made in a proper way, there would be an income of Rs. 16 crores. But this was not done and consequently Government lost huge revenue. It has been alleged that in three centres in Maharashtra namely Bhiwandi, Malgaon and Isol Karaydi tax-evasion on a large scale is done in collusion with Excise Inspectors, who take illegal gratification to the tune of several thousand rupees per month. This should be stopped.

When the question of smuggling of gold by B.O.A.C. was raised in the House, I had remarked that strong action should be taken against that Company and the gold seized be confiscated. But now it has been ascertained that pressure is being exerted for the return of this gold. I would request the Finance Minister to look into this matter.

The foreign exchange department has not been working properly. At the time of devaluation of sterling, he did not pay any attention to it and I had to write a letter to him for his information so that he may take necessary action.

It is a matter of regret that after last general elections when Shri S.K. Patil had gone to America, the whole expenditure on his visit was borne by a businessman of Bombay, who is a smuggler. It is highly improper. It is due to such contacts of smugglers that they escape punishment. I had been told that some smugglers of Bombay have given 40 lakh rupees to the Ministers and Congress leaders for his release. The Minister of Finance should take strong action in such case. Such Ministers should be dismissed.

I would also like to add that there is lack of proper co-ordination between different Ministeries of Government of India.

श्री हिम्मतसिंहका (गोड्डा) : सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी जो प्रतिवेदन पेश किये गये हैं उनसे बहुत बुरी स्थिति का पता चलता है । सरकारी उपक्रमों के कार्य-संचालन में सुधार करने के के लिये अवश्य कार्यवाही की जानी चाहिये ताकि उनमें लगी भारी पूंजी पर उचित लाभ मिल सके । इसके लिये एक प्रबन्धक पद्दाली बनाना आवश्यक है जो सरकारी उपक्रमों की समुचित ढंग से देख रेख करेगी । हमें यह पता चलता है कि इन उपक्रमों में पूरी क्षमता का प्रयोग नहीं किया जा रहा है और साथ ही जो आर्डर दिये जाते है उनके अनुसार सप्लाई नहीं की जाती । इन बातों की ओर तुरन्त ध्यान देने की आवश्यकता है ।

प्रशासनिक व्यय में किफायत करने के लिये काफी गुंजाइश है । सरकारी विभागों द्वारा किये जा रहे अनावश्यक खर्च को कम करने के लिये अवश्य कार्यवाही की जानी चाहिये । यदि काम करने वाले लोग आवश्यक संख्या में ही हों, तो काम भी अच्छा होगा ।

निर्यात बढ़ाने के लिये जो कदम उठाये जाने चाहिये, वे नहीं उठाये जाते हैं । हम 1200 करोड़ रुपये का आयात-निर्यात करते हैं और 2000 करोड़ रुपये का माल आयात करते हैं । जब तक 800 करोड़ रुपये का यह अन्तर समाप्त नहीं किया जायेगा तब तक हमारे देश के लिये अपने पांव पर खड़े होना असम्भव है । अतः निर्यात बढ़ाने के लिये कार्यवाही करना आवश्यक है । अवमूल्यन के पश्चात् अतिरिक्त लाभ समाप्त करने के इरादे से चाय पर भारी निर्यात शुल्क लगाया गया था । परन्तु ब्रिटेन और श्री लंका ने जो विश्व की चाय मार्केट में प्रतिस्पर्धियों में से हैं, अपनी मुद्रा का अवमूल्यन कर दिया है । इसके परिणाम स्वरूप भारतीय निर्यातकों द्वारा 14 प्रतिशत कम वसूल किया जा रहा है । मंत्री महोदय को इस पर विचार करना चाहिये कि उन्हें अभी तक लगे निर्यात शुल्क का कुछ भाग वापस कर देना चाहिये । यदि वर्तमान स्थिति जारी रहती है तो चाय के मामले में हमें हानि होगी । पटसन पर निर्यात-शुल्क काफी ज्यादा था और उसमें उचित कमी कर दी गई थी परन्तु जहां तक पटसन के बोरों का सम्बन्ध है, इस पर अभी अग्रेत्तर बिचार की आवश्यकता है ताकि वे पकिस्तान से स्पर्धा का मुकाबला कर सके । पाकिस्तान सरकार पटसन का निर्यात करने वालों को बहुत सी रियायतें दे रही है जिसके परिणामस्वरूप भारतीय पटसन की मांग धीरे-धीरे कम होती जा रही है । अतः इस मामले पर विचार किया जाना चाहिये ।

देश में बड़े पैमाने पर वस्तुओं का तस्कर व्यापार हो रहा है । नायलन, ट्रांसिस्टरों, घड़ियों और फाउंटेन पैनों जैसी वस्तुओं की तस्करी हो रही है और बाजार में ये वस्तुयें बहुत बड़ी तादाद में आ रही है । यह बात समझ में नहीं आती कि तस्करी की इन वस्तुओं को बाजार से जब्त क्यों नहीं किया जाता और जो लोग इन वस्तुओं का व्यापार कर रहे हैं उनसे क्यों नहीं पूछा जाता कि ये वस्तुयें उन्हें कहां से मिली हैं । यदि मुकदमे चलाये जाये, तो यह तस्कर व्यापार समाप्त हो सकता है ।

आसाम और पश्चिम बंगाल में पाकिस्तानि घुस पैठियों की संख्या बढ़ रही है । वास्तव में यह बहुत नियन्त्रित और योजनाबद्ध तरीके से हो रहा है । आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि बहुत से क्षेत्रों में इस देश के विरोधी तत्व बहुसंख्यक हो गये हैं । अतः इसको समाप्त करना

आवश्यक है। इस चीज को रोकने के लिए उन लोगों को, जो हाल ही में आये हैं और जो भारतीय राष्ट्रजन नहीं है, मताधिकार नहीं दिया जाय। घुसपैठ का एक उद्देश्य विफल हो जायेगा।

कृषि की ओर ध्यान दिया जाना चाहिये। ऐसी बहुत सी योजनायें हैं जिनसे खाद्य का उत्पादन फौरन बढ़ाया जा सकता है परन्तु इनकी क्रियान्विति के लिये धन की व्यवस्था नहीं की जा रही है जिसका यह परिणाम हो रहा है कि हमें अब भी विदेशों से खाद्यान्न का आयात करना पड़ता है। यदि बेहत्तर बीजों, उर्वरक आदि की व्यवस्था के साथ-साथ हम अपनी बड़ी, मध्यम और लघु सिंचाई योजनाओं पर अधिक खर्च करें तो हमारा देश आत्म-निर्भरता प्राप्त कर सकता है।

वित्त विधेयक के खंड 7 में एक नई धारा 40–क रखी गई है जो आयकर अधिकारी के स्वविवेक पर अत्यधिक तथा अनुचित व्यय न होने देने के बारे में है। परन्तु ऐसे उदाहरण मिलते हैं जहां कम्पनी अधिनियम प्रशासन में कुछ प्रतिशत राशि प्रबन्धक निदेशक को मुआवजा दिये जाने के लिये स्वीकृत की है। आयकर अधिकारी को दी जाने वाली उस राशि के औचित्य पर भी आपत्ति उठा रहा है जो सरकार के एक दूसरे विभाग द्वारा अनुमोदित शर्तों पर दी गई है। फिर प्रबंधक निर्देशक का मुआवजा, जहां तक कम्पनी का सम्बन्ध है, नहीं दिया जा रहा। परन्तु जब पाने वाले व्यक्ति पर कर लगाने की बारी आती है तब उसे जितनी राशि भी मिली है उस सम्पूर्ण राशि पर कर देना होता है। यह न्याय-संगत नहीं है। जब कोई कम्पनी विद्यमान कानून के अनुसार किसी खाद्य का भुगतान करती है तब आयकर अधिकारी को उसे अस्वीकृत करने का कोई अधिकर नहीं होना चाहिये।

प्रस्तावित धारा 40–क का उपखंड (3) भी आपत्तिजनक है। इसमें उपबन्ध है कि यदि कोई कर दाता 2,500 रुपये से अधिक का भुगतान करता है तो ये क्रास किये चैक अथवा बैंक ड्राफ्ट द्वारा किया जाय।

इसी प्रकार खंड 21 में भी उपबन्ध है कि यदि कोई व्यक्ति बिना उचित कारण के कोई राशि लेकर समय पर नहीं लौटाता है तब उसे कारावास का दंड दिया जा सकता है। जिसकी अवधि 6 मास तक की हो सकती है और साथ ही उसे एक निश्चित राशि से अनधिक का जुर्माना भी किया जा सकता है। खंड वैकल्पिक नहीं होना चाहिये। यह न्यायालय के स्वविवेक पर छोड़ दिया जाना चाहिये चाहे वह उसे कैद अथवा जुर्माना अथवा दोनों प्रकार का दंड दे। फिर यदि 10 दिन अथवा 15 दिन का तकनीकी दृष्टि से विलम्ब क्यों न हुआ हो, यह उपबन्ध आवश्यक अथवा न्यायोचित नहीं जान पड़ता।

श्री उमा नाथ (पुडूकोटै): प्रधान मंत्री तथा उप-प्रधान मन्त्री ने देश की आर्थिक स्थिति के बारे में आमतौर पर यह कहा है कि हम प्रगति की ओर बढ़ रहे हैं। परन्तु तथ्य इसके विपरीत है। औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि की वार्षिक दर 1962 में 8·4 प्रतिशत से घटकर 1967 में 1.4 प्रतिशत रह गई है।

व्यापार सन्तुलन की दिशा के सम्बन्ध में सामान्य सिद्धाँत यह है कि यदि वास्तविक निर्यात बढ़े और वास्तविक आयात घटे, तो व्यापार के अन्तर में कमी होगी। परन्तु काँग्रेस की समाज–

वादी अर्थव्यवस्था में इससे बिल्कुल विपरीत हुआ है। लाभों में वृद्धि करने की आवश्यकता नहीं है अपितु लाभ एकत्रित करने और किसानों, श्रमिकों, मध्यम वर्ग के तथा छोटे उद्योग-पतियों को अधिक रियायतें देने की आवश्यकता है ताकि उनकी क्रय--शक्ति में सुधार हो सके। केवल इसी से अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा।

सरकार का कहना है कि बजट में पूरे किये गये अन्तर से यह आवश्यक नहीं हो जाता कि स्वतः ही घाटे की अर्थ--व्यवस्था की शरण ली जाय। यहां भी उप--प्रधान मंत्री ने मूल्यों में कमी होने और 275 करोड़ रुपये के करों की बकाया राशि का उल्लेख किया है। कृषि--उत्पादन का थोक मूल्य सूचकांक, जो जनवरी, 1966 में 169·9 था जनवरी 1967 में 190·7 हो गया और फिर इस वर्ष के जनवरी मास में बढ़ कर 209.8 हो गया।

फिर यह भी कहा गया है कि उप--प्रधान मंत्री जी को 275 करोड़ रुपये के करों की बकाया राशि को वसूल करने की आशा है और यह घाटे की अर्थ व्यवस्था का आश्रय न लेने में सहायक होगी। हम यह दावे से कह सकते हैं कि वह इस बकाया राशि को वसूल नहीं कर पायेंगे बल्कि चालू वर्ष में उनके साथ बकाया राशि में तथा दिये धन की राशि में वृद्धि हो जायेगी।

यह भी कहा गया है कि 1 जून, 1968 से, जहां तक उत्पादन कर एकत्रित करने का सम्बन्ध है, वह अनिवार्य लेखा--परीक्षा किस्म का नियन्त्रण लागू करने वाले हैं। इस नई प्रक्रिया के अनुसार 1966 और 1967 के बीच हमारा निर्यात 3 करोड 60 लाख डालर बढा है जब कि हमारा आयात 7 करोड़ 40 लाख डालर घटा है। फिर भी हमारे व्यापार का अन्तर 667 करोड़ रुपये से बढ़कर 1967 में 752 करोड़ रुपये हो गया है।

जहां तक वित्त विधेयक में उल्लिखित कर--प्रस्तावों का सम्बन्ध है, अप्रत्यक्ष करों की बहुत बड़ी राशि को छोड़कर, जो लोगों के अपेक्षाकृत गरीब वर्ग पर वास्तव में प्रत्यक्ष भार हैं, बड़े उद्योगों को काफी अधिक रियायतें दी गई हैं।

इस वर्ष के प्रस्तावों में एक नई बात विधेयक की धारा 27 में है अर्थात जहाँ कम्पनी को कर--छूट--प्रमाण पत्र के रूप में मिलने वाली राशि उसके कर--दायित्व से अधिक हो, तो यह फर्क सरकार द्वारा कम्पनी को दिया जायगा और जहां कम्पनी का बिल्कुल ही कोई कर--दायित्व न हो, जो कम्पनी को मिलने वाली यह राशि, जो उसे कर--छूट प्रमाण--पत्रों द्वारा मिलनी है, सरकार द्वारा कम्पनी को दी जायेगी। ऐसा इसलिये हुआ है कि वह व्यक्ति, जिसे यह राशि मिलनी है, एक बड़ा उद्योगपति है, जब कि कम्पनी को दी जाने वाली प्रस्तावित राशि यह नहीं है।

सरकार के मतानुसार लाभों में दिये जाने वाले प्रोत्साहन से उत्पादन बढ़ेगा और उत्पादन की वार्षिक दर में वृद्धि होगी। लाभों का सूचकांक जो 1960—61 में 100 था, 1965—1966 में 134 था। औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि की वार्षिक दर में 8·4 प्रतिशत से अकस्मात 1.4 प्रतिशत की गिरावट आई। अतः सरकार की वित्तीय तथा अन्य नीतियों के परिणामस्वरूप देश की अर्थ--व्यवस्था की आज की स्थिति यह है।

विदेशी दबाव के सामने झुकना, वास्तव में अमरीकी दबाव के सामने झुकना—यह प्रवृत्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इसकी सबसे नई मिशाल तेल की खोज के प्रश्न से सम्बन्धित है।

हम खोज परीक्षात्मक खुदाई तथा अन्य कार्यों के बारे में एक अमरीकी कम्पनी के साथ कोई समझौता करने वाले थे। इस समझौते के अन्तर्गत हमारे 51 प्रतिशत शेयर होते थे और उस कम्पनी को 49 प्रतिशत दिये शेयर दिये जाने थे। दो मुख्य शर्तें ये थी कि परीक्षात्मक खुदाई—कार्य वह कम्पनी करेगी और यदि तेल न मिले, तो पूरा खर्च वह उठायेगी। परन्तु यदि तेल मिल जाये तो 50 प्रतिशत खर्च हम करेंगे। परन्तु खोज पर होने वाले व्यय के सम्बन्ध में निर्णय कम्पनी के द्वारा किया जाना चाहिये था। इसका दुरुपयोग हो सकता था इसके अलावा मूल्य का निर्णय भी कम्पनी द्वारा किया जाना था।

कुछ मन्त्रियों ने विदेशी बैंकों में खाते खोल रखे हैं। हमें इस पर आपत्ति है क्योंकि लोगों द्वारा विदेशी बैंकों में खाते खोलने से सदा ही यह प्रोत्साहन मिलता है कि हमारे अपने देश का धन, जो हमारे देश को मिल नहीं पाता, विदेशों में चला जाता है। यदि व्यापारियों के सम्बन्ध में यह बात गलत है तो मंन्त्रियों द्वारा ऐसा करना और भी गलत हैं।

फिर किसी भी सचिव अथवा मंत्री को व्यापार में भाग नहीं लेना चाहिये। उत्पादन—कर निर्माता द्वारा पेश किये गये लेखे के आधार पर बाद में निर्धारित एवं वसूल किया जायेगा और ये लेखे उद्योगपति द्वारा स्वयं रखे जायेंगे। इस समय लगभग यही प्रक्रिया आयकर वसूल करने के लिये अपनाई जा रही है और इसी प्रक्रिया के परिणामस्वरूप करों के बड़े पैमाने पर चोरी, करों की बकाया राशि में वृद्धि तथा मुकदमे बाजी बढ़ी है। सरकार को यह निश्चय ही जान लेना चाहिये कि उत्पादन—कर की वसूली की इस नई प्रक्रिया के भी वही परिणाम होंगे। कांग्रेस राज्य में हमारे देश में पूंजी संचय करने का यह समाजवादी तरीका है। सरकार बड़े—बड़े उद्योगपति संरक्षकों का पोषण करने में न केवल जनता का धन लुटायेगी बल्कि उस क्षेत्र में अराजपतित कर्मचारियों की कुल संख्या के पांचवें भाग के रोजगार की बलि भी देगी।

किये गये जुर्मानों की कुल राशि 459,00,000 रुपये है और वसूल किये गये जुर्मानों की वसूली की राशि 49 लाख रुपये हैं। इस प्रकार करों की चोरी, करों की बकाया राशि, हरजाना, और हरजानों का बकाया, ये सब बातें चलती रहेंगी।

उप—प्रधान मंत्री एशियायी बैंक सम्मेलन में भाग लेने के लिये मनीला गये थे। उस समय वह अपने एक सचिव अपने पुत्र को भी राजनयिक पारपत्र द्वारा अपने साथ ले गये थे। वहां से वह जापान गये, जापान से हांगकांग और अन्त में ताईवान गये जहां वे एक व्यापारी के मेहमान बने।

उपप्रधान मन्त्री के बेटे के पास राजनयिक पारपत्र था। वहां से वह साम्यवादी-विरोधी लीग की बैठक में जापान में चले गए। वहाँ से वह हांगकांग चले गये जहां एक व्यापारी के अतिथि थे। वहां से दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल चले गये तथा वहां निर्यात सम्बन्धी समझौते पर हस्ताक्षर किये।

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : यह सब झूठ हैं।

श्री विक्रमचन्द महाजन (चम्बा) : यह मानहानिकारक वक्तव्य है। इसे कार्यवाही से हटा देना चाहिये। ऐसा करने के लिए उन्हें नोटिस देना चाहिए था।

उपाध्यक्ष महोदय : इसके बारे में नियम बने हुए हैं। उपप्रधान मन्त्री ने स्वयं अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है कि इस पर ध्यान न दिया जाये।

श्री रंगा (श्रीकाकुलम) : जब एक सदस्य कोई प्रश्न उठाता है और दूसरा सदस्य उसके बारे में इन्कार करता है कि यह गलत है तो पहले सदस्य को दूसरे सदस्य के वक्तव्य को स्वीकार कर लेना चाहिये।

श्री उमानाथ : जब सरकार का कोई मन्त्री अपने बेटे अथवा रिश्तेदार को साथ ले जाता है जो कि स्वयं व्यवसाय करता है तो उन्हें दौरे में शामिल नहीं होने देना चाहिए।

श्री मोरारजी देसाई : वह किसी व्यवसाय में नहीं है।

Shrimati Lakshmikanthamme (Khammam) : Sir when an hon. member persists in his arguments, you should give protection to the hon. Minister.

उपाध्यक्ष महोदय : मन्त्री महोदय स्वयं अपने विरुद्ध आरोपों का उत्तर दे सकते हैं।

श्री स० कुण्डू (बालासौर) : सदस्य महोदय केवल अपने विचार प्रकट कर रहे हैं।

श्री मनुभाई पटेल (डभाई) : किसी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध आरोप लगाना उचित नहीं जो सदन में उपस्थित नहीं है।

Shri Prem Chand Verma (Hamirpur) : Sir to go abroad is not a sin. I have been told that no foreign exchange was spent on him. Some people even go to Russia and indulge in conspiracies and others are prevented from going even to other places, yet they raise objections.

श्री मनुभाई पटेल : श्री डांगे का विदेशी बैंकों में खाता है, फिर यहाँ आपत्ति उठाने का लाभ क्या है ?

श्री विक्रमचन्द्र महाजन : क्या कुछ लोग रूस तथा चीन बिना वहाँ के निमन्त्रण के गये है और यदि हां तो उन पर कितनी राशि व्यय हुई ?

उपाध्यक्ष महोदय : सदस्य महोदय अपनी तथा मन्त्री महोदय की गतिविधियों की तुलना कर रहे हैं। जो कि उचित नहीं है। किसी मन्त्री के बेटे का नाम लेकर आरोप लगाना ठीक नहीं है।

श्री उमानाथ : मैं तो औचित्य की बात कर रहा हूं। मन्त्री महोदय के बेटे के पास राजनयिक पारपत्र था जो कि विदेश जाने वाले बहुत लोगों के पास नहीं होता।

चाहे श्री देसाई कितने ही इस प्रकार के उपाय उठायें, उससे देश की अर्थव्यवस्था सुधरने वाली नहीं है। इसका कारण यह यह है कि हमारी अर्थव्यवस्था को इंगलैंड तथा अमरीका की अर्थव्यवस्थाओं से जोड़ दिया गया है और वह स्वयं आज आपत्ति में हैं।

श्रीमती शारदा मुखर्जी (रत्नागिरी) : उपाध्यक्ष महोदय जो चर्चा हुई है उसमें करों सम्बन्धी नीति पर बात होने की अपेक्षा हम व्यक्तिगत आरोपों में व्यस्त हो गये। चर्चा तो वित्तीय विधेयक तथा सरकार की करों सम्बन्धी नीति पर होनी है।

[**श्री गु० सि० ढ़िल्लों पीठासीन हुए**
Shri G. S. Dhillon in the Chair]

सरकार की करों सम्बन्धी नीति क्या है ?

हमारी वर्तमान अर्थव्यवस्था के सम्बन्ध में हम सबको पता है कि हमारी राष्ट्रीय आय में 10.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। हमारे उद्योग में मन्दी आई हुई हैं। हमारी कृषि का उत्पादन बढ़ा है परन्तु भावों में कमी नहीं हुई है।

हमें यह पता है कि हमारे हजारों लोग बेरोजगार हैं। हमें चाहिए कि मूल्यों तथा आय में संतोषजनक तालमेल पैदा करें। इसके लिये हमारी करों की नीतियों का अध्ययन करना पड़ेगा।

मैं उपप्रधान मन्त्री के इस सुझाव का स्वागत करती हूं कि एक व्यक्ति के लिये 25,000 रु० तक तथा दो व्यक्तियों के लिये 50,000 रु० तक की करों से मुक्ति होगी यदि यह राशि सावधिक जमा में हो। जो अधिक रुपया बाजार में चल रहा है उसे ठीक स्थानों में लगाया जाये तथा इसे सुव्यवस्थित बैंकों के क्षेत्र में लाया जाये और इससे उद्योग स्थापित किये जायें। अब कृषकों का एक नया वर्ग सामने आ रहा है जिसकी सालाना आय 18,000 रु० से 20,000 रु० तक है। उन्हें कोई कर नहीं देना पड़ता जबकि वेतन पाने वालों को कर देना पड़ता है। ऐसे करों के बारे में किसी संघीय शासन व्यवस्था में तथा राज्य सरकारों और स्थानीय प्राधिकारों के बीच अधिक समन्वय स्थापित किया जाना चाहिये। देश में दो प्रकार की आय वाले वर्ग हैं, एक निर्धारित आय वाला वर्ग तथा दूसरा वह जिसकी आय निर्धारित की जाती है। और जिससे कर वसूल नहीं किया जा रहा। निर्धारित आय वर्ग के लोगों से हम पर्याप्त मात्रा में कर वसूल कर लेते हैं।

वर्ष 1967 की असैनिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के देखने से पता चलता है कि 1955-56 में बकाया करों की राशि 53.73 करोड़ रुपये थी जबकि 1965-66 मे यह राशि बढ़कर 164.52 करोड़ रु० हो गई। 12 वर्षों की अवधि में कुल बकाया कर 398 68 करोड़ रु० की राशि के हो गये अर्थात 33 करोड़ रु० प्रति वर्ष करों की बकाया राशि वसूल नहीं कर पाते। इस प्रकार हमें 33 करोड़ रु० प्रति वर्ष का घाटा पड़ रहा है। वर्ष 1956 में श्री कालडार ने कहा था कि निर्धारित की जाने वाला लगभग 200 करोड़ रु० से 300 करोड़ रु० तक है जब कि हमारे सरकारी आंकड़े इसे 20 करोड़ रु० से 30 करोड़ रु० तक का ही अनुमान लगा रहे थे। गत 10-12 वर्षों में देश में वाणिज्य सम्बन्धी तथा अन्य गतिविधियों में बहुत विस्तार हुआ है। इसलिये मेरा सुझाव यह है कि निर्धारित की हुई तथा निर्धारित की जाने वाली आयों पर ठीक रूप से कर लगे तथा उनको ठीक रूप से प्रशासन द्वारा कार्यान्वित करवाया जाना चाहिये।

हमारे देश में बहुत से आयोगों की नियुक्ति करों के सरलीकरण के बारे में हुई तथा उन्होंने इसके सम्बन्ध में परामर्श भी दिया था।

करों के निर्धारण के सम्बन्ध में कुछ साधारण लोगों को बहुत धन देना पड़ता है। करों से बचने का कार्य वह लोग अधिक करते हैं जिनके छोटे-छोटे कारोबार हैं।

छोटे उद्योगों को संरक्षण मिलना चाहिये विशेषकर उन उद्योगों को जो गांवों में स्थापित होने हैं। इसका लाभ यह होगा कि गांवों के लोग नगरों में कम आयेंगे। ऐसे कार्य जर्मनी तथा जापान में हो रहे हैं। कुछ अवधि के लिए ऐसे लोगों को करों में छूट मिलनी चाहिए। मैं प्रार्थना करती हूं कि उपप्रधान मन्त्री इन सुझावों पर विचार करेंगे।

श्री समर गुह (कन्टाई) : महोदय इस वित्त विधेयक से कोई ऐसी बात प्रतीत नहीं होती कि यह सामाजिक उद्देश्यों की ओर ले जा सके। यदि इस सरकार का ऐसा उद्देश्य होता तो पूंजी पतियों से उनकी अधिक आय को प्राप्त करके उसे विकास के कार्यों में लगाया जाता तथा सरकारी उपक्रमों को बढ़ाया जाता तथा ऐसे उपाय किये जाते कि साधारण लोगों में भी राष्ट्रीय आय का वितरण होता। कांग्रेस ने ऐसा कोई कार्य नहीं किया। इन करों का भार भी साधारण लोगों पर अधिक बढ़ा है। जिस वर्ग के पास अतिरिक्त आय है वह रियायतें प्राप्त कर रहा है तथा अपनी अतिरिक्त आय को रोके बैठा है।

कर वसूल करने वाला विभाग एक बहुत बड़ी गंद बन कर रह गया है। कालडार के अनुसार देश में 4 करोड़ रु० प्रति दिन की करों की चोरी हो रही है। वर्ष 1962 से करों की बकाया राशि में वृद्धि होती जा रही है तथा यह 270 करोड़ रु० से बढ़ कर 541.71 करोड़ रु० हो गई है। इस सम्बन्ध में एक आयोग बनाना चाहिये जिसमें उच्चतम न्यायालय के न्यायधीश आयकर विभाग के अनुभव प्राप्त प्रशासन तथा संसद सदस्य हों।

लेखापरीक्षा नियन्त्रण पद्धति परीक्षण को लागू किया है जोकि उड़ीसा तथा कलकत्ता में पहले ही असफल हो चुकी है। वहाँ तीन मास में लगभग 30,58,000 रु० करों में चोरी हुई। ऐसा प्रतीत होता हैं कि समाजवाद का नारा लगाने वाली सरकार पूंजीपतियों के दल के सामने घुटने टेक बैठी है।

सरकार बैंकों के राष्ट्रयकरण करने से घबराती हैं तथा जनता को "बैंकों के सामाजिक नियंत्रण" के नाम पर गुमराह कर रही है।

सरकारी उपक्रमों में असफलता मिल रही है। यह एक गंभीर समस्या है। इसने सामाजिक अर्थनीति को लगभग चुनौती दे दी है। प्रशासनिक सुधार आयोग ने इस सम्बन्ध में बहुत अच्छे सुझाव दिये हैं। उनका अखिल भारतीय आर्थिक तथा औद्योगिक सेना का सुझाव बहुत अच्छा है।

अणु शक्ति आयोग तीन रिऐक्टरों पर बेकार ही धन नष्ट कर रहा हैं जब तक कि वैज्ञानिकों को विस्फोट का अनुभव नहीं करने दिया जाता। इसके बिना वे केवल साधारण से मैकेनिक ही बने रहेंगे। हमारे तीन आणविक रिऐक्टरों में पर्याप्त मात्रा में प्लूटोनियम तैयार कर लिया है। इसका कोई लाभ नहीं होगा जब तक उन्हें आणविक विस्फोट का ज्ञान न हो और उसका परीक्षण न कराया जाये। यह ध्यान रखना चाहिये कि यह एकत्रित किया हुआ प्लूटोनियम बेकार ही नष्ट न हो। परन्तु सरकार की कायरता की नीतियां आणविक ज्ञान की राह में रुकावट बनी हुई हैं।

Shri A.S. Saigal (Bilaspur): Mr. Chairman the new taxation proposals are quite in accord with the increase in the responsibilities of the Government. Although the increase in the postal rates will add to the burden of the common people but there is relief in the income tax. There will be better climate for investment with the removal of tax on share holders.

There are proposals for increasing the agriculture products. There is stress on the economic upliftness. But the spiritual side has been neglected. It is the duty of the Government to stop the trend of moral degradation. Some money should be set apart for moral and spiritual education. We should encourage in our schools the teachings of Shri Ram Krishana Paramhans, Swami Vivekanand, Swami Ram Tirath, Guru Nanak and Mehar Baba. The future of the country depends on the thinking of the youngmen. They should have real love for the country and then only they can safeguard their freedom.

श्री रंगा : मुझे यह दु.ख से कहना पड़ता है कि वित्त मंत्री का सारा ध्यान इस बात में रहता है कि कितने कर और लगाये जायें। वह कर लगाते हैं तथा उनकी हिमायत करते हैं और उन्हें उचित ठहराने के तर्क देते हैं। यहाँ तो बच्चों को भी कर देना पड़ता है।

यही स्वर्ण नियन्त्रण के लिए उत्तरदायी है। पिछले पांच वर्षों में उत्पादन शुल्क दुगुने अर्थात 1205 करोड़ रुपये हो गये हैं। लेकिन जनता की स्थिति इस अनुपात से नहीं सुधरी। फिर

भी इन बोकों को बढ़ाया जा रहा है। यह इस देश के उपभोक्ताओं के लिए उचित नहीं है। समय आ गया है जबकि वित्त मंत्री को अपने विशेषज्ञों की सहायता से इस बात की जांच करनी चाहिये कि उनमें से कौन से उपयोगी हैं और कौन हमारी अर्थव्यवस्था और जनता की सामान्य स्थिति पर बोझ है और यही बोझ मूल्यों के उच्च स्तर के लिए उत्तरदायी है। इस तरह साधारण व्यक्ति के जीवन स्तर को कैसे ऊंचा किया जा सकेगा। मुद्रास्फीति का प्रभाव लोगों पर अभी भी है। उच्च मूल्य भाव भी है। वे गिर नहीं रहे हैं। बड़े पैमाने पर लोगों को कम भोजन मिलता है। पिछले वर्ष देश के अनेक भागों में अकाल पड़ा और हजारों लोगों के भूख से मरने का खतरा हो गया। जब हम स्वतंत्र हुए तो छः वस्तुओं पर उत्पादन शुल्क लगाया गया। अब 65 वस्तुओं पर उत्पादन-शुल्क लगाया जाता है। इन वस्तुओं का शुल्क 1250 करोड़ रुपये बैठता है। यह औसतन 125 रुपये प्रति परिवार प्रतिवर्ष है। यदि हम इसी ढंग से चलते रहे तो जीवन स्तर ऊंचा करने में साधारण व्यक्ति की कभी सहायता नहीं हो सकेगी अथवा उसकी स्थिति को कभी नहीं सुधारा जा सकेगा।

दूसरी बात यह है कि दो वर्ष में एक बार विशेषज्ञों का एक आयोग नियुक्त किया जाना चाहिये जो केन्द्रीय उत्पादन शुल्कों के कार्य का अध्ययन करे और उनको अमल में लाने के बारे में सिफारिशे करे ताकि उनके संग्रहण में सुधार हो सके। इस समय भ्रष्टाचार आदि के लिए काफी गुंजाइश है। इन त्रुटियों से बचने के लिए इसका पूरा अध्ययन करना आवश्यक है। केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के सम्बन्ध में आवधिक अध्ययन भी किये जाने चाहियें ?

जहां तक ऋणों तथा विदेशों से सहायता का सम्बन्ध है, अब कोई सहायता मिलने की आशा नहीं है। इस समय हमारा कुल ऋण लगभग 18,000 करोड़ रुपये हो गया है। हम भारत में या विदेशों से और ऋण नहीं ले सकते। जहां तक विदेशी ऋणों का सम्बन्ध है, खतरे का बिन्दु पहुंच चुका है। हमें यहीं रुक जाना चाहिये।

एक के बाद एक आने वाले वित्त मंत्री वचन देते आ रहे हैं कि वे खर्च में कमी करेंगे किन्तु वे वचत नहीं कर सके। यदि ईमानदारी के साथ कोशिश की जाये तो हम 4,000 करोड़ रुपये के कुल व्यय में 200 करोड़ रुपये की बचत कर सकेंगे।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy Speaker in the Chair]

यदि हम इसे आधा भी करे तो प्रतिरक्षा बलों में 175 करोड़ रुपये की बचत की जा सकती है। क्या सरकार इस दिशा में कदम उठायेगी। यदि उन्हें ऐसा करना है तो हम अतिरिक्त करारोपण से बच सकेंगे और सभी मदों जैसे चीनी, चाय, काफी, अनिर्मित तम्बाकू, मिट्टी का तेल, औषधि, साबुन, अल्युमीनियम, सूती कपड़े, सूती धागे, माचिस, जूते, बिजली के बल्ब आदि पर उत्पादन शुल्क में 25 प्रतिशत की कमी कर सकेंगे। यह 75 करोड़ रुपये होगा और यदि वर्तमान प्रस्तावों को लागू न भी किया जाये तो भी हमारे पास जरूरत से ज्यादा धन होगा बशर्ते कि प्रयास किया जाये। ऐसा इस सरकार के लिए सम्भव नहीं होगा।

एक राष्ट्रीय सरकार ही ऐसा कर सकती है लेकिन सत्तारूढ़ दल किसी तरह की राष्ट्रीय सरकार के विरुद्ध है। दूसरा सुझाव यह रखा गया है कि सरकार को सभी दलों के नेताओं को

विश्वास में लेना चाहिये और इसके बारे से यथासम्भव समझौता कर लेना चाहिये कि कैसे और कितनी बचत की जाये।

इस समय राजनीतिक जीवन की कुंजीयां इस सरकार के पास हैं। इसलिए उनका यह कर्त्तव्य है कि वे सभी तत्त्वों का सहयोग प्राप्त करने का प्रयास करें और इस तरह बचत करें और देश के सबसे निर्धन लोगों को उत्पादन शुल्क में कमी कर के राहत दें। यह राहत हर वर्ष 100 करोड़ रुपये से कम नहीं होनी चाहिये।

Shri Mahant Digvijai Nath (Gorakhpur) : "The Budget of the country is not satisfactory. A major portion of it is spent on other services and it is not known whether anything is left for development purposes." The budget does not meet the basic needs of the country.

Food, Employment, medicine, housing and education are our basic requirements.

The main reason for the food shortage of the country is lack of adequate attention towards agriculture. Besides good seeds, manure, water and electricity which are important items for agriculture were also not supplied as per farmers requirements. Bullocks play a very important role in our agriculture. Tractors are not suitable for the situation in India and we will have to depend on bullocks for this purpose.

We need 11 crores bullocks. But we have only 7½ crores of bullocks. So long as this shortage continues we will not be able to solve our food problem. We will have to protect our cow wealth for this purpose. Our craze for earning foreign exchange has led to our cows being slaughtered for manufacturing shoes for export. Therefore cow slaughter should be stopped forthwith.

Fertilizer, seeds and electricity should be supplied to the agriculturists at cheap rates. Electricity is supplied to Industrialists at cheap rates but it is not so in the case of agriculturists. Neither Electric wells nor canals have been provided in our State. There is surplus land in our state and paddy can be grown in abudance if water could be made available. The Minister should look into it.

Our fertilizer problem is also very acute. Cow-dung should be used as manure and not as fuel as is the practice at present. This will go a long way in solving our fertilizer problem.

The present system of education is responsible for increasing unemployment in the country. It prepares the people for getting into service only. Even the villagers migrate to cities in search of service after getting education instead of working in the fields. On the contrary the people in urban areas are migrating to the rural areas. Therefore it would be difficult for us to solve this problem until and unless our system of education is changed.

The Government has failed to solve the housing problem of the people. In the villages, the poor people are living in pitiable condition in thatched huts. In cities, they sleep on pavements. Similarly the medical facilities in the villages are very poor. If there are dispensaries, there are either no doctors or medicines. There should be adequate provision for these things.

The question of our internal security is serious one which requires our utmost consideration. There is a planned pattern behind the communal disturbances that are taking place. Till 1960, there were no communal trouble, but since 1960, their number has been on the increase. This is part of a definite plan to weaken us internally so that we may not be able to protect ourselves against external aggression.

It is very bad on the part of the Government that the majority community is being suppressed. The move to provide more jobs to the minority community in Government

services is very wrong. Highest positions in the country are held by the persons belonging to minority communities. Therefore there is no reason to suppress majority community and thereby weaken them. If it continued, the country would go to dogs.

Foreign missionaries sent Rs. 30 crores in order to convert Hindus into Christians. This money should be spent through Government and the foreign priests have no right to convert us.

Lastly, if the family planning schemes are persued as at present, a day will come when the majority community will be reduced to a minority.

Shri Beni Shanker Sharma (Banka) : Mr. Deputy Speaker, the Finance Minister has sought to fill the gap of Rs. 290 crores in the budget by resorting to deficit financing. There were two other courses which he could adopt. One is to find additional sources of revenues and the other is to effect economies in expenditure. A new class in the name of farmers is coming up in the country whose income from agriculture is much higher than the taxable income. These new landlords are earning lakhs of rupees. Time has come to tax their income above a specified limit.

What is happening to day is that the middle class assessees are being put to great hardships while the big sharks, whom the Finance Minister wanted to tax and against whom inquiries of tax-evasion are going on, got scott-free. This results in the demoralisation of officers who show undue harshness to the middle class assessees.

In order that their names may not be mentioned for low assessment the officers do not use their discretion and resort to heaviest possible taxation on the assessees. This is the reason why the number of incometax appeals is increasing. There are many cases when the assessees get the relief after appeal. But it took 2 or 3 years and by that time it is too late. The Finance Minister should take some steps to stop such demoralisation among the officers.

As in the case of sales-tax, there should be registration of the incometax assessees. If an assessee wants to do business, he will not be able to do so unless he is registered. Every assessee should be given a registration number so that if he produces the number before the Incometax Department, he may not have to undergo the trouble of producing witness after witness under Section 131. This will also save a great deal of unnecessary work that the Department has to do under section 131.

Simplification of procedures relating to taxation on personal incomes is welcome, but there is scope of further simplification.

The recommendations of Shri Bhoothalingam for removing the classfication of companies should be accepted.

It is against the cannons of jurisprudence to hold the assessee guilty if in the opinion of the officers he has concealed the income or submitted inacurate returns and to give him such heavy punishment as attachment of his assets. In such cases, it is for the Department to fix the value of the assets and tax it accordingly.

Dr. Surya Prakash Puri (Navada) : The policy of the Government to put more and more burden on the common people should be changed. The common people in the rural areas are already very poor.

There is a need to put an end to monopoly control. It is hoped the Finance Minister will take steps in this direction immediately.

Suitable persons should be put on various jobs. Certain posts should be manned by experts. It it regrettable that the Government have appointed a politician as the chairman of the Heavy Engineering Corporation, who was defeated in the elections.

The Government should pay more attention towards agriculture. The Minister of Irrigation and Power has said that there are not adequate funds for implementing various

irrigation and power projects. The Government should float an international loan of Rs. 1000 crores to Rs. 2000 crores in order to complete our power and irrigation projects to improve our agriculture. Unless the condition of the farmer improves, the economic condition of the country will not improve.

A committee consisting of representatives of all political parties should be constituted to consider industrial recession. Action should be taken on the lines suggested by the Committee.

The Government should consider steps to check inflation in the country.

Certain foreign articles are available in large quantities in border areas in Bihar. Even currency notes similar to our notes are in circulation. The Government should take immediate steps to check this attempt by certain foreign powers to upset our economy.

Foodgrains are being smuggled into foreign countries from Bihar. Concrete steps should be taken to check this smuggling.

श्री मोरारजी देसाई : चर्चा के दौरान मेरे लड़के का उल्लेख किया गया है। स्थिति यह है कि मेरे लड़के ने 1964 में अपना व्यवसाय बन्द कर दिया था, अब बन्द नहीं किया है। मेरे मंत्री पद से हटने के बाद वह मेरा निजी सचिव बन गया और उस समय से आज तक वह मेरे निजी सचिव के रूप में कार्य कर रहा है लेकिन वह सरकार की नौकरी में नहीं है। इसके लिये सरकार उसे कुछ नहीं देती। वह मेरे साथ सितम्बर-अक्तूबर में एक महीने से अधिक समय के लिये विदेश यात्रा पर गया था क्योंकि अनेक मित्रों ने मुझे परामर्श दिया था कि वह मेरे साथ निजी सचिव के रूप में जाये। वह मेरी सेवा करना चाहता था। इसलिये वह मेरे साथ जाना चाहता था। लेकिन वह अपने खर्च पर गया, सरकारी खर्च पर नहीं और उसे कोई अनुचित लाभ नहीं दिया गया था। उसने कहीं भी कोई अनधिकृत खर्च नहीं किया। फिर भी कहा गया है कि इसमें अनियमितता है।

हाल ही में जब मैं मनीला गया तो मेरा लड़का भी वहां पहुंचा। वह जापान, ताईवान और कोरिया के निमन्त्रण पर वहां गया था और उसका दौरा 1 से 24 अप्रैल तक था। इस दौरान मेरा लड़का मनीला भी आया, जहाँ मैं ठहरा हुआ था और वहाँ पर वह मेरे पास ठहरा। मेरे लड़के की यात्रा पर सरकार ने कोई खर्च नहीं किया था। उसका खर्च उन लोगों ने उठाया, जिन्होंने उसे आमन्त्रित किया था।

राजनियक पारपत्र का प्रश्न भी उठाया गया है। उसे राजनयिक पारपत्र देने का भी प्रस्ताव था यह प्रस्ताव मेरा नहीं था बल्कि संभवतया प्रधान मंत्री की आज्ञा से सचिवालय की ओर से किया गया था। लेकिन मेरे लड़के ने राजनियक पारपत्र लेने से इन्कार कर दिया और वह निजी पारपत्र पर गया।

अतः मेरा लड़का किसी व्यावसायिक प्रयोजन के लिये नहीं गया था। कहा गया है कि वह कोरिया में एक सरकारी मिशन के नेता के रूप में गया था। ऐसा कोई सरकारी मिशन नहीं था और न कोई नेता था।

श्री कापड़िया, जिनका उल्लेख किया गया है, मेरे लड़के का मित्र नहीं है। वह एक सटोरिया है। वह इस तरह का सट्टा करता है। लेकिन उस सट्टे से बजट का कोई सम्बन्ध नहीं है। इसको देखने से पता चलता है कि बजट में और सट्टे में कोई सम्बन्ध नहीं है।

Shri Madhu Limaye : Normally announcement in regard to Bank rates is made on Wednesday. The Budget was presented on Thursday and announcement in regard to reduction in Bank rate was made on Saturday. This news had leaked that the Government have decided to reduce the bank rate. Whether the Dy. Prime Minister have inquired into it ?

अध्यक्ष महोदय : लेकिन ग्रापने कापड़िया का भी उल्लेख किया ।

Shri Madhu Limaye : It is a fact. It should be enquired into. I have not taken this news from any irresponsible yellow journal. It has been given in Economic and Political weekly that what were its effects on Stock Exchange and how speculation was made. The Dy. Prime Minister cannot say that I have taken it from some yellow journal. He should clarify it.

श्री मोरारजी देसाई : मैंने मानवीय मित्र के बारे में मैलों जर्नल' की बात नहीं कही । मैंने यह सम्मान श्री उमानाथ को दिया ।

बैंक दर के बारे में, मेरे ग्रौर गवर्नर के सिवा ग्रौर किसी को पता नहीं था । लेकिन यदि किसी ने कुछ सोचा हो ग्रौर कुछ सट्टा किया हो तो उसके लिए गवर्नर या मैं किस तरह जिम्मेदार हो सकते हैं । फिर मेरे लड़के की तो बात ही छोड़िये ।

1962-63 में प्रधान मंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू को किसी ग्रज्ञात लेखक ने मेरे लड़के के विरुद्ध एक पत्र भेजा था । मैंने श्री नेहरू से ग्रनुरोध किया था कि वह हर तरह की जांच करा सकते हैं ग्रौर जैसी चाहें कार्यवाही कर सकते हैं । हाल ही में किसी व्यक्ति ने इस मामले के बारे में भी प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गाँधी को एक पत्र लिखा है । मैंने प्रधान मंत्री से कहा है कि इस मामले में किसी भी तरह की जाँच कराई जा सकती है । उन्होंने स्वयं पूछताछ की ग्रौर कहा यह हास्यास्पद है किन्तु जब लोग ऐसी बातें करते हैं तो क्या किया जा सकता है ।

मुझे उचित कार्य करना बहुत पसन्द है । जब कभी ऐसे कागज प्राप्त हुए तो मैंने पुलिस से ग्रपने लड़के के खिलाफ जांच कराई ग्रौर किसी तरह की गड़बड़ी से उसे कोसों दूर पाया । कुछ विकृत मस्तिष्क वाले लोग ऐसी ग्रफवाहें उसके खिलाफ फैला रहे हैं । जब वे उस के खिलाफ कुछ नहीं लिख सकते तो मुझे फंसाने की कोशिश करते हैं । वे ऐसा काम कर रहे हैं । यदि सार्वजनिक जीवन इस तरह रहा तो पता नहीं इस देश का क्या होगा । मुझे विश्वास है कि यह ग्रस्थायी है ।

श्री मधु लिमये गलत बातों का पर्दाफास करने के लिए सदा उत्सुक रहते हैं । लेकिन वह सोचें कि क्या वह ही ईमानदार हैं ग्रौर कोई ईमानदार व्यक्ति नहीं है । वह पूरी सूचना ग्रौर स्पष्टीकरण देने के बाद भी नहीं मानते । यह ग्रारोप सब से ग्रधिक बुरा है कि मैं झूठ बोलता हूँ । इस मामले में सावधानी बर्तने की जरूरत है । श्री उमानाथ ग्रौर उसके मित्रों की यह विशेषता है कि वह सदा गलत काम करते हैं ।

ग्रब मैं उन मामलों का उल्लेख करूंगा जिनका वित्त विधेयक के सम्बन्ध में उल्लेख किया गया है । मैंने केवल उन ग्रनुचित लाभों को लिया है जो दी गई रियायतों के परिणाम स्वरूप किसी सीमा से ऊपर ग्राय को होते । यह मेरा कर्त्तव्य था ।

वित्त विधेयक की ग्रालोचना करते समय यह पूछा गया है कि मैंने वार्षिकी या दूसरी किसी रियायत को इसी वर्ष से शुरू क्यों नहीं किया । सभी वित्तीय विधानों को भूतलक्षी प्रभाव देने का जो नया कदम पिछले वर्ष उठाया गया था उसका स्वागत किया जाता है । यदि मैं ऐसा ग्रब करता तो उसकी ग्रालोचना की जाती । यदि मैं इसे 1967-68 से लागू करता तो मुझे कई चीजें जो दी जा चुकी हैं उन्हें लौटाना पड़ता । मुझे ग्रौर कर भी लगाने पड़ते । इससे लोगों को ग्रौर ग्रधिक परेशानी होती ।

सम्पत्ति छिपाने के लिए कड़े दण्ड की व्यवस्था करना ग्रावश्यक है । यदि किसी को 5000 रुपये बचाने के लिए एक लाख रुपये तक दण्ड सदन करना पड़ जाये तो कोई भी ऐसी चोरी

करने का साहस नहीं करेगा। यदि नहीं और कई दूसरे उपाय भी किये जा रहे हैं जो धीरे धीरे सामने आयेंगे। तब यथासम्भव सत्यनिष्ठा हमारे समाज में देखने को मिलेगी।

कहा गया है कि उत्पादन-शुल्क अब उत्पादकों द्वारा ही किये गये मूल्यांकन के आधार पर वसूल किया जायेगा और इस कारण उत्पादक इस शुल्क से बचने की कोशिश करेंगे और कुछ भी नहीं देंगे। इन लोगों को खातों में पहले ही रकम जमा करानी होगी। जमा खातों में हमेशा कुछ फालतू धनराशि होनी चाहिये। इसलिए यदि समान दे दिया गया हो धन पहले ही दे दिया जायेगा।

इसके साथ ही दोनों पक्षों की सुविधाओं को देखते हुए और उनकी ठीक प्रकार से निगरानी करने के लिए, उन्हे साप्ताहिक दैनिक या पाक्षिक विवरणियां प्रस्तुत करनी पड़ेंगी, जैसा हम निर्णय लेते हैं। उच्चाधिकारी समय-समय पर इसकी जांच-पड़ताल करेंगे और देखेंगे कि उन्होंने ठीक प्रकार से भुगतान कर दिया है या नहीं, क्या उन्होंने शुल्क का अपवंचन किया है और यदि किया है तो उन पर भी सम्पत्ति कर जैसा जुर्माना लगाया जायेगा और उसमें कारखाने तक जब्त किये जा सकते हैं।

नई योजना से उत्पादन-शुल्क विभाग में कर्मचारी फालतू हो जायेंगे। हम इस प्रकार फालतू होने वाले कर्मचारियों के लिए यथासम्भव नौकरियों की व्यवस्था करेंगे।

इस देश में रोजगार दिलाने के काम में कई शर्तें गलत हैं। किन्तु यह इस सरकार द्वारा नहीं बनाई गई हैं। यह हमें अपने देश में विरासत के रूप में मिली हैं। हम अभी तक इन में सुधार नहीं कर पाये हैं और हम इस दिशा में प्रयत्नशील हैं।

इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमारे देश में गरीबी है। लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि 1945-46 की अपेक्षा देश में अब गरीबी ज्यादा है। गरीबी दूर करने में समय लगेगा। हम इस दिशा में प्रयत्नशील हैं।

बी० ओ० ए० सी० के प्रश्न का उल्लेख किया गया है। श्री मधु लिमये ने तीन या चार मामलों का उल्लेख किया है। इनके बारे में मैंने उन्हें विस्तारपूर्वक लिखा है। मैं जो कार्यवाही कर सकता हूं और जिसे उचित समझता हूं वह कर रहा हूं। अन्ततः वह इस बात से सहमत होंगे कि इस का फैसला करने का मुझे अधिकार है। मैं किसी मामले में पूर्ण साहस का दावा नहीं कर सकता।

करों की चोरी करने वालों पर हम मुकदमे चलाते हैं किन्तु दण्ड दिलाना कठिन होता है। फिर जहां न्यायालय उन्हें निदोश बताते हैं वहाँ अपीलें भी की जाती हैं। मुकदमा चलाने से पूर्व काफी तैयारी करनी पड़ती है प्रमाण एकत्र करने होते हैं और जहां भारी जुर्माने मिलने की आशा होती है वहां समझौते भी कर लिये जाते हैं। प्रत्येक मामले में जहां जुर्माने के अतिरिक्त मुकदमें भी चलाए जा सकते हैं वहां उन्हें आवश्यक चलाना चाहिये।

यदि हम कड़े से कड़े दण्ड देनें का उपबन्ध कर रहे है तो यह उनमें श्रम और कानून के प्रति आदर की भावना उत्पन्न करने के लिये हैं।

इस प्रश्न के उत्तर में कि सरकार देश पर आई विपत्तियों पर कैसे काबू पायेगी और विश्व में शान्ति कैसे स्थापित की जाये, तो इसके उत्तर में मुझे यही कहना है कि सरकार का वर्षा आदि प्राकृतिक साधनों पर तो कोई नियन्त्रण नहीं है और न ही सरकार विश्व पर कोई अधिकार रखती है कि शान्ति सारे संसार में स्थापित की जा सके। हां देश की अर्थ व्यवस्था को अधिक सुदृढ़ करने का प्रयत्न सरकार कर सकती है और कर रही है ताकि विपत्तियों का बलपूर्वक सामना किया जा सके। सूखा पड़ने पर नदी नाले, तालाब आदि सभी जल स्रोत सूख जाते हैं इसलिये सिंचाई साधनों पर नियंत्रण भी एक सीमा तक ही रखा जा सकता है फिर भी हम खेती

के लिये अच्छे बीज, उर्वरक, सिंचाई आदि की सुविधाओं में यथासंभव सुधार लाने का प्रयत्न कर रहे हैं।

मैंने यह कभी नहीं कहा कि इस वर्ष हमने मैदान मार लिया है किन्तु यह भी तो सच है कि फसल अच्छी होने से कुछ सुधार हुआ है जनता में कुछ विश्वास और हिम्मत का संचार हुआ है और इससे देश की आर्थिक स्थिति को भी कुछ बल मिला है। किन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि हमारी सभी समस्याएं हल हो गई हैं। हां मेरा यह विचार आवश्यक है कि यदि एक फसल और अच्छी हुई तो हम मैदान मार लेंगे और प्रगति तथा समृद्धि के मार्ग पर चल पड़ेंगे।

बेरोजगारी में मैं भत्ते देने में विश्वास नहीं रखता किन्तु मैं तो बेरोजगारी दूर करने के लिये लोगों को रोजगार के अवसर देने को कहीं अच्छा समझता हूँ। श्री डांगे जैसे कुछ लोग सदा ही 'हाय मरे' देश की हालत नाजुक हैं। हमारी आर्थिक स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। आदि विचारों और नारों में विश्वास करते हैं क्योंकि ऐसे लोग ऐसी हालत में ही पनपते हैं किन्तु, मैं इसमें विश्वास नहीं करता न ही इसे अच्छा समझता हूं-देश के लिये और राष्ट्र के लिये।

देश में जो स्थिति पैदा हुई है उसके कारण रोजगार के अवसरों में पर्याप्त वृद्धि नहीं हो पाई और इसकी जिम्मेदारी सबसे अधिक श्री डांगे और उन जैसे लोगों की है।

श्री मधु लिमये : फेडकों के बारे में क्या हुआ।

श्री मोरारजी देसाई : उनको दोषी ठहराया गया था और जेल में भी रखा गया था। बाद में उन्हें अस्पताल में रखा गया लेकिन पुलिस की हिरासत और निगरानी में यह भी कारावास ही हुआ। बाद में डाक्टरों के यह प्रमाण पत्र दे देने पर कि जेल में रखने से इनकी मृत्यु हो जायेगी महाराष्ट्र सरकार ने इनकी सजा माफ करके इन्हें रिहा कर दिया। ऐसा उन्होंने संहिता के अधीन अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए किया। जब मुझे इसकी सूचना मिली तो मैंने महाराष्ट्र सरकार को लिखा कि मुझे उनकी इस कार्यवाही से दुख हुआ है और यह अच्छा नहीं हुआ।

Shri Madhu Limaye : Article 256 and 257 of the Constitution also provide that the executive power of every State shall be so exercised as not to impede or prejudice the exercise of the executive power of the Union. The hon. Minister may consult the Attorney General and Solicitor General and inform the House whether the Centre can take any further action in the matter or not.

श्री मोरार जी देसाई : हमें पहले यह सिद्ध करना होगा कि राज्य सरकार की कार्यवाही बिल्कुल गलत थी और ऐसा करना बहुत कठिन ।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री इन्द्रजीत गुप्त का संशोधन सभा के मतदान के लिये रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

The motion was put and negatived

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है : 'कि वित्तीय वर्ष 1968-69 के लिए केन्द्रीय सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को कार्यान्वित करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

इसके पश्चात लोकसभा बुधवार 1 मई; 1968 / 11 बैशाख, 1890 (शक) को 11 बजे म.पू. तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till eleven of the Clock on Wednesday, the Ist May, 1968/11th Vaishakha, 1890 (Saka).